इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट Abridged Annual Report 2012-13

निदेशकगण: (31.03.2013 को) BOARD OF DIRECTORS (as on 31.3.2013)

श्री एम नरेन्द्र अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (01.11.2010 से)	**Shri M Narendra** Chairman and Managing Director (from 01.11.2010)
श्री ए.के.बंसल कार्यपालक निदेशक (01.09.2010 से)	**Shri A K Bansal** Executive Director (from 01.09.2010)
श्री ए डी एम चावली कार्यपालक निदेशक (28.12.2011 से)	**Shri A D M Chavali** Executive Director (from 28.12.2011)
डॉ. आलोक पांडे भारत सरकार के नामिती निदेशक (22.07.2011 से)	**Dr Alok Pande** GOI Nominee Director (from 22.07.2011)
श्री एस वी राघवन भा.रि. बैंक के नामिती निदेशक (30.07.2010 से)	**Shri S V Raghavan** RBI Nominee Director (from 30.07.2010)
श्री श्रीधर लाल लखोटिया कामगार कर्मचारी निदेशक (09.08.2010 से)	**Shri Sridhar Lal Lakhotia** Workmen Employee Director (from 09.08.2010)
श्री निरंजन कुमार अग्रवाल अंशकालिक गैर कार्यालयी निदेशक (01.11.2011 से)	**Shri Niranjan Kumar Agarwal** Part time non official Director (from 01.11.2011)
श्री अजीत वसन्त सरदेसाई शेयरधारक निदेशक (08.12.2011 से)	**Shri Ajit Vasant Sardesai** Shareholder Director (from 08.12.2011)
प्रो. एस सडगोपन शेयरधारक निदेशक (08.12.2011 से)	**Prof S Sadagopan** Shareholder Director (from 08.12.2011)

श्री जी आर गाँधी महा प्रबंधक एवं बोर्ड सचिव (01.03.2012 से 31.10.2012 तक)	**Shri G R Gandhi** General Manager & Board Secretary (from 01.3.2012 to 31.10.2012)
श्री एस एन मिश्र मुख्य महा प्रबंधक एवं बोर्ड सचिव (01.11.2012 से)	**Shri S N Mishra** Chief General Manager & Board Secretary (from 01.11.2012)

लेखा परीक्षक

1. एस आर मोहन ऐण्ड कं. हैदराबाद
2. बदरी, मधुसूधन एवं श्रीनिवासन, बैंगलूर
3. बी त्यागराजन ऐण्ड कं., चेन्नै
4. शंकर ऐण्ड मूर्ति, त्रिवेंद्रम
5. पी.आर.मेहरा ऐण्ड कं., नई दिल्ली
6. दास खन्ना एण्ड कं., लुधियाना

AUDITORS

1. S. R. Mohan & Co., Hyderabad
2. Badari, Madusudhan & Srinivasan, Bangalore
3. B.Thiagarajan & Co, Chennai
4. Sankar & Moorthy, Trivandrum
5. P R Mehra & Co, New Delhi
6. Dass Khanna & Co, Ludhiana

रजिस्ट्रार एण्ड शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्वीसेज़ लिमिटेड
(यूनिट-आइओबी) सुब्रमणियन बिल्डिंग,
प्रथम तल, नं.1 क्लब हाउस रोड
चेन्नई-600 002
दूरभाष:044-28460390 (छ: लाइनों)
28460084, 28460395
फैक्स : 044-28460129
ई-मेल : cameo@cameoindia.com

Registrar & Share Transfer Agent

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building,
I Floor, No.1, Club House Road,
Chennai - 600 002
Tel : 044 - 28460390 (Six Lines), 28460084, 28460395
Fax: 044 - 28460129
e mail: cameo@cameoindia.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट Abridged Annual Report 2012-13

विषय-वस्तु CONTENTS

विषय-वस्तु Contents	पृष्ठ सं Page No.
अध्यक्ष की डेस्क से	3
From the Chairman's desk	3
शेयरधारकों को सूचना	7
Notice to Shareholders	7
एक झलक में	16
At a Glance	17
निदेशकों की रिपोर्ट	18
Directors' Report	19
प्रबंधन विचार - विमर्श और विश्लेषण	24
Management Discussion and Analysis	25
वर्ष 2012-13 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	52
Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the Year 2012-13	53
कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	96
Auditors' Certificate on Corporate Governance	97
संक्षिप्त वार्षिक लेखे	98
Abridged Annual Accounts	99
नकदी प्रवाह विवरण एवं लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	146
Cash Flow Statement & Auditors' Certificate	147
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट	172
Auditors' Report	173
प्रॉक्सी फार्म	177
Proxy Form	178
उपस्थिति पर्ची	177
Attendance Slip	178
ईसीएस अधिदेश फार्म	180
ECS Mandate Form	181

(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट में हिन्दी रूपांतरण के तहत कोई विसंगति पायी जाती है तो अंग्रेजी रूपांतरण सही माना जायेगा)
(In this Annual Report, in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)

वित्तीय कैलेण्डर

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च 2013 तक के लिए

लेखा बंदी की तारीखें	22. 06.2013 (शनिवार) से 28.06.2013 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल हैं)
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	29.05.2013 से 03.06.2013 तक
प्रॉक्सी फार्म की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि	22.06.2013 (शनिवार) 14.00 बजे तक
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	28.06.2013 (शुक्रवार) सुबह 10.00 बजे
लाभांश की घोषणा	28.06.2013 (शुक्रवार)
लाभांश अदायगी तारीख	16.07.2013 को या उपरान्त
लाभांश अधिपत्र प्रेषण की	16.07.2013 को या उसके बाद

Financial Calendar

For the Financial year 1st April, 2012 to 31st March 2013

Book Closure Dates	22.06.2013 (Saturday) to 28.06.2013(Friday) (both days inclusive)
Posting of Annual Report	29.05.2013 to 03.06.2013
Last date for Receipt of Proxy Forms	22.06.2013 (Saturday) 14:00 hrs
Date of AGM	28.06.2013 (Friday) 10:00 A.M.
Declaration of dividend	28.06.2013 (Friday)
Dividend Payment Date	On or after 16.07.2013
Probable Date of Despatch of Dividend Warrants :	On or after 16.07.2013

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से पत्र
LETTER FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

(एम नरेन्द्र)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारकों,

वर्ष 2012-13 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। वर्ष के दौरान बैंक की विशिष्टताओं तथा निष्पादन सूचकांकों को आपके साथ बाँटना चाहूँगा।

आर्थिक परिदृश्य :-

इस वर्ष के दौरान सामान्य आर्थिक परिस्थितियों में आई गिरावट के कारण बैंक को धीमे विकास के वातावरण में काम करना पड़ रहा है। 31.03.2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान आर्थिक विकास, 31.03.2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2011 के आर्थिक विकास 6.2% से घटकर 5% हो गया। कृषि एवं सेवा क्षेत्र का कार्य निष्पादन भली प्रकार चल रहा है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में विकास धीमी गति से हो रहा है।हालांकि, यह आशा की जाती है कि आर्थिक गति को पुन: विकसित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों से आने वाले वर्ष के दौरान कारोबार तथा ग्राहकों के विश्वास में बढ़ोत्तरी होगी।

कार्य निष्पादन की विशिष्टताएँ - 2012-13

इस वर्ष के दौरान बैंक का कार्य निष्पादन समीक्षाधीन है :

कारोबार के मापदंड रकम (₹. करोड़ में)

	31.03.2013	31.03.2012	वृद्धि 2012 -13	
			रकम	%
वैश्विक कारोबार	3,66,501	3,21,707	44,794	13.92
वैश्विक जमा	2,02,135	1,78,434	23,701	13.28
वैश्विक अग्रिम	1,64,366	1,43,273	21,093	14.72
परिचालित लाभ	3,817	3,534	283	8.00

31.03.2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के निवल लाभ ₹. 1,050 करोड़ के प्रति 31.03.2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बैंक का **निवल लाभ** ₹. 567.23 करोड़ रहा। यह गिरावट एनपीए के संबंध में ब्याज रिवर्सल लगभग ₹.508 करोड़ के पुनसंरचित खाते,एनपीए तथा लगभग ₹. 691 करोड़ के पुनसंरचित खातों पर एनपीए पर बढ़ाए गए प्रावधान के कारण है।

Shri.M.NARENDRA
Chairman and Managing Director

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to present your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2012-13. I would like to share with you the highlights and performance indicators of the Bank during the year.

Economic Scenario:-

Bank has to operate in an environment of slower growth caused by slump in general economic conditions throughout the year. The economic growth during FY 2012 ended 31.03.2013 decelerated to 5% from 6.2% in the FY 2011 ended 31.03.2012. Agriculture and Services Sector are performing well while there is slow growth in the manufacturing sector. However, steps taken by the Government to put the economy back on growth track are expected to improve business and consumer confidence during the coming year.

Performance Highlights – 2012-13

The performance of the Bank during the year under review:

Business Parameters Amount (₹. in Crores)

	31.03.2013	31.03.2012	Growth 2012-13	
			Amount	%
Global Business	3,66,501	3,21,707	44,794	13.92
Global deposits	2,02,135	1,78,434	23,701	13.28
Global Advances	1,64,366	1,43,273	21,093	14.72
Operating Profit	3,817	3,534	283	8.00

Net Profit of the Bank for the year ended 31.03.2013 stood at ₹. 567.23 crore against ₹. 1,050 Crore for the year ended 31.03.2012. This was lower due to interest reversal in respect of NPA and restructured Accounts by around ₹. 508 crore and increased provision on NPA and Restructured Accounts by ₹. 691 crore.

बैंक का **निवल निवेश** 31.03.2012 को ₹. 55,566 करोड़ से बढ़कर 31.03.2013 को ₹.61,417 करोड़ हो गया।

शाखा विस्तार :-

वर्ष के दौरान बैंक ने पूरे देश में 273 शाखाएँ खोलीं, 2012-13 के दौरान खोली गईं। 273 शाखाओं में से, 188 शाखाएँ (68.86%) ग्रामीण और अर्द्धशहरी केन्द्रों में है, जिनमें से 92 शाखाएँ बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में है। इन नई शाखाओं ने बैंक को नए रिश्ते बढ़ाने एवं अपनी उपस्थिति और नेटवर्क को और व्यापक रूप से फैलाने में सक्षम बनाया है। नई शाखाओं में औसत कासा लगभग 48% है।

अग्रिम पोर्टफोलियो को बढ़ाने के विचार से इस वर्ष 5 विशिष्ट बड़ी कॉर्पोरेट शाखाएँ, 5 विशिष्ट मिड कॉर्पोरेट शाखाएँ, 4 विशिष्ट एसएमई शाखाएँ और 22 विशिष्ट कृषि उधार शाखाएँ खोली गईं।

31.03.2013 को, बैंक की 2902 देशी शाखाएँ थीं, जिनमें से 849 ग्रामीण शाखाएँ (29.26%), 808 अर्द्धशहरी शाखाएँ (27.84%), 649 शहरी शाखाएँ (22.36%) और 596 महानगरीय शाखाएँ (20.54%) थीं। इस वर्ष के दौरान बैंक ने 50.08 लाख नए ग्राहक जोड़े।

31.03.2013 को पूरे देश में बैंक के 1883 एटीएम हैं, जिनमें से 1164 ऑनसाइट हैं, 719 ऑफसाइट एटीएम में से 44 विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर हैं। बैंक एनपीसीआइ और विज़ा का सदस्य है।

अन्य विशिष्टताएँ :-

- समायोजित निवल बैंक ऋण से **प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम** का प्रतिशत भा.रि.बैंक की 40% की शर्तों के प्रति 40.03% है।
- समीक्षाधीन वर्ष में बैंक के **कृषि ऋण** पोर्टफोलियो में ₹.19416 पर ₹. 3,977 (20.48%)बढ़कर ₹. 23,393 हो गया है। बैक के कृषि अग्रिम और समायोजित निवल बैंक ऋण का अनुपात 18.34% रहा, जो मानक 18% से अधिक था। इस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने हेतु बैंक ने कई कदम उठाए हैं।
- 31 मार्च 2013 को बैंक के **एसएमई क्षेत्र** का कुल एक्सपोज़र 31.03.2012 को ₹. 16,600 करोड़ के प्रति 20.33% का विकास दर्ज़ करते हुए रु.19,976 करोड़ रहा।
- **प्रति कर्मचारी कारोबार** 31.03.2012 को ₹. 11.76 करोड़ से बढ़कर 31.03.2013 को रु. 12.88 करोड़ हो गया।
- सकल एनपीए 31.03.2012 को ₹. 3,920.07 करोड़ के प्रति 31.03.2013 को ₹. 6,607.96 करोड़ रहा एवं प्रतिशत में, 31.03.2012 को 2.74% के प्रति 31.03.2013 को सकल एनपीए का अनुपात 4.02% था। अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण सकल एनपीए का स्तर बढ़ है, लेकिन फिर भी वह औद्योगिक औसत से कम है।
- **निवल एनपीए** 31.03.2012 को ₹. 1907.44 करोड़ की तुलना मे 31.03.2013 को ₹. 4027.21 करोड़ रहा। प्रतिशतता में निवल एनपीए अनुपात 2.50% और 1.35% क्रमश: रहा।
- वर्ष 2012-13 के लिए निदेशक मंडल द्वारा 20% के **लाभांश** की संस्तुति की गई है।
- 31.03.2013 को **प्रावधान कवरेज़ अनुपात** 58.89% रहा।

Net investments of the Bank increased to ₹. 61,417 crore as on 31.03.2013 from ₹. 55,566 crore as on 31.03.2012.

Branch Expansion:-

During the year, the Bank opened 273 branches across the country. Out of 273 branches opened during 2012-13, 188 branches (68.86%) are located in Rural and Semi Urban centres, of which 92 branches are located in Unbanked Rural Centres. These new branches have enabled the Bank to enhance new relationships and spread our presence and network farther and wider. The average CASA in the new branches is about 48%.

With a view to stepping up vertical growth in advances portfolio, 5 Specialized Large Corporate Branches, 5 Specialised Mid Corporate Branches, 4 Specialised SME branches, and 22 Specialised Agricultural Credit Branches were opened during the year.

As on 31.03.2013, the Bank had 2902 domestic branches, comprising of 849 rural branches (29.26%], 808 Semi Urban branches (27.84%), 649 Urban branches (22.36 %) and 596 Metropolitan branches (20.54%). The Bank added 50.08 lacs new relationships during the year.

As on 31.03.2013, Bank has 1883 ATMs spread across the country, of which 1164 are onsite, 719 ATMs are off-site of which 44 are at various Railway Stations. The Bank is a member of NPCI and VISA consortiums.

Other Highlights:-

- The percentage of **priority sector advances** to Adjusted Net Bank Credit stood at 40.03% as against RBI norms of 40%.
- **The agricultural credit** portfolio of the Bank registered a growth of ₹. 3,977 crore (20.48%) from ₹. 19,416 crore to ₹. 23,393 crore in the year under review. The Bank's ratio of agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit stood at 18.34% and exceeded the 18% norm. The Bank took a number of initiatives to increase the flow of credit to this sector.
- The total exposure of the Bank as on March 31, 2013 to **SME sector** stood at Rs. 19,976 crore as against Rs. 16,600 crore as on 31.03.2012 registering a growth of 20.33%.
- **Business per employee** increased from ₹. 11.76 crore as on 31.03.2012 to ₹. 12.88 crore as on 31.03.2013.
- **Gross NPA** stood at ₹. 6,607.96 crore as on 31.03.2013 as against ₹. 3,920.07crore as on 31.03.2012 and in percentage terms, the Gross NPA ratio was 4.02% as on 31.03.2013 as against 2.74% as on 31.03.2012. The gross NPA has gone up on account of downturn in economy, but it is still lower than the Industrial Average.
- **Net NPA** stood at ₹. 4,027.21 crore as on 31.03.2013 as against ₹. 1,907.44 crore as on 31.03.2012. In percentage terms, the Net NPA ratio was 2.50% and 1.35% respectively.
- **A dividend** of 20% has been recommended by the Board of Directors for the year 2012-13.
- **Provision Coverage Ratio** stood at 58.89% as on 31.03.2013.

- **पूँजी पर्याप्तता अनुपात**

अन्तर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ बैंक पहले ही भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2008 से नए पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) में बढ़ चुका है। बेसल II मानदंडों के अनुसार बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2013 को 11.85% रहा, जो कि भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित 9% की अपेक्षा से बहुत ऊपर है।

पैरा बैंकिंग :

पैरा बैंकिंग के क्षेत्र में बैंक का मुख्य ज़ोर बीमा उत्पादों के विपणन, स्वर्ण सिक्कों की बिक्री और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर है ।बैंक गैर जीवन बीमा उत्पादों के वितरण हेतु यूनिवर्सल सोम्पो जनरल बीमा कंपनी लि.(गैर जीवन बीमा संयुक्त उपक्रम कंपनी) के साथ अपने कॉर्पोरेट एजेंसी को बनाए हुए है ।

लाभप्रदता को सुधारने के उपाय

लाभप्रदता को सुधारने के लिए प्रयासों में बैंक का कासा अनुपात सुधारने के साथ सभी पात्र खातों में सरफासी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई और एकबारगी निपटान,वसूली केम्प / लोक अदालतों का आयोजन बार-बार करके सघन वसूली उपायों के जरिए बड़े पैमाने पर एन पी ए को घटाने पर जोर है ।

विदेशी परिचालन :-

हमारे विदेशी परिचालनों के संबंध में ,हमारी छह पूर्ण परिचालित विदेशी शाखाएँ हैं - दो हांगकांग में और सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, और थाइलेण्ड में एक-एक शाखाएँ हैं। बून ले और सारंगून, सिंगापुर में विप्रेषण केन्द्र स्थापित है तथा श्रीलंका में विस्तार काउंटर स्थापित हैं ।

बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय गुआंग्झौ (चीन), क्वालालम्पुर (मलेशिया), होचि मिन सिटी (वियतनाम) और अलाकरामा(दुबई) में स्थापित है तथा दुबई, वियतनाम और चीन के प्रतिनिधि कार्यालयों को पूर्ण रूप से परिचालित शाखा में उन्नयन हेतु बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति की प्रतीक्षा में है ।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक को निम्न विदेशी केन्द्रों पर विदेशी संयुक्त उद्यम / पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी खोलने की सुविधा प्रदान की है । 1थाइलेंण्ड 2 वियतनाम 3 मंगोलिया 4 श्रीलंका 5 कोरिया गणराज्य ।

हमारे बैंक ने मलेशिया में बैंकिंग सहायक कंपनी खोलने हेतु बैंक ऑफ बडौदा और आंध्रा बैंक के साथ संयुक्त उद्यम करार किया है। 13.08.2010 को मलेशिया में **''इंडिया इंटरेशनल बैंक (मलेशिया) लि.'' बीएचडी** के नाम से एक संयुक्त उद्यम जुलाई 2012 से कार्य आरम्भ किया है ।

फरवरी 2013 के दौरान, बैंक ने सुखुम्वित, बैंकाक में एक शाखा और कोलंबो में एफसीबीयू खोलने के लिए भा.रि.बैंक से अनुमति प्राप्त की है ।

आइओबी प्राप्त पुरस्कार

- 2012 के लिए, एमएसएमई ऋण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से आइओबी को नवाज़ा गया और एमएसएमइ ऋण (दूसरा स्थान) में उत्कृष्टता के लिए, अ.व.प्र.नि. ने महामहीम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया । बैंक को दक्षिण अंचल स्तर पर प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम (पीएमइजीपी) के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाज़ा गया ।
- बैंक को वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस से 6 वर्गों में रेसपांसिबल अवार्ड 2012 प्राप्त हुआ है जिनमें बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट सर्विस इनिसियेटिव

- **Capital Adequacy Ratio**

  The Bank with an International presence has already moved to New Capital Adequacy Framework (Basel II) from 31.03.2008 in line with RBI guidelines. The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31.3.2013 stood at 11.85% as per Basel II norms which is well above the requirement of 9% prescribed by RBI.

Para banking:-

In the area of Para-banking, Bank is concentrating on marketing of insurance products, sale of gold coins and IT enabled products. The Bank continues with its Corporate Agency arrangement entered into with Universal Sompo General Insurance Company Limited (the Non-Life Insurance Joint Venture Company) for distribution of non-life insurance products.

Steps to improve Profitability:-

As part of the efforts to improve profitability, bank lays renewed emphasis on improving the CASA ratio, reduction of NPAs to a large extent through intensive recovery measures like conducting frequent Lok Adalats / Recovery Camps, One-Time Settlements and resorting to legal action under SARFAESI Act in all eligible accounts.

Overseas Operations:-

As regards our overseas operations, we have six full-fledged overseas branches – two in Hong Kong and one each in Singapore, South Korea, Sri Lanka and Thailand. Remittance Centers function in Boon Lay and Serangoon, Singapore while an Extension Counter is located in Sri Lanka.

The Bank's Representative Offices are located in Guangzhou (China), Kuala Lumpur (Malaysia), Ho Chi Minh City (Vietnam) and Al Karama, (Dubai) and Bank is awaiting RBI permission for upgrading its representative offices at Dubai, Vietnam and China into full fledged branches.

Ministry of Finance, Government of India has allocated the following overseas centres for opening of overseas JV/WOS by the Bank. 1. Thailand, 2. Vietnam, 3.Mongolia, 4. Srilanka and 5. Republic of Korea.

Our Bank has signed a joint venture agreement with Bank of Baroda and Andhra Bank to open a Banking subsidiary in Malaysia. The Joint venture has been duly incorporated at Malaysia on 13.08.2010 by name **"India International Bank (Malaysia) Ltd."** BHD and the banking Joint Venture has started functioning from July 2012.

During February 2013, Bank has obtained RBI permission for opening a branch at Sukhumvit, Bangkok and for opening a FCBU in Colombo.

Awards won by IOB:-

- National Award for MSME lending for 2012 was awarded to the Bank and CMD received the National Award for excellence in MSME lending (2nd Place) from His Excellency, The President of India, Shri. Pranab Mukherjee. The Bank was also conferred National Award for its outstanding performance at South Zonal level for implementation of Prime Ministers' Employment Guarantee Programme (PMEGP).
- Bank has bagged Responsible Business Awards 2012 from World Education Congress in 6 categories namely

अवार्ड, आउटस्टेंडिंग बैंकिंग लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट सीएसआर प्रेक्टिस अवार्ड , बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद इन्नोवेशन एचआर प्रेक्टिसेस अवार्ड, बेस्ट सीक्योरिटी इनिशिएटिव अवार्ड आदि शामिल हैं ।

- बैंक को '' द संडे स्टेंडर्ड फिनविज 2012 '' से वृहत बैंक वर्ग में बेस्ट इण्डियन बैंकर और बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंकर अवार्ड प्राप्त हुआ है । बैंक को स्कोच डिजीटल अवार्डस 2012 में गोल्ड अवार्ड इन बिजनेस इंटेलीजेंस और डाटा वेयरहांउसिंग से नवाज़ा गया ।
- बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री एम नरेन्द्र को जिन्दल ग्लोबल बिजनेस स्कूल द्वारा '' द जेजीबीएस टॉप रेन्कर्स एक्सीलेन्सी विजीनेरी लीडरशिप अवार्ड से और 2013 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित 14 वें राष्ट्रीय प्रबंध सम्मेलन के अवसर पर टॉप रेन्कर्स अवार्ड से नवाजा गया ।
- 5 जनवरी 2013 को बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री ए के बंसल ने ''टर्निंग द टाइड'' परियोजना के तहत बसंत नगर, चेन्नै के मछुआरों के वित्तीय समावेशन की उन्नति में बैंक के अनुकरणीय योगदान के लिए'' द स्कोच फाइनेन्सियल इनक्लुजन अवार्ड '' प्राप्त किया ।

हमारी प्रतिबद्धता

एटीएम सहित शाखाओं का वृहत नेटवर्क, सक्षम ग्राहक सेवा और समर्पित मानव संसाधन, बैंक को शक्ति प्रदान करता है जिससे बैंक वर्तमान संबंधों की मज़बूती से बनाए रखते हुए, नए अवसर उत्पन्न करके नई उँचाईयों को छूने में सक्षम होगा ।

अपने ग्राहकों, शेयरधारकों, और कर्मचारियों के मूल्यों व लाभों में सुधार करने और अपने मार्केट शेयर के विस्तार के क्रम में बैंक उद्योग में प्रतियोगी एवं चुनौतीपूर्ण माहौल के दौरान अपनी शक्तियों और योजनाओं प्रभावी प्रयोग करके बहुमुखी वृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है ।

आभारोक्तिः

मैं इस अवसर पर बोर्ड सदस्यों भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के मूल्यवान सहयोग व दिशानिर्देशों के लिए धन्यवाद देता हूँ । मैं हमारे सभी शेयर धारकों को हम पर किए गए विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ । मैं हमारे सभी ग्राहकों के प्रति भी उनके लगातार सहयोग व समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूँ । बैंक को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने के लिए और कार्यनिष्पादन करने में सक्षम बनाने हेतु स्टाफ सदस्यों द्वारा समर्पित और प्रतिबद्ध योगदान की मैं प्रशंसा करता हूँ ।

हमारे शेयरधारकों का मूल्यवान समर्थन और बैंक पर जताया गया उनका भरोसा हमें नए उत्साह से कार्य करने और साल दर साल बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए प्रेरित करेगा और बैंक सभी हितैशियों की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा । मैं आपकी प्रतिबद्धता व योगदान का ऋणी हूँ ।

सादर,

भवदीय,

(एम नरेन्द्र)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Best Bank of the year Award, Best Service Initiative Awards, Outstanding Banking Leader of the year Award, Best CSR Practices Award, Best organization with Innovation HR Practices Award, Best Security Initiative Award.

- Bank has received Best Indian Banker and Best Public Sector Banker awards in the large bank category from “The Sunday Standard FINWIZ 2012”. Bank has been conferred with Gold Award in Business Intelligence and Data warehousing in the SKOCH Digital Awards 2012.
- Bank's Chairman and Managing Director Shri. M. Narendra was awarded the JGBS Top Rankers Excellence Visionary Leadership Award by Jindal Global Business School and Top Rankers on the occasion of the 14th National Management Summit in New Delhi during January 2013.
- On 5th January 2013, Bank's Executive Director Shri. A.K Bansal received the Skoch Financial Inclusion Award for the Bank's exemplary work in promotion of Financial Inclusion among the Fishermen of Besant Nagar, Chennai under the project “Turning the Tide”.

Our Commitment:-

The large network of branches along with ATMs, efficient customer Service and dedicated human resources are great source of strength to the Bank which would enable the bank to reach new heights in opening up new opportunities besides strengthening the existing relationships.

The bank resolves to achieve versatile growth by making effective use of the strength and strategies amidst the competitive and challenging environment in the industry in order to expand our market share and to improve values and returns to our customers, shareholders and employees.

Acknowledgements:-

I take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve bank of India for their valuable support and guidance. I thank all our shareholders for the confidence and faith they have reposed in us. I thank all our customers for their continued co-operation and support. I also place on record my appreciation for the dedication and commitment put in by our staff members for enabling the Bank to scale new heights and performance.

The valuable support of our shareholders and the trust they repose on the bank will inspire us to work with renewed vigour to produce better results year after year and to meet the aspirations of all the stakeholders of the bank. I am indebted to your commitment and goodwill.

With warm regards,

Yours sincerely,

M NARENDRA

Chairman and Managing Director

शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार 28 जून, 2013 को पूर्वाहन 10.00 बजे रानी सीतै हॉल,603,अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006 में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी ।

1. 31 मार्च, 2013 की स्थिति अनुसार बैंक के तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते, लेखा अवधि के दौरान बैंक के क्रियाकलापों और कार्य-व्यवहार पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन और स्वीकार करना ।
2 वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश घोषित करना ।
3 आगे और शेयरों को जारी करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि सही समझा गया तो संशोधन रहित या फिर

संशोधन सहित उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु :

"**संकल्प किया गया है कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक **(आरबीआइ)**, भारत सरकार **(जीओआइ),** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(सेबी)** और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (आइ सी डी आर विनियम)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशार्निदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, , वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे **"बोर्ड"** कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में ईक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10 /- प्रति शेयर होगा और किसी भी हालत में कुल शेयर 41,30,76,921 (इकतालीस करोड़ तीस लाख छहत्तर हजार नौ सौ इक्कीस) की संख्या और रु.413,07,69,210/- (रुपये चार सौ तेरह करोड़ सात लाख उन्हत्तर हजार दो सौ दस मात्र) की राशि का अधिगमन नहीं होगा व यह राशि रु.924.0953 करोड़ की

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Thirteenth Annual General Meeting of the Shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Friday, the 28th June 2013 at 10.00 A.M. at Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai – 600 006, to transact the following business :

1. To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2013, Profit and Loss account of the Bank for the year ended 31st March 2013, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2012-13.
3. To Further issue of shares:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following Resolution as a Special Resolution.

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI , specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable or irredeemable and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding 41,30,76,921 (Forty One Crore Thirty Lakhs Seventy Six Thousand Nine Hundred and Twenty One only) and aggregating to not more than Rs. 413,07,69,210/- (Rupees Four Hundred and Thirteen Crore Seven Lac Sixty Nine Thousand two Hundred and Ten only) which together with the existing Paid-up Equity share capital of Rs 924.0953 crore amounts to Rs.1337.1722 crore within the total authorized capital of the bank Rs.3000 crore, being the ceiling in the

विद्यमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ रु.3000 करोड़ की बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी में रु.1337.1722 करोड़ की होगी, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 51% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ), निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआइबी) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।"

यह भी संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम या ऐसा अन्य निर्गम जो कि लागू विधि द्वारा उपलब्ध किया जा सके, अधिमान निर्गम के ज़रिए और / या निजी स्थानन के आधार पर अति आबंटन विकल्प सहित या विकल्प रहित किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन और आबंटन ब्बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, **सेबी** (पूँजी एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं का निर्गम) विनियमन, 2009 (**"आइसीडीआर विनियमन"**) और **भा.रि.बैं, सेबी** द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशें तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो ।"

यह भी संकल्प किया गया कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत **आइसीडीआर विनियमनों**, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा ।"

आगे यह भी संकल्प किया गया कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग करार के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयरों और बैठकों) के विनियमन 2003 के प्रावधानों, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (एफआइपीबी), औद्योगिक नीति व प्रवर्तन विभाग, (डीआइपीपी) वाणिज्य मंत्रालय और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों

Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/ guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, or such other issue which may be provided by applicable laws preferential issue and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval,

पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और/या मंजूरी प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक भागों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी में 51% से कम न हो और यह स्थानन या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित अनुसार) को, योग्यतागत संस्थात्मक स्थानन होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत प्रावधानित किया गया है और जो स्थानन दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर , जो कि आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है , निश्चित किये गये हैं , बशर्ते इस प्रकार निर्गमित ईक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो ।"

यह भी संकल्प किया गया कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के क्रम में योग्यतागत संस्थात्मक स्थानन के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VIII की परिभाषा के भीतर ही योग्यतागत संस्थागत खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णत: प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा ।"

यह भी संकल्प किया गया कि क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य के निर्धारण की संबंधित तिथि को आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार रखा जाएगा ।"

यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं, ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और निर्गमों से संबंधित मंजूरियों, आबंटन और तदनुसार लिस्टिंग , जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, वांछित अथवा निर्देशित अनुसार प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा ।"

यह भी संकल्प किया गया कि अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और /या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये ईक्विटी शेयरों/वरीयता शेयरों /प्रतिभूतियों , यदि कोई हों, को आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समवेत सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि कथित नये ईक्विटी शेयर इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयरों और बैठकों) के विनियमन 2003 के संशोधित रूप में अनुसार जारी किये जाएंगे तथा ये शेयर सभी दृष्टि से ऐसी घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश , यदि कोई हो, सहित बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ईक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों/प्रतिभूतियों के आबंटन या निर्गम हेतु प्रभाव देने के लिए सार्वजनिक निर्गम के निबंधनों का निर्धारण करने, निवेशकों वह प्रवर्ग सहित जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानेवाली है, हर बार आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि आदि मंडल के विवेकाधिकार में जैसे उचित समझें उन कार्यों, मामलों और विषयों को करने और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वे आवश्यक,उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव,निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह या प्रश्न हो तो उन्हें सुलझाने या अनुदेश देने या निदेश देने हेतु तथा

consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares/ securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions,

निबंधनों व शर्तों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, जोड, विलोपनों आदि पर बैंक के हित हेतु अपने विवेकाधिकार में कार्रवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हेतु मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ईक्विटी/अधिमान्य शेयरों / प्रतिभूतियों के ऐसे निर्गम से संबंधित अग्रणी प्रबंधक/ों, बैंकर/ों, अधोलेखक/ों, डिपाज़िटरीस और ऐसे सभी अभिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अभिकरणों को कमीशन, दलाली, शुल्क के संबंध में ऐसे अभिकरणों के साथ ऐसे सभी प्रबंधन, करार, ज्ञापन, दस्तावेज़ आदि निष्पादित करने के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए। "

"यह भी संकल्प किया गया कि उपर्युक्त विषय को प्रभावी करने के उद्देश्य से अग्रणी प्रबंधकों,हामिदारों, सलाहकारों और / या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके,निर्गम(ों) के निबंधनों व प्रकार निर्धारित करने, निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जानेवाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, प्रतिभतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या रद्दगी पर ईक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य,प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर,परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और /या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज मे सूचीबद्ध करने,जैसे मंडल उचित समझे,के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि शेयर / प्रतिभूति जिनको सबस्क्राइब नहीं किया गया है, उन्हें मंडल अपने विवेकाधिकार में जैसे उचित समझे और कानून द्वारा जैसे अनुमत है, उसके अनुसार निपटाया जाए। "

"यह भी संकल्प किया गया कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावित करने के उद्देश्य में,मंडल अपने विवेकाधिकार में जैसे उचित समझे वैसे उन कार्यों, मामलों और विषयों को करे और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वह आवश्यक,उचित या वांछनीय समझे और शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में कोई संदेह, कठिनाई या प्रश्न हो तो संबंधित कार्यों, विषयों को समाप्त या निष्पादित करने के लिए आगे, बिना शेयरधारकों की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के, और ऐसा समझकर कि संकल्प के प्राधिकार के रूप में शेयरधारक ने अपना अनुमोदन दिया है, इनके निपटान के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए।"

"यह भी संकल्प किया गया कि उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोर्ड को दिए गए सभी अधिकारों या किसी भी अधिकार को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक (ों) को प्रदान करने के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए।"

निदेशक मंडल की ओर से

चेन्नै
29.04.2013

(एम नरेन्द्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board" .

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Chennai
29.04.2013

(M NARENDRA)
Chairman and Managing Director

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं अपने स्थान पर उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त करने के लिए पात्र है और प्राक्सी बैंक का शेयरधारक हो, यह ज़रूरी नहीं है।

बहरहाल प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने के चार दिन पहले अर्थात् शनिवार दिनांक 22 जून 2013 को अपराह्न 2.00 बजे तक या पहले जमा कर देना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्य प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हो,जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से चार दिन पहले अर्थात शनिवार दिनांक 22 जून 2013 को अपराह्न 2.00 बजे तक या पहले जमा नहीं की जाती है।

3. बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को किसी भी शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. उपस्थिति पर्ची

शेयर धारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची प्रवेश पास इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में प्रदत्त जगह में अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थान में अभ्यर्पित करें। प्रॉक्सी /प्रतिनिधि धारकों को उपस्थिति पर्ची में "प्रॉक्सी/प्रतिनिधि धारक", जो भी लागू हो, अंकित कर देना है और उनके पास अपनी पहचान के प्रमाण स्वरूप शेयरधारक द्वारा उनके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित होने चाहिए।

5. शेयर धारकों का रजिस्टर को बंद करना

लाभांश के उद्देश्य के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों के रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ 22.06.2013 (शनिवार) से 28.06.2013 (शुक्रवार) (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी। लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से एक महीने के अंदर भेज दिया जाएगा।

6. लाभांश के लिए बैंक-अधिदेश या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सर्विस (इसीएस)

बैंक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) / नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस)सुविधा, जहाँ भी संभव हो, के द्वारा शेयर धारकों के बैंक खातों में लाभांश राशि जमा करेगा। शेयर धारक, जो इलेक्ट्रॉनिक फार्म में शेयर रखे हुए हैं, इसलिए, उनसे अनुरोध किया जाता है कि डिपॉजिटरी सहभागियों को अपने नवीनतम पते और बैंक के अनिवार्य ब्यौरे (नया खाता संख्या, यदि कोई हो, बैंक को एमआइसीआर और आइएफएस कोड संख्या सहित) के बारे में तुरन्त सूचित करें, जिससे एनईएफटी / एनईसीएस के द्वारा लाभांश राशि शीघ्र जमा करना सुनिश्चित किया जा सके। शेयर धारक जो डिमेट फार्म में अपने शेयर रखे हुए हैं वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क कर सकते हैं।

शेयर धारक जो अपने शेयर भौतिक रूप से रखे हुए हैं उनको अपने अद्यतन बैंक के अनिवार्य ब्यौरे **पैरा (8)** में नीचे दिए गए पते पर बैंक के शेयर अंतरण ऐजेंट को 19 जून 2013 तक या उससे पहले भेजना चाहिए।

बैंक लाभांश वारंट तभी जारी करेगा जब इलेक्ट्रॉनिक फार्म में भुगतान करने के लिए अपेक्षित आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं या भुगतान अनुदेश असफल हुए हैं या बैंकर्स द्वारा निरस्त किया

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 2.00 p.m. on Saturday, 22nd June 2013.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., on or before 2.00 p.m. on Saturday, 22nd June 2013.

3. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

4. ATTENDANCE SLIP

For the convenience of the shareholders, attendance slip is annexed to this notice. Shareholders/proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / representatives should state on the attendance slip as "proxy or representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

5. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 22.06.2013 (Saturday) to 28.06.2013 (Friday) (both days inclusive) for determining eligibility of shareholders for the purpose of dividend. Dividend shall be mailed within one month from the date of Annual General Meeting.

6. BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS):

The Bank will credit the dividend amounts to the bank accounts of the shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change of address and bank mandate details (including new account number, if any, bank's MICR and IFS Code numbers) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT / NECS. The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to **Share Transfer Agent** of the Bank at the address given **in Para (8)** below on or before 19th June ,2013.

The Bank will issue dividend warrants if and only if, necessary information required for making payment in

गया है। ऐसे मामलों में, बैंक ऐसे लाभांश वारंटों पर निवेशकों के बैंक खाता विवरणों का अनिवार्य रुप से मुद्रित करेगा । बैंक के ब्यौरे उपलब्ध नहीं होने के मामले में, बैंक शेयर धारकों को लाभांश वारंट प्रेषण नहीं करने में विवश हो सकता है।

लाभांश वारंटों के धोखाधड़ीपूर्ण नकदीकरण से बचने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे नकदीकरण के लिए लाभांश वारंटों को जिस बैंक शाखा में जमा करवाना चाहते हैं, उस बैंक का नाम और अपने खाते की संख्या का उल्लेख करें। ये ब्योरे, शेयरधारक के नाम के अलावा, लाभांश वारंट के चेक वाले हिस्से में मुद्रित किए जाएँगे ताकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन वारंटों का नकदीकरण न किया जा सके। उपर्युक्त ब्योरे प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा सीधे शेयर अन्तरण एजेंट/ डीपी को दिए जाने चाहिए जिसमें कि फोलियो संख्या अथवा डीपी आइडी संख्या एवं क्लाइंट आइडी संख्या और धारित शेयरों की संख्या 19.06.2013 (बुधवार) तक या पहले दी जानी चाहिए। यदि शेयर धारक कोई आशोधन प्रस्तुत करने का चयन नहीं करता, ऐसी स्थिति में डीमैट शेयर धारकों के लिए 21.06.2013 (शुक्रवार) को रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त पूर्व में बैंक के मेनडेट अथवा एनएसडीएल / सीडीएसएल से डाउनलोड किए गए आकड़ों पर आधारित वारंट मुद्रित किया जाएगा। यह सभी शेयर धारकों पर लागू होगा जिन्होंने इसीएस अधिदेश प्रस्तुत नहीं किया है ।

बैंक निर्दिष्ट शहरों में रहने वाले शेयरधारकों के लिए ईसीएस सुविधा प्रदान कर रहा है। लाभांश जमा के लिए बैंक अधिदेश प्रणाली के बजाए शेयरधारकों द्वारा इस सुविधा का प्रयोग किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के साथ ईसीएस विकल्प प्रारूप संलग्न है। शेयरधारक अपने निर्दिष्ट खाते में लाभांश अन्तरण की सुविधा के लिए अपने ई सी एस अधिदेश में अपना खाता सं. और अपनी बैंक शाखा की आई एफ एस कोड संख्या का विवरण दें।

7. अदावी लाभांश, यदि कोई

पिछले वर्षों जैसे 2000-2001 से जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वॉरण्ट को नहीं भुनाया/ लाभांश नहीं प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अनुलिपि जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेण्ट से संपर्क करें।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी में हुए संशोधन के अनुसार अदावी लाभांश खाते में अन्तरण की तारीख से **7 वर्षो** की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या अदावी शेष लाभांश की रकम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित **निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई ई पी एफ)** में अन्तरित करनी है एवं उक्त संदर्भ में **उसके बाद न तो बैंक और न ही आई ई पी एफ को भुगतान करने के लिए कोई दावा बनता है।**

- तद्नुसार, विगत वर्षों के अप्रदत्त लाभांश को निम्नानुसार आइओबी के अप्रदत्त लाभांश खाता/ते में अंतरित किया गया है और अत: ऐसी धन राशि , जो कि ऐसे अंतरण की तिथि से **सात वर्ष** की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी बनी रहने पर और उसके बाद निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को अंतरित की जाएगी ।

वर्ष के लिए लाभांश	आइओबी के अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण करने की तिथि
2000-01	08.12.2006
2001-02	05.12.2006
2002-03	05.12.2006
2003-04(अंतरिम)	04.12.2006
2003-04(फाइनल)	04.12.2006
2004-05(अंतरिम)	09.12.2006
2004-05 (फाइनल)	05.12.2006
2005-06	04.12.2006

electronic form is not available or payment instructions have failed or have been rejected by the Bankers. In such cases, the Bank will mandatorily print the bank account details of the investors on such dividend warrants. In case no bank details are available, the Bank may be constrained not to dispatch the dividend warrants to the shareholders.

In order to get protection from fraudulent encashment of warrants, shareholders are requested to furnish their bank account number, the name of the bank and the branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment. These particulars along with the name of the shareholder will be printed on the cheque portion of the dividend warrants, so that these warrants cannot be encashed by anyone else. The above mentioned details should be furnished by the first / sole shareholder directly to the share transfer agent / DPs quoting the Folio No. or DP ID No. & Client ID No. and the number of shares held on or before 19.06.2013 (Wednesday). If shareholders choose not to submit any modification, the warrants will be printed based on bank mandate earlier received by the Registrar or data downloaded from NSDL / CDSL as on 21.06.2013 (Friday) for demat shareholders. This is applicable for all shareholders who have not submitted ECS mandate(s).

The Bank is also offering the facility of ECS for shareholders residing in specified cities. This facility could be used by the shareholder instead of the Bank Mandate system for receiving the credit of dividend. The ECS Option Form is annexed to this report. Shareholders are required to give details of IFS Code No. of their bank branch in their ECS Mandate to facilitate the transfer of dividend to their designated account.

7. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend from previous year's viz. 2000-2001 onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate.

Pursuant to the amendment of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Section 10(B) provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the **Investor Education and Protection Fund (IEPF)** established by the Central Govt. under Section 205C of The Companies Act, 1956 and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF**.

- Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB as follows and hence such amount, which remain unpaid or unclaimed for a period of **seven years** from the date of such transfer and thereafter shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund.

Dividend For the year	Date of transfer to Unpaid Dividend Account of IOB
2000-01	08.12.2006
2001-02	05.12.2006
2002-03	05.12.2006
2003-04 (interim)	04.12.2006
2003-04 (Final)	04.12.2006
2004-05 (interim)	09.12.2006
2004-05 (Final)	05.12.2006
2005-06	04.12.2006

- अतः बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10(बी) और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 (1)(सी) के प्रावधानों के अनुपालन में उक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2000-01 से पहले के वर्षों से वर्ष 2005-06 के लिए **"संबंधित वर्ष के आइओबी के** अप्रदत्त लाभांश खाते" में पड़ी हुई राशि को दिनांक **10.12.2013 तक** या उससे पहले केन्द्रीय सरकार के **"निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि "** को अंतरित कर दी जाएगी।
- उसके बाद ,उक्त तालिका के अनुसार शेयर धारकों से पिछले वर्षों से संबंधित अदावी /अप्रदत्त लाभांश से संबंधित किसी भी दावे को स्वीकार करना **बैंक /रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट** के लिए संभव नहीं है। **दूसरे शब्दों में, शेयर धारक अप्रदत्त लाभांश का दावा बैंक या केन्द्र सरकार से नहीं कर सकते।**
- **उक्त अनिवार्य अपेक्षाओं की दृष्टि से,हम शेयर धारकों से अनुरोध करते है कि तुरंत जाँच करें कि क्या उन्होंने इन पहले के वर्षों (यानि वर्ष 2000-01 से वर्ष 2005-06 तक)के संबंध में अपने खाते में लाभांश जमा नहीं होने /लाभांश वारंट की प्राप्ति न होने के संबंध में कोई दावा किया है और यदि उन्होंने दावा नहीं किया है / उक्त वर्षों के किसी वर्ष के संबंध में लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है तो हमारे रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.(आइओबी-यूनिट)पहला तल, सुब्रमणियन बिल्डिंग,नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002) से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए फोन -044-28460395,ई-मेल आइडी (investor2@cameoindia.com) पर तुरंत संपर्क करें। हमारा ई-मेल आइडी investor@iobnet.co.in है।**
- **आप उल्लिखितानुसार हमारे रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट को वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक के लिए अप्रदत्त/ अदावा लाभांश के संबंध में दावा भी प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि कोई हो।**

8. पते में परिवर्तन और लाभांश अधिदेश

जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं, उन मामलों में, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते में परिवर्तन, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा और बैंक खाता संख्या के विवरण, जिसे शेयरधारक लाभांश वारंट पर उल्लिखित करना चाहते हैं, उन सब की जानकारी दिनांक 19.06.2013(बुधवार) तक या पहले निम्नलिखित पते पर, रजिस्ट्रार-व-शेयर-अंतरण एजेंट को भेज दें:

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.
(आइओबी-यूनिट)
पहला तल, सुब्रमणियन बिल्डिंग,
नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

शेयर इलेक्ट्रानिक फार्म अर्थात डीमैट खाते के माध्यम से रखने वाले जो शेयरधारक, अपने लाभांश वारंट इत्यादि पर अपने पते में हुए परिवर्तन, लाभांश अधिदेश, बैंक शाखा के ब्योरों और बैंक खाता संख्या में कोई परिवर्तन करवाना चाहते हैं, वे इसकी सूचना अपने डिपाज़िटरी प्रतिभागी को दे दें क्योंकि लाभांश का वितरण और इसके भुगतान के लिए दिनांक 21.06.2013(शुक्रवार) को डिपाज़िटरी द्वारा उपलब्ध करवाई गई उपर्युक्त जानकारी पर ही विचार किया जाएगा।

9. फोलियो का समेकन

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो यानि विविध फोलियो रखते हैं । शेयरधारकों को कुशल सेवा प्रदान करने तथा ऐसे फोलियो का समेकन करने हेतु, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे

- Hence the amount remaining in **"Unpaid Dividend Account of IOB of respective year"** for the earlier years beginning from the year 2000-01 upto the year 2005-06 as per the above table will be transferred to **"Investor Education and protection Fund"** of the Central Government **on or before 10.12.2013** in compliance of provisions of Sec 10(B) of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act 1970 and Sec 205 (1) (c) of the Companies Act, 1956.
- Thereafter, it is not possible for the **Bank/Registrar and Transfer Agent** to entertain any claim relating to unclaimed/unpaid dividend in respect of the earlier years from the shareholders as per the above table. **In other words, Shareholders can not claim unpaid dividend from the bank or from Central Government.**
- **In view of the above mandatory requirement, we request the shareholders to check up immediately whether they have any claim in respect of non-receipt of Dividend warrant/non-credit of Dividend in their account in respect of these earlier years (i.e., from the year 2000-01 upto the year 2005-06] and if they have not claimed /not received Dividend in respect of any of the above years, Please immediately take up with our Registrar and Transfer Agent ["M/s Cameo Corporate Services Ltd, (Unit IOB), Subramanian Building, 1st Floor, No: 1, Club House Road, Chennai – 600 002 –Phone:044-28460395,email-id investor2@cameoindia.com] for doing the needful. Our email-id is investor@iobnet.co.in.**
- **You can also submit the claim in respect of unpaid /unclaimed dividend, if any, for the years 2006-07 to 2011-12 with our Registrar and transfer Agent as mentioned above.**

8. CHANGE OF ADDRESS AND DIVIDEND MANDATE:

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant, on or before 19.06.2013 (Wednesday) at the following address:

Cameo Corporate Services Ltd.
(IOB – unit)
1st floor, Subramanian Building,
No. 1, Club House Road, Chennai 600 002

In case of shareholders holding shares in Electronic form i.e. through Demat account, they are requested to intimate to their depository participant any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant etc., as the aforesaid information provided by the Depository as on 21.06.2013 (Friday) would only be considered for the purpose of payment and distribution of dividend.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS :

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

फोलियो का समेकन करें और शेयर प्रमाण-पत्र को पंजीयक और शेयर अंतरण एजेण्ट को पंजीयक के रिकार्डों में आवश्यक सुधार हेतु भेजें ।

10. निदेशकों के संक्षिप्त विवरण

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित लिस्टिंग करार के परिशोधित खण्ड 49 IV जी के तहत अपेक्षितानुसार कार्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में निदेशकों के संक्षिप्त विवरण दिए गए हैं ।

11. शेयरधारकों से अनुरोध

(क) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ साथ लेते आएँ।

(ख) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक-स्थल में किसी तरह के उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएँगे।

12. लेखों पर जानकारी:

बैंक को अत्यंत प्रसन्नता होगी कि यदि शेयर धारक ,कार्यसूची **मद से ही संबंधित** वार्षिक सामान्य बैठक में लेखों पर कोई सुझाव देना,स्पष्टीकरण मांगना आदि चाहते हैं तो वे अपने सुझाव ,प्रश्न,यदि कोई हो तो **महा प्रबंधक,इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ,निवेशक संबंध कक्ष,तुलन पत्र प्रबंधन विभाग,केन्द्रीय कार्यालय,763 अण्णा सालै,चेन्नै को डाक या ई-मेल investor@iobnet.co.in** द्वारा बैठक के **तीन दिन** पहले (यानि **24.06.2013 (सोमवार) तक या उससे पहले)** भेजें ताकि हम तैयार कर सके और बैठक के स्थान पर जानकारी उपलब्ध करा सकें ।

13. पर्किंग की सुविधा :

चूंकि परिसर प्राधिकारी बैठक के स्थान पर पर्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं,हम शेयर धारकों को खेद के साथ सूचित करते हैं कि **"बैठक स्थल पर वाहन पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।"**

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

चेन्नै (एम. नरेंद्र)
29.04.2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नोटिस की कार्यसूची मद सं.3 के व्याख्यात्मक विवरण:

1. मार्च 2013 में, बैंक ने अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को प्रति शेयर रु 10 की दर पर रु 68.68 प्रीमियम पर 12,70,97,102 ईक्विटी शेयर आबंटित किये हैं और इसके द्वारा रु.1000 करोड़ हासिल किए हैं ताकि प्रमुख रूप से सुदीर्घ संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सके और लगभग 8 प्रतिशत के टायर-। पूँजी पर्याप्तता अनुपात को बनाये रख सके।
2. 31 मार्च 2013 को बेसल II के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.85% है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% से ज़्यादा है । फिर भी, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं के कारण, बेसल III मानदंड के कार्यान्वयन व तत्पश्चात पूंजी प्रभार के कारण पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और सुदृढ़ करने हेतु पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है ।
3. प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिए बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण)अधिनियम 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के निबंधनों के अनुसार बैंक भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा । तथापि, केन्द्रीय सरकार की धारणा, बैंक की प्रदत्त पूंजी में किसी भी समय में इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी।
4. सूची करार (बैंक व स्टॉक एक्सचेंज के बीच) के खण्ड 23 के उप-खण्ड (अ) के अनुसार बैंक द्वारा निर्गम या कोई नया निर्गम जारी किया जाता है और शेयरधारकों द्वारा सामान्य बैठक में कोई दूसरा निर्णय नहीं लिया गया है तो वर्तमान शेयरधारकों को भी समानुपातिक रूप से दिया जाना चाहिए । यह

10. BRIEF PROFILE OF DIRECTORS:

As required under the revised Clause 49 IV G of the Listing Agreement executed with the Stock Exchanges, brief profiles of Directors are given in the Report on Corporate Governance.

11. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

(a) Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report enclosed herewith.

(b) Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the meeting.

12. Information on the Accounts:

Bank shall highly appreciate if shareholders, desirous of making any suggestion, seeking clarification, etc on the Accounts at the Annual General Meeting, **relating** to **the agenda item only**, may send in their suggestions, queries, if any, to "**General Manager, Indian Overseas Bank, Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 by post or e-mail to investor@iobnet.co.in** at least **3 days** before the Meeting (i.e., **on or before 24.06.2013 (Monday**) to enable us to prepare and provide the information **at the venue of the Meeting.**

13. Parking Facility:

As the premises Authorities are not providing parking facility at the venue of the meeting, we regret to inform Shareholders that "**VEHICLE PARKING FACILITY at the Venue of the Meeting is not available"**

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Chennai (M NARENDRA)
29.04.2013 Chairman and Managing Director

EXPLANATORY STATEMENT to Agenda item No. 3 of the Notice.

1. In March 2013, the Bank has issued and allotted 12,70,97,102 equity shares of Rs.10 each at a premium of Rs. 68.68 each to Government of India on a Preferential Basis and raised Rs. 1,000 crore primarily to augment long term resources and maintain a Tier I capital adequacy ratio of around 8 per cent.
2. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2013, as per Basel II is 11.85%, and well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
3. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paid–up equity capital of the Bank.
4. Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement (between Bank and stock exchanges) provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if

संकल्प यदि पारित हो तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक रूप से करने के अलावा, प्रतिभूति आबंटित व जारी करने हेतु बैंक की ओर से मंडल को अनुमति है ।

5. संकल्प से यह अपेक्षित है कि बैंक यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम ,या पात्र संस्थागत प्लेसमेंट अधिमानी निर्गम के द्वारा और/या निजी तौर पर आबंटन के ज़रिए ईक्विटी शेयरों /अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन किया जाए । निर्गम राशि के कारण बैंक यह सुनिश्चित कर सकेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएँ सुदृढ़ हो जाए ।

6. संकल्प से यह अपेक्षित है कि आइसीडीआर विनियमन में उल्लिखितानुसार योग्य संस्थागत खरीदारों में से योग्य संस्थागत नियुक्ति करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकार दिया जाए । शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना, बैंक निधि हासिल करने के लिए निदेशक मंडल आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत उल्लिखित इस तंत्र को अपने विवेकाधिकार में अपनाएं ।

   क्यू आइ पी निर्गम के मामले में, आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूतियों का निर्गम क्यू आइ पी के आधार पर उस मूल्य पर किया जा सकता है जो कि “संबंधित तारीख” के पूर्व दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सूचित साप्ताहिक उच्च व निम्न अंतिम मूल्यों के आनुपातिक मूल्य से कम न हो ।

   “संबंधित तारीख” का अर्थ है कि जिस तारीख को बैठक में बैंक क्यू आइ पी निर्गम खोलने के लिए बैंक का मंडल या समिति निर्णय लेता है ।

7. प्रस्ताव के विस्तृत निबंधन व शर्तें वर्तमान बाज़ार स्थितियों व अन्य नियंत्रक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबन्धकों और अधोलेखकों और ऐसे अन्य प्राधिकार या प्राधिकारों जैसे आवश्यक है, के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे ।

   चूंकि प्रस्ताव के मूल्यांकन का निर्णय बाद की तारीखों के अलावा नहीं लिया जा सकता, अत: जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना नामुमकिन है । तथापि यह आइसीडीआर विनियमन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के प्रावधानों, जो समय समय पर संशोधित हैं या अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमनों / सहमतियों जो लागू या आवश्यक हो, के अनुसार होगा ।

8. उक्त कारणों के कारण, और एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है जिससे मंडल को निर्गम के निबंधन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त अधिकार दिया जा सकेगा ।

9. आबंटित ईक्विटी बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के सभी प्रकार के समान हितों जिनमें लाभांश भी शामिल है, के पात्र होंगे ।

इस प्रयोजन के लिए, बैंक को आवश्यक है कि एक विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों की सहमति ली जाए । अत: उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति का अनुरोध है ।

नोटिस में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने हेतु निदेशक मंडल सिफारिश करता है ।

बैंक के किसी भी निदेशक को बैंक की शेयरधारण सीमा के अलावा उक्त संकल्प(ों) में कोई हित या उनसे कोई संबंध नहीं है ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

चेन्नै
29.04.2013

(एम. नरेंद्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

5. The Resolution seeks to enable the Bank to offer issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of public issue, rights issue, or through Qualified Institutional Placement preferential issue and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

6. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

   In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date".

   "**Relevant Date**" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

7. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.

   As the pricing of the offer cannot be decided except at a *later* stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

8. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

9. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Chennai
29.04.2013

(M NARENDRA)
Chairman and Managing Director

एक नज़र में

(₹ करोड़ों में)

	मार्च 2013	मार्च 2012	मार्च 2011	मार्च 2010	मार्च 2009
सार्वभौमिक जमा - राशियाँ	2,02,135	1,78,434	1,45,229	1,10,795	1,00,116
देशीय जमा-राशियाँ	1,95,457	1,72,219	1,40,381	1,05,434	95,434
सार्वभौमिक निवल अग्रिम	1,60,364	1,40,724	1,11,833	79,003	75,810
देशीय सकल अग्रिम	1,44,894	1,25,064	1,01,270	71,327	67,615
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	51,056	42,265	32,648	27,237	24,294
कृषि उधार	23,393	19,416	16,056	12,597	10,817
निवल विनिवेश	61,417	55,566	48,610	37,651	31,215
सकल लाभ	3,817	3,534	2,861	1,845	2,524
निवल लाभ	567	1,050	1,073	707	1,326

AT A GLANCE

(₹.In Crore)

	March 2013	March 2012	March 2011	March 2010	March 2009
Global Deposits	**2,02,135**	**1,78,434**	**1,45,229**	**1,10,795**	**1,00,116**
Domestic Deposits	**1,95,457**	**1,72,219**	**1,40,381**	**1,05,434**	**95,434**
Global Net Advances	**1,60,364**	**1,40,724**	**1,11,833**	**79,003**	**75,810**
Domestic Gross Advances	**1,44,894**	**1,25,064**	**1,01,270**	**71,327**	**67,615**
Priority Sector Advances	**51,056**	**42,265**	**32,648**	**27,237**	**24,294**
Agricultural Credit	**23,393**	**19,416**	**16,056**	**12,597**	**10,817**
Net Investments	**61,417**	**55,566**	**48,610**	**37,651**	**31,215**
Gross Profit	**3,817**	**3,534**	**2,861**	**1,845**	**2,524**
Net Profit	**567**	**1,050**	**1,073**	**707**	**1,326**

निदेशकों की रिपोर्ट 2012-13

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते के साथ साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मण्डल को हर्ष का अनुभव हो रहा है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने एक प्रधान कारोबार विकास केन्द्र के रूप में विकसित होकर 19 राष्ट्रीय बैंकों की सूची में 7वाँ स्थान प्राप्त किया है । वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक के कारोबार की प्रगति बेहतर रही जो 13.92% है, जिसकी वजह से बैंक का बाज़ार कारोबार शेयर मार्च 2012 के अंतिम पक्ष के 2.71% से बढ़कर मार्च 2013 के अंतिम पक्ष में 2.74% हो गया है । चालू वित्तीय वर्ष में बैंक ने रु.3,50,000 करोड़ के कारोबार पार कर लिया है ।

बैंक के नए नारे "दिलों के पास, मुस्कान के साथ" से संगठन में बड़ा उत्साह उत्पन्न हुआ है जिसके कारण स्टाफ व ग्राहक भी उत्साहित महसूस कर रहे हैं ।

बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपना विस्तार बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन की ओर अपनी प्रतिबद्धता लगातार दिखा रहा है । आज, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक को गर्व महसूस हो रहा है कि देश भर में बैंक की 2902 शाखाएं और 1883 एटीएम केन्द्र तथा लगभग 2.70 करोड़ संतुष्ट ग्राहक हैं जो यह विश्वास करते हैं कि आइ ओ बी "आपकी प्रगति का सच्चा साथी" ज़रूर है ।

वैश्विक कारोबार निष्पादन

बैंक की कुल जमाएँ जो 31 मार्च 2012 में रु.1,78,434 करोड़ थी, वह 31 मार्च 2013 में 13.28% बढ़कर रु.2,02,135 करोड़ तक हो गईं । सार्वभौमिक सकल अग्रिम रु.1,43,273 करोड़ से 14.72% बढ़कर रु.1,64,366 करोड़ तक हो गया । अत: पिछले वर्ष की तुलना में 13.92% उत्कृष्ट विकास दर पर कुल कारोबार रु.44,794 करोड़ बढ़कर रु.3,66,501 करोड़ तक हो गया है । इस वृद्धि के कारण बैंक काफी मार्जिन सहित रु350000 करोड़ कारोबार मिश्रण पार करने वाले बड़े बैंकों के समूह में शामिल हो गया है । यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस उपलब्धि के कारण वार्षिक प्रगति पार करते हुए 19.01% की औसतन कारोबार प्रगति प्राप्त की गई है । (औसतन जमाओं में प्रगति 16.88% / औसतन अग्रिम में प्रगति 21.64%)

वित्तीय निष्पादन

बैंक का परिचालनगत लाभ जो कि 2011-12 में रु.3534करोड़ था वह बढ़कर 2012-13 में रु.3817 करोड़ हो गया, जो 8% की वृद्धि रही । आपात स्थितियों एवं प्रावधानों के प्रति बैंक ने रु.3250 करोड़ की रकम अलग से कर रखी है । अधिक प्रावधान किए जाने की वजह से, बैंक का निवल लाभ जो कि 2011-12 में रु.1050 करोड़ था वह 2012-13 में रु.567 करोड़ रहा । फिर भी, चूंकि निकट भविष्य में लाभप्रदता स्थिति अनुकूल होने की अपेक्षा में, बैंक ने वर्ष 2012-13 के लिए 20% का लाभांश अदा करने का प्रस्ताव रखा है।

आय व व्यय विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कारोबार में औसतन 19.01% की वृद्धि हुई । इसके फलस्वरूप बैंक के टर्मिनल सीडी अनुपात 81.31% की तुलना में औसतन उधार जमा अनुपात 84.25% के स्तर तक पहुंचा जबकि पिछले वर्ष यह 80.29% था । इससे यह मालूम होता है कि क्षेत्र स्तर पर परिचालनात्मक क्षमता में प्रगति हुई है । आगे, बैंक अपने विवेकपूर्ण एएलएम तकनीक से बडी जमाओं को गंभीरतापूर्वक कम करने में था । कुल जमाओं मे कार्ड प्लस जमाओं का शेयर सरकार द्वारा वांछित स्तर 15% की तुलना में 14.95% तक नीचे लाया गया । बैंक ने कासा व वसूली सुनियोजित अभियान करने के अलावा कई नई शाखाएं खोलने का लगातार प्रयास भी किया । इसके फलस्वरूप, बैंक का कासा मार्च 2012 के 26.42% की तुलना मे मार्च 2013 में 26.51% रहा । घरेलू मामले में, जमाओं की लागत 7.76% तक घट गई जो चालू वर्ष की चौथी तिमाही में 7.76%,तृतीय तिमाही में 7.79%, द्वितीय तिमाही में 7.89% और प्रथम तिमाही में 7.77% था । वर्ष भर में, जमा की लागत पिछले वर्ष के 7.39% की तुलना में 7.80% नियंत्रित रखी गई । सावधि जमाओं पर कार्ड दरों में वृद्धि के कारण उक्त लागत की वृद्धि न्यायोचित है जो बाज़ार के अनुरूप ही है । घरेलू सावधि जमाओं की लागत 2012-13 में 9.30% रही जबकि 2011-12 में यह 8.91% थी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि चालू वर्ष के दौरान घरेलू प्रमुख सावधि जमाओं मे औसतन वृद्धि 35% रही ।

वर्ष के दौरान, रेपो दर नियमित अंतराल में कम होने की वजह से घरेलू उधार की लागत 2011-12 में 9.87% रही जबकि 2012-13 में यह घटकर 9.17% रहा । इसके कारण, वैश्विक निधियों की लागत पिछले वर्ष के 7.11% की तुलना में 2012-13 में 7.28% तक घट गयी ।

आगे, वित्तीय वर्ष के दौरान, पुन:संरचित अग्रिम / सिस्टम सृजित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में किए गए प्रावधान में वृद्धि होने की वजह से एनआइएम में बाधाएं जारी रही । बैंक ने मूल दर को 10.75% से 10.50% में (01.05.2012 से प्रभावी) और आगे 18.02.2013 से 10.25% में कम किया है अत: इसका प्रभाव अधिक था । अत: बैंक के घरेलू अग्रिमों पर लाभ पिछले वर्ष के 11.65% की तुलना में चालू वर्ष में 11.27% ही रहा । अत: वित्तीय वर्ष के दौरान, घरेलू ब्याज स्प्रैड पिछले वर्ष के 4.26% की तुलना में 3.47% में घट गया । अत: बैंक के वैश्विक निवल ब्याज आय (एनआइआइ) की वृद्धि पिछले वर्ष के 19.23% की तुलना में वर्ष के दौरान 4.69% रहा । इसके फलस्वरूप वैश्विक एनआइएम 2011-12 के 2.75% की तुलना में 2012-13 में 2.43% रहा । तथापि, अंतिम तिमाही के दौरान अतिरिक्त ब्याज वापस की वजह से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू निवल ब्याज मार्जिन 2.51% पर अनुकूल रहा ।

बाज़ार की अस्थिर परिस्थितियों के बावज़ूद,वर्ष के दौरान,घरेलू निवेशों पर आय पिछले वर्ष के 7.39% की तुलना में 7.38% रही है । बैंक ने निवेश की बिक्री से (निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि निवल करने के पहले) पिछले वर्ष के रु 172 करोड़ की तुलना में रु 311 करोड़ का लाभ पाया है ।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात

31.03.2013 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.85% रहा (बैसल II मानदंडों के अनुसार)। बैंक ने भारत सरकार को रु 1000 करोड़ (रु. एक हजार करोड़ मात्र) के समेकित मूल्य के 12,70,97,102 ईक्विटी शेयर,रु.10 /- के प्रत्येक शेयर की दर से प्रति शेयर का मूल्य रु 78.68 (रु 68.68 प्रीमियम सहित) अधिमान्य आधार पर जारी किए । अत: बैंक की प्रदत्त पूंजी रु 797 करोड़ से 924.09 करोड़ हो गई और भारत सरकार का शेयरधारण रु 554.86 करोड़ (69.62%) से बढ़कर रु 681.96 करोड़ (73.80%) हो गया है ।

शाखा नेटवर्क

बैंक ने अपनी पहुंच का दायरा और भारत भर में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए बडे पैमाने में शाखा विस्तार के उपाय किए हैं । वर्ष के दौरान, बैंक ने देश भर में 273 शाखाएं खोली हैं । 2012-13 के दौरान खोली गई 273 शाखाओं में से 188 शाखाएं (68.86%) ग्रामीण व अर्ध शहरी केन्द्रों में स्थित हैं, जिनमें से

DIRECTORS' REPORT 2012-13

The Board of Directors have great pleasure in presenting the Annual Report together with audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended March 31, 2013.

Indian Overseas Bank developed as a major business growth centre maintaining the 7th Rank among the list of 19 nationalised banks. The banks growth in business during the year 2012-13 was more comfortable at 13.92% which helped the bank to significantly improve the market business share from 2.71% in last fortnight March 2012 to 2.74% in the ending fortnight of March 2013. The bank also reached yet another mile stone of ₹ 3,50,000 crores Business in the current fiscal.

The new slogan **"Touching Hearts, Spreading Smiles"** has created greater enthusiasm in the organization inducing more vibrancy on the staff & customer clientele.

The Bank continued its commitment towards financial inclusion in creating more depth in the rural market. Today, Indian Overseas Bank is proud of its country wide presence with 2902 branches and 1883 ATM Centers and around 2.70 crore of customers' trust and belief in IOB as "**Good People to Grow With".**

Global Business Performance

The Bank's total deposits increased from ₹ 1,78,434 crore as at the end of March 2012 to ₹ 2,02,135 crore as of March 2013 registering a growth of 13.28 %. Most impressive was the growth in gross advances which improved from ₹ 1,43,273 crore to ₹ 164366 crore with growth of 14.72 %. As a result, the total business improved significantly by ₹ 44,794 crore to ₹ 3,66,501 crore with a growth of 13.92% over last year. This elevation has made the bank to enter into the group of Big banks entity of business mix of over ₹ 350000 crore with a sizable margin. It is noteworthy that this achievement is well recorded in average terms with a business growth of 19.01% surpassing the terminal growth. (Growth in average deposits 16.88%/ Growth in average advances 21.64%)

Financial Performance

The operating profit of the Bank went up from ₹ 3,534 crore in 2011-12 to ₹ 3817 crore in 2012-13 with a growth of 8%. The Bank has set apart a sum of ₹3250 crore towards provisions and contingencies. Due to constrains on higher provisions, the Bank's net profit stood at ₹ 567 crore in 2012-13 compared to ₹ 1050 crore in 2011-12. However, the Bank has proposed to pay a dividend of 20% for the year 2012-13 as the profitability trend is expected to move favorably in the near future.

Income and Expenditure Analysis

During the year 2012-13, the growth in business was significant at 19.01% in averages. This resulted in the Bank's average Credit Deposit ratio to reach the top level of **84.25%** compared to terminal CD ratio of 81.31%, as compared to 80.29% last year. This indicates the improvement in operational efficiency at the field level. Further, the bank was serious in reducing the bulk deposits with the prudent ALM techniques. The share of card plus deposits to total deposits has been successfully brought down to 14.95% as against the desired level of 15% by the Govt. The Bank took concerted efforts in opening of many new branches apart from conducting well organized CASA & Recovery Campaigns. As a result, the bank maintained the CASA% at 26.51% in March 2013 compared to 26.42% in March 2012. In the domestic front, the cost of deposits declined to 7.76% in the 4th quarter compared to 7.79% in 3rd quarter, 7.89% in 2nd quarter and 7.77% in the 1st quarter of the current year. For the year as a whole, the cost of deposit was contained at 7.80% compared to 7.39% in last year. The increase in the above cost is justified with the increase in card rates on term deposits in line with the market. The cost of domestic term deposits increased to 9.30% in 2012-13 compared to 8.91% in 2011-12. It is noteworthy that the average growth in domestic core term deposits was significant around 35% during the current year.

Also, domestic cost of borrowings decreased to 9.17% in 2012-13 compared to 9.87 % in 2011-12 mainly due to decrease in repo rate at frequent intervals. As a result, the global cost of funds stood at 7.28% in 2012-13 compared to 7.11% in the last year.

Further, the constraints on NIM continued during the financial year due to increase in provisions on restructured advances / system generated Non Performing Assets (NPAs). The impact was higher as the bank reduced the base rate from 10.75 % to 10.50% (effective 01.05.2012) and further to 10.25% with effect from 18.02.2013. As such, the Bank's domestic yield on advances has come down to 11.27% for the whole year compared to 11.65% last year. This has reduced the Bank's domestic interest spread at branch level to 3.47% compared to 4.26% of last year. Hence, the Bank's global Net Interest Income (NII) growth was marginal at 4.69% compared to 19.23% recorded last year. Consequently, the global NIM for the year 2012-13 stood at 2.43% compared to 2.75% in 2011-12. However domestic Net Interest Margin was favorable at 2.51% during the current fiscal despite the impact of additional interest reversals during the last quarter.

Despite volatile market conditions, the domestic Yield on Investments was favorable at 7.38% during the year compared to 7.39% in last year. The Bank booked higher profit on sale of investment at ₹ 311 crore (before netting loss on the revaluation of investment) compared to a similar profit of ₹ 172 crore earned last year.

Capital Adequacy Ratio

The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31.3.2013 stood at 11.85% as per Basel II norms. The Bank has issued 12,70,97,102 Equity Shares of face value of ₹ 10/- each, at the rate of ₹ 78.68 per equity share (including premium of ₹ 68.68 per equity share) aggregating to ₹ 1000 crore (₹ one thousand crore only) to Government of India on preferential basis. Hence the Paid-up Capital of the Bank has increased from ₹ 797 crore to ₹ 924.09 crore and Government of India's shareholding has increased from ₹ 554.86 Crore (69.62%) to ₹ 681.96 Crore (73.80%).

Branch Network

The Bank continues to step up its domestic branch expansion programme for augmenting its pan India branch network and organic growth. During the year, the Bank opened 273 branches across the country. Out of 273 branches opened during 2012-13, 188 branches (68.86%) are located in Rural and Semi Urban centres, of which 92 branches are located in Unbanked Rural centres. These new branches have enabled the Bank to enhance new relationships and spread our

92 शाखाएं उन ग्रामीण केन्द्रों में स्थित हैं जहां कोई भी बैंक नहीं है। इन नई शाखाओं के कारण बैंक का संपर्क, उपस्थिति व नेटवर्क बड़े विस्तार में फैल गया है । नई शाखाओं का औसतम कासा लगभग 48% है । वर्ष की समाप्ति पर, नई शाखाएं खोलने के लिए बैंक के पास 158 लाइसेन्स लंबित थे ।

अग्रिम पोर्ट फोलियो वृद्धि लाने के लिए, वर्ष के दौरान 5 विशिष्ट बृहद कार्पोरेट शाखाएं, 5 विशिष्ट मिड कार्पोरेट शाखाएं और 4 विशिष्ट एसएमई शाखाएं और 22 विशिष्ट कृषि उधार शाखाएं खोली गईं ।

निर्णय प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करने, उधार सुपुर्दगी हेतु टर्नअराउंड समय कम करने एवं लेनदेन प्रक्रिया में क्षमता बढ़ने के उद्देश्य से बैंक ने 14 क्षेत्रीय कार्यालय, 10 रैपिड रीटेल केन्द्र, 9 एमएसएमई संसाधन केन्द्र एवं 11 सिटी बैंक ऑफिस खोले।

31.03.2013 को बैंक की 2902 घरेलू शाखाएं हैं जबकि 31.03.2012 को 2629 शाखाएं थीं। इनमें 849 ग्रामीण शाखाएं (कुल शाखाओं में 29.26%), 808 अर्ध शहरी शाखाएं (27.84%), 649 शहरी शाखाएं (22.36%) और 596 महानगरीय शाखाएं (20.54%) हैं । वर्ष के दौरान बैंक ने 50.08 लाख नए संपर्क जोडे ।

2902 शाखाओं के अलावा, 31.03.2013 को बैंक के 59 क्षेत्रीय कार्यालय, 3 उप शाखाएँ, 20 सैटलाइट कार्यालय, 31 सिटी बैंक ऑफिस, 14 रैपिड रीटेल केन्द्र (आर एल पी सी), 9 एमएसएमई संसाधन केन्द्र और 6 निरीक्षणालय हैं ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो अंतरराष्ट्रीय शाखाएं(कोलंबो में एफ सी बी यू और थाइलैण्ड,सुकुमविट में एक शाखा) खोलने हेतु भी अनुमोदन दिया है ।

कार्पोरेट गवर्नेन्स

कार्पोरेट गवर्नेन्स जिन सिद्धांतों पर आधारित है उनमें ईमानदारी और सुचिता के साथ कारोबार का संचालन, सभी लेनदेनों में पारदर्शिता,विभिन्न विनियमों के अनुसार सभी आवश्यक प्रकटीकरण देश के सभी कानूनों का पालन करना, स्टेकधारकों के प्रति जवाबदेही व जिम्मेदारी और आचरणबद्ध तरीके से कारोबार करने की प्रतिबद्धता शामिल है ।

बैंक ने सुपरिभाषित आचरण संहिता बनाई है जिसमें ईमानदारी, बैंक हितों की रक्षा और गोपनीयता के बारे में उल्लेख है। साथ ही बैंक अच्छे आचरण की आवश्यकता पर बल देता है जो अच्छे गवर्नेंस का आधार है। यह आचरण संहिता मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (यानि महा प्रबंधकों तक) पर लागू होती है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक , भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों का बैंक ने अनुपालन किया है , जिसकी जाँच सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों ने की है। बैंक अच्छे गवर्नेन्स को उच्च प्राथमिकता देता है जो कि बैंक की पारदर्शी स्वामित्व की रूपरेखा , लेखांकन प्रक्रियाओं और प्रबंधन में परिलक्षित होता है। बैंक का निदेशक मंडल अच्छे गवर्नेन्स का प्रवर्तन करने में और बेहतरीन प्रक्रियाओं , संसाधनों और आचार-नीति के मानकों का अनुपालन करने में और उनको अमल में लाने संबंधी नीतियों की रूपरेखा सृजित करने में अपनी भूमिका को पहचानता है।

बैंक अपने वित्तीय रिपोर्टिंग में उच्च प्रकटीकरण मानक व पारदर्शिता का पालन करने में प्रतिबद्ध है ताकि निवेशक व स्टेकधारक पर्याप्त रूप से सुपरिचित हों और नियमित अंतराल में अद्यतन हो ।

बैंक अपने कार्य-क्षेत्रों में विनियामक प्राधिकार द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का पालन कर रहा है । सेबी व स्टॉक एक्स्चेंज के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने के लिए स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीबद्ध करार के खण्ड 47 के अनुसार एक अनुपालन अधिकारी अलग से नियुक्त हैं ।

सूचनाबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार बैंक कार्पोरेट गवर्नेन्स पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्स्चेंज को प्रस्तुत कर रहा है तथा इसके साथ साथ मण्डल व मण्डल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) को भी सूचनार्थ प्रस्तुत कर रहा है ।

अच्छे कार्पोरेट गवर्नेन्स के अंश के रूप में बैंक सुनिश्चित करता है कि रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट द्वारा बनाए रखे जानेवाले रिकार्डों के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक की शिकायत एक महीने से ज़्यादा समय तक लंबित नहीं है । 01.04.2012 से 31.03.2013 तक की अवधि के दौरान रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को शेयरधारकों से 616 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी का निवारण / निरसन किया गया ।

प्रमुख बातें : 2012-13

- बैंक का विज़न-मिशन विवरण जो 2007 में बनाया गया मार्च 2013 तक वैध था । बदलती हुई परिस्थितियों के कारण, बैंक ने 2013-2020 के लिए एक मध्य कालीन विज़न / मिशन बनाया है, जो निम्नप्रकार है :

"कारोबार प्रमात्रा व निरंतर लाभप्रदता के आधार पर, जिसमें अच्छे गवर्नेन्स व आचरण नीति सहित वैश्विक पहचान हो, प्रथम पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक होना ; अपने सभी स्टेकधारकों को मूल्य देने में "उच्चतम अधिमान्यता प्राप्त बैंक" के रूप में साबित करना ।

- बैंक ने मई 2012 में रण-नीति योजना सम्मेलन का आयोजन किया । रण-नीति कारोबार योजना में चर्चा करने हेतु, जिसमें बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करने हेतु नवोन्मेष उत्पाद, कारोबार में नवोन्मेष और ई-गवर्नेन्स आदि कवर किए हों, मण्डल निदेशकों की एक विशेष बैठक संपन्न हुई ।

बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर संगठनात्मक ढ़ांचे को बदला जिसके लिए वर्टिकल संगठनात्मक संरचना बनाया (कृषि,एमएसएमई,मध्यम कार्पोरेट व बृहद कार्पोरेट) ताकि रण-नीतियों का केंद्रित कार्यान्वयन और संबंधित कारोबार खण्डों में आस्तियों व देयताओं में विकास हों, जो बैंक के लिए लाभ केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे ।

- बैंक ने 5.5 वर्षों के डालर मूल्य बॉण्डों की बिक्री के ज़रिए यूएस$500 मिलियन प्राप्त किए । यह निर्गम 10 गुना अत्यभिदत्त हुआ । निर्गम की राशि विशेष रूप से बैंक के अंतरराष्ट्रीय परिचालनों के लिए प्रयोग की जा रही है । आगे, सरकार ने बैंकॉक व कोलंबो में क्रमश: दो विदेशी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेन्स दे दिया है ।
- 2012 के लिए एमएसएमई ऋण हेतु बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया और अ व प्र नि ने भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के करकमलों से एमएसएमई ऋण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया । दक्षिण मण्डल स्तर में प्रधान मंत्री रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के उत्कृष्ठ कार्यान्वयन के लिए भी बैंक सम्मानित किया गया ।

presence and network farther and wider. The average CASA in the new branches is about 48%. As at the end of the year, the Bank had 158 pending licenses for opening of new branches.

With a view to stepping up vertical growth in advances portfolio, 5 Specialized Large Corporate Branches, 5 Specialised Mid Corporate Branches, 4 Specialised SME branches, and 22 Specialised Agricultural Credit Branches were opened during the year.

In order to decentralize the decision making process, reduce the turnaround time for credit delivery and increase efficiency in transaction handling, the Bank opened 14 Regional Offices, 10 Rapid Retail Centres, 9 MSME Processing Centres and 11 City Back Offices during the year.

As on 31.03.2013, the Bank had 2902 domestic branches, as against 2629 branches as on 31.03.2012, comprising of 849 rural branches (29.26% to total branches), 808 Semi Urban branches (27.84%), 649 Urban branches (22.36 %) and 596 Metropolitan branches (20.54%). The Bank added 50.08 lacs new relationships during the year.

Apart from 2902 branches, as on 31.03.2013, the Bank had 59 Regional Offices, 3 Extension Counters, 20 Satellite Offices, 31 City Back Offices, 14 Rapid Retail Centers (RLPCs), 9 MSME Processing Centers and 6 Inspectorates.

RBI has also approved for opening of two Overseas Branches (FCBU at Colombo and a Branch at Sukhumvit, Thailand).

Corporate Governance

Corporate Governance is based on the principles such as conducting the business with integrity and fairness, ensuring transparency in all the transactions, making all relevant disclosures as per the various Regulations in Force and complying with all the laws of the land, ensuring Accountability and Responsibility in all dealings with the stakeholders and commitment for conducting the business in an ethical and transparent manner.

The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct, which fairly addresses the issues of integrity, conflict of interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good Governance. This Code of Conduct is applicable to all the members of the Board and the Senior Management (i.e. upto General Managers) of the Bank.

The Bank has complied with the guidelines of RBI, SEBI and other Regulatory Authorities for Corporate Governance, which has been examined by the Statutory Central Auditors. Bank gives high priority to good Governance, which reflects on transparent ownership structure, Management and Accounting practices of the Bank. The Board recognizes its role in promoting good Governance and in creating a framework of best practices, processes, and ethics to observe and promote high ethical standards.

The Bank is also committed to follow high disclosure standards and transparency in financial reporting so as to keep investors and stakeholders adequately well-informed and updated at frequent intervals.

The Bank is complying with all the norms laid down by the Regulatory Authorities in all its functional areas. There is an exclusive compliance officer under Clause 47 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges to comply with various provisions of SEBI and Stock Exchanges.

The Bank is submitting a "Quarterly Compliance Report on Corporate Governance" as per Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges besides putting up to the Board and Audit Committee of the Board (ACB) for information.

As part of the good Corporate Governance, the Bank ensures that there is no investor Grievance pending for a period exceeding one week against the bank as per the records maintained by Registrar and Transfer Agent. During the period 01.04.2012 to 31.03.2013, Registrar and Transfer Agent received 616 complaints from Shareholders and all are redressed /resolved.

Salient Features: 2012-13

- The Bank's Vision-Mission Statement formulated in 2007 was valid till March 2013. The Bank revisited the changing dynamics and came out with a medium-term Vision / Mission outlook for the period 2013 – 2020, which is as stated below:

"To be among the top five nationalised banks in terms of business volumes and sustained profitability with global recognition guided by high standards of governance and ethics; and emerge as the "Most Preferred Banking Partner" to unlock value to all its stakeholders."

- The Bank organized the Strategic Planning Conference in May 2012 .An exclusive meeting of the Board of Directors was held to discuss the Strategic Business Plan covering the innovative products to compete in the market, Innovation in Business and E-Governance.

The bank has changed the organizational setup at the Central Office level by putting in place vertical organizational structure (Agriculture, MSME, Mid corporate, Large Corporate & Retail) to provide focused implementation of strategies and for driving growth in assets and liabilities in the respective business segments which would act as profit centers for the bank.

- The Bank raised US$500 mn via sale of dollar denominated bonds for 5.5 years. This issue was oversubscribed by 10 times. The proceeds of the issue is being exclusively deployed for the Bank's overseas operations. Further, Government cleared licenses for opening up of two overseas branches at Bangkok and Colombo respectively.
- National Award for MSME lending for 2012 was awarded to the Bank and CMD received the National Award for excellence in MSME lending (2^{nd} Place) from His Excellency, The President of India, Shri. Pranab Mukherjee. The Bank was also conferred for its outstanding performance at South Zonal level for implementation of Prime Ministers Employment Guarantee Programme (PMEGP).
- Bank has bagged Responsible Business Awards 2012 from World Education Congress in 6 categories namely Best Bank of the year Award, Best Service Initiative Awards, Outstanding Banking Leader of the year Award, Best CSR Practices Award, Best organization with Innovation HR Practices Award, Best Security Initiative Award.

- बैंक ने विश्व शिक्षा कांग्रेस से जिम्मेदार कारोबार पुरस्कार 2012 के अधीन 6 प्रवर्गों में जो कि वर्ष का सर्वोत्तम बैंक पुरस्कार, सर्वोत्तम सेवा पहल पुरस्कार, वर्ष का सर्वोत्तम बैंकिंग लीडर पुरस्कार, सर्वोत्तम सीएसआर सिद्धांत पुरस्कार, नवोन्मेष एचआर सिद्धांत हेतु सर्वोत्तम संगठन पुरस्कार, सर्वोत्तम सुरक्षा पहल पुरस्कार आदि प्राप्त किए ।
- बैंक ने बृहद बैंक प्रवर्ग में सर्वोत्तम इण्डियन बैंकर और सर्वोत्तम सार्वजनिक क्षेत्र बैंकर पुरस्कार "द संडे स्टैण्डर्ड फिनविज़ 2012’" से प्राप्त किए । स्कॉच डिजिटल अवार्ड 2012 में बैंक को कारोबार बुद्धि और डाटा गोदाम हेतु गोल्ड अवार्ड दिया गया ।
- बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री एम.नरेन्द्र को जनवरी 2013 के दौरान नई दिल्ली में 14वीं राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन के समय जिन्दल ग्लोबल बिज़नस स्कूल द्वारा जेजीबीएस सर्वोत्तम रैंकर उत्कृष्ठता विज़नरी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया ।
- बैंक के 75 वर्ष का इतिहास दर्ज करते हुए "इण्डियन ओवरसीज़ बैंक @75 - आपकी प्रगति का सच्चा साथी की लंबी कथा" नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया गया । पुस्तिका का विमोचन माननीय वित्त मंत्री श्री पी.चिदंबरम द्वारा दिसंबर 2012 के दौरान किया गया।
- 5 जनवरी 2013 को बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री ए.के.बन्सल ने "टर्निंग द टाइड" परियोजना के अधीन, बेसंत नगर, चेन्नै में मछुओं के बीच वित्तीय समावेशन की उन्नति में बैंक के उत्कृष्ठ कार्य हेतु स्कॉच वित्तीय समावेशन अवार्ड प्राप्त किया ।
- केन्द्रीय संपदा दिवस को वर्ष 2012-13 के लिए बैंक उच्च निष्पादनकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया । फरवरी 2013 के दौरान बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री ए.डी.एम.चावली ने उच्च न्यायालय, चेन्नै के न्यायाधीश श्री आर.सुधाकर से प्रमाण-पत्र व स्मृति-चिन्ह प्राप्त किया ।
- बैंक ने वर्ष 2012-13 को रीटेल उधार वर्ष के रूप में मनाया । बैंक ने कासा, रीटेल उधार, पैरा बैंकिंग उत्पाद, गैर ब्याज आय, वसूली आदि के अंतर्गत हमारे निष्पादन को बधने के उद्देश्य से 3 महीने के अभियान "दिलों के पास, मुस्कान के साथ" का आयोजन किया ।
- बैंक के 77वें संस्थापन दिवस को सभी शाखाओं में "वाक-इन बैंक" अभियान किया गया, जिस दौरान बचत व चालू खाते बड़ी संख्या में खोले गए । उस दिन बैंक ने देश भर में 77 शाखाएं खोलीं और 1,25,000 कासा खाते खोले गए ।
- बैंक ने 04.07.2012 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी.सुब्बा राव द्वारा प्लैटिनम जूबिली स्मारक आख्यान का आयोजन किया । उस समय, "बैंकिंग फॉर द अनबैंक्ड" पुस्तिका का विमोचन किया ।
- बैंक ने बैंकाशूरैन्स के अधीन एलआइसी पॉलिसी के विपणन में नं 1 स्थिति को बनाए रखते हुए रु 247 करोड़ का प्रीमियम संग्रहण करके रिकार्ड स्थापित किया है ।
- एसएचजी एक्स्पोज़र बढ़ने के उद्देश्य से नए एसएचजी के उधार लिंकेज बढ़ने के लिए 15.01.2013 से 15.03.2013 तक एसएचजी समारोह मनाया था । नवंबर - दिसंबर 2012 के दौरान आइओबी शहरी बागबानी और ग्रामीण उधार उत्पादों के विपणन पर अभियान का आयोजन किया गया ।
- 8 मार्च 2013 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और केन्द्रीय कार्यालय में संपन्न विशेष कार्यक्रम में अ व प्र नि ने सभी महिला आइआबियनों को संबोधित किया । 16.03.2013 को एथिराज महिला कालेज में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह मनाया गया और इसमें महिला ग्राहकों एवं एसएचजी ने भाग लिया और प्रतिष्ठित गनमान्य महिलाओं का सम्मान किया गया ।
- कॉमनवेल्थ गेम्स मे स्वर्ण पदक विजेता और ओलंपिक्स में ताम्र पदक विजेता विख्यात बैडमिण्टन खिलाडी सुश्री साइना नेहवाल के साथ एक और वर्ष के लिए अनुबंध को नवीकृत किया गया । उनकी छवि का प्रिण्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में व्यापक उपयोग किया गया। "ब्रैंड आइ ओ बी" को अधिक विविधतापूर्ण एवं दृष्टिगोचर बनाया गया ताकि युवाओं तक पहुंचा जा सके ।

निदेशक मंडल

श्री सूरज प्रकाश खत्री, अंशकालीन गैर-आधिकारिक निदेशक 26.10.2012 को 3 वर्ष की समाप्ति पर निदेशक के पद से कार्यमुक्त हुए । श्री के.आनंद कुमार, अधिकारी कर्मकार निदेशक 25.03.2013 को 3 वर्ष की समाप्ति पर निदेशक के पद से कार्यमुक्त हुए । निदेशक मंडल ने भूतपूर्व निदेशकों द्वारा दिये गये बहुमूल्य योगदान को रिकार्ड किया ।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल ने भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और स्टॉक एक्स्चेंजों, विभिन्न राज्य सरकारों,वित्तीय संस्थाओं एवं अंतरराष्ट्रीय विनियामकों से प्राप्त मूल्यवान सहयोग को रिकॉर्ड किया । निदेशक मंडल बैंक के बहुमूल्य ग्राहकों , कर्मचारी संघ,अधिकारी संघ,घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय, शेयरधारकों, अन्य स्टेकधारकों को उनकी सद्भावना, उनके संरक्षण व बैंक पर उनके विश्वास को रिकार्ड करता है ।

बैंक अपने सभी स्तर के स्टाफ सदस्यों के मूल्यवान योगदान के प्रति अपनी प्रगाढ़ प्रशंसा भी दर्ज करना चाहता है और अपेक्षा करता है कि भविष्यगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वे टीम के प्रयासों में लैस व लिप्त रहेंगे ।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

चेन्नै — **एम.नरेन्द्र**

29 अप्रैल 2013 — अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

- Bank has received Best Indian Banker and Best Public Sector Banker awards in the large bank category from "The Sunday Standard FINWIZ 2012". Bank has been conferred with Gold Award in Business Intelligence and Data warehousing in the SKOCH Digital Awards 2012.

- Bank's Chairman and Managing Director Shri. M. Narendra was awarded the JGBS Top Rankers Excellence Visionary Leadership Award by Jindal Global Business School and Top Rankers on the occasion of the 14th National Management Summit in New Delhi during January 2013.

- The history of the bank recording the 75 year journey has been brought out as a book titled "Indian Overseas Bank @75 - The Saga of Good People to Grow With". The book was released by Hon'ble Finance Minister Mr. P Chidambaram during Dec 2012.

- On 5th January 2013, Bank's Executive Director Shri. A.K Bansal received the Skoch Financial Inclusion Award for the Bank's exemplary work in promotion of Financial Inclusion among the Fishermen of Besant Nagar,Chennai under the project "Turning the Tide".

- The Bank was adjudged as the Top Performer for the year 2012-13 on the Central Excise Day. Bank's Executive Director Shri. A.D.M Chavali received the certificate and memento from Justice Shri R. Sudhakar, High Court of Madras during February 2013.

- The bank has observed the year 2012-13 as the year of Retail Credit.Bank has conducted a 3 month long campaign " Touching Hearts, Spreading Smiles" with a view to increase our performance under CASA, Retail Credit, Para Banking Products, Non Interest Income, Recovery etc.

- 77th Foundation Day of the Bank was marked with a "Walk-In-Bank" campaign at all branches wherein huge number of Savings and Current Accounts were opened. The Bank also opened 77 branches across the county to mark the occasion and 1,25,000 CASA Accounts were opened.

- Bank organized Platinum Jubilee commemoration oration by Dr. D Subba Rao, Governor of RBI on 04.07.2012. On this occasion, "Banking for the Unbanked" book was released.

- The Bank has set a record premium collection of ₹ 247 crore under Bancassurance – Marketing of LIC Policies retaining No.1 position.

- In order to improve the exposure to SHGs, SHG Festival from 15.01.2013 to 15.03.2013 was celebrated to improve the credit linkage with fresh SHGs. Campaign on IOB Urban Horticulture and marketing of rural credit products was conducted during November and December 2012.

- The Bank celebrated International Women's Day on 8th March 2013 and CMD addressed all women IOBians in a special function organized at Central Office. International Women's day was also celebrated at Ethiraj College for Women on 16.03.2013 where women customers & SHGs participated and eminent women personalities were honoured.

- Contract for another one year with Ace Badminton player Ms. Saina Nehwal, gold medalist in Common Wealth Games & Bronze medalist in Olympics, is renewed. Her image was extensively used in print and electronic media. "Brand IOB" has been made more versatile and visible so as to reach the youth.

Board of Directors

Shri Sooraj Prakash Khatri, part time non-official director, ceased to be Director, on completion of his 3 years term on 26.10.2012. Shri K. Ananda Kumar, Officer Employee Director, ceased to be the director, on completion of his 3 year term on 25.03.2013. The Board of Directors places on record its appreciation for the valuable contributions made by the erstwhile Directors.

Acknowledgements

The Board of Directors acknowledge with gratitude, the valuable guidance received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, State Governments, Financial Institutions& Overseas Regulators. The Board of Directors is thankful to the valued Customers, Employees Union, Officers Association, its domestic and international banking community, the shareholders & other stake holders for their valued support, continued patronage and confidence exhibited with the Bank.

The Board also wishes to place on record its deep appreciation for the valuable contribution of the Bank's Staff at all level and look forward to their continued involvement and abundance in team effort towards achieving the future goals.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai
April 29, 2013

M. NARENDRA
Chairman and Managing Director

प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण

आर्थिक परिवेश व बैंकिंग परिवेश

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में 2012-13 के वर्तमान स्तर 5% के प्रति अगले वित्तीय वर्ष में 6.4% विकास होने की अपेक्षा है । सरकार द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाने की वजह से कृषि व विनिर्माण क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन में प्रगति होने की संभावना है । डीज़ल दाम का संपूर्ण अविनियमन करना, गैस आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता रोकना और शक्कर उद्योग का आंशिक विनियंत्रण आदि उपायों के कारण अर्थ-व्यवस्था और आगे बढ़ेगी ।

विगत वर्षों में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में मुद्रा-स्फीति व मुद्रा अनिश्चितता के कारण उच्च स्तर का लचीलापन प्रदर्शित किया है । अर्थ-व्यवस्था को बढ़ने व बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए सहायता करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रमुख नीति दरों में परिवर्तन संबंधी कई उपाय किए हैं । सी आर आर वर्तमान में 4% तक और रेपो दरें 7.5% तक घटाई गई हैं, जिसके फलस्वरूप बैंकों के नकद प्रवाह में वृद्धि हुई । तथापि, कम ब्याज फैलाव और उधार बाज़ार अनियमितताओं के कारण बैंक की लाभप्रदता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इसके कारण, 2012-13 के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र का विकास सिर्फ 1.90% ही हुआ तथा सेवा क्षेत्र का विकास 6.6% में कम हो गया ।

बैंक के परिचालन

देशी जमाएं

बैंक की समग्र देशी जमाएं मार्च 2012 में रु. 1,72,219 करोड़ से बढ़कर मार्च 2013 में 1,95,457 करोड़ हो गयीं जो 13.49% की वृद्धि है । मार्च 2013 में बैंक की कासा जमाएं 52,703 करोड़ थी और कुल देशी जमाओं में कासा जमाओं का प्रतिशत 26.96% रहा । मार्च 2013 में बचत जमाएं 16.10% वृद्धि होकर रु 40257 करोड़ रही ।

ऋण फैलाव :

देशी अग्रिम पिछले वर्ष में रिकार्ड किए गए मार्च 2012 के अंत में रु. 1,27,419 करोड़ से बढ़कर मार्च 2013 के अंत में रु. 1,44,894 करोड़ हो गया जो 13.71% की वृद्धि है । बैंक का देशी उधार ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष में 73.99% से बढ़कर इस वर्ष के दौरान 74.13% हो गया ।

अंतरराष्ट्रीय कार्य-निष्पादन

अगस्त 2012 के दौरान, बैंक ने सिंगापुर व हांगकांग शाखाओं के आस्ति विस्तार हेतु यूएसडी 500 मयो के द्वितीय निर्गम की एमटीएन निधि प्राप्त की जिसमें से यूएसडी 250 मयो हरेक शाखा हेतु आबंटित किया । फरवरी 2013 के दौरान, बैंक ने वर्तमान एमटीएन कार्यक्रम यूएसडी 1.00 बिलियन को यूएसडी 2.00 बिलियन में बढ़ने के लिए मण्डल से अनुमोदन प्राप्त किया । मण्डल ने एमटीएन कार्यक्रम के आकार को बढ़ने हेतु अनुमोदन किया ताकि बैंक अपने अंतरराष्ट्रीय परिचालनों की दीर्घावधि निधियां प्राप्त कर निधियों की लागत कम कर सके और एनआइएम अधिकतम कर सके ।

बैंक का संयुक्त वेंचर अनुषंगी इंडिया इटरनेशनल बैंक मलेशिया बेर्हाद - आइआइबीएमबी (बैंक ऑफ बडौदा व आंध्र बैंक के साथ जे वी) 11 जुलाई 2012 से मलेशिया में पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है । जून 2012 के वित्त मंत्रालय निदेशों के अनुसार, बैंक ने अंतरराष्ट्रीय विस्तार योजनाओं के लिए 30.06.2012 को संपन्न मण्डल बैठक में मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया । मंत्रालय के निदेशों व मण्डल के अनुमोदन के अनुसार, बैंक सिओल, बैंकॉक, कोलंबो, वियतनाम और मंगोलिया में जे वी अनुषंगी या डबल्यू ओ एस स्थापित करने हेतु कार्रवाई कर रहा है ।

मंत्रालय के निदेशानुसार, सेनेगल में जे वी अनुषंगी स्थापित करने की संभाव्यता के संबंध में बैंक ने पहले ही एक महा प्रबंधक को सेनेगल जाने हेतु प्रतिनियुक्त किया है । महा प्रबंधक की दौरा रिपोर्ट के आधार पर, 1.9.2012 को संपन्न अपनी बैठक में मण्डल ने यह संकल्प किया है कि आर्थिक विकास राष्ट्रीय बैंक, सेनेगल के ईक्विटी में भाग लें और सलाहकार क्षमता में बैंक को सहायता करें जिसके लिए सलाहकार शुल्क प्रभारित किया जाए ।

फरवरी 2013 के दौरान, बैंक ने कोलंबो में एफ सी बी यू खोलने और सुखुमविट, थाइलैण्ड में शाखा खोलने हेतु भा रि बैंक का अनुमोदन प्राप्त किया है। बैंक इन कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान स्थापित करने हेतु कार्रवाई करेगा । बैंक वियतनाम, गुआँगज़ौ व दुबई में प्रतिनिधि कार्यालयों को संपूर्ण शाखाओं के रूप में उन्नयन करने हेतु भा रि बैंक व वित्त मंत्रालय से अनुवर्ती कर रहा है । आगे, बैंक कोलंबो में विस्तार पटल को शाखा के रूप में बदलने के लिए भा रि बैंक की अनुमति हेतु अनुवर्ती कर रहा है ।

हॉगकाँग में हमारी दो शाखाएं हैं और सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्री लंका एवं बैंकॉक में एक-एक शाखा है । चीन में गुआँगज़ौ, वियतनाम में हो चि मिन सिटि और दुबई में अल करामा में प्रतिनिधि कार्यालय हैं । सिंगापुर के बूनले एवं सेरांगून में विप्रेषण केन्द्र और श्री लंका में एक विस्तार पटल कार्यरत हैं । मलेशिया में संयुक्त वेंचर अनुषंगी कार्य कर रहा है ।

मार्च 2013 के अंत में विदेश में बैंक के 13 प्रतिष्ठान हैं जिनमें 6 संपूर्ण शाखाएं, 3 प्रतिनिधि कार्यालय, 2 विप्रेषण केन्द्र, 1 उप शाखा और 1 संयुक्त वेंचर अनुषंगी शामिल हैं ।

फारेक्स परिचालन

टर्नओवर

पिछले वर्ष के रु.87,542 करोड़ के प्रति वर्ष 2012-13 के लिए कुल मर्चेन्ट चर्नओवर प्राधिकृत डीलर शाखाओं सहित रु.1,10,553 करोड़ रहा जो कि 26.29% की वृद्धि है ।

इसमें बैंक का बहुमल्य धातु कारोबार भी शामिल है जो पिछले वर्ष के दौरान जहां रु 2242 करोड़ (8,832 किलो) रहा, वहीं वर्ष 2012-13 के लिए यह 2538 करोड़ (8,751 किलो) हो गया, यानि 13.22% की वृद्धि हुई ।

विनिमय पर लाभ

2012-13 के लिए ट्रेज़री के फारेक्स प्रभाग ने विनिमय पर रु 241 करोड़ का लाभ हासिल किया । पिछले वर्ष में यह लाभ रु 184 करोड़ था यानि विनिमय पर लाभ 30.81% बढ़ गया ।

अन्य आय

2012-13 के लिए ट्रेज़री के फारेक्स प्रभाग ने रु 20.33 करोड़ की अन्य आय प्राप्त की । इसमें बहुमल्य धातु कारोबार से प्राप्त रु 10.93 करोड़ (2011-12 में रु.9.75 करोड) भी शामिल है ।

एम एस एम ई :

मार्च 2013 के अंत तक बैंक का एमएसएमई अग्रिम बढ़कर रु 23410 करोड़ हो गया। सकल देशी उधार पर एमएसएमई उधार का शेयर 2011-12 के 14.40% से बढ़कर 2012-13 में 16.02% हो गया । इसमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दिया गया अग्रिम रु 19524 करोड़ भी शामिल है जो प्राथमिकता क्षेत्र उधार के तहत ही आता है । एम एस ई क्षेत्र को बैंक द्वारा दिया गया ऋण 31.18% से बध गया जो निर्दिष्ट लक्ष्य 20% से अधिक है । केवल सूक्ष्म क्षेत्र को दिया गया ऋण वर्ष के दौरान 33% के विकास को परिलक्षित करता हुआ, रु 2000 करोड़ पार कर लिया गया है । वर्ष के दौरान बैंक ने लगभग 1,00,000 नए सूक्ष्म क्षेत्र खातों के लिए वित्तपोषण प्रदान किया ।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दक्षिण मंडल में पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु बैंक को प्रथम पुरस्कार और सूक्ष्म लघु व लघु उद्यमों के अधीन सार्वजनिक बैंकों द्वारा ऋण करने हेतु बैंक को द्वितीय पुरस्कार दिया गया । ये पुरस्कार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,श्री एम.नरेन्द्र द्वारा माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से प्राप्त किए गए ।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic Environment & Banking Environment

The Indian Economy is expected to grow at 6.4% in the next fiscal against the present level of 5% during 2012-13. The overall performance of Agriculture and Manufacturing sector is bound to improve due to the reform measures taken by the government. The measures such as virtual deregulation of diesel prices, capping of subsidized gas supplies and partial decontrol of sugar industry would improve the economy further.

During the past, Indian banking sector displayed a high level of resiliency in the face of inflation and fiscal uncertainty in the advanced economies. In order to stimulate the economy and support the growth of banking sector, the RBI has adopted various measures in changing the key policy rates. CRR reduced to the present level of 4% and Repo rates lower at 7.5%, helped the banks to increase the credit flow. However, lower interest spread and Credit market imbalances were the major forces which affected the bank's profitability. This is evidenced by the fact that the growth in the manufacturing sector is subdued at 1.90% and service sector growth declined to 6.6% during 2012-13.

Bank's Operations.

Domestic Deposits

The Bank's aggregate domestic deposits increased from ₹ 1,72,219 crore in March 2012 to ₹ 1,95,457 crore in March 2013. The growth in deposits was moderate at 13.49%. The Banks CASA deposits reached ₹ 52,703 crores in March 2013 with CASA Deposits percentage to total Domestic deposits at 26.96%. Savings Deposits growth was at 16.10% to reach ₹ 40257 crores as on March 2013.

Credit Deployment

The domestic advances showed a favorable growth of 13.71% aggregating to ₹ 1,44,894 crore as at the end of March 2013 against ₹ 1,27,419 crore recorded in the previous year. The domestic CD ratio also improved to 74.13% during the year as against 73.99% in the previous year.

Overseas Performance

During August 2012, Bank has availed the second tranche of MTN funds of US$ 500 Mio and allocated US$ 250 Mio each for asset expansion at Singapore and Hongkong branches. During February 2013, Bank has obtained Board approval for increasing the size of the existing MTN programme of US$ 1.00 Bn to US$ 2.00 Bn. The enhancement in size of the MTN programme has been approved by the Board, to enable the bank to provide long term funds for overseas operations, so that the Cost of Funds would be reduced and NIM is maximized.

The Bank's Joint venture subsidiary India International Bank Malaysia Berhad-IIBMB(JV with Bank of Baroda and Andhra bank) has become fully operational at Malaysia since 11th July 2012. As per Finance Ministry Directions of June 2012, bank has obtained Board approval for overseas expansion plans, at the Board meeting held on 30.6.2012.As per the directions of the Ministry and as approved by the Board, Bank is taking steps to set up a JV subsidiary or a WOS at Seoul, Bangkok, Colombo, Vietnam and Mongolia.

In respect of setting up of a JV subsidiary at Senegal, as directed by the Ministry, bank has already explored the possibility by deputing a General Manager to visit Senegal. Based on the visit report by the GM, Board at its meeting held on 1.9.2012, has resolved to participate in the Equity of National Bank for Economic Development, Senegal and to assist the bank in an advisory capacity for which advisory fees may be charged.

During February 2013, bank has received RBI approval for opening of an FCBU at Colombo and for opening of a branch at Sukhumvit, Thailand. Bank will be proceeding to establish these offices during the FY 2013-14. Bank is following up with RBI and Ministry of Finance for upgradation of Representative Offices at Vietnam, Guangzhou and Dubai into full fledged branches. Bank is further following up for permission from RBI for conversion of the Extension Counter at Colombo into a branch.

There are two branches in Hongkong and one each at Singapore, South Korea, Sri Lanka and Bangkok. Representative offices are located at Guangzhou, China, at Ho Chi Minh City, Vietnam and at Al Karama, Dubai. Remittance Centres operate at Boonlay and Serangoon, Singapore and an extension Counter is located at Sri Lanka. The Joint Venture subsidiary is functioning at Malaysia.

As at the end of March 2013, the bank had 13 establishments abroad, including 6 full fledged branches, 3 Representative offices, 2 Remittance Centres, 1 Extension counter and 1 Joint Venture Subsidiary.

Forex Operations

Turnover

The total merchant turnover for 2012-13 including AD branches is ₹ 1,10,553 crore as against ₹ 87,542 crore last year recording a growth of 26.29%.

This includes the precious metal business of the bank for 2012-13 to the tune of ₹ 2,538 crores (8,751 kgs) as against ₹ 2,242 crores (8,832 kgs) in the previous year with an increase of 13.22%.

Profit on Exchange

Forex division of Treasury has achieved a total Profit on Exchange at ₹ 241 crore for 2012-13. The Profit on Exchange has increased by 30.81% when compared ₹ 184 crore in the previous year.

Other income

Forex Division of Treasury has earned Other Income at ₹ 20.33 crore for 2012-13. This includes ₹ 10.93 crore (₹ 9.75 crore in 2011-12) from precious metal business.

MSME

The Bank's MSME advances increased to ₹ 23410 crore as of March 2013. The Share of MSME credit on gross domestic credit increased from 14.40 % in 2011-12 to 16.02 % in 2012-13. This includes advances to Micro and Small Enterprises (MSE) to the tune of ₹ 19524 crore, which forms part of the priority sector credit. The Bank increased advances to MSE sector by 31.18 % surpassing the mandatory requirement of 20 %. Credit to Micro sector alone surpassed ₹ 2000 crores during the year reflecting a growth of 33 %. The Bank financed around 1,00,000 new micro sector accounts during the year.

The Bank was awarded First Prize in lending under PMEGP scheme for southern zone awarded by Ministry of MSME and

बैंक ने विशेषत: महिला उद्यमियों के लिए "आइ ओ बी एसएमई महिला प्लस" योजना शुरु की है जिसके अधीन महिला उद्यमी नई इकाई शुरु करने या मौजूदा इकाई के विस्तार हेतु ₹. 2 करोड़ तक उधार सीमाएं प्राप्त कर सकती हैं । आइओबी माइक्रो वन योजना जिसकी शुरुआत पहले ही की गई, काफी सफल रही है, इस योजना के अंतर्गत 1800 नए सूक्ष्म क्षेत्र उधारकर्ता वित्तपोषित किए गए जिनमें से 1000 उधारकर्ता चालू वर्ष में समूह वित्त पोषण प्रक्रिया के अधीन कवर किए गए हैं । बैंक वर्तमान में माडर्न राइस मिल्स के वित्तपोषण हेतु आइ ओ बी राइस मिल्स प्लस योजना की सुविधा देता है । मंगलूर (कर्नाटक) में काज़ू संसाधन इकाइयों, राजस्थान में मार्बल संसाधन, सेलम (तमिल नाडु) में रिग परिचालन इकाइयों आदि के वित्तपोषण हेतु क्षेत्र-विशिष्ट उधार योजनाएं शुरु की गई हैं । बैंक ने कोलकाता सरकार द्वारा टैक्सी प्रतिस्थापन योजना के अंतर्गत नई अंबेसडर कार खरीदने के लिए रियायती उधार शर्तों में सुविधाएं प्रदान की हैं।

बैंक ने जोखिम बांटने की सुविधा (आर एस एफ) ।। के अंतर्गत रु 2 करोड़ तक संपार्श्विक रहित ऋण प्रदान करने के लिए सूक्ष्म व लघु उद्यम हेतु ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के साथ एम ओ यू हस्ताक्षर किए हैं । वर्ष के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 20000 नए ऋण कवर किए गए हैं जिनमें सीजीटीएमएसई द्वारा रु 1000 करोड़ का अनुमोदन किया गया है । कवरेज में वृद्धि होने से बैंक यह अपेक्षा करता है कि इस योजना के अंतर्गत अधिक संख्या में नए खाते कवर किए जाएंगे । ऋण सरलीकरण सेवा (एलएफएस) के अंतर्गत सिडबी के साथ बैंक के एमओयू से सिडबी द्वारा उचित रूप से रेटिंग किए गए व वैध उधार प्रस्ताव विचार व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं । बैंक यह अपेक्षा करता है कि एमएसएमई क्षेत्र हेतु उधार बढ़ने में इस व्यवस्था का सदुपयोग किया जाएगा । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआइसी) के साथ बैंक के वर्तमान एम ओ यू से उनकी विभिन्न योजनाओं व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ज़रिए स्थापित होनेवाली प्रगाढ़ पहुंच के कारण बैंक को एमएसएमई उधार आवेदन प्राप्त होंगे ।

चालू वर्ष में बैंक ने रुग्ण एमएसएमई खातों के लिए वर्तमान पुन:संरचना व पुनर्वास नीति और रुग्ण गैर-व्यवहार्य एमएसई खातों के लिए ओ टी एस नीति का नवीकरण किया है ।

मिड कार्पोरेट

मिड कॉर्पोरेट समूह कृषि / एमएसएमई उधारकर्ताओं को छोडकर अन्य उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करता है । वर्ष के दौरान, बैंक ने पूरे भारत में 15 विशिष्ट मिड कार्पोरेट संपूर्ण शाखाएं खोलीं (बैंगलूर, बड़ौदा , चेन्नै, चण्डीगढ़ कोयम्बत्तूर, दिल्ली, फरीदाबाद , हैदराबाद, इन्दौर, कोलकाता, लुधियाना, मदुरै, मुंबई, पुणे व विजयवाड़ा) जो उधार मूल्यांकन में आवश्यक कार्रवाई करती हैं व उधार की शीघ्र सुपुर्दगी करती हैं। इस समूह के अंतर्गत 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का एक्सपोज़र ₹. 12053 करोड़ है । मार्च 2013 तक नई शाखाओं का अंशदान ₹. 4325 करोड़ था । ये शाखाएं उधार प्रस्तावों को त्वरित निपटान के लिए सीधे केन्द्रीय कार्यालय को भेजती हैं । वर्ष के दौरान, मिड कॉर्पोरेट समूह ने ₹. 16753 करोड़ की कुल स्वीकृत सीमा हेतु भारत भर से प्राप्त 273 प्रस्तावों की स्वीकृति की है ।

बृहद कार्पोरेट

बृहद कार्पोरेट समूह एक और उधार साधन है जो कृषि / एमएसएमई उधारकर्ताओं को छोडकर अन्य उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं, जो ₹. 100 करोड़ से ज़्यादा है, को पूरा करता है । इसके अंतर्गत, 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का निधि आधारित एक्सपोज़र ₹.55,892 करोड़ है और गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र ₹. 11,061 करोड़ है ।

वर्ष के दौरान, बैंक ने पूरे भारत में 8 जगहों में विशिष्ट बृहद कार्पोरेट शाखाएं खोलीं (अहमदाबाद, बैंगलूर, चेन्नै, कोयम्बत्तूर , दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता व मुंबई) । उक्त के अलावा, 15 वर्तमान शाखाओं को भी बृहद कार्पोरेट शाखाओं के रूप में पहचान किया गया है । ये विशिष्ट शाखाएं बृहद कार्पोरेट खण्ड में आनेवाले उधारकर्ताओं के उधार मूल्यांकन में आवश्यक कार्रवाई करती हैं व उधार की शीघ्र सुपुर्दगी करती हैं । ये शाखाएं उधार प्रस्तावों को त्वरित निपटान के लिए सीधे केन्द्रीय कार्यालय को भेजती हैं ।

रीटेल बैंकिंग व विपणन

वर्ष के दौरान मुख्य खण्डों जैसे रीटेल ऋण और आवासीय ऋण , आभूषण ऋण में 35.68 %वृद्धि हुई है । वरिष्ठ नागरिकों को उनके बुढ़पे के दिनों में बेहतर जीवन जीने के लिए स्वयं का आवास / फ्लैट प्राप्त करने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु रिवर्स मार्टगेज ऋण , आइ ओ बी रॉयल-स्वरोजगारी व्यवसायिकों, प्रोफेसर, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उच्च निवल मूल्य के व्यक्तियों और वरिष्ठ लोक सेवकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऋण योजना, आइ ओ बी सूर्य - सौर ऊर्जा उपकरण खरीदने के लिए वित्त पोषण योजना,आइ ओ बी बाउंटी - ए टी एम / कैश डिसपेंशर (वेंडरों द्वारा स्थापित करने और उसके रख रखाव) के लिए लेन देन लागत मोड के अंतर्गत मियादी ऋण, आइ ओ बी मुत्तूचिप्पी - डॉ मुत्तुलक्ष्मी शिशु लाभार्थ योजना (एमएमबीएस) के अंतर्गत सभी महिला लाभार्थियों को वित्तीय पोषण प्रदान करना और व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आइबीए मॉडल ऋण योजना-कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय पहल को समर्थन देने के लिए भारत में और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मौजूदा मॉडल शिक्षा ऋण योजना के विस्तार के रूप में विकसित ऋण योजना जैसे नए उत्पादों के विकास के प्रति अच्छी प्रक्रिया थी।

प्रत्यक्ष जीवन बीमा योजना के तहत अर्जित आय 2011-12 में 780 लाख से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 815 लाख हो गई है। बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान 247 करोड़ों की प्रीमियम जुटाई और लगातार तीसरे वर्ष एलआइसीके बैंकाश्युरैन्स साझेदारों में प्रथम रहा।

हेल्थ केयर प्लस के तहत अर्जित आय 2011-12 के दौरान 180 लाख से बढ़कर 2012-13 के लिए 296 लाख हो गई जो 64.44% की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष के दौरान बैंक ने 19.91 करोड़ सहित 59166 पॉलिसियॉ (नवीकरण सहित) जुटाई।

बैंक ने आस्ति बीमा के तहत गत वर्ष के दौरान 607 लाख से बढ़कर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 800 लाख की आय अर्जित की जो 31.80% की वृद्धि है।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार :

मार्च 2012-13 के अंत में प्राथमिकता क्षेत्र के तहत सकल उधार **51056** करोड़ तक बढ़ गया जो 26.95% की वृद्धि है । प्राथमिकता क्षेत्र सकल अग्रिम और समायोजित निवल बैंक उधार (एएनबीसी) अनुपात 40.03 % हासिल करते हुए आनेवाले वर्षों मे भी बैंक की योजना 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य को पार कर जाने का है।

कृषि :

वर्ष के दौरान, कृषि उधार में ₹.4,153 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई जो मार्च 2012 में ₹.19240 करोड़ की तुलना में बढ़कर मार्च 2013 में ₹.23,393 करोड़ हो गया । बैंक का कृषिगत अग्रिम और समायोजित निवल बैंक ऋण अनुपात 18% की तुलना में 18.34% था। वर्ष के दौरान ₹.26875 करोड़ के लक्ष्य के अपेक्षित खरके प्रति प्रति विशेष कृषि ऋण योजना (एस ए सी पी) के तहत बैंक ने ₹.34160 करोड़ का ऋण संवितरित किया ।

मुख्य कृषि ऋण उत्पाद :

आइ ओ बी सागरलक्ष्मी : यह महिला मछुआरों को निरंतर आय सृजन करने के उद्देश्य से वित्तपोषण करने के लिए अलग से एक ऋण उत्पाद है । (₹.1.00 लाख तक ऋण दिया जाता है)।

also won second prize among Public Sector Banks for lending under Micro and Small enterprises. The awards were received by Chairman & Managing Director Mr. M. Narendra from His Excellency, The President of India, Sri. Pranab Mukherjee .

The Bank launched "IOB SME Mahila Plus", exclusively for Women Entrepreneurs for starting a new unit or for expansion of the existing unit with credit limits upto ₹ 2 crore. IOB MICRO ONE scheme launched earlier has been quite successful with nearly 1800 new Micro sector borrowers financed under the scheme of which around 1000 borrowers have been covered during the current year under cluster-financing approach. The Bank currently offers IOB Rice Mills Plus scheme for finance of modern rice mills. Certain Region-Specific credit schemes have been introduced for financing cashew processing units in Mangalore, (Karnataka), marble processing units in Rajasthan, rig operating units in Salem (Tamil Nadu) etc. The Bank also extended concessional credit terms for purchase of new Ambassador cars under Taxis Replacement Scheme by Govt of Kolkata.

The Bank entered into an MOU with Credit Guarantee Trust for Micro and Small enterprises (CGTMSE) for extending collateral free loans upto ₹ 2 crores under their Risk Sharing Facility (RSF) II. During the year, 20000 new loans have been covered under this scheme with incremental approvals to the tune of ₹ 1000 crores by CGTMSE. With increased coverage, the Bank expects sizeable number of new accounts to be covered under the scheme. The Bank's MOU with SIDBI under Loan Facilitation Service (LFS) ensures SIDBI submitted duly rated and validated credit proposals for consideration and sanction. Bank expects to utilize this arrangement in the best manner to boost credit to MSME sector. Bank's present MOU with National Small Industries Corporation (NSIC) would enable the bank to receive MSME credit application vide the latter's vast reach through various schemes and training programmes.

The bank has renewed the existing restructuring and rehabilitation policy for sick MSME accounts and OTS policy for sick non-viable MSE accounts during the current year.

Mid Corporate

Mid Corporate Group takes care of the lending requirements of borrowers other than Agriculture / MSME borrowers. During the year the Bank made fully operational 15 Specialized Mid corporate branches all over India (Bangalore, Baroda, Chennai, Chandigarh, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Hyderabad, Indore, Kolkatta, Ludhiana, Madurai, Mumbai, Pune and Vijayawada) which process necessary expertise in credit appraisal and quicker delivery of credit. Under this group Bank has an exposure of ₹ 12,053 crore for the year ended 31st March 2013. The contribution from the new branches was ₹ 4325 crore as of March 2013. These branches send the credit proposals directly to Central Office for speedy disposal. During the year, Mid corporate group has sanctioned 273 proposals from all over India with total sanctioned limit of ₹ 16,753 crore.

Large Corporate

Large Corporate Group is yet another vertical in Credit front, taking care of Credit requirement of borrowers other than Agriculture borrowers whose Credit requirement is above ₹ 100 crores. Under this vertical, bank has a fund based exposure of ₹ 55,892 crores and Non Fund Exposure of ₹ 11,061 crore for the year ended 31.3.2013.

During the year Bank has opened specialized Large Corporate branches at 8 places all over India (Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Kolkata and Mumbai). Apart from the above, 15 existing branches are also identified as Large Corporate Branches.

These specialized branches are focusing in lending to borrowers coming under Large Corporate segment making available necessary expertise in credit appraisal and quicker delivery of credit. These branches are sending the credit proposals directly to Central Office for expedient disposal.

Retail Banking and Marketing

Retail Loans with Housing Loans, Educational Loans and Jewel Loan to Others as major segments improved by 35.68**%** during the year. There was a good response to the new product developments such as Reverse Mortgage Loan for supplementing the financial needs of senior citizens owning self occupied residential house / flat for leading a decent life during their twilight days, **IOB Royal – a loan scheme** to cater to the needs of Senior Civil Servants and High Net worth Individuals like IT Sector, Professors, Self employed Professionals, IOB Surya - a Scheme to finance purchase of Solar Energy equipments, IOB Bounty – a Term Loan for ATMs/Cash Dispensers (installed & maintained by Vendors) under transaction cost mode, IOB Muthuchippi - to provide financial assistance to all the women beneficiaries under Dr.Muthulakshmi Maternity Benefit Scheme (MMBS) and IBA model loan scheme for Vocational Education and Training – a loan scheme developed as an extension of the existing Model Educational Loan Scheme for pursuing higher education in India & Abroad, to support the national initiatives for skill development.

The income earned under direct Life Insurance increased from ₹ 780 lacs in 2011-2012 to ₹ 815 lacs for the year 2012-13. Bank has mobilized ₹ 247 Crore of Premium during the year 2012-13 and stood First among all Bancassurance partners of LIC for the third year in succession.

The income earned under Health Care Plus, which was at ₹ 180 lacs during the year 2011-12 increased to ₹ 296 lacs for the year 2012-13 registering a growth of 64.44%. During the year, the Bank has mobilized 59166 policies (including renewal) with a premium of ₹ 19.91Crore.

The income earned under Asset Insurance, which was at ₹ 607 lacs during the last year increased to ₹ 800 lacs during the current fiscal with a growth of 31.80%.

Priority Sector Credit

Gross Credit under Priority Sector increased to ₹ **51056** crore at the end of March 2013, registering a growth of 26.95%. With the achievement of Priority Sector advances to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) Ratio at 40.03%, Bank has further plans to continue and surpass the National Goal of 40% in the coming years also.

Agriculture

During the year, the agricultural credit registered an incremental growth of ₹ 4,153 crore from ₹ 19,240 crore as of March 2012 to ₹ 23,393 crore as of March 2013. The Bank's ratio of agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit was 18.34% as against the required norm of 18%. The Bank

आइ ओ बी भूमि शक्ति : खेतीहर भूमि अपने नाम पर रखनेवाली महिलाओं और किराएदार किसान यदि महिला हो तो उनके लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है । इस योजना के तहत रु 50,000/- तक की सीमा के लिए 0.50% और रु 25,000/- से अधिक सीमा के लिए 0.25% ब्याज में रियायत मिलती है । इस योजना के तहत दिए गए सभी ऋणों के लिए संसाधन शुल्क और अपफ्रन्ट शुल्क और बंधक प्रभार पर छूट दी गई है।

बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट : बैंक ने ग्रामीण परिवारों, जिनके पास कोई भूमि नहीं है, उनके बचत व ओवरड्राफ्ट खातों के लिए प्रति परिवार हेतु रु 10000/- तक ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई है ।

आइ ओ बी ग्रीन क्रेडिट : अल्पकालिक उत्पादन ऋण या निवेश ऋण या दोनों की पूर्ति के लिए यह योजना बनाई गई है । योजना के तहत अधिकतम सीमा को रु 25 लाख तक बढ़ाकर और आकर्षक बनाया गया ।

आइ ओ बी शहरी बागवानी : यह योजना किचेन गार्डेन, पुष्प गार्डेन , छोटे बगीचे या छत गार्डेन बनाने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए है । व्यक्तियों के लिए न्यूनतम सीमा रु 33000/- और अधिकतम सीमा रु 2.50 लाख तथा संस्थाओं हेतु रु 25.00 लाख तक बढ़कर योजना में संशोधन किया गया । रु 1.00 लाख तक के ऋणों के लिए मार्जिन व संपार्श्विक प्रतिभूति पर छूट है । अभी यह योजना सेवानिवृत्त आइओबियन को भी दी जाती जो हम से मासिक पेंशन ले रहे हैं को विस्तार किया साथ ही योजना के तहत संस्थागत ग्राहकों को ऋण प्रदान करने की रियायत भी दी जाती है।

आइ ओ बी एग्री ट्रान्सपोर्ट : इस योजना की कृषिगत उद्देश्यों के लिए किसी भी वाहन की खरीद के लिए अभिकल्पित किया है। रु 1.00 लाख तक के ऋणों के लिए मार्जिन पर छूट प्राप्त है । आगे, किसी भी प्रकार के ऋण राशि में कम से कम 50% संपार्श्विक प्रतिभूति की भी छूट दी गई है ।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (के सी सी):

बैंक ने वर्ष के दौरान 5,22,559 के सी सी जारी किये हैं । मार्च 2013 के अंत तक बैंक द्वारा जारी कुल कार्डों की संख्या 30,83,751रही ।

किसान तत्काल योजना (केटीसी)

कृषि उद्देश्य के लिए औ तात्कालिक समस्याओं से उभरने के लिए आकस्मिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किसान समुदाय को लक्षित करके एक तात्कालिक उधार योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत मौजूदा किसान क्रेडिट कार्ड धारक और कम से कम दो वर्षों तक संतोषजनक ट्रेक रिकार्ड रखनेवाले व्यक्तिगत किसान / संयुक्त उधारकर्ता पात्र हैं।

सूक्ष्म वित्तपोषणः

वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 745 करोड़ के ऋण के साथ 41306 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किया । बैंक द्वारा 4,75,172 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किया गया और मार्च 2013 तक कुल संवितरित राशि रु 4946 करोड़ रही है ।

प्रत्यक्ष खण्ड के तहत एसएचजी लिंकेज को प्रोत्साहित करने हेतु 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 15 01 2013 से 15 03 2013 तक 'एसएचजी उत्सव' मनाया गया ।

महिलाओं को ऋण सहायताः

31 मार्च 2013 तक बैंक द्वारा महिलाओं को प्रदत्त ऋण रु. 17718 करोड़ रहा जो बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋण का 13.89% है जबकि मानदण्ड 5% है ।

अग्रणी बैंक योजनाः

बैंक तमिलनाडु के बारह जिलों और केरल के 1 जिले में अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है । बैंक तमिलनाडु में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक भी है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एस एल बी सी (तमिलनाडु) का संयोजक होने के नाते बैंक ने चार एस एल बी सी बैठकें आयोजित कीं । इसके अलावा बैंक ने वर्ष के दौरान निम्न विशेष एसएलबीसी बैठकों का आयोजन किया ।

1) मुर्गी पालन विकास के लिए तमिलनाडु सरकार योजनाओं पर बैठक
2) बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना पर बैठक
3) फसल बीमा योजना पर बैठक
4) निम्न आय आवासीय (सीआरजीएफटीएलआइएच) के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि पर विशेष एसएलबीसी पर बैठक
5) वित्तीय समावेशन पर दो विशेष एसएलबीसी बैठकें
6) प्रति परिवार एक बैंक खाते खोलने पर बैठक
7) इलेक्ट्रानिक बेनिफिट ट्रान्सफर प्रणाली पर बैठक
8) तमिलनाडु में बैंकों के जरिए एमजीएनआरइजीएस वेतन के भुगतान पर दो विशेष एसएलबीसी बैठकें
9) तमिलनाडु में एनआरएलएम के कार्यान्वयन पर बैठक
10 तमिलनाडु सरकार की 'नए कारोबार -सह-उद्यम विकास योजना ' (एनइइडीएस) पर बैठक
11 .कोयम्बत्तूर औद्योगिक इकाईयों के लिए मियादी ऋण किस्तों और ब्याज हेतु एक वर्ष की अधिस्थगन के अनुरोध पर विचार करने के लिए बैठक
12 .राज्य के 31 जिलों में सूखा पर तमिलनाडु सरकार के जीओएमएस 48 दिनांकित 13.02.2013 पर बैठक

- एसएलबीसी ने तमिलनाडु में दो हजार और उसके अधिक की जनसंख्या वाले 4445 बैंकिंग रहित गाँवों की पहचान की है और उन्हें विभिन्न बैंकों को आबंटित किया है । वित्त मंत्रालय (मार्च 2012) द्वारा दी गई समय सीमा के बहुत पहले भी सभी 4445 गाँवों में वित्तीय समावेशन के तहत बैंकिंग की सुविधाएँ प्रदान की गई है। इसप्रकार 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया ।
- एसएलबीसी ने 2000 से कम जनसंख्या वाले 7816 गाँवों की पहचान की है, जिनमें से 23.03.2013 तक बैंक ने 5517 गाँवों को कवर किया है। 71% लक्ष्य प्राप्त किया गया।
- एसएलबीसी ने सभी 31 जिलों में 4 अग्रणी बैंकों द्वारा ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है-100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त ।
- एसएलबीसी ने चेन्नई सहित सभी 32 जिलों में वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट काउंसिलिंग केंद्रों की स्थापना की **-100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त** ।

तमिलनाडु में ऋण सहायता पर एसएलबीसी की पहलें

- तमिलनाडु में दिसम्बर 2012 को 121.79% प्रतिशत सीडी अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले कुछ राज्यों में से एक रहा - 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त ।
- तमिलनाडु ने वार्षिक क्रेडिट योजना (एसीपी) तहत दिसम्बर 2012 तक 102% लक्ष्य हासिल किया जो मात्र कुछ राज्यों द्वारा हासिल किया गया लक्ष्य है। > 100% लक्ष्य प्राप्त ।

  प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत तमिलनाडु ने दिसम्बर 2012 तक 43.17% का लक्ष्य हासिल किया जबकि राष्ट्रीय मानदंड 40% का है। > 100% लक्ष्य प्राप्त ।

disbursed ₹ 34,160crore under Special Agricultural Credit Plan (SACP) as against the target of ₹ 26,875 crore during the year.

Key Agricultural Products

IOB Sagar Lakshmi: An exclusive loan product (Loans up to ₹ 1lac) designed for financing fisherwomen empowering them with sustainable income generation.

IOB Bhoomi Shakti: The scheme is formulated to provide financial assistance for women having farm land in their own name and tenant farmers. The scheme provides for interest concession @ 0.50% for limits upto ₹ 50,000/- and 0.25% above ₹ 25,000/-. Processing Charges, Upfront Fee and Mortgage Charges are waived for all loans granted under this Scheme.

Overdraft in SB Accounts: The Bank has formulated a scheme for Savings-cum-OD accounts for rural families which do not have any land facilitating overdraft facilities up to ₹ 10,000/- per family.

IOB Green Credit: A scheme for meeting the short term production credit or investment credit or both. The scheme was made more attractive by increasing maximum limit up to ₹ 25 lacs.

IOB Urban Horticulture: The scheme is meant for individuals and institutions for raising kitchen garden, flower garden, small orchards or roof gardens. The scheme is modified by increasing minimum limit to ₹ 33,000/- and maximum limit to ₹ 2.50 lacs to individuals and to ₹ 25 lacs to Institutions. Margin and collateral security is waived for loans up to ₹ 1.00 lac. The scheme is now extended to Retired IOBians drawing monthly pension from us and also the discretion for lending to institutional clients have been relaxed under the scheme.

IOB Agri Transport : This scheme is designed for purchase of any vehicles to be used for agriculture purpose. The scheme is liberalized by waiving margin for loans up to ₹ 1.00 lac. Further, collateral security valued at least 50% of the loan amount in any form is also waived.

Kisan Credit Card Scheme (KCC)

The Bank issued 5,22,559 KCCs during the year. The total number of cards cumulatively issued by the Bank as at the end of March 2013 stood at 30,83,751.

Kisan Tatkal Scheme (KTC):

An instant credit scheme aimed at farming community to meet the emergency requirements for Agriculture purposes and for tiding over temporary difficulties. Individual farmers / joint borrowers, who are existing Kisan Credit Card holders having satisfactory track record of at least two years are eligible for availing loan under this scheme.

Microfinance

During the year, the Bank credit-linked 41,306 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of ₹ 745 crores. The cumulative number of SHGS credit linked by the Bank is 4,75,172 with a total disbursement of ₹ 4,946 crores as of March 2013. “SHG Festival” from 15.01.2013 to 15.03.2013 was observed coinciding with International Women's Day on 8th March to give fillip to SHG linkage under the direct segment.

Credit flow to Women

Bank's credit flow to women stood at ₹ 17,718 Crore as of March 31, 2013 constituting 13.89 % of the Bank's Adjusted Net Bank Credit, as against the norm of 5%.

Lead Bank Scheme

The bank has Lead Bank responsibility in twelve districts in Tamil Nadu and one district in Kerala. The bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee of Tamil Nadu (SLBC). During the year of review, as Convenor of SLBC, Tamil Nadu, the bank has conducted four meetings of the SLBC. In addition, the bank convened the following special SLBC meetings during the year.

1. Meeting on Tamil Nadu Government's Scheme for Poultry Development.
2. Meeting on Weavers' Credit Cards Scheme.
3. Meeting on Crop Insurance Scheme.
4. Meeting on Special SLBC on Credit Risk Guarantee Fund for Low Income Housing (CRGFTLIH).
5. Two special SLBC meetings on Financial Inclusion.
6. Meeting on Opening one bank account per family.
7. Meeting on Electronic Benefit Transfer System.
8. Two special SLBC meetings on Payment of MGNREGS wages through banks in Tamil Nadu.
9. Meeting on implementation of NRLM in Tamil Nadu
10. Meeting on ““New Entrepreneur -Cum- Enterprise Development Scheme" (NEEDS)” of Govt. of Tamil Nadu.
11. Meeting on to discuss request of One Year Moratorium Period for Term Loan Instalment and Interest for Coimbatore industrial units
12. Meeting on Tamil Nadu Government's G.O.Ms.48 dated 13.02.2013 on Drought in 31 districts of the State
    - SLBC identified 4445 unbanked villages in Tamil Nadu with a population of 2000 and above and allotted to various banks. All the 4445 villages have been provided banking facilities under Financial Inclusion well ahead of the timeline given by MOF(March 2012). 100% achievement
    - SLBC identified 7816 villages with population of below 2000 of which banks have covered 5517 villages as on 23.03.2013. Percentage of achievement is 71.
    - SLBC facilitated establishment of Rural Self Employment Training Centres in all the 31 districts by the 4 Lead Banks -100% achievement
    - SLBC facilitated establishment of Financial Literacy & Credit Counselling centres in all the 32 districts including Chennai. -100% achievement

SLBC initiatives on Credit Flow in Tamil Nadu

- Tamil Nadu achieved a CD ratio of 121.79% as of December 2012 and stands one among the very few states who achieved this feat. – 100% achievement
- Tamil Nadu achieved 102% achievement of target under Annual Credit Plan (ACP) as of December 2012 which is achieved by only a very few states. > 100% achievement
- Tamil Nadu achieved 43.17% under Priority Sector as of December 2012 against the national norm of 40% - >100% achievement

- दिसम्बर 2012 को तमिलनाडु में कृषि अग्रिमों में 19.76% लक्ष्य प्राप्त किया जब कि राष्ट्रीय मानदंड 18% का है। > 100% लक्ष्य प्राप्त ।
- दिसम्बर 2012 को तमिलनाडु ने 10.97% का लक्ष्य कमज़ोर तबके को अग्रिमों के लिए प्राप्त किया जब कि राष्ट्रीय मानदंड 10% का है। > 100% लक्ष्य प्राप्त ।

तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक लाभांतरण पर एसएलबीसी की पहलें -

- जुलाई 2012 से तमिलनाडु सरकार की वृद्ध पेंशन योजना के तहत राज्य में 4445 के गाँवों में बैंकों द्वारा लगाये गए कारोबारी संवादी द्वारा परिचालित स्मार्ट कार्ड के जरिए **6.23 लाख लाभ भोगियों** को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।
- राज्य में बैंक ऋण के जरिए **1.76 लाख मछुआरों** को क्षीण अवधि सहायता के रूप में रु.4000/-
- बैंक के क्रेडिट के जरिए डॉ मुत्तुलक्ष्मी शिशु लाभार्थ योजना के अंतर्गत **8.12 लाख गर्भवती महिलाओं** को ₹.12,000/-की अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्रामीणं बैंक

बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, यथा तमिलनाडु में पाण्डियन ग्राम बैंक और उडीसा में नीलाचल ग्राम्य बैंक को प्रायोजित किया है। दोनों का कार्यनिष्पादन बेहतर था। पाण्डियन ग्राम बैंक ने पिछले 17 वर्षों से लगातार टैक्स के उपरांत निवल लाभ अर्जित किया और पिछले दस वर्षों से लगातार शून्य निवल एनपीए दर्ज.करता रहा है।

दिनांक 07.01.2013 को भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार नीलाचल ग्राम्य बैंक (आइओबी बैंक द्वारा प्रायोजित) कलिंगा ग्राम्य बैंक (यूको बैंक द्वारा प्रायोजित) और बैतरणी ग्राम्य बैंक (बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित) को एक आर आर बी 'ओडीशा ग्राम्य बैंक' में विलय किया गया है जिसका प्रधान कार्यालय भुबनेश्वर में होगा, जिसका प्रायोजक हमारा बैंक होगा। वर्तमान में पाण्डियन ग्राम बैंक और उड़ीसा ग्राम बैंक हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी है और दोनों आरआरबी ने वर्ष के दौरान निवल लाभ दर्ज़ किया। दोनों आरआबी की सभी शाखाएँ सीबीएस का अनुपालन करती है और दोनों आरआरबी में नेफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।

वित्तीय समावेशन

बैंक ने बैंक रहित गाँवों में **बैंकिंग वित्तीय सुविधा** प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कारोबार संवादी के ज़रिए स्मार्ट कार्ड बैंकिंग की शुरूआत की है। कारोबार संवादी ग्राहक को स्मार्ट कार्ड और हस्त चालित उपकरण के ज़रिए बायोमेट्रिक का उपयोग करते हुए सेवा प्रदान करते हैं। ये उपकरण क्षेत्रीय भाषाओं में व्वाईस सुविधायुक्त हैं और निरक्षरों के लिए भी प्रयोग सुलभ हैं। इस सुविधा के जरिए दूर दराज़ के क्षेत्रों में स्थित गाँव के लोग भी अपनी जगह पर बैठे-बैठे बैंकिंग कारोबार कर सकते हैं।

भारत सरकार के 'स्वाभिमान ' के तहत, बैंक ने देश भर में स्मार्ट कार्ड बैंकिंग के तहत विभिन्न जन संख्या वर्ग के अंतर्गत आबंटित सभी 1800 गाँवों को कवर किया है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु राज्य में बैंक ने स्मार्ट कार्ड बैंकिंग के तहत 95 गॉवों को कवर किया है इसके अलावा इस सुविधा के तहत 85 अन्य गाँवों को भी कवर किया गया है। स्मार्ट कार्ड बैंकिंग का कार्यान्वयन 2880 गाँवों में 54 क्षेत्रों को कवर करते हुए 21 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन के तहत स्मार्ट कार्ड बैंकिंग के तहत ईंट पत्थर के द्वारा निर्मित शाखाओं के जरिए 2901 गॉवों को कवर किया गया था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हमारे बैंक ने 16,62,779 बेसिक बचत बैंक जमा खाते खोले और इस प्रकार इन खातों की संख्या 43,70,173 हो गयी। अभी तक, हमारे बैंक ने 5,19,174 स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं और स्मार्ट कार्ड टर्मिनल में किए गए लेन-देनों की संख्या 39,38,657 है।

अल्ट्रा स्माल शाखाएँ स्थापित करना (यूएसबी)

वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार 1273 वित्तीय समावेशन गाँवों में अल्ट्रा स्माल शाखाएँ खोली गयी हैं ।जिनकी संख्या 2000 से ऊपर हैं और दो अन्य गाँवों में भी अल्ट्रा स्माल शाखाएँ भी खोली गई हैं जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है। तीन अल्ट्रा स्माल शाखाओं का उन्नयन ईंट पत्थर से निर्मित शाखाओं के रूप में किया है।

पुरस्कार

बैंक लगातार 3 वर्षों से वित्तीय समावेशन के लिए स्कॉच अवार्ड प्राप्त कर रहा है। वर्ष 2012-13 में बैंक ने चेन्नई में मछुआरों के विकास के लिए "टर्निंग द टाइड" नामक वित्तीय समावेशन परियोजना के लिए स्कॉच पुरस्कार प्राप्त किया।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

आइओबी संपूर्ण ग्रामीण जन संख्या की सर्व समावेशित वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए गाँवों में अनेक जीविकोपार्जन पहलों वाली अनोखी परियोजना है।

इसके अंतर्गत क्रेडिट और गैर क्रेडिट घटक जैसे वित्तीय समावेशन, कारोबारी संवादी मॉडल के तहत बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड सहित सूचना प्रौद्यागिकीयुक्त बैंकिंग परिचालन, वृक्षारोपण और समाजिक वानिकी, जल निकायों की सफाई, स्वास्थ्य की देखभाल, कंप्यूटर में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, ग्रामीण कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग, गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रोत्साहन और ग्रामीण पर्यटन शामिल है।

पिछले पाँच वर्षों से योजना कार्यान्वियन के अधीन है। इस वर्ष 9 अन्य गॉवों को शामिल करते हुए संपूर्ण भारत में आइओबी संपूर्ण गॉवों की कुल संख्या 100 हो गयी।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसइटीआइएस):

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, किसानों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, एसजीएसवाई के लाभ भोगियों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं , कारीगर और कमजोर तबके लाभ भोगियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सभी अग्रणी जिलों में आरएसइटीआइ की स्थापना हमारे बैंक ने की है। उपर्युक्त के अतिरिक्त हमने आदिवासियों के लाभार्थ भी नीलगिरि जिले में एक आरएसइटीआइ की स्थापना की है।

बैंक द्वारा (नाबार्ड और इंडियन बैंक के साथ संयुक्त रूप से) कारैकुडी (शिवगंगा जिला तमिलनाडु) में एक ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। इन जिलों में हम अग्रणी बैंक है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इन प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से हमारे बैंक ने 154 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया,जिनका लाभ 3963 प्रशिक्षार्थियों को प्राप्त हुआ।

वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफ एल सी) जैसे स्नेहा :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने वेट्टिकवला, केरला में एक एफएलसी की स्थापना की है। एफएलसी का नाम स्नेहा रखा गया है। बैंक ने कुल 15 एफएलसी की स्थापना की। इन केन्द्रों में ग्रामीण और शहरी लोगों को विभिन्न वित्तीय उत्पादों/ औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी जाएगी, व्यक्तिगत रूप से जाकर वित्तीय काउंसिलिंग सेवा दी जाएगी और कर्जदारों को कर्ज काउंसिलिंग सेवा दी जाएगी। एफ एल सी सी द्वारा वित्तीय सेवाएं / उत्पाद के मद्देनजर प्रयोक्ता जनता को सूचित विकल्प प्रदान किया जाएगा ताकि वे अधिकतम लाभ उठा सकें । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एफएलसीस ने कुल 7900 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

- Tamil Nadu achieved 19.76% of Agricultural Advances as of December 2012 against the national norm of 18% - >**100% achievement**
- Tamil Nadu achieved 10.97% of advances to weaker sections as of December 2012 against the national norm of 10% - > **100% achievement**

SLBC initiatives on Electronic Benefit Transfer in Tamil Nadu

- **6.32 lakh beneficiaries** are being paid pension through Smart Cards operated by Business Correspondents engaged by banks in 4445 villages in the State under T.N.Government Old Age Pension Scheme by July 2012.
- **1.76 lakh fishermen** are paid lean period assistance of ₹ 4000/- through bank credit in the State.
- **8.12 lakh pregnant women** are being paid grant of ₹ 12, 000/- under Dr.Muthulakshmi maternity benefit scheme through bank credit.

Regional Rural Banks:

Bank has sponsored two Regional Rural Banks viz., Pandyan Grama Bank in Tamil Nadu and Neelachal Gramya Bank in Odisha. Both were functioning well. Pandyan Grama Bank has earned Net Profit After Tax consecutively for the past seventeen years and recorded Nil Net NPA continuously for the past ten years

On 07.01.2013, Government of India by their notification amalgamated Neelachal Gramya Bank (sponsored by IOB), Kalinga Gramya Bank (sponsored by UCO Bank) and Baitarani Gramya Bank (sponsored by Bank of India) into a single entity called, Odisha Gramya Bank , with headquarters at Bhubaneswar, Odisha under our Bank's sponsorship. At present Pandyan Grama Bank and Odisha Gramya Bank are RRBs sponsored by the Bank and both RRBs have recorded net profit during the year. All the branches of both RRBs are CBS compliant and NEFT facility has been provided to both RRBs.

Financial Inclusion:

Bank has introduced Smart Card Banking through Business Correspondent as per the guidelines of Reserve Bank of India for providing Banking facilities in un-banked villages. Business Correspondents deliver the services at the front end by using bio-metric smart cards and Hand Held Devices. The devices are voice enabled in vernacular language and user friendly even for illiterates. This has enabled villagers even in remote locations to transact Banking business at their own place.

Under "Swabhimaan" of Govt of India, Bank has covered all the 1800 allotted villages under various population categories under Smart Card Banking across the country. In addition to the above, in the State of Tamil Nadu our Bank has covered 995 villages under Smart Card Banking. Apart from this we have covered 85 other villages also. Smart Card Banking is now being implemented in 2880 villages spread over 21 States and 2 U T covering 54 Regions. Under financial inclusion, 2901 villages were covered by way of Smart Card banking as well as Brick& Mortar Branch.

During the year under review our Bank has opened 16,62,779 Basic Savings Bank Deposit Accounts taking the total number of such accounts to 43,70,173. So far our Bank has issued 5,19,174 smart cards and the number of transactions undertaken in the smart card terminal is 39,38,657.

Setting up Ultra Small Branch (USB)

As per the guidelines of Ministry of Finance we have set up Ultra Small Branches in 1273 Financial Inclusion villages having population of above 2000 and in 2 villages having population above 5000.

3 USBs have been upgraded into Brick and Mortar Branch.

Award

Bank has bagged SKOCH AWARD for Financial Inclusion for 3 consecutive years. In 2012-13 Bank won SKOCH Award for the Financial Inclusion project namely "Turning the Tide" for development of fishermen at Chennai.

Corporate Social Responsibility

IOB-Sampoorna is a unique Project encompassing several livelihood initiatives in the villages to ensure all-inclusive growth of rural population.

It comprises of credit and non-credit components such as Financial Inclusion, I.T. Enabled banking operations with Bio-metric Smart Cards under Business Correspondent model, Tree Planting and Social Forestry, Cleaning Water Bodies, Health Care, Skill Training for youth in computer, Rural Business Process Outsourcing, Promotion of non-conventional energy and Rural Tourism.

The scheme is under implementation for last 5 years. This year 9 more villages were added taking the total IOB Sampoorna villages to 100 all over India.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural development, GOI our Bank had set up RSETIs at all Lead Districts to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, Educated Unemployed Youths, Artisans and Beneficiaries belonging to weaker sections. In addition to the above, we have set up one RSETI in the Nilgiris District also for the benefit of the Tribals.

A Rural Training Centre was set up by the Bank (jointly with NABARD and Indian Bank) at Karaikudi (Sivaganga Dist, TN). We have Lead Bank responsibility in these Districts. During the year under review, through these Training Institutes Our Bank had conducted 154 training programmes benefiting 3963 trainees.

Financial Literacy Centre (FLC) viz., SNEHA:

During the period under review our bank has set up one FLC at Vettikavala, Kerala. FLC is named as SNEHA. Totally Bank set up 15 FLCs.

These centres will educate the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial sector, provide face to face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. FLCs will enable the user public to make informed choices regarding financial services/ products to derive the maximum benefits. During the year under review, FLCs has conducted 7900 programs in total.

शक्ति- इण्डियन ओवरसीज बैंक चिदम्बरम चेट्टियार मेमोरियल ट्रस्ट:

श्री एम सी टी एम चिदंबरम चेट्टियार - बैंक के संस्थापक के स्मरण में बैंक के प्रबंधन , इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी संघ और अखिल भारतीय ओवरसीज बैंक कर्मचारी संघ द्वारा ट्रस्ट की स्थापना संयुक्त रूप से की गई, जो महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक अधिकार प्रदान करने हेतु उनकी व्यावहारिक कुशलता में सुधार करने हेतु उन्हें उद्यमी विकास प्रशिक्षण दे रहा है। अब तक, ट्रस्ट ने विशेषकर महिलाओं के लिए विभिन्न केन्द्रों पर 62 उद्यमी विकास कार्यक्रम (ई डी पी) एवं कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें 3331 महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं।

निवेश

वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश में वृद्धि वस्तुत: सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में बढ़ोत्तरी के कारण हुई है, जो कि, प्रमुखत: बैंक की जमाओं में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त एसएलआर अपेक्षाओं के कारण है ।

पिछले वर्ष की तुलना में 9.97% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31-03-2012 तक रु.54736 करोड़ के मुकाबले दिनांक 31 मार्च 2013 तक सकल घरेलू निवेश रु.60195 करोड़ रही। वर्ष के दौरान एसएलआर प्रवर्ग के तहत निवेश में रु.4153 करोड़ या 8.28 % की वृद्धि दर्ज की गयी जबकि गैर-एसएलआर निवेश रु.1306 करोड़ के साथ 28.61% की वृद्धि हुई।

वर्ष 2012-2013 के दौरान, रु.2636 करोड़ की प्रतिभूतियाँ, बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) प्रवर्ग से परिपाक तक धारित (एचटीएम) प्रवर्ग में अंतरित की गईं और रु.28.30 करोड़ की राशि परिपाक तक धारित (एचटीएम) प्रवर्ग से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) प्रवर्ग में अंतरित की गयीं।

31 मार्च 2013 तक, परिपाक तक धारित के अंतर्गत रखी गयी एसएलआर प्रतिभूतियाँ 31.03.2013 तक 22.92% की तुलना में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 25% की सीमा के प्रति माँग व समय देयताओं का 22.54% रहीं।

वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत उपायों के कारण सामान्य प्रतिभूतियों की आय में गिरावट बनी रही। बैंक ने पूरे वर्ष में नियत आय प्रतिभूतियों और ईक्विटियों में अपना व्यापार जारी रखा। वर्ष 2011-12 में द्वितीयक बाजार में पण्यावर्त (बही मूल्य) जहाँ रु.102532 करोड़ रहा वहीं वर्ष 2012-13 के दौरान यह रु.97132 करोड़ तक पहुँच गया। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त कुल लाभ रु.307 करोड़ रहा जब कि वर्ष 2011-12 के दौरान यह रु.172 करोड़ था । 2011-12 में परिशोधन के कुल निवेश निवल पर प्रतिलाभ जहाँ 7.54% था, वहीं यह बढ़कर 2012-13 में 7.53% हो गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक सुलभ करने के कारण आय में गिरावट होने के बावजूद वर्ष के दौरान देशीय निवेश में आय 7.53% अनुकूल बनी रही।

रुपया व्युत्पन्न

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने रुपया ब्याज स्वैप में सक्रियता से कारोबार किया और किसी नये प्रतिरक्षा स्वैप में प्रविष्ट नहीं किया । परिपाक व असमापन के कारण ब्याज दर स्वैपों में बकाया 31.03.2013 को रु.998 करोड़ तक गिर गया जबकि 31.03.2012 को यह रु.1073 करोड़ था ।

मर्चेंट बैंकिंग

बैंक ने आइपीओ का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया जो कि बीएसई के मुख्य एक्सचेंजों और वर्ष 2011-12 के दौरान सूचीबद्ध किया गया और को बुक रनिंग अग्रणी प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए वर्ष 2012-13 के दौरान एनएसई के उभरते प्लैटफॉर्म पर दूसरा एसएमई आईपीओ सूचीबद्ध किया ।

असबा (इश्यू गतिविधि के लिए बैंकर)

सेबी द्वारा अपेक्षानुसार, आइपीओ, एफपीओ और राइट्स इश्यू स्वीकार करने के लिए सभी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को असबा सहित शाखाएँ बनाया गया। सेबी द्वारा निर्धारित 12 केन्द्रों पर 17 शाखाओं में ब्रोकरों से आइपीओ / एफ़पीओ / राइट्स आवेदन स्वीकार करने के लिए बैंक एक सिंडिकेट असबा बैंक भी बन गया है।

व्यापार बैंकिंग के तहत अन्य गतिविधियाँ

डिबेंचर न्यासी, गैर अस्बा निर्गमों के लिए समाहरण बैंकर, लाभांश / ब्याज अदाकर्ता बैंकर शेयर आदि के लिए बैंक अपनी जिम्मेदारी जारी रखे हुए है। बैंक ने अभी हाल ही में प्रतिभूति न्यास और बड़ी परियोजनाओं के लिए सुविधा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु अधिदेश स्वीकार किया है। बैंक शेयरों का मूल्यांकन करना भी जारी रखे हुए है। वर्ष 2012-13 के दौरान, बैंक ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 से 394 के तहत समामेलन की योजना के अंतर्गत शेयर विनिमय अनुपात पर उचित राय भी जारी की।

डिपॉज़िटरी परिचालन

बैंक एनएसडीएल का डिपॉज़िटरी प्रतिभागी (डीपी) है और अपनी 57 सेवा केन्द्र शाखाओं के ज़रिये डिपॉज़िटरी सम्बन्धी सेवायें प्रदान कर रहा है। (इनमें चेन्नै की नियंत्रक डिपॉज़िटरी शाखा भी शामिल है)। इनमें से 14 शाखाएँ चेन्नै में, 26 मुम्बई में और शेष अन्य शहरों में हैं। डीमैट खातों की संख्याओं में सुधार करने की दृष्टि से हमारा बैंक 12 सेवा केन्द्रों के द्वारा सेवा प्रदान करते हुए इस वर्ष के दौरान हमारा बैंक सीडीएसएल का डीपी बन गया है।

पूंजी बाजार सेवाएँ शाखा

स्टॉक ब्रोकरों की वित्तीय आवश्यकताों को पूरा करने के उद्देश्य से हमारे बैंक ने मई 2012 के दौरान मुंबई में पूंजी बाजार सेवाएं शाखा स्थापित की है। स्टॉक एक्सचेंजों के दैनिक समाशोधन दायित्वों को संभालने के लिए, उनके समाशोधन और निपटान करने के लिए हमारे बैंक को नामित करने हेतु उन्हें आकर्षित करने के लिए स्टॉक ब्रोकरों को शाखा उधार सुविधाएँ प्रदान कर रही है।

ग्राहक सेवा

बैंक बैंकिंग कोड व स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआइ) का सदस्य है और बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग कोड व स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआइ) द्वारा ड्राफ्ट किए गए प्रतिबद्धता कोड को अपनाया है।

बेहतर ग्राहक सेवा देने के निरंतर प्रयास करने के रूप में, ग्राहक शिकायतों का तेजी से निवारण करने के लिए एसपीजीआरएस (स्टैंडर्डाइज्ड पब्लिक ग्रीवैंसेज़ रिड्रैसल सिस्टम) नामक नई प्रणाली की शुरूआत की गई। यह वेब आधारित ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें ग्राहक स्टैटस ट्रैकिंग सुविधा के साथ ऑनलाइन पर शिकायत दर्ज़ कर सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं को सिस्टम में शिकायतें देखने और उनका तुरंत निपटान करने के लिए समर्थ किया गया है।

नवम्बर 2012 के दौरान सभी शाखाओं में ग्राहक पखवाड़ा मनाया गया और केन्द्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यपालकों ने शाखाओं का दौरा किया और ग्राहकों से मिले। बैंक ने ग्राहक सेवा स्तर को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर ग्राहक सेवा सर्वे किया है। प्रणालियों और उत्पादों में आवश्यक सुधार करने के लिए सर्वे से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग किया जा रहा है।

ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के लिए 24 X 7 के आधार पर ग्राहक शिकायत निवारण के लिए 48 घंटों के अन्दर निपटान हेतु टोल फ्री टेलीसेवा (नंबर 1800-425-4445) उपलब्ध कराई गई है।

वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त ग्राहक शिकायतों और किए गए निवारणों के विवरण निम्नांकित हैं ::

क्रम.	विवरण	केन्द्रीय कार्यालय में	क्षेत्रीय कार्यालय में
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	85	65
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1835	1693
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	1806	1669
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	114	89
	निपटारे की दर	94.06	94.94

Sakthi - Indian Overseas Bank Chidambaram Chettyar Memorial Trust:

The Trust, set up jointly by the Management of the Bank, Indian Overseas Bank Officers' Association and All India Overseas Bank Employees' Union to perpetuate the memory of Bank's Founder Shri M. Ct. M. Chidambaram Chettyar, continued to provide Entrepreneurial Development Training to women, thereby empowering them socially and financially to meet the challenges. The Trust has so far conducted 62 Entrepreneurship Development Programmes (EDP) and skill based training programmes exclusively for women at various centres benefitting 3331 women.

Investments

The growth in investments during the year 2012-13 was driven by increase in SLR investments mainly on account of additional SLR requirements consequent to Deposit Growth of the bank.

Gross domestic investments as of 31st March 2013 stood at ₹ 60195 crore as against ₹ 54,736 crores as on 31st March 2012 registering a growth of 9.97% over the previous year. The investments in SLR segment registered an incremental growth of ₹ 4153 crore or 8.28% during the year while Non-SLR investments increased by ₹ 1306 crore with a growth of 28.61%.

During the year 2012-13, securities for ₹ 2639 crore were transferred from Available for Sale category (AFS) to Held to Maturity (HTM) segment and ₹ 28.30 crore from Held to Maturity (HTM) to Available for Sale (AFS).

As on 31st March 2013, the extent of SLR securities held in HTM stood at 22.92% of DTL against the limit of 25% prescribed by RBI compared to 22.54% as on 31.3.2012.

During the year, the G Sec Yield maintained its downward trend due to policy easing measures taken by RBI. The bank continued to trade both in fixed income securities and equities throughout the year. The turnover (book value) in the secondary market was ₹ 97132 crore during the year 2012-13 as against ₹ 102532 crore in 2011-12. Total profit on sale of securities amounted to ₹ 307 crore during the year 2012-13 as against ₹ 172 crore of 2011-12. The return on total investments (before amortization) stood at 7.53% as against 7.54% in 2011-12. Despite the falling yield on account of monetary easing by RBI, the yield on domestic investments was favorably maintained at 7.53% during the year.

Rupee Derivatives

During the year 2012-13, Bank has actively traded in Rupee interest swaps and not entered into any fresh hedging swaps. Due to maturity, the outstanding in interest rate swaps has come down to ₹ 998 crore as on 31.3.2013 as against ₹ 1073 crores as on 31.3.2012.

Merchant Banking

The Bank has successfully managed an IPO which got listed in the Main Exchanges of BSE and NSE during 2011-12 and another SME IPO in the NSE Emerge Platform during 2012-13 by acting as Co-Book-Running Lead Manager.

ASBA (Banker to Issue activity)

As required by SEBI, all general banking branches have been made ASBA enabled branches to accept ASBA applications for IPO, FPO and Rights Issues. Bank has also become a Syndicate ASBA bank to accept IPO/FPO/Rights applications from Brokers at 17 branches in the SEBI specified 12 centres.

Other activities under merchant banking

The Bank continues to act as Debenture Trustee, Collecting Bankers to Non ASBA Issues, Dividend/Interest Paying Banker, etc. The Bank recently accepted a mandate to act as Security Trustee and Facility Agent for a large project. The Bank continues to do valuation of shares also. During 2012-13, the Bank also issued a Fairness opinion on share exchange ratio under a Scheme of Amalgamation under Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956.

Depository Operations:

The Bank is a Depository Participant (DP) of NSDL and is extending depository related services through 57 service centre branches (including the controlling Chennai Depository branch). Of these, 14 branches are in Chennai, 26 in Mumbai and the remaining in other cities. In order to improve the number of demat accounts, our bank became a DP of CDSL during this year by offering the service through 12 service centres.

Capital Market Services Branch

In order to cater to the financial requirements of Stock Brokers, our bank set up a Capital Market Services Branch at Mumbai during May 2012. The branch is extending credit facilities to Stock Brokers with a view to attracting them to nominate our bank as their Clearing and Settlement Bank for handling their daily Clearing Obligations of Stock Exchanges.

Customer Service

The Bank is a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has adopted the Code of Commitment to Bank's Customers drafted by BCSBI.

As a part of ongoing effort for better customer service, a new system called SPGRS (Standardised Public Grievance Redressal System) was introduced for speedy redressal of customer grievances. It is a web based online system wherein customers can register the complaint online with status tracking facility. The Regional offices and Branches are enabled to view the complaints in the system and resolve the same immediately.

Customers Fortnight was observed in all branches during November 2012 and Executives from the Central Office and Regional Offices have visited the branches and met the customers. The Bank has conducted a Customer Service Survey on all India basis to ascertain the level of customer service. The inputs from the survey are being used for necessary improvements in systems and products.

Toll Free Teleservices for Redressal of Customer Grievances (No.1800-425-4445) is provided on 24x7 basis for receiving the complaints from the customers to resolve within 48 hours.

The details of customer complaints received and redressed during the year 2012-13 are detailed below.

Sl.No.	Details	At Central Office	At Regional Offices
1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	85	65
2.	No. of complaints received during the year	1835	1693
3.	No. of complaints redressed during the year	1806	1669
4.	No. of complaints pending at the end of the year	114	89
	Settlement Rate	94.06	94.94

बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय और बैंक द्वारा कार्यान्वित निर्णयों की संख्या निम्नवत है :

1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित निर्णयों की संख्या	0
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	3
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए निर्णयों की संख्या	2
4.	ग्राहक द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण व्यपगत निर्णयों की संख्या	1
5.	वर्ष की समाप्ति पर कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	0

ग्राहक सेवा केंद्र, जिसके लिए बैंक चेन्नै नगर में संयोजक है, ने वर्ष के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान किया।

वसूली प्रबंधन

बैंक ने एनपीए खातों की वसूली में सुधार हेतु आस्ति वसूली प्रबंधन 16 विशेषीकृत शाखाएँ खोली हैं। वसूली में तेजी लाने के लिए, वसूली पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने के लिए लगभग 208 वसूली अधिकारियों को क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त किया गया। वसूली में सुधार लाने हेतु वसूली एजेंटों की सेवाओं का भी इस्तेमाल किया गया।

₹.5.00 करोड़ और उससे अधिक के उच्च मूल्य स्लिपेजेस की समीक्षा निदेशक मण्डल द्वारा हर मण्डल की बैठक में की गई और निदेशक मण्डल द्वारा दिए जानेवाले विशिष्ट निदेशों की अनुवर्ती की जाती है ।

₹.1 करोड़ के उच्च अनर्जक आस्ति (एनपीए) खातों का प्रबोधन कार्पोरेट कार्यालय से नियमित रूप से किया जाता है और जहां भी आवश्यक है वहां उधारकर्ताओं को महा प्रबंधक (विधि व वसूली) व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं।

उच्च कार्यपालक, जिनमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक और महा प्रबंधक (विधि व वसूली) भी शामिल हैं, सभी उच्च मूल्यवाले एनपीए खातों की समीक्षा क्षेत्राधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से वीडियो कान्फ्रेन्स के ज़रिए नियमित रूप से करते हैं ।

सभी कार्पोरेट महा प्रबंधकों को एनपीए खातों के गहन अनुवर्तन के लिए क्षेत्र आबंटित किये गये हैं और उन्होंने चुकतान/निपटारा/वसूली हेतु उधारकर्ताओं के साथ विचारविमर्श करने के लिए इन क्षेत्रों का सावधिक रूप से दौरा किया । ₹.5 लाख से कम की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया और शाखा प्रबंधकों को यह अधिकार दिया गया कि वे छोटे मूल्य के अनर्जक खातों में एकमुश्त निपटान को स्वीकार करें । रु.5 लाख से कम के बकायों के साथ छोटे मूल्य के अनर्जक आस्ति खातों में रु. 333 करोड़ की वसूली की गई।

चूँकि एकमुश्त निपटान (ओटीएस) एक निर्बाध वसूली प्रक्रिया है, क्षेत्रीय प्रधानों/शाखाओं को सूचित किया गया कि वे हमारे बैंक की वसूली नीति के अनुसार/छोटे मूल्य के अनर्जक खातों के लिए शुरू की गई विशिष्ट योजना के अनुसार उधारकर्ताओं से संपर्क कर ओटीएस प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहें ।सभी पात्र खातों में और बिक्री के लिए लायी गई संपत्तियों पर सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई ।

विशेषकर छोटे मूल्य के अनर्जक खातों के संबंध में लोक अदालतें/ वसूली कैंप बार-बार आयोजित किए गए । क्षेत्रीय प्रधानों /शाखाओं को सूचित किया गया कि वे तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाल दिये गये खातों की वसूली पर ध्यान केन्द्रीकृत करें क्योंकि इस शीर्ष के तहत किसी भी रकम की वसूली बैंक के लाभ को समृद्ध करेगी ।

वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सूचित किया है कि उन मामलों में वसूली कार्रवाई की शुरुआत की जाए, जहाँ वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये । बैंक ने विभिन्न केन्द्रों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की और उन्हें निर्देश दिये गये कि वे जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्र के सभी मामलों को फिर से उठायें और प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए कदम उठायें । बैंक विभिन्न ऋण वसूली अभिकरणों (डीआरटी) के पीठासीन/वसूली अधिकारियों के साथ समन्वय करता रहा है और इस प्रकार के मुखामुख विचार-विमर्श / चर्चाओं के चलते बैंक को मामलों की पहचान करने तथा वसूली को तेज़ करने में मदद मिली ।

कुल नकदी वसूली के लिए कॉर्पोरेट लक्ष्य रु. 1450 करोड़ के प्रति (बट्टे डाले गए खातों से की गई वसूली और अनामे ब्याज की वसूली सहित) रु.1115 करोड़ की उपलब्धि हुई। वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों का उन्नयन रु. 640 करोड़ था।

तकनीकी बट्टे में डाले गए खातों से वसूली लगभग रु.343 करोड़ रही। । रु.5 लाख से कम के बकायों के साथ छोटे मूल्य के अनर्जक आस्ति खातों में रु. 333 करोड़ की वसूली की गई और हानि खातों में रु. 14 करोड़ की वसूली की गई।

सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के तहत प्राप्त याचिकाओं का निपटारा

वर्ष 2012-13 के दौरान आरटीआइ अधिनियम के तहत सूचना की माँग करते हुए बैंक को कुल 1703 याचिकाएँ प्राप्त हुईं । सभी अनुरोधों का 30 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर-अंदर ही विधिवत उत्तर दे दिया गया । लगभग 90% याचिकाओं के सकारात्मक उत्तर दिये गये और शेष आवेदन माँगे गये विवरणों के लिए अपात्र पाए गए ।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 173 प्रथम अपीलें उन अपीलकर्ताओं से प्राप्त की गईं, जो केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। इन अपीलों का निपटान अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष 22 अपील याचिकाओं को द्वितीय अपील के रूप में रखा गया। सभी 22 याचिकाओं को सीआइसी द्वारा निपटा दिया गया।

जोखिम प्रबंधन

दिनांक 31 मार्च 2008 से बैंक ने नई पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) को अपना लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अनुदेशों के अनुसार बैंक उधार जोखिम पूँजी के परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एस ए) और परिचालनात्मक जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) और बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत अपेक्षाओं के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) को अपना रहा है। इस संबंध में बैंक विनियामक अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन कर रहा है।

उधार जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को सुदृढ़करने के उपाय के रूप में, बैंक ने विशिष्ट स्तरों पर आंतरिक उधार रेटिंग्स का वैधीकरण करने के लिए टियर प्रणाली कार्यान्वित की है, जो कि उधार विभागों में स्वतंत्र है। उधारकर्ताओं के लिए निष्पक्ष रेटिंग करने के उद्देश्य के लिए उच्च दृष्टिकोण की ओर बढ़ना आवश्यक है। बैंक के केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के तहत आने वाले प्रस्तावों के संबंध में, रेटिंग्स का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग में किया जाता है।

कॉर्पोरेट / पीएसई / प्राइमरी डीलरों के ऋणों को उपलब्ध बाहरी रेटिंग के आधार पर जोखिम भारित के साथ किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने छ: देशीय बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग्स इस्तेमाल करने के लिए बैंकों को अनुमति दी है और बैंक ने पूँजी राहत उद्देश्य के लिए सभी इन ईसीआरए द्वारा दी गई रेटिंग्स को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। बैंक ने किसी भी ईसीआरए द्वारा दी गई निवेदित रेटिंग का ही इस्तेमाल किया है। बैंक उच्च रेटिंग उधार खातों के लिए निम्न ब्याज दर के द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करता है। बैंक वर्ष दर वर्ष बाहरी रेटिंग खातों में वृद्धि को कवरेज़ करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई करना सुनिश्चित कर रहा है।

No. of awards passed by the Banking Ombudsman and implemented by the Bank are as follows.

1.	No. of awards pending at the beginning of the year	0
2.	No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year	3
3.	No. of awards implemented during the year	2
4.	No. of awards lapsed due to non acceptance by customer	1
5.	No. of unimplemented awards at the end of the year	0

Customer Service Centre, for which the Bank is the Convenor in Chennai City had resolved all the complaints received during this year.

Recovery Management

Bank has 16 specialised Asset Recovery Management Branches (ARMB) to improve the recovery of NPA accounts. To expedite recovery, around 208 Recovery Officers were deputed to Regions to specifically focus on recovery. The services of Recovery Agents were also utilised to improve recovery.

High value Slippages of ₹ 5 cr and above were reviewed by the Board of Directors in each of the Board meetings and the specific directions given by the Board of Directors are carried out and followed up.

Top NPA accounts of ₹ 1 Crore and above are monitored from the corporate office on a regular basis and the borrowers are personally met by the General Manager (Law & Recovery) wherever necessary.

Top Executives including the Chairman and Managing Director, the Executive Directors and the General Manager (Law & Recovery) reviewed all high valued NPA accounts individually on a regular basis with field functionaries through video conference.

All Corporate GMs were allotted regions for intensive follow up of NPA accounts and they periodically visited Regions to discuss with Borrowers for repayment/settlement / recovery. For all NPAs of less than ₹ 5 lacs there was a special campaign and Branch Managers were also empowered to accept One Time Settlements in small value NPA accounts. An amount of ₹ 333 crores had been recovered in small value NPA accounts with outstanding less than ₹ 5 lacs.

One time settlement being a hassle free recovery process Regional Heads/Branches were advised to contact the borrowers for submitting OTS proposals as per the recovery policy of our Bank. Action under SARFAESI act was initiated in all in all eligible accounts and properties brought for sale.

Frequent Lok Adalats/Recovery camps were conducted especially in respect of small value NPA accounts. Regional Heads/Branches were advised to focus on recovery of Technical/Prudentially written-off accounts as any amount of recovery under this head will improve the bottom line of the Bank.

Ministry of Finance has advised the Banks to initiate recovery action in the matter of RC issued cases. Bank appointed Nodal Officers at various centres and they were directed to take up all RC issued cases and bring the securities for sale. Bank has been co-ordinating with Presiding Officers/Recovery Officers of various DRTs and these one-to-one discussions/ deliberations helped the Bank to identify the issues and to speed up recovery.

As against the corporate target ₹1450 crore for total cash recovery (including recovery from written off accounts and recovery of undebited interest) the achievement was ₹ 1115 crores. The upgradation of NPAs during the year was ₹ 640 crores.

Recovery from technically written off accounts was around ₹ 343 crore. Recovery in small value NPA accounts with outstanding less than Rs.5.00 lac was Rs.333 crore and recovery in loss accounts was Rs.14 crores

Disposal of petitions received under RTI Act

The Bank received 1703 petitions seeking information under RTI Act during the year 2012-13. All the requests were duly replied with in the specified period of 30 days. About 90% of the petitions were positively replied and the balance applications were found ineligible for the details requested.

Our First Appellate Authority received 173 first appeals from those who were not satisfied with the reply of Central Public Information Officer and the same was duly disposed as per the provisions of the Act.

22 petitions resulted as second appeals with the Hon'ble Central Information Commission. All 22 petitions were disposed by CIC.

Risk Management

The Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework (Basel II) with effect from March 31, 2008. In line with reserve Bank of India guidelines, the Bank has adopted the Standardised Approach (SA) for computation of Credit Risk Capital, Basic Indicator approach (BIA) for calculating the capital for Operational Risk and Standardised Measurement Method (SMM) for Market Risk Capital computation. The Bank is in compliance with the regulatory requirements in this regard.

As a measure of robust credit risk management process, the bank has implemented a tiered system for validation of Internal credit ratings at specified levels which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Dept.

Exposures on Corporates / PSEs/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of the six domestic External Credit Rating Agencies and the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The Bank has only used the solicited ratings assigned by any of the ECRAs. The bank provides incentive by way of lower rate of interest for high rated borrowal accounts. The bank is taking adequate steps to ensure that the coverage of externally rated accounts increases year after year.

The bank also conducts industry study for various industries wherever the exposure of the bank for a particular industry is beyond a threshold limit fixed by the bank. The bank conducts portfolio analysis of the credit portfolio.

The Bank is also in the process of upgrading its Risk Management systems and a procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework and is in the process of installing solutions for Market Risk Capital computation and for Asset Liability Management.

बैंक विभिन्न उद्योगों के लिए उद्योग अध्ययन करता है जहाँ भी किसी विशेष उद्योग के लिए बैंक का ऋण बैंक द्वारा निर्धारित ऋण सीमा से परे होता है । बैंक उधार पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो विश्लेषण करता है।

बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को भी अद्यतन बनाने की प्रक्रिया में है साथ बेसल II फ्रेमवर्क के तहत निर्दिष्ट आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रक्रिया को भी अद्यतन किया जा रहा है। बैंक बाजार जोखिम पूँजी की गणना और आस्ति देयता प्रबंधन के सॉल्यूशन को प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया में है।

भारतीय रिज़र्व बैंक लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशा निर्देश जारी किए हैं जो मार्च 2013 से लागू हैं । दिशानिर्देशों के अंतर्गत समय -समय पर देशीय परिचालनों और विदेशी परिचालनों के अलग-अलग समेकित प्रारूप की तैयारी और प्रस्तुति दी गई है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में इस संबध में प्रणाली और प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में भारत में बेसल III पूंजी विनियमनों के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनका कार्यान्वयन चरण बद्ध तरीके से किया जाना है जो 30.06.2013 को समाप्त होने वाली तिमाही से बेसल III पूँजी अनुपातों का प्रकटन करने वाले बैंकों के साथ 01 अप्रैल 2013 से लागू होगा ।

बैंक ने ऑन लाइन क्रेडिट संसाधन प्रणाली भी लागू की है जिसके ज़रिए ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन और उधार खातों की रेटिंग साथ-साथ की जा सकती है। यह प्रक्रिया डिफाल्ट / माइग्रेशन का अध्ययन करने के लिए और डिफॉल्ट की संभावना की गणना आदि के लिए आँकड़े प्रदान करती है ।

बैंक ने बैंक में बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति बनाई है। तरलता जोखिम का प्रबंधन जीएपी विश्लेषण के ज़रिए किया जाता है जो दैनिक आस्ति व देयता के अवशेष परिपक्वता / व्यवहारिकता पैटर्न पर आधारित होता है । बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के तहत बाजार जोखिम प्रबंधन प्रकार्य व प्रक्रियाओं के लिए सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना दी गई है। जिसके द्वारा बैंक द्वारा वहन की जाने वाली बाजार जोखिम की पहचान, परिकलन, प्रबोधन व नियंत्रण बैंक की जोखिम सह्यता के अनुरूप एएलएम फ्रेमवर्क के अंदर की जाती है। नीतियों के अंतर्गत बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु विभिन्न जोखिम सीमाएँ तय की जाती हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि समुचित आस्ति देयता के ज़रिए बाजार जोखिम से प्रतिलाभ संबंधी बैंक की प्रत्याशा के अनुरूप परिचालन किए जाते हैं।

बैंक ने अल्पकालिक गत्यात्मक तरलता प्रबंधन व आकस्मिक वित्त पोषण प्रायोजना की प्रणाली बनाई है । विवेकपूर्ण (सह्यता) सीमाएँ, कुशल आस्ति देयता प्रबंधन हेतु विभिन्न अवशेष परिपक्वता अवधि बकैट के लिए निर्धारित की गई हैं। बैंक का लिक्विडिटी प्रोफाइल का मूल्यांकन विभिन्न लिक्विडिटी अनुपातों के ज़रिए किया जाता है । बैंक ने लिक्विडिटी की स्थिति पर किसी प्रकार के तनाव से निपटने के लिए विभिन्न आकस्मिक उपाय किए हैं । बैंक प्रणालीबद्ध व स्थाई निधि प्रायोजना के जरिए देशी ट्रेज़री द्वारा पर्याप्त लिक्विडिटी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन दर संवेदी आस्ति व देयताओं के जीएपी विश्लेषण के ज़रिए किया जाता है और इनका प्रबोधन निर्धारित विवेकपूर्ण (सह्यता) सीमाओं के ज़रिए किया जाता है। शेयर धारक मूल्य को अधिकतम बनाने के मद्देनज़र निवल ब्याज आय और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक रूप से बैंक जोखिम पर आय और आशोधित अवधि अंतराल का आंकलन करता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अलको) / बोर्ड बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के पालन का प्रबोधन करता है और एएलएम नीति में निहित बाजार परिस्थितियों (चालू और प्रत्याशित) के आलोक में रणनीति निर्धारित करता है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित परिचालनात्मक जोखिम नीति बनायी है । परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संबंधी बोर्ड द्वारा अपनायी गई अन्य नीतियाँ हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति,(ख) फॉरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति, (ग) अपने ग्राहक को जानें धन शोधन निवारण प्रक्रिया पर नीति दस्तावेज़ (घ) सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार निरन्तरता व आपदा निवारण प्रायोजना (आइटी बीसी डीपीआर) (ड़.) अनुपालन नीति और (च) वित्तीय सेवाओं की आउट सोर्सिंग पर नीति

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम नीति के तहत परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना व विस्तृत प्रक्रियाएँ की गई हैं । महत्वपूर्ण परिचालनात्मक हानि सहित परिचालनात्मक जोखिम ऋण की समय पर रिपोर्टिंग और परिचालनात्मक जाखिम को कम करने था नियंत्रण व प्रबोधन, मूल्यांकन, पहचान प्रभावी से करने के लिए भूमिकाओं का स्पष्ट निर्धारण करने के लिए बैंक की परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को एक साथ लाना ही नीति का मूल उद्देश्य है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन व्यापक व सस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण ढांचे के जरिए किया जाता है।

ऋण प्रबोधन

समस्याओं की पहचान करके बैंक पोर्टफोलियो की गुणवत्ता का प्रबोधन करता है और कमियों को दूर करने के लिए उपाय किये जाते हैं । इसका उद्देश्य अर्जक आस्तियों के एन पी ए वर्ग में फिसलन को कम करना है । खातों का दैनिक आधार पर सेगमेंटेशन और अनुवर्तन के द्वारा खातों की सूक्ष्म निगरानी करके बैंक को फिसलन कम करने में सहायता मिलेगी । बैंक ने संभाव्य एनपीए की पहचान करने व जोखिम वाले शेष की वसूली के लिए सिस्टम विकसित उपाय अपनाए । चिंताजनक खातों की समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है और देयों की वसूली, पुन:संरचना / गहरा संरचना, बढ़ोत्तरी आदि हेतु आवश्यक उपाय किए जाते हैं । पुन:संरचित किए खातों की गुणवत्ता का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है और उन खातों की सख्त अनुवर्ती की जाती है ।

कार्पोरेट ऋण पुन:संरचना (सी डी आर)

सीडीआर प्रणाली के तहत एक पारदर्शी प्रणाली बनायी गयी है जो सहायता संघ/ बहु बैंकिंग के तहत उधार सुविधाओं को प्राप्त करने वाले संभाव्य कार्पोरेट के कर्ज को समय पर संसचित करना सुनिश्चित करता है। सी डी आर कक्ष, मुंबई को भेजे गए। बड़ी संख्या में पुनसंरचिता हेतु उधार प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय कार्यालय में एक विशेष सीडीआर विभाग बनाया गया है जो सीडीआर प्रणाली के तहत पुनसंरचना के लिए आए खातों को संभालता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹.3602 करोड़ के ऋण वाले 30 खाते सीडीआर को भेजे गए। 31.03.2013 को 64 खातों में सीडीआर पैकेज मंजूरी दी गई जिनमें ₹.5244 करोड़ का बकाया है । आगे ₹.1444 के समग्र ऋण वाले 11 खातों को सीडीआर को भेजा गया जो अनुमोदन के भिन्न -भिन्न चरणों पर हैं। सीडीआर को भेजे गए रु.95.71 करोड़ ऋण वाले 2 खाते बाद में वापस ले लिए गए हैं।

₹.205.19 करोड़ ऋण वाले एक खाते को वापस तौर पर माना गया क्योंकि प्रवेश की तारीख से 180 दिनों अंदर अंतिम पैकेज तैयार नहीं किया गया था। वर्ष के दौरान ₹.12.97 करोड़ ऋण वाले एक खाते को सीडीआर प्रणाली से ऋण का चुकतान के बाद बाहर कर दिया गया और प्रतिपूर्ति राशि और ₹.4.80 करोड़ के लिए एक और खाता बाहर किए जाने के तहत तैयार है ।

औद्योगिक पुनर्वास

31.03.2013 को कारोबार के समाप्त होने पर औद्योगिक वित्तीय पुन:संरचना के लिए और अपीलीय प्राधिकारी के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुन:संरचना के तहत कुल ₹.434 करोड़ ऋण के साथ कुल मामले 22 रहे। इन में से ₹.116 करोड़ के साथ 6 खाते मानक और अर्जक हैं और शेष 16 खाते अनर्जक आस्तियों के हैं। वर्ष के दौरान 6 बीआइएफआर खातों में रु.15 करोड़ की वसूली की गई । इसके साथ 9 खातों को भी जोड़ा गया और रु. 86 करोड़ के 7 खातों को एसआइसीए के बाहर भेजा गया ।

The Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management to be effective from March 2013. The guidelines cover preparation and submission of the Consolidated Operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in place in this regard in compliance with the RBI guidelines.

Further the Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in a phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013.

The bank has also implemented On Line Credit Processing System which enables appraisal of the credit proposal and also rating of the borrowal accounts simultaneously. The process also provides data for conducting default/migration study and to compute Probability of Default etc.

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of Market risk, Liquidity Risk and Interest Rate Risk in the bank. The Liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis. The Market Risk management policy lays down well defined organizational structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management.

The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates earnings at risk and modified duration gap periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy.

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) forex risk management policy (c) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) IT Business continuity and disaster recovery plan (IT_BC-DRP) (e) compliance policy and (f) policy on outsourcing of Financial Services.

The operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risk in the bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

Credit Monitoring

The Bank monitors the quality of loan portfolio, by identifying the problems and takes proactive steps to correct deficiencies. The objective is to minimize slippages of performing assets to non Performing Assets (NPA) category. Micro monitoring of the accounts by segmentation and follow up of the accounts on daily basis helps the Bank to minimize slippages. The Bank has introduced system developed tools for identifying the potential NPAs along with the critical dues to be recovered. The problems in the stressed accounts are analysed and necessary steps are taken for recovery of the dues, restructuring/deep restructuring, enhancement etc. The quality of restructured accounts is monitored on a continuous basis and the accounts are followed up closely.

Corporate Debt Restructuring (CDR)

A transparent mechanism has been formed by RBI under CDR system which ensures timely restructuring of the debt of viable corporate availing credit facilities under consortium /multiple banking. Consequent to the large number of proposals being referred to CDR cell, Mumbai for restructuring, an exclusive CDR department has been formed at Central Office to handle the accounts for which the restructuring is undertaken under CDR mechanism.

During 2012-13, 30 accounts with an exposure of Rs 3602 crs. were referred to CDR. As on 31/03/13, CDR package has been sanctioned in 64 accounts with an outstanding of Rs 5244 crs. Further, 11 accounts with an aggregate exposure of Rs 1444 crs were referred to CDR at various stages of approval. Two accounts with an exposure of Rs 95.71 crs for which reference were made are subsequently withdrawn.

One account with an exposure of Rs 205.19 crores has been treated withdrawn as the final package was not formulated within 180 days from the date of admission. During the year one account with an exposure of Rs 12.97 crores has exited from CDR mechanism after prepaying the loans and the recompense amount and one more account for Rs 4.80 crs is under exit.

Industrial Rehabilitation

As at the close of business on 31.3.2013,Total cases under Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) and Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIFR) are 22 accounts with an exposure of Rs.434 cr. Of this 6 accounts aggregating to Rs.116 cr are standard and performing and balance 16 accounts are NPA. During the year recovery in 6 BIFR accounts amounting to Rs.15cr were made. Also, 9 accounts with an exposure of Rs.435cr were added and 7 accounts with an exposure of Rs.86 cr was sent out of SICA .

अनुपालन कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक बैंक ने अनुपालन नीति बनाई है और अनुपालन जोखिम का प्रबंधन करने और उसका निवारण करने के लिए प्रणालियों व प्रक्रियाओं को लागू किया है । वर्ष 2012-13 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं के अनुपालन अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए अनुपालन अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। केवाइसी अनुपालन के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है और इसका पालन विवेकपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। सभी स्टाफ सदस्यों के लाभार्थ बैंक के इंटरानेट पर 'ज्ञान प्रबंधन टूल्स' की उपयोगिता प्रदान की गई है जिसके द्वारा सभी विनियमन, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी आदि जैसे विभिन्न विनियामकों के दिशा निर्देशों को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। अनुपालन विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए संपर्क के नोडल पाइंट तौर पर कार्य करता है।

अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ

सभी लंबित सतर्कता अनुशासनात्मक माामलों (छ:मास के अधिक)जिनमें देशी जाँच अभी भी प्रगति में है, 30.09.2012 को,31.03.2013 को पूरा कर दिया गया है। (दो मामलों को छोडकर)जो न्यायलय में लंबित है। निर्धारित समय के अंदर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों के औसत रूप से लंबित होने में बहुत कमीआई हैं। सभी गैर सतर्कता मामलों को निर्धारित समय के अंदर निपटा लिया जाता है । वर्ष के दौरान आरोप पत्र / कारण बताओ नोटिस/नोटिस 392 मामलों में जारी किए गए हैं और 379 मामलों में दंड दिया गया है । 139 मामलों में जॉच का आदेश दिया गया है और 174 जाँच पूर्ण कर दी गई है।

निरीक्षण

वर्ष 2012-13 के दौरान, इलेक्ट्रानिक डाटा संसाधन (ईडीपी) लेखा-परीक्षा तथा गैर-औद्योगिक प्राथमिकता क्षेत्र उधार (निपसा) सहित केन्द्रीय कार्यालय का निरीक्षण 2084 शाखाओं में किया गया । चूँकि सभी शाखाएँ सीबीएस में परिवर्तित हो गई हैं, अत: सभी शाखाओं का ऑनलाइन निरीक्षण किया गया। निरीक्षित शाखाओं में से 409 शाखाओं को "अच्छा" पाया गया ।

इस अवधि के दौरान प्रतिनिधि कार्यालयों सहित हांग कांग, सिंगापुर, सोल, बैंकॉक व कोलंबो शाखाओं का निरीक्षण किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालयों ने शाखाओं का सावधिक रूप से लघु निरीक्षण किया। इस अवधि के दौरान सभी 45 क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के 26 विभागों की प्रबंधन लेखा परीक्षा पूरी की गई। बैंक के कारोबार के कम से कम 50% को कवर करने के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को पार करते हुए जमाओं के 62.57% व अग्रिमों के 70.76% को कवर करते हुए कुल 1809 शाखाओं को समवर्ती लेखा-परीक्षा के अधीन लाया गया । 1809 शाखाओं में राजस्व लेखा-परीक्षा और 412 शाखाओं में नमूना परीक्षण लेखा-परीक्षा संपन्न हुई । चुनिंदा आधार पर 1377 खातों के लिए स्टॉक लेखा-परीक्षा पूरी की गई।

2084 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआइए) संपन्न की गई, जहाँ केंद्रीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया। क्षेत्रों के जोखिम प्रोफाइल को तैयार करते हुए जोखिम आधारित आंतरित लेखा परीक्षा के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा भी की गई।

सतर्कता

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक द्वारा लंबित सतर्कता अनुशासनिक मामलों को केन्द्रीय सर्तकता विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर निपटाने के लिए कारगर कदम उठाए गए। वर्ष के दौरान 143 सतर्कता अनुशासनिक मामलों को निपटाया गया। मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति व परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति के सम्मुख धोखाधड़ियों के विवरण रखे गये ताकि बहुत बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों का प्रबोधन किया जा सके । इस संबंध में की गई टिप्पणियों/बताए गए सुझाओं पर बैंक द्वारा कार्रवाई की गई । निवारक सतर्कता के तहत बैंक की प्रक्रिया निरंतर रूप से जारी है और केन्द्रीय कार्यालय के सतर्कता विभाग को रिपोर्ट की गयी धोखाधडियों के आधार पर 'निवारक सर्तकता के तहत एक परिपत्र और 30 सामान्य पत्र जारी किय गये हैं ताकि परिचालन स्टाफ को इस प्रकार की धोखाधड़ियों को पुनरावृत्ति के प्रति आगाह किया जा सके। बार-बार परिचालनात्मक स्टॉफ को बैंक द्वारा निर्धारित प्रत्येक प्रकार्य क्षेत्र के लिए प्रक्रिया व प्रणालियों का प्रभावी अनुपालन करने के लिए सूचित किया जाता है ताकि धोखाधड़ी करने वालों से बचा जा सके। बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी जाँच प्रकार्य पर एक अद्यतन नीति अपनाई गई।

बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा शाखाओं के सावधिक निरीक्षण के ज़रिये प्रतिभागीय व पूर्वाकलित उपायों पर अधिक ध्यान केन्द्रीकृत करते हुए निवारक सतर्कता के प्रति बैंक निरंतर ज़ोर बनाये रखे हुए है व साथ ही इस कार्य को क्षेत्रीय कार्यालयों के सतर्कता कक्ष से जुड़े सतर्कता अधिकारियों द्वारा भी अमल में लाया जा रहा है। परिचालनात्मक स्टॉफ के साथ कमियों की चर्चा की जाती है ।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता संबंधी मामलों को सम्भालने के लिए सतर्कता अधिकारी तैनात किये गये हैं। 25 फरवरी 2013 से 27 फरवरी 2013 के दौरान चेन्नै के स्टाफ कॉलेज में सीवीओ द्वारा सभी क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों व पाण्ड्यन ग्राम बैंक व ओडिशा ग्राम बैंक के पदाधिकारियों के लिए तीन दिवस का एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया।

प्रतिभागियों को निवारक सतर्कता उपायों तथा धोखाधड़ी होने पर अनुवर्तन कार्रवाई सम्बन्धी विभिन्न मामलों पर प्रशिक्षण दिया गया । (जैसे फ्लैश रिपोर्ट की प्रस्तुति, प्राथमिक जाँच, रिपोर्ट-लेखन, प्रणाली के फ़ेल होने की पहचान, यदि हो आदि) ।

बैंक में अक्तूबर -नवम्बर 2012 में यानि 29 अक्तूबर 2012 से 3 नवम्बर 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है।

उच्च प्रबंधन द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षा प्रायोजना के अनुसार **सूचना प्रणाली (आइएस) लेखा परीक्षा** 40 क्षेत्रीय कंप्यूटर केन्द्रों, 342 शाखाओं (9 अपवाद स्वरूप अतिरिक्त बृहत, 139 अपवाद बृहत् 194 बृहत् शाखाएँ) की गई।

वर्ष के दौरान एम एम एल सेल, डी आर ड्रिल (दोनों केन्द्रीय कार्यालय और हैदराबाद के डी आर साइट पर) आइ एस लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और लेन देन विभाग और एम आइ एस विभाग की प्रबंधन लेखा परीक्षा की गयी। वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2013 से कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए मसौदा दिशा निर्देश पर आधारित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा नीति में संशोधन किया गया।

लेखा-परीक्षा उप समिति (एएससी)

26 अगस्त 2008 को संपन्न बैठक में निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा उप समिति (एएससी) के गठन के लिए अनुमोदन दिया । वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान एएससी की 6 बैठकें आयोजित की गई। क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रबंधन लेखा परीक्षा , स्टॉक लेखा परीक्षा/समवर्ती लेखा परीक्षा/परीक्षण जाँच लेखा परीक्षा/राजस्व लेखा परीक्षा सहित अति बड़ी शाखाओं, अपवाद स्वरूप बृहत शाखाओं / विशिष्ट शाखाओं /विदेशी शाखाओं से संबंधित केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा पर एएसई बैठकों में चर्चा की गई ।एएससी के मुख्य अवलोकनों के साथ कृत कार्रवाई रिपोर्ट तिमाही में एक बार एसीबी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

सूचना सुरक्षा

बैंक ने एक सूचना सुरक्षा विभाग की स्थापना की है जिसके प्रमुख है मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआइएसओ) और जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार सीधे महा प्रबंधक, जोखिम प्रबंधन को रिपोर्ट करते हैं। प्रत्येक

Compliance Function

The Bank has well laid "Compliance Policy" as per Reserve Bank of India guidelines and has in place systems and procedures for managing the Compliance Risk and mitigating the same. During the year 2012-13, Compliance officers₹ training programmes were conducted for sensitizing the Compliance Officers of Regional Offices and branches. KYC compliance has been given the necessary thrust and is being followed up diligently. The utility of' Knowledge Management Tools' has been provided in the bank₹s intranet for the benefit of all staff members, whereby all the regulations, guidelines of the various regulators like Ministry of Finance,RBI, SEBI etc. can be accessed at a single point. Compliance Department serves as a nodal point of contact for Reserve Bank of India.

Disciplinary Proceedings

All long outstanding Vigilance disciplinary cases {> 6 months}where domestic enquiry was still in progress, as on 30.09.2012 have been completed before 31.03.2013(except two cases which are pending with the courts). All out efforts are made to complete the disciplinary action process within the stipulated time norms. The average pendency of Vigilance disciplinary cases has been considerably reduced. All non-vigilance cases are being disposed off well within the time norms stipulated. During the year chargesheets/show cause memos/notices had been issued for 392 cases and Punishment is awarded for 379 cases. Enquiries ordered for 134 cases and 174 enquires were completed.

Inspection

Central Office Inspection, along with Electronic Data Processing (EDP) Audit and Non Industrial Priority Sector Advances (NIPSA), was carried out in 2084 branches during the year 2012-13. Since all the branches were converted to Core Banking Solutions (CBS), Inspection was conducted in all the branches on-line. Out of the branches inspected, 409 branches were rated as "GOOD".

Inspection of Hong Kong, Singapore, Seoul, Bangkok and Colombo branches were also conducted during the period. Regional Offices carried out periodical Short Inspection of branches. Management Audit of all 45 Regional Offices and 26 Central Office Departments was also conducted during this period. Total of 412 branches were brought under Concurrent Audit covering 62.57% of Deposits and 70.76% of Advances, thereby exceeding RBI guidelines of covering atleast 50% of Bank's Business. Revenue Audit was carried out in 1809 branches and Test Check Audit in 412 branches. Stock Audit was conducted for 1377 accounts on a selective basis.

Risk Based Internal Audit (RBIA) was conducted in the 2084 branches, where Central Office Inspection was carried out. Management Audit of Regional Offices was also conducted under Risk Based Internal Audit (RBIA) by preparing Risk profile of the Regions.

Vigilance

During the year 2012-13 the Bank has taken effective steps for disposal of pending Vigilance Disciplinary cases within the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission. During the year 143 Vigilance Disciplinary cases were disposed. In compliance to the CVC guidelines, details of frauds were placed to Operational Risk Management Committee and Audit Committee of the Board and the observations / suggestions received have been acted upon by the Bank. In continuation of Bank's on-going exercise under Preventive Vigilance, one Circular and thirty Common Letters (Comlets) to all Regional Heads based on the frauds reported, were issued to check recurrence.

Time and again Operational Staff have been advised to effectively comply with the Systems and Procedures for each functional area put in place by Bank, to guard against fraudsters. An updated Policy on Fraud Risk Management and Fraud Investigation Function (FRM&FIF) was adopted with the approval of Bank's Board.

Emphasis is continued to be given by the Bank towards Preventive Vigilance with focus on Preventive vigilance through periodical branch Inspection by CVO and also by the Regional Vigilance Officers (RVOs) attached to various Regional Offices. The shortcomings have been shared with the operational staff.

All Regional Offices have been posted with Vigilance Officers to handle Vigilance matters. An intensive three day Training Programme for all Regional Vigilance Offices (and Officials from Pandyan Grama Bank and Odisha Grama Bank) was conducted by Bank at our Staff College, Chennai from 25th February 2013 to 27th February 2013.

The participants were refreshed on various issues relating to Preventive Vigilance measures and post-fraud follow-up action (viz. submission of Flash Report, Preliminary Investigation, Report-writing, Identification of Systemic failure, if any etc.).

Vigilance Awareness week was observed by the Bank in October – November 2012 i.e. from 29th October 2012 to 3rd November 2012.

Information Systems (IS) Audit was conducted in 40 Regional Computer Centres, 342 branches, consisting of 9 Exceptionally Extra Large, 139 Exceptionally Large and 194 Large branches as per the Audit Plan approved by the Top Management.

During this year, IS Audit of AML Cell, DR Drill (both at Central Office and DR Site at Hyderabad), Management Audit of Information Technology Department, Transaction Banking Department and also MIS Dept were conducted.During the year, Information Systems Audit Policy was revised based on the draft guidelines given by the Ministry of Finance, Government of India for implementation from 1st April 2013.

Audit Sub Committee (ASC)

Board of Directors in the meeting held on August 26, 2008 approved the formation of Audit Sub Committee (ASC). During the financial year 2012-13, 6 ASC Meetings were held. The Review of Central Office Inspection (COIR) reports of Extra Large Branches (ELB), Exceptionally Extra Large Branches (EELB) /Specialised Branches / Overseas Branches including Management Audit of Regional Offices, Review of Stock Audit / Concurrent Audit / Test Check Audit / Revenue Audits were taken up for discussion in the ASC Meetings. The major findings of ASC with Action Taken Report was placed before ACB once in a quarter .

Information Security

The Bank has set up Information Security Department headed by Chief Information Security Officer (CISO) who is directly reporting to GM Risk Management as per RBI Guidelines.

तिमाही के दौरान सूचना सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की जाती है जो बैंक में सूचना सुरक्षा की समीक्षा करती है और समीक्षा को बोर्ड को प्रस्तुत करती है। सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष की जाती है और गोपालकृष्ण समिति की सिफ़ारिशों को पूरी तरह से लागू करने के लिए बैंक कदम उठा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों की समीक्षा सूचना सुरक्षा परिप्रेक्ष में की जाती है और सिफ़ारिशों और सुझावों को संबंधित विभागों को प्रदान किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी

पुरस्कार व सम्मानः

वर्ष के दौरान बैंक को "एसएपी एसीई पुरस्कार डाटा बेस प्रयोग के लिए" एसएपी द्वारा और "स्कोच डिजिटल पुरस्कार प्रौद्योगिकी के लिए"स्कोच द्वारा बैंक के प्रौद्योगिकी पहलू को मान्यता प्रदान करते हुए दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक ढ़ाँचा

प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेन्स के लिए एक बोर्ड स्तरीय "सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति" और एक उच्च प्रबंधन स्तरीय "सूचना प्रौद्योगिकी स्टीयरिंग समिति" बनाई गई है जो मौजूदा बैंक के कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा समिति और एक आइआइटी चेन्नै के बाह्य सलाहकार के साथ सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अतिरिक्त है।

सूचना सुरक्षा नीति, सूचना प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग नीति, सूचना प्रौद्योगिकी खरीद नीति और मैन्युअल, आपदा निवारण, कारोबार निरंतरता प्रायोजन, आइएस लेखा परीक्षा नीति, डाटा स्वामित्व नीति, डाटा रिटेन्शन नीति और डाटा संग्रह नीति जैसी नीतियाँ भी बनायी गयी है।

हरित पहलें

- कागज़ विहीन बैंकिंग पहल की तरफ एक कदम बढ़ते हुए बैंक ने माइक्रोसाफट शेयर पाइंट लागू किया जिसके ज़रिए बोर्ड के सदस्य वाइफाइ का प्रयोग करके कार्यसूची पेपर प्राप्त कर सकते हैं सभी कार्यसूची पेपर वेबसाइट पर पोर्ट किए गए हैं और कोई भी कागजी नोट सदस्य द्वारा ले जाने की आवश्यकता नहीं है।
- इंटरनेट बैंकिंग /मोबाइल बैंकिंग / डेबिट और क्रेडिट कार्ड आरटीजीएस / नेफ्ट के जरिए विप्रेषणों की शुरुआत करने से शाखाओं पर वाउचरों के साथ कार्रवाई करने में कमी आई है।
- बैंक ने आइपी टेलीफोन प्रदान किया जिसमें फोन बिलों को बहुत हद तक कम कर दिया है।
- सभी शाखाओं में आरटीजीएएस / नेफ्ट लागू किया गया है प्रत्यक्ष संसाधन शुरू किया गया है खाता नंबर आधारित क्रेडिट दिया जाता है।
- बैंक द्वारा प्रयोजित दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नेफ्ट को लागू किया गया है।
- बैंक अद्यतन प्रौद्योगिकी की आधुनीकीकरण को अपनाकर मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा की बचत करके विभिन्न पहले कर रहा है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग बोर्ड पैमानों पर प्रयोग किया जाता है उच्च प्रबंधन स्तर की बैठकों / पदोन्नति साक्षात्कार / कार्य निष्पादन समीक्षाओं और वरच्युअल क्लास रूम में।
- देश भर में 343 जिला मुख्यालयों, 50 क्षेत्रीय कार्यालय एवं आरसीसी में ओपेन कम्यूनिकेशन सिस्टम (ओसीएस) रोल आउट किया गया ताकि वे आपस में जीवंत संपर्क कर सकें।
- स्टाफ सदस्य वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीएआर)ऑनलाइन प्रस्तुत करते हैं न कि कागज पर।

कोर बैंकिंग

बैंक ने निर्णय लिया है कि वह अपने गृह विकसित क्राउन सोल्यूशन को कॉमर्शियल ऑफ द सेल्फ कोर बैंकिंग सोल्यूशन से प्रतिस्थापित करेगा। अप्रैल 2013 के दौरान एक सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी जो बैंक को माइग्रेशन के द्वारा सूचित और मार्गदर्शित करेगा। सीबीएस माइग्रेशन की पूरी प्रक्रिया 18 से 24 माह की अवधि में पूरी होने की संभावना है।

वैकल्पिक डिलिवरी चैनल

31.03.2013 को बैंक ने देशभर में 1883 एटीएम हैं जिनमें से 1164 आनसाइट है 719 आफसाइट है जिनमें से 44 विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए हैं। बैंक एनपीसीआइ और वीआइएसए का सदस्य है। भारत सरकार के नए निर्देशों के तहत एक कामन आरएफपी बनाया गया है जो एटीएम लगााने और उसकी देख रेख करने के लिए वेंडरों का चयन करेगा। मार्च 2013 की समाप्ति तक नई आर एफ पी के तहत बैंक ने 247 कैश डिसपेंसर स्थापित किए है।

इंटरनेट बैंकिंग

बैंक के साथ गृह विकसित इंटरनेट बैंकिंग सूट है जिसमें सामयिक सुविधाएँ हैं जैसे सावधि जमाओं का खोलना इंटरनेट बैंकिंग के जरिए नेफ्ट का प्रयोग करके निधि का अंतरण किया जा सकता है । नए ग्राहक एस बी खाते के लिए ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन कर सकते हैं।

निम्नलिखित राज्यों के लिए वेट का ई-भुगतान आनलाइन करने के लिए सुविधा प्रदान की गई है।

1.लखनऊ ii दिल्ली iii महाराष्ट्र (जी आर ए एस) (बहुविभागीय पोरटल) iv पांडिच्चेरी v.कर्नाटक vi आन्ध्रप्रदेश vii तमिलनाडु viii झारखंड ixपश्चिम बंगाल जो बैंक के लिए फ्लोट फंड सुनिश्चित करता है।

करों की वसूली और गैर कर राजस्व पश्चिम बंगाल जीआर आइ पी एस सरकार रिसिप्ट पोर्टल सिस्टम प्रणाली जैसे प्रोफेशनल कर , भूमि एवं भूमिसुधार, पंजीकरण व स्टैम्प राजस्व, एक्साइज,कमर्शियल कर, वैट, मोटर वाहन कर आदि के लिए ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। पश्चिम बंगाल में यह सेवा प्रदान करने वाला आइओबी पहला बैंक है।

चेन्नै और तूत्तिकुडी पोर्ट के लिए पोर्ट प्रभार का भुगतान जो बैंक के लिए निधि जुटाएगा। इन्टरनेट बैंकिंग में शाखाओं की तरह एस बी /सीडीसीसी / आरडी ऋण खातों में भुगतान का बहु शिड्यूलिंग शुरू की गयी है। यह अनोखी सुविधा है और बहुत से दूसरे बैंकों में यह उपलब्ध नहीं है।

हमारे इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से आयातकों द्वारा कस्टम को इलेक्ट्रानिक विप्रेषण के लिए इ एकाउंटिंग प्रणाली शुरू की गयी है।

पेमेंट गेटवे

यूटिलिटी बिलों जैसे मोबाइल पेमेंट, बीमा प्रीमियम , अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन बिल का भुगतान आदि के भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे डेबिट कार्ड के जरिए लागू की गयी है। लॉयोला कॉलेज, चेन्नै, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, एमेट विश्वविद्यालय और टी एन एम जीआर मेडिकल विश्वविद्यालय को नेट बैंकिंग , डेबिट कार्ड और अन्य बैंकों के वीज़ा कार्ड के जरिए कालेज शुल्क के भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे के तहत शामिल किया गया है।

मोबाइल बैंकिंग

मोबाइल बैंकिंग के द्वारा खातों के बीच निधि अंतरण किया जा सकता है,क्रेडिट कार्ड के देयों का भुगतान , हवाई जहाज के टिकट और सिनेमा टिकट की बुकिंग, पोस्ट पेड मोबाइल /डीटीएच, एटीएम/डेबिट कार्ड का निलंबन, डिमैट सेवाएँ और साथ ही लेन-देन की स्थिति , एस बी डिपाजिट और ऋण खातों में शेष की पूछताछ भी की जा सकती है। एटीएम और शाखा लोकेटर की भी सुविधा प्रदान की गयी है। बैंक ने हमारे उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए

The Information Security Committee meets every quarter to review Information Security in the bank and reviews are submitted to Board. Information Security Policy which is in place is reviewed every year and the Bank is taking steps to fully implement recommendations of Gopalakrishna Committee. IT products review from Information Security perspective is carried out and recommendations and suggestions are provided to the respective departments.

Information Technology

Awards and Accolades:

During the year, the Bank was awarded the "SAP ACE award for Database Use" by SAP and "Skoch Digital Award for Technology" by Skoch in recognition of its Technology initiatives.

IT Organization Structure

For effective IT Governance, a Board level "IT Strategy Committee" and a Top Management level "IT Steering Committee" have been formed in addition to the existing IT security Committee headed by the Executive Director of the Bank and an IT Technology Committee with external consultant from IIT, Chennai.

Policies like Information Security Policy, IT Outsourcing Policy, IT Purchase Policy and Manual , Disaster Recovery and Business Continuity Plan, IS Audit Policy , Data Ownership Policy, Data Retention Policy and Data Archival Policy have been put in place.

Green Initiatives:

- Paperless Banking Initiatives: As a step towards paperless banking initiative, Bank has implemented Microsoft SharePoint which enables the Board members to access the Agenda papers through their IPADs using wi-fi. All agenda papers are ported on the website and no paper notes need be carried by the members.
- Introduction of Internet Banking / Mobile Banking, Debit and Credit Cards, remittance through RTGS /NEFT have effectively reduced/ dispensed with vouchers at the branches.
- Bank has provided IP telephones which has effectively cut down Phone Bills.
- RTGS/NEFT implemented in all branches. Straight Thru Processing introduced. Account number based credit is given.
- NEFT implemented in both RRBs sponsored by the Bank.
- The Bank has been taking various initiatives towards saving precious natural resources and energy by adopting the latest technological advances. Video Conferencing is very widely used – both for Top Management level meetings / promotion interviews / performance reviews and for virtual classrooms.
- Open Communication System (OCS) has been rolled out in 343 district headquarters, 50 Regional Offices and RCCs across the country, enabling them to interact live.
- Staff members submit Annual Performance Appraisal report (APAR) online instead of paper.

Core Banking:

The bank has decided to transform its CBS application from the homegrown CROWN solution to a Commercial off-the-shelf Core Banking Solution. A consultant to advise and guide the bank through the migration process will be appointed during April 2013 . The entire process of CBS migration is expected to be completed in 18-24 months period.

Alternate Delivery Channels:

As on 31.03.2013, Bank has 1883 ATMs spread across the country, of which 1164 are onsite, 719 ATMs are off-site of which 44 are at various Railway stations. The Bank is a member of NPCI and VISA consortiums. Under the new GOI Directives, a common RFP was floated for selection of vendors for ATM deployment and maintenance. Bank has installed 247 cash dispensers under the new RFP, as at the end of March 2013.

Internet Banking:

Bank has home-grown Internet Banking suite, which has contemporary offerings; Opening of Term Deposits, Funds Transfer using NEFT through Internet Banking have been enabled. New customers can apply for SB Account opening through ONLINE.

E-PAYMENT of following state VAT has been made online: i)Lucknow, ii)Delhi, iii)Maharashtra (GRAS) (Multi Dept. Portal), iv) Pondichery, v)Karnataka, vi) Andhra Pradesh, vii) Tamilnadu, viii) Jharkhand and ix) West Bengal which ensures float funds for the Bank.

E-payment of West Bengal GRIPS (Govt. Receipt Portal System) for collection of Tax and Non-Tax revenue systems such as Professional Tax, Land and Land reforms, Registration and Stamp Revenue, Excise, Commercial Taxes, VAT, Motor Vehicle Tax etc., are made online. IOB is the first Bank to provide this service in West Bengal.

Payment of port charges has been enabled for Chennai and Tuticorin Ports which ensures float funds for the Bank.Multiple scheduling of payments to SB/CDCC/RD/ loan accounts on the lines of branches has been introduced in internet banking. This is a unique feature and not available in most banks.

E-Accounting system for electronic remittance to customs by Importers is enabled through our Internet Banking.

Payment Gateway:

Payment Gateway for payment of utility bills like mobile payment, insurance premium, other banks' credit cards, telephone bill payments etc., using debit cards has been implemented. Loyola College, Chennai, Madras Christian College, Amet University and TN MGR Medical University has been brought under payment gateway with netbanking, debit and credit cards and other bank VISA cards for payment of college fees.

Mobile Banking:

Mobile banking enables funds transfer between accounts, payment of credit card dues, booking of air and movie tickets, payments to post paid mobiles / DTH, suspension of ATM/Debit cards and demat services in addition to the query services like transaction status, balance enquiry in SB, deposit and Loan accounts. ATM and branch locators are also enabled. Bank

मोबाइल एण्ड्रायड एप शुरू किया गया है। इसमें भी एटीएम /शाखा लोकेटर मौजूदा है। मोबाइल के द्वारा ग्राहक शिकायत लागू की गयी है।

प्रोडक्ट स्पेस

- सुरक्षा बढ़ाने के लिए बॉयोमेट्रिक सोल्यूशन खरीदा गया था और हमारी सभी शाखाओं में लागू किया गया था जिससे हमारी सभी शाखाओं में परिचालनात्मक सुरक्षा प्रदान की जा सके । सोल्यूशन प्रयोक्ता को तीसरे प्राधिकरण के तौर पर बॉयोमेट्रिक के द्वारा प्राधिकरण प्रदान करता है जब भी वह सी बी एस में लॉग इन करता है । आइओबी बॉयोमेट्रिक प्राधिकरण सफलतापूर्वक लागू करने वाले बैंकों में से एक है।
- **जेननेक्स्ट** चेन्नै , बैंगलोर और मनिपाल में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाली नई पीढ़ीं के ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शाखा द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए ।
- **सी टी एस :** चेक ट्रंकेशन प्रणाली मार्च 2013 तक 575 शाखाओं को कवर करते हुए चेन्नै , एन सी आर दिल्ली , कोयंबत्तूर , बैंगलोर , त्रिवेन्द्रम , पुदुच्चेरी , हैदराबाद , चंडीगढ़, सेलम , ईरोड और तिरुच्चि में लागू किया गया है ।
- **आधार :** आधार पंजीकरण शाखाओं के जरिए करने के लिए लागू किया गया । आधार ब्रिज पेमेंट भी लागू किया गया ।
- **वित्तीय समोवशन परियोजना :** वित्तीय समावेशन आवेदन के द्वारा निधि अंतरण, जमाएं और वास्तविक समय में अग्रिम का विप्रेषण किया जा सकता है और ग्राहक को किसी भी कारोबार संवादी के माध्यम से लेन देन को करने के लिए अंतर परिचालन भी किया जा सकता है ।
- **ई-बी आर सी** (ई बिल्स उगाही प्रमाणपत्र) महा निदेशक विदेशी व्यापार के लिए दैनिक आधार पर सिस्टम में सीधे अपलोड किया जा रहा है ।
- **ऑनलाइन ऋण संसाधन-**ऋण मूल्यांकन सॉफ्टवेयर के साथ क्रिसिल से आर ए एम रेटिंग सुविधा को अद्यतन करना लागू किया गया है ।
- **सिटी बैक ऑफिस :** केन्द्रीकृत खाते खोलने के लिए और आवक चेकों के समाशोधन के लिए अब तक मार्च 2013 तक आवक चेकों के समाशोधन के लिए 31 सी बी ओ खोले गए हैं ।
- **केन्द्रीय परियोजना योजना प्रबोधन प्रणाली (सी पी एस एम एस):** सी पी एस एम एस परियोजना व्यय विभाग , वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। जो मुख्यत: अंतिम लाभभोगी को निधि के संवितरण पर नज़र रखना है। हमारे बैंक के द्वारा इन निधियों का संसाधन करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए हमने अपना साफ्टवेयर विकसित किया है।
- **जीइपीजी** (गवर्नमेंट ई-पेमेंट गेटवे) को लागू किया गया है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों / वेंडर्स को हमारे बैंक के नेफ्ट प्लेटफार्म के जरिए बडी प्रमात्रा में भुगतान संवितरित किया जाता है।
- मार्च 2013 तक बैंक के पास कुल 442 पीओएस टर्मिनल्स प्रतिष्ठापित किए गए हैं ।
- बैंक ने ई-कियास्क की शुरू की गयी है और शाखाओं और एटीएम में 102 कियास्क प्रतिष्ठापित किए गए हैं।
- बैंक ने उच्च मूल्य के ग्राहकों के लिए वीज़ा इंटरनेशनल गोल्ड/ प्लैटिनम /सिगनेचर कार्ड की शुरूआत की गयी है और अब तक हमारे ग्राहकों को 1500 से ज्यादा इस प्रकार के कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
- हमारे कृषि ग्राहकों को किसान डेबिट कार्ड भी जारी किए गए हैं ताकि वे एटीएम के ज़रिए ऋण रकम को आहरित कर सकें ।
- स्टूडेंट कार्ड भी शुरू किया गया है।
- एसएपी -इआरपी सोल्यूशनस के साथ कार्पोरेट कनेक्टिविटी की शुरूआत की गई ताकि कार्पोरेट ऑनलाइन समाधान कर सकें, निधियों के ऑनलाइन को प्राधिकृत कर सकें, बिलों को ई-प्रेजेंट कर सकें, ऑनलाइन ट्रेड वित्त पोषण आदि कर सकें। प्रयोगात्मक चरण पूरा किया जा चुका है।
- आइओबी पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है जो चेन्नै कार्पोरेट टैक्स काउंटर पर वसूल करता है ।
- बैंक ने हमारी विदेशी शाखाओं पर प्रत्यक्ष विप्रेषण सुविधा शुरू की है ।

विदेशी शाखाओं में कंप्यूटरीकरण

मानकीकरण की आवश्यकता तथा सभी शाखाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सभी विदेशी शाखाओं को एक ही साफ्टवेयर प्लैटफार्म के अंतर्गत लाने का निश्चय किया गया और यह प्रक्रिया हब और स्पोक्स मॉडल के अधीन अपनायी गई, जहाँ हब सिंगापुर में है और आपदा प्रबंधन साइट बैंकाक में है ।

सिंगापुर, बैंकाक व कोलंबो शाखाओं को पहले ही एक कॉमन सॉफ्टवेयर प्लैटफार्म के अंतर्गत ला लिया गया है जबकि सियोल, हाँगकाँग और टीएसटी, हाँगकाँग शाखा में यह पैकेज प्रक्रियाधीन है और ये शाखाएँ फिलहाल स्टैंड अलोन पैकेज पर काम कर रही हैं तथा इन्हें बहुत जल्दी कामन प्लैटफार्म के तहत ला लिया जाएगा ।

एमआइएस व निर्णय समर्थित प्रणाली (डेसिशन सप्पोर्ट सिस्टम)

हमारे सीबीएस तथा उसके प्रयोजनों के अंतर्गत रियल टाइम आधार पर बहुविध प्लैटफार्मों में ओरेकल का बिज़नेस इन्टीग्रेटड अप्लिकेशन पूर्णत: समाहित है और यह एडवांस्ड विज़ुवलाइज़ेशन एफेक्टस के साथ इन्टीग्रेटड इन्टरऐक्टिव डैश बोर्डों के जरिए आकलनों को प्रदान करता है । बैंक के शाखा प्रबंधकों व कई उच्च कार्यपालकों जैसे विभिन्न स्तरों पर शाखा / क्षेत्र / देश / वैश्विक स्तर के प्रमुख निष्पादन वाले सभी क्षेत्रों पर ट्रेंड अनालिसिस, ड्रिल अनालिसिस, पेरोटो अनालिसिस सहित अनेक रिपोर्टें पहले ही सृजित कर प्रदान की जा चुकी हैं । लीनियर रिग्रेशन और एक्सपोनेंशियल पद्धतियों आदि का उपयोग कर फोरकास्टिंग मॉडल्स को विकसित किया जा चुका है। पहले ही 300 अनालिटिकों को विकसित कर पोर्ट किया जा चुका है । हमारे उच्च प्रबंधन और क्षेत्रीय प्रधानों को इंटरनेट के ज़रिए यह व्यू सुविधा के रूप में विस्तारित भी की गई है ।

आपदा प्रबंधन और कारोबार निरंतरता

बैंक ने 3 आपदा प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना की है जिनमें से प्राइमरी डेटा केन्द्र (पीडीसी) व कमान्ड सेन्टर (सीसी) चेन्नै में हैं और आपदा प्रबंधन साइट (डिफ़रेन्ट सीसमिक ज़ोन) हैदराबाद में है । जहाँ सीसी डेटाबेस को वास्तविक समय में सिंक्रोनस मोड पर अद्यतन करता है जिसके कारण डेटा का कुछ भी नुकसान नहीं होता यानि ज़ीरो लॉस को वह सुनिश्चित करता है। जबकि डी आर साइट को मार्जिन टाइम लैग के साथ असिंक्रोनस मोड पर अद्यतन करता है। बैंक ने वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं / माध्यम से ज़रिए जहाँ कहीं भी संभव है, हमारे सभी डाटा केन्द्र और शााखाओं को वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान की है।

नेटवर्क

हमारे सीबीएस को एक अतिसुदृढ़ एमपीएलएस - वीपीएन नेटवर्क आधार प्रदान करता है जिसमें डिवाइस स्तर, मीडिया स्तर व सेवा प्रदाता स्तर पर व्यर्थता को निरस्त करने की प्रचुर आंतरिक क्षमता है । सभी क्षेत्रीय नेटवर्क और 3 डेटा केन्द्रों को दोहरी एमपीएलएस-वीपीएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है और इनका स्रोत दो विभिन्न सेवा प्रदाता हैं ।

स्थान विशिष्ट की परिहार्यता के आधार पर वायर, आरएफ और वी-सैट मीडिया के जरिए कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है । सभी शाखाओं/आफसाइट

has launched mobile android app for displaying our branch products. It also has ATM/ branch locator. Customer complaint through Mobile implemented.

Product Space

- With a view to increase Security, Biometric solutions were procured and implemented across all our branches facilitating foolproof operational safety at all our branches. The solution envisages authenticating the user every time he logs into the CBS with biometric as 3rd authentication. IOB is one of the first banks to implement biometric authentication successfully.
- **GENNEXT** Branch to cater to the needs of techsavy younger generation of customers has been opened in Chennai, Bangalore and Manipal.
- **CTS** : Cheque truncation system has been implemented in Chennai, NCR, Delhi, Coimbatore, Bangalore, Trivandrum, Puducherry, Hyderabad, Chandigarh, Salem, Erode and Trichy covering 575 branches upto March 2013.
- **Aadhar** registration through the branches has been enabled. Aadhar Bridge payments have also been enabled.
- **Financial Inclusion Project** :Financial inclusion application enables funds transfer, deposits and remittances towards advances in real time and it is also interoperable enabling any customer to transact through any Business Correspondent.
- **e-BRC** (e bills realization certificates) for Director General of Foreign Trade is being uploaded directly from the system on a daily basis.
- **Online Loan Processing** : Upgradation of RAM Rating facility from CRISIL alongwith integration of Loan Appraisal Software has been implemented.
- **City Back Office** : For centralized opening of accounts and centralized processing of inward clearing, so far 31 CBOs have been opened as on March 2013 for processing of inward clearing cheques.
- **Central Plan Schemes Monitoring System (CPSMS)** : CPSMS is a project initiated by Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, primarily to track the disbursement of funds to the ultimate beneficiaries. Own Software for processing and accepting these funds through our Bank is already in place.
- **GePG** (Government E-Payment Gateway) has been implemented to disburse bulk payments from Central Government departments to Central Govt. employees/vendors through our bank's NEFT platform.
- Bank has 442 POS terminals installed till March 2013
- Bank has introduced e-kiosks and installed 102 kiosks in branches and ATMs.
- Bank has launched VISA international Gold / Platinum / signature cards for high networth customers and have so far issued more than 1500 such cards to our customers
- Also launched kisan debit cards to our agricultural customers to enable them to draw the loan proceeds through ATMs.
- Student cards have also been introduced.
- Corporate connectivity has been introduced with SAP-ERP solution, which enables corporate to reconcile online, authorize on-line transfer of funds, e-presentment of bills, on-line trade finance etc., The Pilot run has been completed.
- IOB is the only Nationalized Bank to collect Chennai Corporate tax across counters.
- Bank has introduced direct remittance facility at our overseas branches.

Overseas Branches Computerisation

To address the need for standardization and for ensuring uniformity it was decided to bring all the overseas branches under a common software platform, under HUB and SPOKES Model, with the HUB at Singapore and Disaster Recovery Site at Bangkok.

Singapore, Bangkok and Colombo branches has already been brought under the common software platform.Seoul, Hongkong and TST, Hongkong branch are running on a stand-alone packages and will also be brought under the common platform.

MIS and Decision Support Systems:

Oracle Business Intelligence application is fully integrated into CBS and other applications across multiple platforms on a real time basis and present the analytics through integrated interactive dashboards with advanced visualization effects. A number of reports have already been developed and provided to various layers like Branch Managers, and other TOP executives of the Bank including Trend Analysis, Drill Analysis, Pareto Analysis on all Key Performance Areas at Branch / Region / Country / Global level. Forecasting models using Linear Regression and Exponential methods etc have already been developed. As many as 300 analytics have been developed and ported. It is also extended as view facility through internet to the Top Management and Regional Heads.

Disaster Recovery and Business Continuity

Bank has established Three way Disaster recovery setup with Primary data Centre (PDC) and the Command Centre (CC) located in Chennai and the Disaster Recovery Site in Hyderabad (different seismic zone). The CC database is updated real-time on a Synchronous mode which ensures zero data loss, while the DR site is updated on an Asynchronous mode with marginal time lag. Bank has provided alternate connectivity to all our Data Centres and also to the branches wherever feasible through alternate service providers/medium.

Network

A robust MPLS-VPN network supports Bank's CBS with redundancies built in at device level, media level and service provider level. All the Regional network nodes and three data centres are provided with dual MPLS VPN Connectivity sourced from two different service providers.

Connectivity is provided through wired, RF and VSAT media depending upon the feasibility at a particular location. All the branches/Offsite ATMs/other offices are connected either by

एटीएमों/अन्य कार्यालयों को संबंधित रीजनल नेटवर्क के साथ या तो प्वाइंट टु प्वाइंट आधार पर लीज़लाइन कनैक्शन के ज़रिए जोड़ा जाता है या प्राथमिक एमपीएलएस-वीपीएन क्लाउड के अंतर्गत सीधे-सीधे । लगभग 1996 शाखाओं को प्रचुर मात्रा में एमपीएलएस-वीपीएन लिंक वैकल्पिक सेवा प्रदाता के जरिए प्रदान किये गये हैं । ये सभी लिंक कार्यरत हैं और नेटवर्क डाउन टाइम का ध्यान रखते हैं तथा कारोबार की निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं । नेटवर्क का अप-टाइम 99.91% से अधिक रहा है।

डब्ल्यू ए एन आधारित ब्राडबैंड 3जी मोडेम / डाटा कार्डस के ज़रिए अल्ट्रा लघु शाखाओं के लिए कनेक्टिविटी प्रदान की है। 32 क्षेत्रीय कार्यालयों में 420 शाखाओं ने डाटा कार्डस को उपयोग कर रहे हैं।

ज्ञानार्जन पोर्टल (नॉलेज पोर्टल)

बैंक के इंट्रानेट में सभी कर्मचारियों के लिए ज्ञान प्रबंधन किट प्रदान की गई है ताकि कर्मचारी आरबीआइ के सभी नवीनतम दिशानिर्देशों/परिपत्रों, महत्वपूर्ण कार्रवाइयों,न्यायालय के फैसलों आदि के बारे में सीधे संपर्क कर जान सकें । कई सार्वजनिक वेबसाइटों को भी इस पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है ।

लेन-देन बैंकिंग

लेन-देन बैंकिंग विभाग की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि कम मार्जिन-उच्च प्रमात्रा बैंकिंग उत्पादों को बढ़ावा मिल सके ताकि काग़ज़ रहित लेन-देनों में वृद्धि करते हुए निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) में सुधार किया जा सके। साकल्यवादी व समेकित कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स के साथ बैंक अपने ग्राहकों को बहुविध डिलिवरी चैनल (ई-उत्पाद) प्रदान करता है, जैसे -

एटीएम /कैश डिसपेन्सर (सीडीएस)

मार्च 2013 के अंत तक बैंक में कुल एटीएम /कैश डिसपेन्सर की संख्या 1883 रहीं। ऑनसाइट 1164 और ऑफसाइट एटीएम 719 रहें। संदर्भित वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने 440 एटीएम /सीडीस लगाए। बैंक में मेट्रो केन्द्रों पर 546 एटीएम, शहरी केन्द्रों में 553,अर्ध शहरी क्षेत्रों में 524 और ग्रामीण केन्द्रों में 260 एटीएम लगाए। 31.03.2013 को 2920 शाखाएँ थीं जिनमें से 1152 शाखाओं में ऑन साइट एटीएम / सीडीस और 369 ऑफसाइट एटीएम हैं। बैंक की 1399 शाखओं में न तो ऑनसाइट एटीएम है और न ही ऑफसाइट एटीएम है । बैंक ने 2013-14 दौरान सभी संभाव्य शाखा पर ऑनसाइट एटीएम /सीडी लगााने का निर्णय लिया।

डेबिट कार्ड

30.12.2012 को बैंक का कार्ड आधार 43.35 लाख रहा। वर्ष के दौरान बैंक ने 8.69 लाख डेबिट कार्ड जारी किए। बैंक ने मार्च 2013 के अंत तक कुल 129171 स्टूडेंट कार्ड जारी किए । वर्ष के दौरान बैंक ने 65,000 स्टूडेंट कार्ड जारी किये । बैंक ने हमारे कृषि उधारकर्ता ग्राहकों को रुपए किसान डेबिट कार्ड जारी करने की शुरूआत की जिसे एटीएम / पीओएस में प्रयोग किया जा सकता है। बैंक ने अब तक किसान डेबिट कार्ड के तहत हमारे ग्राहकों को 91000 कार्ड जारी किए । बैंक ने डीबीटी के सभी लाभभोगियों को वीज़ा आधार विस्टा डेबिट कार्ड की शुरूआत की।

हमारे प्रतिष्ठित ग्राहकों के समूह को गोल्ड/प्लैटिनम / सिगनेचर कार्ड की शुरूआत की गयी है ये कार्ड कुछ निवल मूल्य वाले ग्राहकों के लिए ही है शाखाओं ने 1500 कार्ड से अधिक कार्ड हमारे ग्राहकों को जारी किया । वित्तीय वर्ष 2012-13 से शुरू होनेवाले वर्ष के लिए बैंक ने निर्णय लिया है कि दूसरे वर्ष के बाद से सभी डेबिट कार्ड पर सालाना शुल्क लगाया जाए क्यों कि कार्ड 10 वर्षों के लिए जारी किए जाते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए फोन पर ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए मई 2013 में आइवीआर प्रणाली शुरू करने की आशा है। हमारे बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करने के लिए लॉयल्टी रिवार्ड का संसाधन अप्रैल के दूसरे सप्ताह के दौरान किया जाएगा और 15 मई 2013 के पहले उसे ग्राहकों के लिए शुरू किया जाएगा।

क्रेडिट कार्ड

मार्च 2013 तक बैंक ने 44171 क्रेडिट कार्ड जारी किये और वर्ष के दौरान 2634 कार्डस जारी किए वित्तीय वर्ष के दौरान एनपीए कार्ड खाते से रु.581 लाख वूसली की गयी है।

पेमेंट गेटवे आपरेशन

बैंक के पास 7 अग्रिगेटर्स मेसर्स बिल्डर्स , मेसर्स टेक प्रोसेस, मेसर्स अवेन्यू , मेसर्स आइबीबो , मैसर्स टाइम्स मनी, मैसर्स सिट्रस, मैसर्स एटम टेक जिनके सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन जैसे बीएसएनएल, एलआइसी आफ इंडिया आदि सहित करीब 5000 उप मर्चेंट उनके बैनर तले हैं। बैंक के पास प्रत्यक्ष ग्राहक जैसे टीएनइबी, एएमइटी विश्वविद्यालय, आइटीडीसी, आइओएसीओएन, लॉयोला कालेज, एतिराज कालेज, मद्रास क्रिश्चियन कालेज, डॉ एम जीआर विश्वविद्यालय हैं। आइपीजी के जरिए अग्रिगेटर्स / प्रत्यक्ष ग्राहकों में से किए गए लेन देन रु.53.43 करोड़ के लिए रु.5.18 लाख है। जिससे रु.89 लाख का राजस्व सृजित होगा । बैंक के पास हमारे पेमेंट गेटवे परिचालनों में से 15 और अधिक प्रत्यक्ष ग्राहक प्रतीक्षा में है।

इंटरनेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग

वर्ष 2012-13 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग की अच्छी वृद्धि हुई है। 2011-12 मई 372307 पंजीकरण से बढ़कर यह 527712 पंजीकरण हो गया जो 42% की वृद्धि दर्शाता है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए पंजीकरण को सरल बना दिया गया है। अधिक ग्राहकोन्मुखी अप्रोच को अपनाते हुए ग्राहकों द्वारा पासवर्ड सृजित करना दैनिक निधि अंतरण की अधिकतम सीमा रु.2.00 लाख कर दी गई है।

शैक्षणिक संस्थाओं के लिए इंटरनेट बैंकिंग में ऑनलाइन वसूली सुविधा उपलब्ध है। बैंक में 31.03.2013 को मोबाइल बैंकिंग पंजीकरणों की संख्या 20543 है और वर्ष के दौरान 7000 पंजीकरण किए गए हैं।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली

चूँकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सीटीएस को अनिवार्य किया गया है, इसलिए सीटीएस को देशभर में 12 क्षेत्रों में 575 शाखाओं में कार्यान्वित किया गया है। बैंक इस वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सभी क्षेत्रों के एमआईसीआर केन्द्रों पर संपूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास करेगा ।

ई-लेनदेन में सुधार

शाखाओं /क्षेत्रीय कार्यालयों हमारे ई-प्रोडेक्टों को प्रभावात्मक मार्केट करने और पेपर आधारित लेनदेन को कम करने हेतु आवधिक रूप से संवेदनशील करते हैं। स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए प्रशिक्षण दिया गया है। सभी शाखाओं में, जो ग्राहक डीडी / पीओस के लिए अनुरोध करते हैं उन्हें आरटीजीएस /नेफ्ट प्रयोग करने का सूचित किया जाता है। सभी सक्रिय बचत खाते के डेबिट कार्ड जारी किए । ग्राहकों को हमारे इंटरनेट बैंकिंग एटीएम और अन्य इलेक्ट्रानिक सवोएँ प्रयोग करने का सूचित किया जाता है। स्टाफ सदस्यों को अनुदेश दिया कि मात्र इ-चैनलों का प्रयोग करना है।

बिजनेस इंटैलीजेंस विश्लेषण विकसित किया गया है और बहु वैकल्पिक डिलिवरी चैलनों में शाखा का प्रबोधन और कार्य- निष्पादन किया जाता है। ई भुगतान लेनदेनों के सुधार हेतु, 1 जुलाई 2012 से रु.1 लाख तक के नैफ्ट के लेनदेन बिना किसी प्रभार के किए गए हैं ।

सरकारी लेखा विभाग

बैंक विभिन्न केन्द्रीय और राज्य राजस्व वसूली प्रत्यक्ष कर, (आयकर) अप्रत्यक्ष कर (उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क) के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसी बैंक है । प्रत्यक्ष कर के लिए 352 पदनामित शाखाएँ और अप्रत्यक्ष कर के लिए 217 पदनामित शाखाएँ प्राधिकृत हैं । आयकर की वसूली ऑनलाइन के

point to point leased line connection to the respective regional network node or directly under primary MPLS-VPN Cloud. Redundant MPLS-VPN links from alternate service provider has been sourced for about 1996 branches. These links are functional and take care of network downtime and ensure business continuity. The network uptime has been more than 99.91 %.

Connectivity for Ultra Small Branches is provided through a WAN based broadband 3G modem/ Datacards. 420 branches in 32 Regional Offices started using data cards.

Knowledge Portal

A knowledge Management Kit is deployed in our Bank's intranet which facilitates all employees to have direct access to all latest RBI guidelines / Circulars, important enactments, Court Judgement etc., Many public websites are also linked to through portal.

Transaction Banking

Transaction banking Department was formed with the purpose of giving a boost to Low Margin - High Volume Banking Products in order to improve the Net Interest Margin (NIM) by increasing the paperless transactions. Along with holistic and integrated Core Banking Solutions, the Bank provides multiple DELIVERY CHANNELS (e-Products) to the customers.

ATM / Cash Dispensers (CDs)

As at the end of March 2013, total number of ATMs/CDs of the Bank stood at 1883. There are 1164 onsite and 719 offsite ATMS. During the year under reference 2012 – 13, Bank has deployed 440 ATMs /CDs. In total, Bank has 546 ATMs in Metro Centres, 553 in Urban Centres, 524 in Semi Urban Centres and 260 in Rural Centre. As on 31.03.2013, there are 2920 branches of which 1152 branches are having onsite ATMs /CDs and 369 Offsites. There are 1399 branches are without either Onsite or Offsite ATMs. Bank decided to deploy one onsite ATM/CD at every feasible branch during 2013 – 14.

Debit Cards

The card base as on 30.12.2012 is 43.35 lacs. During the year Bank has issued 8.69 lac Debit Cards. In total , Bank has so far issued 129171 student cards as at the end of March 2013. More than 65000 student cards were issued during the year. Bank successfully launched issuing Rupay Kisan Debit Cards to our Agriculture borrower customers which can be used in ATMs /PoS. Bank has so far issued 91000 cards to our customers under Kisan Debit Cards.Bank launched VISA Aadhaar Insta Debit Cards to be issued to all beneficiaries of DBT.

Gold /Platinum / Signature Cards to the elite group of our customers has been launched. These cards are meant for High Net worth clients only. Branches have issued more than 1500 cards to our customers. Starting from Financial Year 2012 – 13, bank has taken a decision of levying annual fee on all Debit Cards from 2 nd year onwards as the cards are issued for 10 years. IVR system for resolving the customer complaints over phone is expected to be launched in May 2013 for both the Debit and Credit Cards. Loyalty Rewards for usage of our Bank Debit and Credit Cards will be processed during the second week of April and the same will be introduced to customers before 15th May 2013.

Credit Cards

Bank issued 44171 credit cards upto March 2013 and 2634 cards during the year under reference. A recovery made during this financial year from NPA card accounts is Rs.581 lacs.

Payment Gateway Operations

Bank has 7 aggregators in M/s Billdesk, M/s Techprocess, M/s Avenues,M/s Ibibo, M/s Times Money, M/s Citrus, M/s Atom Tech who have nearly 5000 sub-merchants under their banner including public sector organizations like BSNL,LIC of India etc. Bank has Direct Clients like TNEB, AMET University, ITDC, IOACON,Loyola College,Ethiraj College, Madras Christian College, Dr MGR University. Transactions effected through IPG from aggregators/direct clients works out to Rs 5.18 lacs for Rs.53.43 crores generating a revenue of Rs.89 lacs. Bank has around 15 more Direct Clients in pipeline to be added in our Payment Gateway operations.

Internet Banking and Mobile Banking

The internet banking registrations have shown a good growth during 2012-13. From 372307 in 2011 -12, the registrations have gone upto 527712 registering a growth of 42%. Registration process for internet banking has been simplified. More customer friendly approach viz generation of passwords by customers, increasing the daily funds transfer limit to a max of Rs 2.00 lacs etc were introduced.

Online Fee collection facility is available in Internet Banking for Educational Institutions. Bank has 20543 Mobile Banking Registrations as on 31.03.2013 and during the year nearly 7000 registrations have been added.

Cheque truncation System (CTS)

CTS has been implemented in 575 branches in 12 regions across the country. As CTS has been made mandatory by RBI. Bank endeavours to complete the implementation in all the regions during this FY 2013-14 in all MICR Centres.

improving E-Transactions

Branches, Regional Offices are periodically sensitized to effectively market our e-products and to reduce paper based transactions. Training is imparted through Staff Training Centres. In all branches, customers requesting DDs/POs are advised to make use of RTGS/NEFT. All active SB accounts are issued Debit Cards. Customers are being advised to use our internet banking, mobile banking, ATM and other electronic services. Staff members have been instructed to use only e-channels.

Business Intelligence analytics have been developed and deployed to monitor and analyse the performance of branches in multiple alternate delivery channels. To improve the e-payment transactions, NEFT transactions up to Rs.1 Lakh have been made free from levy of any charge with effect from 1st July, 2012.

Government Accounts Department

Bank is accredited Agency Bank for various Central and State Revenue Collections, Direct Taxes (Income Tax), Indirect Taxes (Excise Duty, Service Tax and Customs Duty). 352 designated branches for Direct Taxes and 217 designated branches for Indirect Taxes are authorized. Nodal branches for online collection of Income Tax and 20 Nodal branches for physical collection are in place.

लिए नोडल शाखाएँ और भौतिक रूप से वसूली करने के लिए 20 नोडल शाखाएँ बनाई गई हैं ।

इसी प्रकार सेवा कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क के लिए नोडल शाखा बनायी गई है । अप्रत्यक्ष करों की ऑनलाइन वसूली के लिए शाखाओं और भौतिक वसूली के लिए 8 नोडल शाखाओं को भी स्थापित किया है । बैंक ने पिछले वर्ष रु.7415 करोड़ (852570 लेन-देनों) और रु.7285 करोड़ (156270 लेन-देनों) क्रमश: के प्रति वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्रत्यक्ष करों के लिए लगभग रु.7939 करोड़ (901319 लेन-देनों) और अप्रत्यक्ष करों के लिए रु.4953 करोड़ (162259) का संग्रहण किया हैं ।

सभी ग्राहक बैंक के द्वारा अपने करों का भुगतान कर रहे है । बैंक द्वारा विभिन्न जमाओं जैसे पी पी एफ, आर बी आई बांड, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना को भी संभाला जाता है ।

बैंक विभागीय मंत्रालय खातों यानि योजना आयोग और दूरसंचार मुख्यालय का डब्लयू पी सी विंग विभाग को संभालने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त है जिसके लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा और संचार भवन शाखा नोडल शाखाएँ हैं । मंत्रालय जमाओं के भुगतान सरकारी ई-पेमेंट गेटवे के द्वारा अदा किए जाते हैं । तमिलनाडु राज्य में डाक घर वसूली और आहरण खाते 52 शाखाओं के द्वारा संभाले जाते हैं ।

तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, पुदुच्चेरि, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्य में राज्य वैट की ऑनलाइन पर वसूली संभालने के लिए बैंक को सरकारी मान्यता प्राप्त है । गुजरात राज्य वैट की ऑनलाइन वसूली परीक्षण की प्रक्रिया के तहत है और हम शीघ्र कार्यान्वियन के लिए कार्रवाई कर रहे हैं । तमिलनाडु ट्रान्सपोर्ट विभाग की शुल्क वसूली का ऑनलाइन समाहरण के लिए बैंक भी सरकारी मान्यता प्राप्त है । वर्तमान में बैंक गुजरात राज्य और उत्तर प्रदेश की पदनामित शाखा में वैट की भौतिक वसूली कर रहा है । तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के राज्यों में वैट की ऑफलाइन वसूली (काउंटर वसूली), तमिलनाडु ट्रान्सपोर्ट विभाग की शुल्क वसूली विकास की प्रक्रिया में है । तमिलनाडु में 12 सब-ट्रै ज़री परिचालनों और उड़ीसा राज्य में 3 सब-ट्रे ज़रियों को संभालता है । डाक घर आहरण और वसूली खाते हमारे द्वारा संभाले जाते हैं और माउंट रोड शाखा नोडल शाखा है ।

सरकार ई-गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है । शाखाएँ नेट बैंकिंग खातों और लेन-देनों ह्न्ब्स्क पंजीकरण बढ़ रही है । गैर-ऐजेंसी बैंक ग्राहक भी संपर्क करते हैं और करों के भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग युक्त खाते खोलने से प्रभावित हैं । ऐसे उत्पादों की क्रास बिक्री द्वारा कासा आधार में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है ।

केन्द्रीकृत पेंशन संसाधन

केन्द्रीय सिविल, रक्षा और टेलीकॉम के लिए अखिल भारतीय प्राधिकरण अप्रैल, मई और अक्टुबर 2012 के दौरान प्राप्त हुआ । सीपीपीसी केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे और टेलीकॉम पेंशनरों को केन्द्रीयकृत आधार पर पेंशन संवितरण करता है । बैंक के पास लगभग 53000 पेंशन खाते है । बैंक ने प्रति माह लगभग रु.65 करोड़ का संवितरण किया है और संवितरण की तिथि से 2-3 दिनों के अंदर केन्द्रीय सीविल, रक्षा और टेलिकॉम पेंशनों के लिए एकल विंडों योजना के तहत प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है । बैंक संबंधित क्षेत्रों से रेलवे पेंशन के लिए प्रतिपूर्ति का दावा कर रहा है, हमने अन्य पेंशनों की तरह एस डब्लयू एस में प्रतिपूर्ति के लिए रेलवे से संपर्क किया है । बैंक दिनांक 01.01.2013 से पोस्टल पेंशन संवितरित करने के लिए मान्य है । बैंक शाखाओं के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक योजना के तहत राज्य सीविल पेंशनों को भी संभाल रहा है । बैंक लगभग 159000 पेंशनरों की सेवा कर रहा है ।

पेंशन लेन-देनों के लिए ऐजेंसी कमीशन बढ़कर रु.65 प्रति लेन-देन किया गया है । शाखाएँ राज्य विभागों के साथ संपर्क कर सकती हैं और आने वाले महीनों में सेवा निवृत्त होने वाले स्टाफ सदस्यों की सूची प्राप्त कर सकती हैं और उन्हें अपनी शाखा में ला सकती हैं । बैंक 81000 टीएनईबी पेंशनों की भी सेवा कर रहा है और माउंट रोड शाखा नोडल शाखा है ।

एनईएफटी और आरटीजीएस अधिक लागत प्रभावी बनी हुई हैं और विप्रेषण के लिए प्रभावशाली साधन है । ई-भुगतान लेन-देनों में सुधार के उद्देश्य, 01 जुलाई 2012 से रु.1 लाख तक के एनईएफटी लेनदेनों को किसी भी प्रभाव से मुक्त किया गया है । बैंक ने हाल ही में इंटरनेट पेमेंट संग्रहणकर्ता और अनेक प्रत्यक्ष ग्राहकों जैसे ईएनईबी, आईटीडीसी के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है ।

राज्य सरकार के राजस्वों का समाहरण

चूंकि सरकारें ई-गवर्नेंस मॉडल की ओर अधिक बढ़ रही है, बैंक ने सरकारी कारोबार में अधिकता हासिल करने के लिए अपने प्रयासों में वृद्धि की है। बैंक वर्तमान में तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, पुदुचेरि, कर्नाटक, महा राष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्यों में राज्य वैट की ऑनलाइन संग्रहण संभालने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त है ।

अंतर शाखा समाधान

अंतर शाखा समंजन ने अपनी संवेदनशीलता की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी बैंकों को सूचित किया है कि कारोबार विकास के साथ-साथ अंतर शाखा समाधान को प्राथमिकता दें । भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतर शाखा प्रविष्टियों के निरसन के लिए 6 महीनों का समय तय किया है ।

बैंक के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार 3 महीनों से अधिक की सभी जमा प्रविष्टियों का कम्पास (पूर्णतय: स्वचालित निपटाण प्रणाली) के तहत निरसन किया गया है यानि 31.12.2012 तक की प्रविष्टियों को 31.03.2013 तक निरस्त किया गया है और 'शून्य' की स्थिति तक लाया गया है । कम्पास में फरवरी 2013 तक और मांग ड्राफ्ट समाधान खाते 31.03.2013 की तहत सभी नामे प्रविष्टियों को निरस्त किया गया है जो कि आरबीआई के मानदंड 6 महीनों के अंदर है । भारतीय रिज़र्व बैंक के 6 महीनों के प्रति निधि अंतरण / टीटी प्रदत्त प्रतिपूर्ति खाता / बहुनगरीय लेन देन उचंत खाता के तहत 1 माह से अधिक के लिए कोई भी नामे प्रविष्टियाँ बकाया नहीं है ।

मानव संसाधन विकास

वर्ष के दौरान बैंक ने दो नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं - अग्रणी लिपिकों के लिए ग्राहक सेवा पर प्रकाश डालते हुए 'मुस्कान - ग्राहक की मुस्कान हमारी पहचान' और बैंक की मान्यता प्राप्त एसोसिएशन और यूनियन के प्रतिनिधियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम - 'जीतेंगे हम साथ-साथ' (एक साथ हम जीतेंगे) ।

सभी सामान्य बैंकिंग क्षेत्रों के अलावा जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ ऋण मूल्यांकन / उधार प्रबोधन, गैर-अनर्जक आस्ति प्रबंधन और वसूली पर प्रशिक्षण का फोकस रहा । साथ ही, कर्मकार प्रभाविता और टीम निर्माण पर भी स्टाफ कॉलेज एवं विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में सभी स्टाफ सदस्यों के लिए कार्यक्रम चलाए गए । वर्ष के दौरान नेतृत्व विकास, ग्राहक संबंध प्रबंधन, शाखा प्रबंधन रणनीति, शाखा नेतृत्व रणनीति, संकाय विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए बैंक को ग्राहक उन्मुख बनाने के कार्पोरेट उद्देश्य के मद्देनज़र आंतरिक व बाहरी माध्यम से मूलभूत क्षेत्रों के अतिरिक्त बैंकिंग के समकालीन विषयों पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

बैंक ने पिछले वर्ष के लिए बैंक ने 'ट्रेनिंग एक्सिलेंस एचआर अवार्ड' के तहत ग्रीन टेक फाउंडेशन से प्लैटिनम अवार्ड प्राप्त किया हैं । 899 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा 13474 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया और प्रतिष्ठित बाहरी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए गए । कार्यक्रमों के द्वारा 2372 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया । कुल प्रशिक्षित स्टाफ सदस्यों में से

Similarly Nodal branch for Service Tax, Excise Duty and for Customs duty are in place and branches for online collection of Indirect Taxes and 8 Nodal branches for physical collection are also established. Bank has garnered around Rs.7939 crores (901319 transactions) for Direct Taxes and Rs.4953 crores (162259) for Indirect Taxes for the financial year 2012-13 as against the previous year of Rs.7415 crores (852570 transactions) and Rs.7285 crores (156270 transactions) respectively. All customers are being persuaded to pay their taxes through Bank. Various Deposits like PPF, RBI Bonds, Senior Citizens Savings Scheme are also handled by the bank.

Bank is accredited for handling Departmentalised Ministry Accounts viz., Planning Commission and WPC Wing of Department of Telecommunications Hqrs for which Parliament Street Branch and Sanchar Bhawan branch are the Nodal branches. The payments of Ministry credits are paid though Government e-Payment Gateway. Post Office Collection and drawing accounts are handled through 52 branches in the State of Tamil Nadu. Bank is accredited for handling Online collection of State VAT in the States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Puducherry, Karnataka, Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha and West Bengal. Online collection of VAT in the State of Gujarat is under the process of Testing and we are taking steps for early implementation. Also Bank is accredited for online collection of Tamil Nadu Transport Department's fee collection. Currently Bank is handling physical collection of VAT in the States of Gujarat and designated branches in Uttar Pradesh. Offline collection (Counter collection) of VAT in the States of Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Tamil Nadu Transport Departments' fee collections are in the process of development. 12 Sub Treasury Operations in Tamil Nadu and 3 Sub Treasuries in the State of Odisha are handled. Post Office Drawing and Collection accounts are handled by us and Mount Road Branch is the nodal branch.

Government is moving towards e-Governance. Branches are increasing Registration of Net Banking Accounts and Transactions. Non Agency Bank customers are also contacted and impressed upon opening of Internet Banking enabled accounts for payment of taxes. CASA base is sizably increased by cross selling of such Products .

Centralised Pension Processing Centre

All India authorization for Central Civil, Defence and Telecom was received during April, May and October 2012 . CPPC disburses pension on a centralized basis to Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensioners. Bank has around 53000 pension accounts. Bank has disbursed about Rs.65 crores every month and received reimbursement under single window scheme for Central Civil, Defence and Telecom pensions within 2-3 days from the date of disbursement.

Bank is claiming reimbursement for Railway pension from the respective zones, we have taken up with Railways for reimbursement in SWS like other pensions. Bank is accredited for disbursing Postal Pension effective from 01.01.2013.Bank is also handling State Civil Pensions under Public Sector Bank Scheme through branches. Bank is servicing around 159000 pensioners.

Agency commission for pension transactions has been increased to Rs.65/- per transactions branches may have liaison with the State Department and obtain the list of staff members who will be retiring in the coming months and bring them in to our fold. Bank is also servicing 81000 TNEB pensions and Mount Road Branch is the nodal Branch.

NEFT and RTGS continue to remain the most cost-effective and efficient modes for remittance. Inorder to improve the e-payment transactions, NEFT transactions up to Rs.1 Lakh have made free from levy of any charge with effect from 1st July, 2012. Bank has currently under tie up arrangement with Internet payment aggregators and several direct clients like TNEB, ITDC .

Collection of State Government revenues:

As the Governments is largely moving to an e-governance model, the bank has accelerated its efforts to bag the bigger pie in the governmental business. The bank is currently accredited for handling Online collection of State VAT in the States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Puducherry, Karnataka, Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha and West Bengal.

Inter Branch Reconciliation

Inter - branch reconciliation has assumed a greater significance in view of its vulnerability. Reserve Bank of India has also advised Banks to accord priority to inter-branch reconciliation at par with Business development. RBI has fixed six months time for elimination of inter-branch entries.

Under COMPASS (Completely Automated Settlement System) all credit entries aged more than 3 months as per Bank's Policy Guidelines i.e. entries originated upto 31.12.2012 have been eliminated and brought to “Nil” status as on 31.03.2013. All debit entries upto February 2013 in COMPASS and Demand Draft Reconciliation accounts have been eliminated as on 31.03.2013 which is well within the RBI norms of six months.

No debit entries are outstanding for more than one month under Funds Transfer / TTs Paid Reimbursement Account/ Multicity Cheque Paid Reimbursement Account/Intercity Transactions Suspense Account as against RBI norms of six months.

Human Resources Development

During the year, Bank has launched two new training programmes - “Muskaan – Grahak Ki Muskaan Hamari Pehchaan” with Customer Service as focus for frontline Clerks and “Jithenge Hum Sath-Sath” (Together We Win) – Management Development Programme for Representatives of recognized Association and Union of the Bank.

The training focus continued to be on Credit Appraisal/ Credit Monitoring, NPA Management and Recovery in addition to Risk Management apart from all general banking areas. Also Programme of Personnel Effectiveness and Team Building are conducted to all staff members at Staff College and various Staff Training Centres.

Training Programme on Leadership Development, Customer Relationship Management, Strategic Branch Management, Strategic Branch Leadership Faculty Development Programme have been conducted during the year.

Keeping in view the Corporate goal of making the bank a customer centric one, training has been imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas through the internal and external mode.

3665 अनुसूचित जाति (अ जा) और 114 अनुसूचित जनजाति (अजजा) के सदस्य हैं । बैंक ने प्रतिष्ठित बाहरी संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 292 कार्यपालकों, 1098 अधिकारियों और 982 लिपिकों को प्रतिनियुक्त किया इसके अतिरिक्त 26 कार्यपालकों और 10 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्टाफ सदस्यों के लिए प्रशिक्षण

बैंक ने 14 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ज़रिए नीलांचल ग्राम्य बैंक और पांडियण ग्राम बैंक के 250 स्टाफ सदस्यों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया है । प्रशिक्षित कुल स्टाफ में से 49 अनुसूचित जाति और 13 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं । इसके अतिरिक्त 36 स्टाफ सदस्यों को विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया । वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 250 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया ।

स्वत: विकास के लिए प्रेरणास्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से एवं ज्ञानलब्धि का अद्यतन करने के लिए, बैंक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्यूरिटी मार्केट्स (एन आई एस एम) द्वारा आयोजित डिपोज़ेटरी आपरेशन, सर्टिफिकेशन,एक्ज़ामिनेशन (बीओसीई) पास करने के लिए परीक्षा शुल्क / प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति करने की योजना शुरू की हैं ।

बैंक के अपने देशी परिचालनों में 28280 स्टाफ थे जिसमें 11895 अधिकारी, 11937 लिपिक और 4488 अधीनस्थ कर्मचारी थे । कुल स्टाफ सदस्यों की संख्या में से 6317 सदस्य अनुसूचित जाति प्रवर्ग के, 1664 अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के और 4400 अन्य पिछड़ी जाति प्रवर्ग के हें । कुल स्टाफ संख्या में 7077 महिला कर्मचारी, 916 भूतपूर्व सैनिक, 558 शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य शामिल है । वर्ष 2012-13 के दौरान, 300 विशिष्ट अधिकारी, 890 परिवीक्षा अधिकारी और 1674 लिपिक, बैंक की सेवा में भर्ती हुए ।

औद्योगिक संबंध

बैंक के सभी कार्यालयों में अच्छा औद्योगिक संबंध वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से, बैंक ने अनुशासन, भर्ती, पदोन्नति आदि में अपनाए जाने वाली नीतियों के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए हैं जिससे औद्योगिक संबंधों के तहत मामलों में कमी हुई है । वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार उच्च स्तर पर बैंक द्वारा न्यायालयों के मामलों की समीक्षा की जाती है और कोर्ट मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रयास किए जाते है ऐसे मामलें जिनका निपटान नहीं किया जा सकता उनका मुकाबला मजबूती से किया जाता है । ग्राहक सेवा को और भी बेहतर बढ़ने के लिए सभी क्षेत्रों द्वारा सिंगल विंडो प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है और ये मामला केन्द्रीय कार्यालय के सक्रिय अनुवर्तन के तहत है । 31.03.2012 तक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी चल, अचल व मूल्यवान संपत्तियों की विवरणियों की ऑनलाइन प्रस्तुति अब तक के सबसे बड़े रिकार्ड 99% के रूप में रही है । स्टाफ मामलों के संबंध में वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ के द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों को अपने कर्मचारियों के लाभार्थ परिपत्र जारी करके शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाता है । बैंक के लिए औद्योगिक संबंध वातावरण संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत सौहार्दपूर्ण और प्रेरक है ।

सुरक्षा

अनिवार्य व संस्तुत सुरक्षा उपायों का सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में ठीक से और सख्ती से किया गया । इन उपायों की स्थानीय कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन उपायों की सावधिक समीक्षा की गई है तथा ग्राहक और स्टाफ के लिए सुरक्षित वातावरण सृजित करने के लिए व सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक कदम उठाये गए । बैंक ने सुरक्षा और अग्नि शमन व्यवस्था के लिए निवारक उपायों पर अपना ज़ोर बनाए रखा है ।

बैंक ने सभी शाखाओं में सीसीटीवी लगाने की मंजूरी दी हैं और मामलों की वरीयताओं के आधार पर ऐजेंसियों / प्रतिष्ठित नीति सुरक्षा ऐजेंसियों द्वारा प्रायोजित निदेशक महा पुनर्निपटान से संवेदनशील शाखाओं के लिए सुरक्षा गार्डों / चौकीदारों को लगाया गया है । जान और माल के संरक्षण के लिए सुरक्षा जागरूकता के संबंध में अपने बैंक के कर्मचारियों को सुग्राही किया गया है ।

राजभाषा नीति

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पूरे प्रयास किए। वर्ष के दौरान 160 स्टाफ सदस्यों को, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, आइओबी प्रवीण तथा बैंकिंग प्राज्ञ पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 2014 स्टाफ सदस्यों को सामान्य हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया गया। केंद्रीय कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने हेतु सभी विभाग प्रमुखों के लिए 14 सितम्बर 2012 को राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

बोर्ड स्तरीय सभी बैठकों के कार्यवृत्त का हिन्दी में अनुवाद किया गया। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी यूनिकोड फॉण्ट प्रतिष्ठापित किया गया है और सभी शाखाओं में डाउनलोडिंग की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है। स्टाफ के प्रयोगार्थ ऑनलाइन पर बैंकिंग शब्दावली भी उपलब्ध करवाई गयी है। वर्ष के दौरान 1614 स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया। सभी शाखाओं में हिन्दी में पास बुक, खाता विवरण, मांग ड्राफ्ट व जमा रसीदें जारी करने हेतु स्क्रिप्ट मैजिक पैकेज प्रतिष्ठापित करवाया गया है। त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका 'वाणी' के चार अंकों का समय पर प्रकाशन डिजिटल व मुद्रण के रूप में किया गया । बैंक की वेबसाइट हिन्दी में भी उपलब्ध करवा दी गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की गृह-पत्रिकाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता में वर्ष 2011-12 हेतु बैंक की गृह-पत्रिका 'वाणी' को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। केंद्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित निरीक्षण किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं को राजभाषा शील्ड प्रदान किए गए।

दिनांक 23 06 2012 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने हमारी रुद्रप्रयाग शाखा का निरीक्षण किया । संसदीय राजभाषा समिति की साक्ष्य एवं आलेख समिति द्वारा दिनांक 26 12 2012 को हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलूर का निरीक्षण किया गया । दोनों समितियों ने इन केंद्रों में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया ।

28 वे 29 सितंबर 2012 को क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति का जायजा लेने हेतु राजभाषा अधिकारियों के लिए वार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और इन सभी केंद्रों में राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी तौर पर लागू करने संबंधी आवश्यक जानकारी दी गयी।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2011-12 हेतु चेन्नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक के रूप में बैंक ने बैंगलूर में 22 फरवरी 2013 को आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में श्री अरुण कुमार जैन, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। समिति की ओर से बैंक द्वारा सदस्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ सदस्यों के लिए दो सामान्य हिन्दी कार्यशालाओं, 12 अंतर-बैंक हिन्दी प्रतियोगिताओं, संयुक्त हिन्दी माह समारोह एवं हिन्दी यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

The Bank has won the Platinum Award from the Greentech Foundation, New Delhi under “Training Excellence HR Award” for the last year. Training was imparted to 13474 staff members through 899 internal training programs and 2372 staff through programmes conducted by reputed external institutes. Of the total staff trained 3665 belonged to Scheduled Caste (SC) and 1149 belonged to Scheduled Tribe (ST).

Bank deputed 292 Executives, 1098 Officers and 982 Clerks for training programmes conducted by reputed external institutes. Further, 26 executives and 10 Officers were deputed for training abroad.

Training for Staff of RRB's

Bank has also trained 250 staff members of Neelachal Gramya Bank and Pandyan Grama Bank through 14 Training Programmes. Of the total staff trained 49 belonged to SC and 13 belonged to ST. Apart from this, **36** staff members were deputed for training programs abroad. 250 staff members from Regional Rural Banks have been trained during the year.

In order to sustain the motivation level for self development & updating the knowledge quotient, Bank has introduced a Scheme for Reimbursement of Examination fees/incentive for passing the Depository Operations Certification Examination (DOCE) conducted by National Institute of Securities Markets (NISM).

The Bank had 28280 staff in its Domestic Operations comprising 11895 Officers, 11937 Clerks and 4448 Sub-staff. Of the total staff strength, 6317 members belonged to SC category, 1664 to ST Category, and 4400 to OBC Category. Staff Strength includes 7077 Women employees, 916 ex-servicemen and 558 physically challenged members. During the year 2012-13, 300 Specialist Officers, 890 Probationary Officers and 1674 Clerks joined the services of the Bank.

Industrial Relations

In order to maintain good Industrial Relations climate in all offices of the Bank guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed in recruitment, promotion etc., which which has led to reduction of cases under IR. Court cases are reviewed by the Bank at Apex level as per Ministry of Finance guidelines and efforts are taken to settle/get the Court cases disposed of expeditiously. In such cases which cannot be settled the cases are contested strongly.

Single Window system is being implemented by all regions vigorously to enhance customer service and the matter is under active follow up by Central Office. Online submission of Return of Movable, Immovable and valuable properties by officer employees as on 31.03.2012 has reached an all-time record of 99% submission.

The guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of our employees.

The industrial relations environment for the Bank remained cordial and conducive for achieving organization's objectives.

Security

Security measures, mandatory and recommendatory, were correctly and strictly implemented at all the branches and administrative offices .They are reviewed periodically keeping in view of the local law and order situation and additional steps were taken to strengthen the security measures to create a safe environment for customers and the staff. The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire Safety. The Bank has sanctioned installation of CCTV in all branches and to engage Armed Guards/Watchmen for vulnerable branches from Director General Resettlement sponsored Agencies/reputed Private Security Agencies on case to case basis. Personnel of our Bank have been sensitized regarding security awareness for the protection of life and property.

Rajbhasha (Official Language Policy)

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the year 2012-13. During the year 160 Staff members who do not possess working knowledge of Hindi were trained in IOB Praveen and Banking Pragya Courses. 2014 Staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops held during the year. Rajbhasha Sangoshti was held on 14.09.2012 for heads of Central Office departments to strengthen the Official Language Implementation in Central Office.

Minutes of all meetings of all board level committees were translated in Hindi. As per the directives of Govt. of India Bank has enabled Hindi Unicode font in all Regional Offices and has provided the facility of downloading of the same on IOB ONLINE. Banking terminology has been provided on IOB ONLINE for the benefit of staff members. Training has been given to 1614 staff members for the use of Hindi in computers. Script Magic package has been provided in all branches for issuing pass books, statement of account, DD & Deposit receipts in Hindi. Four issues of quarterly Hindi Magazine "VANI" in print as well as in digital form. Bank's website has been made available in Hindi also.

Reserve Bank of India has awarded Second Prize for Hindi house magazine "VANI" for the year 2011-12 in the Inter-Bank Competition for Hindi house magazines of banks and financial institutions. Regional Offices were inspected on O L implementation by Official Language Department, Central Office and Rajbhasha Shields were awarded to Regional Offices and branches doing good work in official language implementation.

Third subcommittee of Parliamentary Committee on Official Language inspected our Rudraprayag branch on 23.06.2012. Drafting and evidence committee on Official Language inspected our RO Bangalore on 26.12.2012. Both the committees expressed satisfaction over the implementation of Official Language in these centres.

Annual Official Language Review Meeting and Unicode training for O L Officers was held on 28th and 29th September 2012 to assess the progress made in the area of O L implementation in Regional Offices and provided inputs for intensive implementation in all centres.

As convener of Chennai Town Official Language Implementation Committee, bank has received the Second Prize for its efforts in implementation of Official Language Policy during the year 2011-12 from Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Prize was given by Shri Arun Kumar Jain, Secretary,

कार्यपालकों एवं राजभाषा प्रभारियों के लिए बैंकिंग विषय पर हिन्दी में तीन संगोष्ठियों का आयोजन किया गया । 26 फरवरी 2013 को संयुक्त हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया । इसके अलावा दो अर्ध वार्षिक बैठकें भी आयोजित की गईं। समिति द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका " चेन्नै भारती" के वार्षिक अंक का प्रकाशन किया गया । वर्ष के दौरान समिति का chennaibanktolic.com वेबसाइट शुरु किया गया ।

परिचालन की लागत

मासिक आधार पर बैंक के आय एवं व्यय में उतार चढ़ावों का नजदीकी से प्रबोधन करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय का लागत एवं प्रायोजना कार्यकलाप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जारी रखे हुए हैं । अलको टीम के सदस्य के रूप में चयनित होने के नाते, लगातार लागत और आय कारकों के विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों / महत्वपूर्ण विशलेषणों के उतार-चढ़ाव को विभाग ने अलको बैठकों में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत किया है । विभाग क्षेत्रवार एनआइएम (निवल ब्याज मार्जिन) लक्ष्यों को निर्धारित करने में सावधानी बरतता है और एसओआइ एवं एमओयू मानदंडों पर अनुवर्तन के अलावा क्षेत्रीय प्राप्ति स्तर का प्रबोधन करता है । माइक्रो और मेक्रो स्तर पर बैंक की लाभ प्रदत्ता बढ़ाने के लिए कार्य मदें संक्षेप में बनाई जाती हैं ।

संसदीय समिति

वर्ष के दौरान, चेन्नै में निम्नलिखित समितियों ने दौरा किया :

क) संसदीय गृह समिति - 28/29 मई 2012 को बैठक

ख) अन्य पिछड़ी वर्गों के कल्याण पर संसदीय समिति का अध्ययन दौरा - 01 अक्तूबर 2012

ग) कॉमर्स पर संसदीय समिति - 31 जनवरी 2013

घ) सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति - 7 से 9 फरवरी 2013 तक ।

2013-14 के लिए दृष्टिकोण

पूरे वर्ष के दौरान वैश्विक अर्थ व्यवस्था अस्थिर बनी रही और गिरावट का रुझान जारी रहने की संभावना जारी है । यूएस वसूली के क्रमिक रूप से तेज होने की संभावना है, यूरोपियन वृद्धि उत्तर में कम रह सकती है और दक्षिण में नकारात्मक, चीन की अर्थव्यवस्था के गतिमान रहने की संभावना है और अन्य उभरते बाज़ार के सकारात्मक रहने की संभावना है । सामानों की कीमतें एक तरफ से बढ़ेगी मुद्रा स्फीति स्थिर बनी रहेंगी, केन्द्रीय बैंक प्राय: देखो और प्रतीक्षा करो की स्थिति में रहेंगे, वित्तीय नीतियाँ सख्त रहने की संभावना है, यूएस डॉलर के मजबूत रहने की आशा है और रेस्ट और जोखिम के प्रति स्थिर रहने की संभावना है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अधिक संतुलित रहेगी । तथापि वैश्विक वस्तुओं के गिरावट और मुद्रास्फीति की हालिया गिरावट के कारण आया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक मुख्य नीति दरों को कम करेगा और अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.4% की मध्यम दर से वर्ष 2013-14 के दौरान वृद्धि का लक्ष्य है ।

Department of Official Language, Home Affairs, New Delhi on 22nd February 2013. On behalf of the committee, the Bank conducted two General Hindi Workshops, 12 Inter-Bank Hindi competitions, Joint Hindi Month Celebration function and Hindi Unicode training programme for the staff members of member banks / Financial Institutions. A Joint Rajbhasha Samaroh was held on 26th February 2013. In addition to this, two half yearly meetings were also conducted. Three Seminars in Hindi on Banking subject were held for executives and Official Languge officers. Annual issue of magazine of "Chennai Bharathi" was brought out. Chennai TOLIC's website **chennaibanktolic.com** was launched during the year.

Costing of Operations

The Costing & Planning function at Central Office continues to closely monitor the movements in Income and Expenditure of the Bank on a monthly basis. Being selected as a member of the ALCO team, the department puts in various study reports/critical analysis/movement of Cost and Yield factors on an ongoing basis for deliberations in the ALCO meetings. The department takes care of fixing the region wise NIM (Net Interest Margin) targets and monitors the regional attainment level apart from following up on SOI and MoU parameters. Action points are summarized for improving the profitability of the Bank at the micro and macro level.

Parliamentary Committee:

During the year, the committees visited at Chennai are namely A). Parliamentary House Committee Meeting from 28/29th May 2012, B) Study tour of the Parliamentary Committee on Welfare of other Backward Classes 1st October 12,C) Parliamentary Committee on Commerce – 31st January 2013 & Parliamentary committee on social justice &women empowerment from 7th to 9th February 2013.

Outlook for 2013-14

The Global Economy continued to be volatile throughout the year and the slowing trend is likely to continue. The U.S recovery is expected to gradually pick up steam; European growth may be weak in the North and negative in the South; China's economy is expected to gain momentum; other emerging markets will show positive signs of life; Commodity prices would move sideways again; Inflation would remain tame; Central Banks will mostly be in wait and see mode; Fiscal Policies are expected to be tight; US Dollar is expected to be stronger and flat against the rest and the risks facing the global economy will be more balanced. However, in the recent times due to global commodity fall and inflation moving downwards there is an expectation that RBI may further moderate the key policy Rates so as stimulate the economy. As such, Indian economy is projected to grow moderately at 6.4 % for 2013-14.

वर्ष 2012-13 के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

क. अधिदेशात्मक आवश्यकताएँ

1. गवर्नेन्स कोड पर बैंक का दर्शन

कार्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली , सिद्धांतों व प्रक्रियाओं का ऐसा समुच्चय है जिसके द्वारा संगठनों को शासित एवं कार्य किया जाता है । वे बोर्ड को दिशा निर्देश उपलब्ध कराते हैं कि संगठन (बैंकों सहित) को कैसे निर्देशित या नियंत्रित किया जाना है ताकि वे अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को इस प्रकार से पूरा कर सकें कि संगठन के मूल्य में वृद्धि हो सके और सुदीर्घ समय में संगठन के सभी स्टेकधारक भी लाभान्वित हों।

कार्पोरेट गवर्नेन्स ईमानदारी और सुचिता से कारोबार करने, सभी बैंकिंग लेन देनों में पारदर्शी रहने , सभी आवश्यक प्रकटन और निर्णय करने, देश के कानूनों का पालन करने, स्टेकधारकों के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने और नीतिगत रूप से कारोबार करने की प्रतिबद्धता में निहित है । बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस के लिए भा.रि.बै., सेबी एवं अन्य विनियामक प्रधिकारियों के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है जिसकी सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक द्वारा जाँच की गई है।

बैंक परिभाषित आचार संहिता का अनुपालन करता है जिससे ईमानदारी के मामलों, हित और गोपनीयता के आपसी टकराव और नीतिगत आचार की आवश्यकता का सही प्रकार से निपटान किया जा सके, जो कि अच्छे गवर्नेंस का आधार है। यह आचार संहिता बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के वरिष्ठ प्रबंधनों (यानि महा प्रबंधक तक)पर लागू है।

बैंक की कार्पोरेट गवर्नेन्स प्रथाएँ निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है।

- कानून का अक्षरश: अनुपालन हो ।
- पारदर्शी रहना और उच्च प्रकटीकरण स्तर बनाए रखना ।
- परिचालनों में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग के सभी आयामों में आचार नीति का पालन करने की प्रतिबद्धता ताकि सभी स्टेकधारकों को मूल्य व लाभ प्राप्त हो सके ।
- परिचालनों में पारदर्शिता की दिशा में बैंक अपनी वेबसाइट **www.iob.in** में सभी मुख्य विवरण सभी स्टेकधारकों को उपलब्ध कराता है ।
- जिन देशों में बैंक काम कर रहा है उन सभी देशों के कानून का अनुपालन करना।
- नीति सम्मत बैंकिंग मानदण्डों व दैनिक बैंकिंग परिचालन के आचरण मूल्यों का सख्त अनुपालन ।

बैंक की कार्पोरेट दृष्टि :-

बैंक का उद्देश्य है कि "गवर्नेंस के उच्च मानको और आचार द्वारा निर्देशित वैश्विक पहचान / मौजूदगी के साथ कारोबार और टिकाऊ लाभप्रदता के साथ शिखरस्थ पाँच राष्ट्रीयकृत बैंकों में बने रहना और **'सबसे अधिक अधिमान्य बैंकिंग साझेदार '** के रूप में उभरना ताकि अपने सभी स्टेकधारकों को मूल्य प्रदान करना ।"

बैंक का कार्पोरेट मिशन

- गुणवत्ता , उत्पादों के रेंज , उपयोगिता और लागत प्रभाविता के संदर्भ में सर्वोत्कृष्ट प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करना ।
- प्रशिक्षण , एक्सपोज़र , मेंटरिंग और प्रोत्साहन ,तथा ''सॉफ्ट टच "के साथ व्यवहार न कि "कठोर व्यवहार "के ज़रिए मानव संसाधन को अधिकतम करना ।
- गुणवत्तायुक्त बैंकरों का विकास जो कि उद्योग के भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरेंगे ।
- समावेशित वृद्धि और ग्राहकोन्मुखी प्रयासों के जरिए देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना ।
- उभरती जरूरतों की आपूर्ति के लिए नवोन्मेषी उत्पादों को शुरू करके समय समय पर सेवा सुपुर्दगी की प्रक्रिया को संगठित करना ।
- ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए सर्जनात्मक समस्या समाधान कौशल वातावरण का निर्माण करना और यह सुनिश्चित करना कि हमारा बैंक ग्राहकोन्मुखी है ।
- उभरती अपेक्षाओं की पूर्ति करने हेतु अनुपालन की नीतिगत और नियम चालित संस्कृति पर जोर देना ।
- उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए इंजिनीयर सी आर एम ((ग्राहक संबंध प्रबंधन) और हासिल दृष्टि का निर्माण करना।
- सभी बैंकिंग सेवाओं / सोल्यूशन 'एक बारगी ' प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना चाहे ग्राहक कहीं भी हो ।
- 'बैंक के अंदर बैंक ' की अवधारणा के विकास के जरिए भविष्य की वृद्धि करने के लिए बहुआयामी विधि को अपनाना ।

2. निदेशक मंडल

क. संरचना

बैंक के कारोबार का कार्यभार निदेशक मंडल पर है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यपालक निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। निदेशक मंडल में 31.03.2013 तक नौ निदेशक रहे, जिनमें तीन कार्यपालक पूर्ण कालिक निदेशक हैं व छह गैर कार्यपालक निदेशक हैं जिसमें दो निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हितों के विधिवत प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए हैं।

ख. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकता का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त / कार्यकाल की समिति
01	श्री एम.नरेंद्र	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	1.11.2010	
02	श्री ए. के. बंसल	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	01.09.2010	
03	श्री ए डी एम चावली	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	28.12.2011	

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2012-13

A. MANDATORY REQUIREMENTS:

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE:

Corporate Governance refers to a set of systems, principles and processes by which any organization is governed and function. They provide the broad guidelines as to how the organization (including Banks) has to be directed or controlled so that it can fulfil its goals and objectives in a manner that adds to the value of the organization and is also beneficial to all the stakeholders of the organization in the long term.

Corporate Governance is based on principles such as conducting the business with integrity and fairness, being transparent with regard to all banking transactions, making all necessary disclosures and decisions, complying with all the laws of the land, ensuring accountability and responsibility towards the stakeholders and commitment to conducting business in an ethical manner. Bank has complied with the guidelines of RBI, SEBI and other Regulatory Authorities for Corporate Governance, which has been examined by the Statutory Central Auditor.

The Bank follows a well-defined Code of Conduct, which fairly addresses the issues of integrity, conflict of interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good Governance. This Code of Conduct is applicable to all the members of the Board and the Senior Management (i.e. up to General Managers) of the Bank.

Bank's Corporate Governance practices are based on the following principles:

- Adhere to the Laws and Regulations both in letter and spirit.
- Be transparent and maintain a high degree of disclosure levels
- Total commitment to follow ethical practices in all facets of banking to ensure efficiency in operations so as to maximise value and benefit to all stakeholders.
- Towards transparency in operations, bank provides vital details to all the stakeholders in the Bank's website **www.iob.in.**
- Adhere to the laws and regulations of the Countries where bank carries on operations
- Strict adherence to prudent banking norms and values in the conduct of day-to-day banking operations

Bank's Corporate Vision:-

Bank aims at "To be among the top five nationalized banks in terms of business volumes and sustained profitability with global recognition / presence guided by high standards of governance and ethics; and emerge as the **"Most Preferred Banking Partner"** to unlock value to all its stakeholders".

Bank's Corporate Mission:-

- Deliver the best of competitive products in terms of quality, range, utility and cost effectiveness.
- Optimize HR resources through training, exposure, mentoring and incentive, relying on the "soft touch" instead of the 'big stick".
- Develop quality bankers who would rise to be future leaders of the industry.
- Contribute to country's economic growth through dedicated efforts of inclusive growth and customer focus.
- Streamline the process of service delivery from time to time by introduction of dynamic products to meet emerging requirements.
- Nurture a climate of creative problem-solving skills to resolve customer's grievances with alacrity ensuring that the Bank is regarded as Customer Centric.
- Emphasize a policy-oriented and rule-driven culture of compliance to meet evolving requirements.
- Engineer CRM (Customer Relationship Management) and insights gained for further enhancement of products and service quality.
- Expand IT infrastructure to deliver all banking services / solutions from "one tap" irrespective of customer location.
- Adopt a multi disciplinary approach to facilitate future growth through the evolution of "Banks within the Bank".

2. BOARD OF DIRECTORS:

a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The CMD and two EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2013 is nine directors comprising three whole time Directors and six non-executive Directors, which includes two directors elected by the shareholders to duly represent their interest.

b. Particulars of directors who held office during the financial year 2012-2013:

Sl No.	Name of the Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment	Retirement/ demission of office during the year
1	Shri.M.Narendra	Chairman & Managing Director	Executive / Whole Time	01.11.2010	
2	Shri A.K.Bansal	Executive Director	Executive / Whole Time	01.09.2010	
3	Shri.A.D.M.Chavali	Executive Director	Executive / Whole Time	28.12.2011	

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकता का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त / कार्यकाल की समिति
04	डॉ. आलोक पाण्डे	सरकारी नामिती निदेशक	सरकारी - गैर कार्यपालक	22.07.2010	
05	श्री एस.वी.राघवन	भा.रि.बैं के नामिती निदेशक	गैर कार्यपालक	30.07.2010	
06	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	09.08.2010	
07	श्री के.आनंद कुमार*	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	26.03.2010	*25.03.2013
08	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	सनदी लेखाकार निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	01.11.2011	
09	श्री सूरज खत्री*	निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	26.10.2009	* 25.10.2012
10	श्री अजित वसंत सरदेसाई	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2011	
11	प्रो. एस सडगोपन	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2011	

*अपने तीन वर्षों का कार्यकाल पूर्ण होने पर बैंक के निदेशक मंडल से कार्यमुक्त हो गए ।

बैंक के निदेशको की प्रोफाइल अनुबंध के रूप में संलग्न है ।

यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं ।

मंडल ने निदेशकों और सभी महाप्रबंधकों के लिए आचरण संहिता अपनाई है और अ.व.प्र.नि से इस आशय की घोषणा प्राप्त की गई है जिसमें संहिता अनुपालन की पुष्टि की गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

बोर्ड सेवा विभाग से जुड़े श्री जी आर गाँधी, महा प्रबंधक 31.10.2012 तक अपनी सेवानिवृत्ति तक बोर्ड के भी सचिव थे ।

श्री एस एन मिश्र, मुख्य महा प्रबंधक दिनांक 01.11.2012 से बोर्ड के सचिव भी हैं ।

ग. निदेशक मंडल की बैठकें

बैठक की तारीख व स्थान और कार्यसूची सभी निदेशकों को समय रहते सूचित की जाती है। निदेशकों को कार्यसूची के सभी मदों पर अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक के कार्यपालकों को भी निदेशक मंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है ताकि वे आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकें।

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने बोर्ड व समिति की बैठकों का ई - आयोजन करने के लिए बैंक ने ई - गवर्नेंस पहल शुरू की है और इस प्रकार बोर्ड बोर्ड के सदस्यों को बोर्ड पोर्टल, एक वेब आधारित वर्क स्थान के ज़रिए सूचनाओं का समय पर और निर्बाध प्रवाह में आइ पैड पर निदेशकों को गोपनीय एक्सेस सुविधा वास्तविक समय आधार पर एजेंडा पेपर को प्रदान किया गया। इस पहल ने बैठकों के आयोजन में व्यापक परिवर्तन लाया है , परिणामस्वरूप लागत समय व संसाधन में उल्लेखनीय बचत होती है।

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने बोर्ड व समिति की बैठकों निदेशक मंडल की कम-से-कम तिमाही में एक बैठक के हिसाब से, वर्ष में न्यूनतम छः बार आयोजित किए जाने की तुलना में, 14 बैठकें हुई ।

- वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित तारीखों एवं स्थानों में 14 बार मंडल की बैठकें आयोजित की गईं :

क्र.सं.	बैठक की तारीख	स्थान
1	20-04-2012	चेन्नै
2	05-05-2012	चेन्नै
3	30-05-2012	चेन्नै
4	30-06-2012	चेन्नै
5	30-07-2012	चेन्नै
6	01-09-2012	दिल्ली
7	21-09-2012	मुम्बई
8	26-10-2012	चेन्नै
9	08-12-2012	चेन्नै
10	29-12-2012	चेन्नै
11	11-01-2013	चेन्नै
12	30-01-2013	चेन्नै
13	19-02-2013	दिल्ली
14	20-03-2013	चेन्नै

Sl No.	Name of the Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment	Retirement/ demission of office during the year
4	Dr.Alok Pande	Govt. Nominee Director	Official – Non Executive	22.07.2011	
5	Shri. S.V.Raghavan	RBI Nominee Director	Non Executive	30.07.2010	
6	Shri. Sridhar Lal Lakhotia	Workmen Employee Director	Non Executive	09.08.2010	
7	Shri K. Ananda Kumar *	Officer Employee Director	Non Executive	26.03.2010	25.03.2013 *
8	Shri.Niranjan Kumar Agarwal	Chartered Accountant Director/Part time Non-official	Non Executive	01.11.2011	
9	Shri Sooraj Khatri *	Director/Part time Non-official	Non Executive	26.10.2009	25.10.2012*
10	Shri Ajit Vasant Sardesai	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2011	
11	Prof.S.Sadagopan	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2011	

* demitted office as a Director on the Board of the Bank on completion of his 3 year term.

Profile of Directors of the Bank is enclosed as an Annexure.

It is declared that none of the directors are related to each other.

The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and all the General Managers and a declaration has been obtained from the CMD confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report.

Shri G.R. Gandhi, General Manager, attached to Board Services Department, was also the Secretary to the Board till his superannuation on 31.10.2012.

Shri S.N. Mishra, Chief General Manager is also the Secretary to the Board from 01.11.2012.

c. Meetings of the Board:

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications.

During the year under review, the Bank has promoted an e-governance initiative for e-conduct of Board and Committee meetings by ensuring timely and seamless flow of information to Board members through the use of a Board Portal, a web-based online workspace. The portal offers Directors confidential e-access on IPads, on a real-time basis, to agenda papers. This initiative has transformed the way meetings are conducted while resulting in substantial savings in cost, time and resources.

During the year under review, the meetings of the Board were held 14 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

➢ During the financial year 2012-13, the Board meetings were held 14 Times on the following dates and places:

SL No.	DATE OF MEETING	PLACE HELD
1	20-04-2012	CHENNAI
2	05-05-2012	CHENNAI
3	30-05-2012	CHENNAI
4	30-06-2012	CHENNAI
5	30-07-2012	CHENNAI
6	01-09-2012	DELHI
7	21-09-2012	MUMBAI
8	26-10-2012	CHENNAI
9	08-12-2012	CHENNAI
10	29-12-2012	CHENNAI
11	11-01-2013	CHENNAI
12	30-01-2013	CHENNAI
13	19-02-2013	DELHI
14	20-03-2013	CHENNAI

- सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बिना आयोजित की गईं।
- मंडल की उक्त बैठकों और दिनांक 29.06.2012 को आयोजित पिछली एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गयी है :

क्रम सं.	**निदेशक का नाम**	**उपस्थिति**	**29.06.2012 को संपन्न पिछली एजीएम में उपस्थिति**
01	डॉ एम.नरेंद्र, अ व प्र नि	14/14	हाँ
02	श्री ए.के.बंसल का.नि.	12/14	हाँ
03	श्री ए डी एम चावली का.नि.	14/14	हाँ
04	डॉ. आलोक पाण्डे	08/14 *	नहीं
05	श्री एस.वी.राघवन	12/14	हाँ
06	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	13/14	हाँ
07	श्री के.आनंद कुमार	14/14	हाँ
08	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	13/14	हाँ
09	श्री सूरज खत्री	07/07	हाँ
10	श्री अजित वसंत सरदेसाई	12/14	हाँ
11	प्रो. एस सडगोपन	11/14	नहीं

*डॉ. आलोक पाण्डे ने तीन बार विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बोर्ड की बैठकों प्रतिभागिता की । (05.05.2012,30.01.2013 और 20.03.2013

घ. अन्य मण्डल या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक एक सदस्य अध्यक्ष हैं

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइओबी को छोड कर) जिनमें वे सदस्य /बोर्ड के अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक / नामित निदेशक को छोडकर)	समितियों की संख्या जिसमें सदस्य हैं (आइओबी को छोड कर)
डॉ. एम नरेन्द्र, आइ ओ बी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	1) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया)बरहद के मंडल में निदेशक 2) यूनिवर्सल सोंपो जनरल कं. लि. के मंडल में निदेशक	
प्रो. एस सडगोपन	1) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 2) नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया 3) "क्योनिक्स" - पदेन निदेशक आइ आइ टी - बैंगलोर	शून्य

ड. समितियों में सदस्यता:

मंडल के निदेशकों में से कोई भी 10 समितियों से अधिक में सदस्य नहीं हैं या सभी कंपनियों में, जिसमें वे निदेशक हैं पाँच समितियों से अधिक में अध्यक्ष के रूप में पदस्थ नहीं हैं । (सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(1) (सी) की शर्तों के अनुसार सीमा की गणना के उद्देश्य से, लेखा-परीक्षा तथा शेयर धारक शिकायत समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता पर ही विचार किया गया है)।

3. मंडल की समितियाँ:

निर्णय प्रक्रिया में सुविधा तेजी लाने के लिए मंडल ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं । हर बैठक के कार्यवृत्त समिति की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुमोदन किए गये कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ मंडल बैठक में प्रस्तुत किया जाता है । समिति द्वारा पुष्टिकरण के उपरांत, कार्यवृत्त सभी निदेशकों को परिचालित किया जाता है और सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

3.1 मंडल की प्रबंधन समिति (एम सी बी) :

मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। एमसीबी के निम्नानुसार कार्य एवं कर्तव्य हैं :

क. उधार प्रस्तावों को स्वीकृत करना (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रमात्रा के अनुसार

ख. ऋण और ब्याज समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव, बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रमात्रा के अनुसार

ग. पूंजी एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव

घ. परिसर किराए पर लेने और अधिग्रहण के संबंध में प्रस्ताव, परिसर के किराये के लिए व अधिग्रहण के लिए मानदण्डों के व्यतिक्रम सहित

च. वाद/अपील दायर करना, उन पर प्रतिवाद करना इत्यादि

छ. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में हामीदारी सहित निवेश करना

ज. दान

झ. अन्य कोई विषय जो बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को सौंपा गया हो

मद (क) से (ज), अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के विवेकाधिकार के परे प्रस्तावों के संबंध में है।

समिति वर्ष के दौरान 26 बार मिली। सभी बैठकें उचित फोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

- All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.
- Attendance of the directors at the above Board meetings and last AGM held on 29.06.2012 are furnished below:

Sl. No.	Name of Director	Number of Board Meetings Attended	Attendance in the Last AGM held on 29.06.2012
01	Dr. M. Narendra, CMD	14/14	YES
02	Shri A.K. Bansal, ED	12/14	YES
03	Shri.A.D.M.Chavali, ED	14/14	YES
04	Dr.Alok Pande	08/14 *	NO
05	Shri. S.V.Raghavan	12/14	YES
06	Shri. Sridhar Lal Lakhotia	13/14	YES
07	Shri K. Ananda Kumar	14/14	YES
08	Shri.Niranjan Kumar Agarwal	13/14	YES
09	Shri Sooraj Khatri	07/07	YES
10	Shri Ajit Vasant Sardesai	12/14	YES
11	Prof. S.Sadagopan	11/14	NO

* Dr. Alok Pande also participated in 3 Board Meetings through Video Conferencing (05.05.2012, 30.01.2013 and 20.03.2013)

d. Number of other Boards or Board committees in which the Director is a member/Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he / she is a member/ Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Dr. M. Narendra CMD of IOB	1) Director on the Board of India International Bank (Malaysia) Berhad 2) Director on the Board of Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	
Prof.S.Sadagopan	1) Bharat Earth Movers Limited 2) National Payment Corporation of India 3) "Keonics" ex officio Director of IIT - B	NIL

e. Membership in Committees:

None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all companies in which he is a director. (For the purpose of reckoning the limit in terms of clause 49(1)(C) of the listing agreement, the chairmanship/ membership of the Audit Committee and the Shareholders' Grievance Committee alone have been considered).

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation. After confirmation by the committee, the minutes are circulated to all the Directors and the same is placed for information for the Board.

3.1 Management Committee of the Board (MCB):

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The functions and duties of the MCB are as under:

a. Sanctioning of credit proposals (funded and non funded) as per quantum fixed by the Board

b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals - as per quantum fixed by the Board

c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure

d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.

e. Filing of suits / appeals, defending them etc.

f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.

g. Donations

h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of CMD / Powers of Credit Approval committee as may be applicable.

The committee met 26 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		बैठकों में उपस्थिति
			से	तक	
1.	डॉ. एम.नरेंद्र, अ व प्र नि	अध्यक्ष	01.11.2010		26/26
2.	श्री ए.के.बंसल	सदस्य	01.09.2010		23/26
3.	श्री ए डी एम चावली	सदस्य	28.12.2011		23/26
4.	श्री एस.वी.राघवन	सदस्य	13.09.2010		25/26
5.	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	सदस्य	29.10.2011 08.06.2012 26.03.2013	28.04.2012 07.12.2012 08.08.2013	16/17
6.	श्री के.आनंद कुमार	सदस्य	29.04.2012 08.12.2012	28.10.2012 25.03.2013	19/19
7.	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	सदस्य	01.11.2011	31.10.2014	19/26
8	श्री सूरज खत्री	सदस्य	08.06.2012	25.10.2012	10/10
9.	श्री अजित वसंत सरदेसाई	सदस्य	26.10.2012	25.04.2013	12/16
10.	प्रो. एस सडगोपन	सदस्य	29.10.2012	28.04.2013	09/16

3.2 मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सी ए सी)

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार अधिसूचना सं एस ओ 2736 (ई) दिनांकित 5 दिसंबर 2011 के द्वारा निदेशक मंडल ने दिनांक 25.02.2012 को मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया । समिति को ऋण प्रस्तावों की मंजूरी व ऋण समझौतों / बट्टे खाते में डालने संबंधी विशिष्ट वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं ।

समिति के अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं । 01.04.2012 से 31.03.2013के दौरान समिति की बैठकें 49 बार आयोजित की गयीं । अवधि के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नवत हैं :

निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि	बैठकों में उपस्थिति /आयोजन
डॉ. एम.नरेंद्र, अ व प्र नि	अध्यक्ष	25.02.2012	49/49
श्री ए.के.बंसल, का. नि.	सदस्य	25.02.2012	42/49
श्री ए डी एम चावली, का. नि.	सदस्य	25.02.2012	40/49
म प्र - वृहद कार्पोरेट विभाग	सदस्य	25.02.2012	46/49
म प्र - मध्य कार्पोरेट विभाग	सदस्य	25.02.2012	46/49
म प्र - एम एस एम ई	सदस्य	25.02.2012	41/49
म प्र - तुलन पत्र प्रबंधन (सी एफ ओ)	सदस्य	25.02.2012	40/49
म प्र जोखिम प्रबंधन विभाग	सदस्य	25.02.2012	45/49

3.3 मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

मंडल की लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक /भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित की गयी है। समिति में छ: सदस्य हैं- दो कार्यपालक निदेशक, सरकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक, दो गैर सरकारी निदेशक जिनमें से एक गैर सरकारी सनदी लेखाकार है और भारत सरकार के परिपत्र, दिनांक 18.02.2008 की शर्तों के अनुसार बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (जी) के तहत नामित सरकारी क्षेत्र के बैंकों

The Members who held office during the period 01.04.2012 to 31.03.2013 and the details of number of meetings attended during their tenure by each committee member are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of Membership		Number of Meetings Attended
			From	To	
1.	Dr. M.Narendra, CMD	Chairman	01.11.2010		26/26
2.	Shri. A.K.Bansal	Member	01.09.2010		23/26
3.	Shri. A.D.M.Chavali	Member	28.12.2011		23/26
4.	Shri. S.V.Raghavan	Member	13.09.2010		25/26
5.	Shri. Sridhar Lal Lakhotia	Member	29.10.2011 08.06.2012 26.03.2013	28.04.2012 07.12.2012 08.08.2013	16/17
6.	Shri. K. Ananda Kumar	Member	29.04.2012 08.12.2012	28.10.2012 25.03.2013	19/19
7.	Shri.Niranjan Kumar Agarwal	Member	01.11.2011	31.10.2014	19/26
8	Shri Sooraj Khatri	Member	08.06.2012	25.10.2012	10/10
9.	Shri.A.V.Sardesai	Member	26.10.2012	25.04.2013	12/16
10.	Prof.S.Sadagopan	Member	29.10.2012	28.04.2013	09/16

3.2 Credit Approval Committee of the Board (CAC)

The Credit Approval Committee of the Board has been constituted on 25.02.2012 by the Board of Directors in terms of the amendment of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 vide Notification No.S.O.2736(E) dated December 5, 2011. The committee is empowered with specific financial powers for sanctioning of credit proposals and for settlement for loan compromise/write off.

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The Committee met 49 times during the period 01.04.2012 to 31.03.2013. Number of meetings attended by each committee member during the period:

Name of the members	Position	Tenure of membership From	Meeting Attended/held
Dr. M. Narendra, CMD	Chairman	25.02.2012	49/49
Shri. A.K. Bansal, ED	Member	25.02.2012	42/49
Shri. A.D.M. Chavali, ED	Member	25.02.2012	40/49
GM - Large Corporate Department	Member	25.02.2012	46/49
GM - Mid Corporate	Member	25.02.2012	46/49
GM - MSME	Member	25.02.2012	41/49
GM - Balance Sheet Management (CFO)	Member	25.02.2012	40/49
GM - Risk Management Department	Member	25.02.2012	45/49

3.3 Audit Committee of the Board (ACB):

The Audit Committee of the Board has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/GOI and consists of six members comprising of two EDs, Government director, RBI director, two non-official directors of which one is a non-official Chartered Accountant director nominated under section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition

को मंडल की लेखा परीक्षा समिति में गैर-सरकारी सनदी लेखाकार को शामिल करने हेतु सूचितानुसार एक गैर आधिकारिक सनदी लेखाकार है।

मंडल लेखा परीक्षा समिति के कार्य व कर्तव्य निम्नानुसार हैं

- बैंक में समग्र लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन की देख-रेख करना और मार्गदर्शन देना। समग्र लेखा परीक्षा क्रियाकलापों में बैंक का आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा का संगठन, गुणवत्ता नियंत्रण व परिचालन करना और बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के सांविधिक /बाहरी लेखापरीक्षा का अनुवर्तन करना
- बैंक में होनेवाले आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा की समीक्षा करना अनुवर्तन के संदर्भ में प्रणाली, उसकी गुणवत्ता तथा प्रभावात्मकता की समीक्षा करना और विशिष्ट तथा बहुत बडी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंगवाली सभी शाखाओं की समीक्षा करना
- कार्यकारी क्षेत्रों के अनुपालन अधिकारियों से अर्ध वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करना है और उसकी समीक्षा करना
- सांविधिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तथा लाँग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एलएफ़एआर) में उठाए गए सभी मदों पर अनुवर्तन तथा समीक्षा करना और वार्षिक/वित्तीय विवरणों तथा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करना
- भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों /चिंताजनक विषयों की समीक्षा एवं अनुवर्तन करना

यह समिति विशेषकर निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देती है

- अन्तर - शाखा समंजन खाते
- अन्तर-बैंक तथा नोस्ट्रो खातों में लंबी अवधि से असमंजित लंबित प्रविष्टियाँ
- विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान में बकाये का समंजन
- धोखाधडियों एवं व्यवस्था संबंधी अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सेबी समिति की शर्तों के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों पर मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य /शक्तियाँ सौंपे गए :

- समिति के अधीन किसी भी गतिविधि की जाँच पड़ताल करना।
- किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना ।
- बाहर से विधिक या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना ।
- जरुरत पड़ने पर संबंधित विषय में विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित करना।

लेखा-परीक्षा समिति के कार्यों में भी विद्यमान कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर दृष्टि रखना तथा उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, प्रर्याप्त तथा विश्वसनीय है ।
- लेखाकरण नीतियों व आचरणों पर जोर देते हुए, लेखाकरण मानकों का अनुपालन और अन्य कानूनी जरूरतों को पूरा करते हुए वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करने के साथ वित्तीय विवरणों के प्रबंधन की समीक्षा करना।
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा प्रबंधन, बाहरी एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ करना ।
- महत्वपूर्ण स्वरूप के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता या अनियमितता या धोखाधड़ी संबंधी संदेहात्मक मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जाँच के परिणामों का पुनरीक्षण कर मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना।
- लेखा-परीक्षा शुरु होने से पहले लेखा-परीक्षा का स्वरूप और विस्तार के बारे में बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करने के साथ-साथ लेखा-परीक्षा के बाद किसी चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा करना ।
- कंपनी की वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना ।

वर्ष 2012-13 के दौरान समिति दिनांक 05.05.2012, 30.05.2012, 30.07.2012, 08.09.2012, 21.09.2012, 26.102012, 06.11.2012, 29.12.2012, 30.01.2013, 19.02.2013, एवं 28.03.2013 को 11 बार मिली।

सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		बैठकों में उपस्थिति
			से	तक	
1.	श्री ए.के.बंसल	सदस्य	01.09.2010		10/11
3.	श्री ए डी एम चावली	सदस्य	28.12.2011		10/11
3.	डॉ. आलोक पाण्डे	सदस्य	22.07.2011		06/11 *
4.	श्री एस.वी.राघवन	सदस्य	30.07.2010		10/11
5.	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	03.12.2011 से प्रभावी सदस्य /अध्यक्ष	01.11.2011	31.10.2014	11/11
6.	श्री सूरज खत्री	सदस्य	08.12.2011	25.10.2012	05/05
7.	श्री ए वी. सर देसाई	सदस्य	26.10.2012		04/06

*डॉ. आलोक पांडे ने लेखा परीक्षा की चार बैठकों में विडियो कॉन्फ्रेसिंग के ज़रिए भाग लिया (05.05.2012,06.112012,30.01.2013 और 28.03.2013)

and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 in terms of GOI Circular dated 18.02.2008 advising Public Sector Banks to include such Director in the Audit Committee of the Board.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

- To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalization and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspections of RBI.
- To review the internal inspection / audit function in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up and also the inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings
- To obtain and review half – yearly reports from the Compliance Officers of the functional areas.
- To review and follow up on the report of the statutory audits and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.
- To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI.

This committee specially focuses on the follow-up of:

- Inter – Branch Adjustment Accounts.
- Unreconciled long outstanding entries in Inter – Bank Accounts and Nostro Accounts.
- Arrears in balancing of books at various branches.
- Frauds and all other major areas of house keeping.

The following additional functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges:

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing the company's Financial and Risk Management Policies.

The committee met 11 times during the year 2012-13 on 05.05.2012, 30.05.2012, 30.07.2012, 08.09.2012, 21.09.2012, 26.10.2012, 06.11.2012, 29.12.2012, 30.01.2013, 19.02.2013 and 28.03.2013.

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The members who held office during the period 01.04.2012 to 31.03.2013 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended/held
1.	Shri A.K.Bansal	Member	01.09.2010		10/11
2.	Shri A.D.M.Chavali	Member	28.12.2011		10/11
3.	Dr.Alok Pande	Member	22.07.2011		06/11 *
4.	Shri S.V.Raghavan	Member	30.07.2010		10/11
5.	Shri.Niranjan Kumar Agarwal	Member/Chairman W.e.f. 03.12.2011	01.11.2011	31.10.2014	11/11
6.	Shri. Sooraj Khatri	Member	08.12.2011	25.10.2012	05/05
7.	Shri. A.V. Sardesai	Member	26.10.2012		04/06

*Dr. Aloke Pande has also participated through Video Conferencing in 4 meetings of the Audit Committee (05.05.2012, 06.11.2012, 30.01.2013 and 28.03.2013).

कार्यपालक निदेशकों, महा प्रबंधक(निरीक्षण) और क्रेडिट, जोखिम प्रबंधन, वसूली,_अन्तर्राष्ट्रीय,ट्रेज़री, लेखा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात महा प्रबंधकों के साथ कार्य पालकों की लेखा उप समिति (ए, सी ई)का गठन किया गया । इस समिति को कुछ भूमिकाएँ व दायित्व प्रत्यायोजित किए गए हैं। साथ ही अतिरिक्त प्रयास इस समिति को समय समय पर बैठक करनी हैं, वर्ष में छह बार, तिमाही में कम से कम एक बार।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

इस समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि हैं। समिति 01.04.2012 से 31.3.2013 के बीच 7 बार मिली। प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. एम.नरेंद्र	01.11.2010		07/07
2.	श्री ए. के. बंसल	01.09.2010		06/07
3.	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011		07/07
4.	श्री अजित वसंत सरदेसाई	21.12.2011		06/07
5.	प्रो. एस सडगोपन	21.12.2011		06/07

3.5 बड़ी मूल्यवाली धोखाधड़ियों के लिए प्रबोधन संबंधी समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। समिति 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान सात बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या ।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. एम.नरेंद्र	01.11.2010		06/07
2.	श्री ए. के. बंसल	01.09.2010		06/07
3.	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011		07/07
4.	डॉ. आलोक पाण्डे	22.07.2011		05/07 *
5.	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	03.12.2011		07/07
6.	श्री सूरज खत्री	29.05.2010	25.10.2012	04/04
7.	श्री अजित वसंत सरदेसाई	26.10.2012		03/03

* डॉ. आलोक पांडे ने एक बैठक में विडियो कॉन्फ्रेसिंग के ज़रिए भाग लिया (30.01.2013)

3.6 ग्राहक सेवा समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान समिति 3 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. एम.नरेंद्र	01.11.2010		02/03
2	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010		03/03
3	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011		03/03
4	डॉ. आलोक पाण्डे	22.07.2011		03/03
5	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	09.08.2010		03/03
6	श्री के. आनंद कुमार	26.03.2010	25.03.2013	03/03
7	श्री सूरज खत्री	29.05.2010	25.10.2012	02/02
8	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	26.10.2012		01/01

3.7 अनुशासनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. है। 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान समिति 4 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में भाग लेने की संख्या :

An Audit Sub Committee of Executives (ACE) was constituted with EDs and GM (Inspection) and seven General Managers representing important portfolios like Credit, Risk Management, Recovery, International, Treasury, Accounts and Information Technology. The committee is delegated with certain roles and responsibilities and to meet at frequent intervals namely six times in a year, at least once in a quarter.

3.4 Risk Management Committee:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 7 times during the period 01.04.2012 to 31.03.2013. Number of Meetings attended by each Committee Member during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings Attended/held
1.	Dr. M. Narendra	01.11.2010		07/07
2.	Shri. A.K.Bansal	01.09.2010		06/07
3.	Shri. A.D.M.Chavali	28.12.2011		07/07
4.	Shri.A.V.Sardesai	21.12.2011		06/07
5.	Prof.S.Sadagopan	21.12.2011		06/07

3.5 Committee For Monitoring Large Value Frauds:

The Chairman of the Committee is the CMD of the Bank. The committee met 7 times during the period 01.04.2012 to 31.03.2013. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended/held
1.	Dr. M. Narendra	01.11.2010		06/07
2.	Shri A.K.Bansal	01.09.2010		06/07
3.	Shri.A.D.M.Chavali	28.12.2011		07/07
4.	Dr. Alok Pande	22.07.2011		05/07 *
5.	Shri. Niranjan Kumar Agarwal	03.12.2011		07/07
6.	Shri Sooraj Khatri	29.05.2010	25.10.2012	04/04
7.	Shri Ajit Vasant Sardesai	26.10.2012		03/03

*Dr. Alok Pande has also participated through video conferencing in 1 meeting (30.01.2013)

3.6 Customer Service Committee:

The Chairman of the Committee is the CMD of the Bank. The committee met 3 times during the period 01.04.2012 to 31.03.2013. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of the Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Dr. M. Narendra	01.11.2010		02/03
2	Shri A.K.Bansal	01.09.2010		03/03
3	Shri.A.D.M.Chavali	28.12.2011		03/03
4	Dr.Alok Pande	22.07.2011		03/03
5	Shri Sridhar Lal Lakhotia	09.08.2010		03/03
6	Shri.K. Ananda Kumar	26.03.2010	25.03.2013	03/03
7	Shri. Sooraj Khatri	29.05.2010	25.10.2012	02/02
8	Shri. Niranjan Kumar Agarwal	26.10.2012		01/01

3.7 Committee For Review Of Disciplinary Cases:

The Chairman of the Committee is the CMD of the Bank. The committee met 4 times during the period 01.04.2012 to 31.03.2013. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. एम.नरेंद्र	01.11.2010		03/04
2	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010		04/04
3	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011		04/04
4	डॉ. आलोक पाण्डे	22.07.2011		04/04
5	श्री एस.वी.राघवन	30.07.2010		03/04

3.8 पारिश्रमिक समिति

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक (कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को छोड़कर) के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। बैंक के अन्य निदेशकों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बैठक के शुल्क के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) पत्र एफ.सं.20/01/2005-बीओ-1, दिनांक 09.03.2007 के अनुसार भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार बैंक के पूर्ण कालिक निदेशकों को सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पादन का मूल्यांकन एवं कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करने की सिफ़ारिश करने हेतु निदेशक मंडल की उप समिति- पारिश्रमिक समिति -गठित की गई है।

15.06.2012 को आयोजित समिति के सदस्य निम्न प्रकार हैं :

1. डॉ.आलोक पाण्डे
2. श्री एस.वी.राघवन
3. श्री निरंजन कुमार अग्रवाल
4. श्री अजित वसंत सरदेसाई

समिति के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया ।

3.9 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संदर्भ डीबीओडी सं. बी सी सं.47 / 29.39.001 / 2007-08 दिनांक 01.11.2007 में दिनांक 16.10.2006 से प्रभावी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में हुए संशोधन के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करते समय 'योग्य तथा उचित' हैसियत आदि निर्णय लेने के प्राधिकार, पद्धति / कार्यविधि तथा मांनदण्ड-के निर्धारण के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब निदेश दिया है कि "योग्य तथा उचित" मानदण्ड को अब से चुने गए निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) - दोनों वर्तमान तथा भविष्य में भी लागू किया जाए।

समिति का गठन उपयुक्त समय पर किया जाएगा ।

3.10 सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

भारतीय रिजर्व बैंक ने आने परिपत्र सं आर बी आइ / 2010-11 / 494 डी बी एस . सी ओ . आइ टी सी . बी सी सं 6 / 31 .02 . 008 / 2010-11 दिनांकित 29.04.2011 के द्वारा सभी बैंकों को सूचित किया है कि सभी बैंकों को मण्डल स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति का गठन करना है ताकि सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस प्रभावी हो सके । समिति का गठन दिनांक 30 मई 2011 को किया गया और श्री ए के बंसल इसके अध्यक्ष हैं । 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान समिति की बैठक तीन बार आयोजित की गयी । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य की बैठक में उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री ए.के.बंसल	30.05.2011		03/03
2	श्री ए. डी एम चावली	28.12.2011		03/03
3	डॉ. आलोक पाण्डे	28.01.2012		03/03
4	प्रो. एस सडगोपन	28.01.2012		03/03

3.11 मानव संसाधन पर मंडल की स्टियरिंग समिति

खंडेलवाल समिति की संस्तुतियों के अनुसार व भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के अनुसार दिनांक 21.12.2011 को मानव संसाधन पर मंडल की स्टियरिंग समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य निम्नवत हैं :

1. डॉ. एम नरेन्द्र - अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
2. श्री ए के बंसल - कार्यपालक निदेशक
3. श्री ए डी एम चावली - कार्यपालक निदेशक
4. डॉ. आलोक पाण्डे - सरकारी नामिती निदेशक व निम्नलिखित मानवसंसाधन विशेषज्ञ
5. श्री के आर राममूर्ति - सेवानिवृत्त अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्पोरेशन बैंक
6. डॉ. टी टी राममोहन - प्रो. आइ आइ एम अहमदाबाद

समिति की बैठक 01.09.2012 को आयोजित की गयी । सभी सदस्यों ने बैठक में प्रतिभागिता की ।

3.12 वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड स्तरीय समिति

वित्त मंत्रालय , वित्तीय सेवाएं विभाग , भारत सरकार के सुझावों के अनुपालन में वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड स्तरीय समिति का गठन दिनांक 08.12.2012 को

Sl. No.	Name of the Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Dr. M. Narendra	01.11.2010		03/04
2	Shri A.K.Bansal	01.09.2010		04/04
3	Shri.A.D.M.Chavali	28.12.2011		04/04
4	Dr.Alok Pande	22.07.2011		04/04
5	Shri. S.V.Raghavan	30.07.2010		03/04

3.8 REMUNERATION COMMITTEE:

Remuneration (excluding performance linked incentive) payable to the whole time directors is decided by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per directives of Central Government.

A Remuneration Committee, a Sub-Committee of the Board of Directors, has been constituted for evaluating the performance in terms of government guidelines and to recommend payment of performance-linked incentives to the whole time directors of the Bank, in terms of Government of India, Ministry of Finance (Banking Division) letter F. No. 20 / 1 / 2005 – BO-I dated 09.03.2007.

The members of the Committee that met on 15.06.2012 are:-

1. Dr. Alok Pande
2. Shri. S.V.Raghavan
3. Shri. Niranjan Kumar Agarwal
4. Shri Ajit Vasant Sardesai

All members of the Committee have attended the meeting.

3.9 NOMINATION COMMITTEE :

RBI, vide circular ref: DBOD. No. BC. No.47 / 29.39.001 / 2007-08 dated 01.11.2007, pursuant to the amendment in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 effective 16.10.2006, has issued necessary guidelines for determining the authority, manner/procedure and criteria for deciding the 'Fit and Proper' status etc., while appointing the Directors.

RBI has directed that the *"Fit and Proper"* criteria, as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors) – both present and future.

The Committee would be constituted at an appropriate time.

3.10. INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE

RBI vide their Circular No.RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No. 6/31.02.008/ 2010-11 dated 29.04.2011 has advised that all banks should have a Board Level Information Technology Strategy Committee for effective IT Governance. The Committee was constituted on 30th May 2011. Shri. A.K. Bansal is the Chairperson of the Committee. The Committee met 3 times during the period 01.04.2012 to 31.03.2013. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

S.No.	Name of the Directors	Tenure of Membership From	To	Number of meetings attended
1	Shri A.K.Bansal	30.05.2011		03/03
2	Shri A.D.M.Chavali	28.12.2011		03/03
3	Dr.Alok Pande	28.01.2012		03/03
4	Prof.S.Sadagopan	28.01.2012		03/03

3.11 STEERING COMMITTEE OF BOARD ON HUMAN RESOURCES

In line with the recommendations of the Khandelwal Committee as approved by the Government of India, the Steering Committee of Board on Human Resources was constituted on 21.12.2011 with the following members:

1. Dr. M. Narendra - Chairman and Managing Director
2. Shri. A.K.Bansal - Executive Director
3. Shri.A.D.M.Chavali - Executive Director
4. Dr.Alok Pande - Government Nominee Director and the following HR Professionals viz.,
5. Shri. K.R. Ramamoorthy - Retired CMD of Corporation Bank
6. Dr. T. T. Ram Mohan - Professor, IIM, Ahmedabad

The Committee met once on 01.09.2012. All the members have attended the meeting.

3.12 BOARD LEVEL COMMITTEE TO MONITOR RECOVERY IN NPA

In compliance with the suggestions of the Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India, Board

बोर्ड द्वारा किया गया जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. डॉ. एम नरेन्द्र - अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
2. श्री ए. के . बंसल - कार्यपालक निदेशक
3. श्री ए डी एम चावली - कार्यपालक निदेशक
4. डॉ. आलोक पाण्डे - सरकार के नामित निदेशक
5. महा प्रबंधक , (वसूली)
6. महा प्रबंधक (उधार प्रबोधन)
7. बैंक के वरिष्ठतम महा प्रबंधक

समिति की बैठक एक बार दिनांक 08.12.2012 को आयोजित की गयी ।

3.13 अधिमानी आधार पर शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति।

समिति का गठन अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों को भारत सरकार को आबंटित करने के लिए किया गया था और इसे शेयरों को अधिमानी आधार पर जारी करने, आबंटित करने के संबंध में (कीमत को निर्धारित करने सहित) आवश्यक व तात्कालिक उपाय करने के लिए अधिकार दिए गए थे ।

समिति का गठन बोर्ड द्वारा दिनांक 30.01.2013 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया ।

1. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
2. कार्यपालक निदेशकों में से कोई एक
3. श्री अजित वसंत सरदेसाई

समिति की बैठक वित्तीय वर्ष 2012 -13 के दौरान दो बार दिनांक 19.02.2013 और 18.03.2013 को आयोजित की गयी ।

4. शेयरधारकों की समितियाँ

क. शेयरधारक शिकायत समिति

अप्रैल 2001 को गठित शेयरधारकों की शिकायत समिति का अंतिम बार पुनर्गठन निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 21.09.2012 को किया।

अभी समिति के अध्यक्ष श्री ए.वी सरदेसाई हैं और अन्य सदस्य निदेशक मंडल द्वारा नामित दो निदेशक हैं । 01.04.2012 से 31.03.2013 तक की अवधि के दौरान समिति 4 बार 30.05.2012,01.09.2012,25.10.2012,.30.01.2013 को मिली। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं। समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री ए. वी सरदेसाई	08.11.2011		04/04
2.	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010		03/03
3.	श्री ए.डी एम चावली **	28.12.2011		01/01
4.	श्री सूरज खत्री	20.04.2012	25.10.2012	03/03
5.	प्रो. एस सडगोपन	21.09.2012		01/01

** श्री ए के बंसल , कार्यपालक निदेशक द्वारा शेयरधारकों की शिकायत समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर समिति के सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु नियुक्त किया गया।

शेयरधारक शिकायत व उनके निवारण संबंधी प्रणाली आदि में रजिस्ट्रार के कार्यालय में अपनाई जानेवाली पद्धति का आवधिक अंतरालों में जाँच करने के लिए साचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत समिति ने श्री वी. सुरेश, कार्यरत कंपनी सचिव की नियुक्ति की। समिति की प्रत्येक बैठक में उनकी तिमाही रिपोर्टों पर विचार किया गया है।

ख. शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, शेयरधारक निदेशक और मंडल द्वारा नामित एक निदेशक हैं। समिति शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्रों को निर्गत करने, ट्रांसपोसिशन, डीमैट/रीमैट आदि को संभालती है। समिति वर्ष के दौरान 33 बार मिली और बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री ए.के.बंसल *	01.09.2010		23/23
2	श्री ए. डी. एम . चावली **	28.12.2011		10/10
3	श्री के.आनंद कुमार	30.03.2010	25.03.2013	32/32
4	श्री ए. वी सरदेसाई	08.12.2011		23/33
5	प्रो. एस सडगोपन	26.03.2013		00/01

* अ. व. प्र. नि. द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

** अ. व. प्र. नि. या श्री ए के बंसल , कार्यपालक निदेशक द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

शेयर अंतरण समिति ने शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, समेकन, स्प्लिट, डूप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना आदि के संबंध में अपनाई गई पद्धति की जाँच करने के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय में साचिविक लेखापरीक्षा करने के लिए कार्यरत कंपनी सचिव श्री वी. सुरेश को नियुक्त किया। उनका कार्य 01.01.2005 से आरंभ हुआ और उनकी पाक्षिक रिपोर्ट पर समिति की हर बैठक में विचार किया गया । अंतरण का कोई भी अनुरोध एक माह से अधिक लंबित नहीं है।

ग. अनुपालन अधिकारी :

सेबी, स्टॉक एकस्चेंज आदि के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए , सूची करार के उपबंध 47 के अनुसार सुश्री दीपा चेल्लम समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी हैं ।

Level Committee to Monitor Recovery in NPAs was constituted by the Board on 08.12.2012 with the following members:

1. Dr.M.Narendra - Chairman & Managing Director
2. Shri. A.K.Bansal - Executive Director
3. Shri.A.D.M.Chavali - Executive Director
4. Dr.Aloke Pande - Government Nominee Director
5. General Manager (Recovery)
6. General Manager (Credit Monitoring)
7. Senior Most General Manager of the Bank

The committee met once on 08.12.2012.

3.13 COMMITTEE OF DIRECTORS FOR PREFERENTIAL ISSUE OF SHARES

The Committee was constituted for allotment of equity shares to the Government of India on a preferential basis and was authorized to take necessary and incidental steps (including fixing of price) in connection with the issue, allotment of shares on preferential basis.

The committee was constituted by the Board on 30.01.2013 with the following members:

1. Chairman and Managing Director
2. Anyone of the Executive Directors
3. Shri. Ajit Vasant Sardesai

The Committee met 2 times in the FY 2012-13 on 19.02.2013 and 18.03.2013.

4. SHAREHOLDERS' COMMITTEES:

(a) Shareholders Grievance Committee:

The Shareholders Grievance Committee, constituted in April 2001, was last reconstituted by the Board on 21.09.2012.

At present, the Chairman of the Committee is Shri A.V. Sardesai and the other members are two directors nominated by the Board. The committee met 4 times during the period 01.04.2012 to 31.03.2013, on 30.05.2012, 01.09.2012, 25.10.2012 and 30.01.2013. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. The number of meetings attended by each committee member during the year is as follows:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri A.V.Sardesai	08.11.2011		04/04
2.	Shri A.K.Bansal	01.09.2010		03/03
3.	Shri A.D.M.Chavali**	28.12.2011		01/01
4.	Shri. Sooraj Khatri	20.04.2012	25.10.2012	03/03
5.	Prof.S.Sadagopan	21.09.2012		01/01

** Appointed to attend meetings as a member of the Shareholders Grievance Committee in the absence or inability of Shri. A.K.Bansal, ED to attend meetings.

The Shareholders' Grievance Committee appointed a Practicing Company Secretary, Shri. V. Suresh, to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, at periodical intervals to verify the methodology followed by them involving Shareholders Grievances & Redressal system etc. The committee considers his quarterly reports at every meeting.

(b) Share Transfer Committee:

Share Transfer Committee consists of the Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director, one shareholder Director and one Director nominated by the Board. The committee deals with all matters connected with share transfers, transmission, issue of duplicate share certificates, transposition, demat / remat etc. The committee met 33 times during the year and all the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The number of meetings attended by each committee member during the year is as under:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Shri A.K.Bansal *	01.09.2010		23/23
2	Shri.A.D.M. Chavali **	28.12.2011		10/10
3	Shri.K.Ananda Kumar	30.03.2010	25.03.2013	32/32
4	Shri.A.V.Sardesai	08.12.2011		23/33
5	Prof.S.Sadagopan	26.03.2013		00/01

*Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee In the absence or inability of CMD to attend Meetings.

**Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee In the absence or inability of CMD or Shri.A.K.Bansal, ED to attend Meetings.

The Share Transfer Committee appointed a Practicing Company Secretary, Shri V. Suresh, to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, to verify the methodology followed by them involving share transfer, transmission, consolidation, split, issue of duplicate certificates etc., His assignment commenced on 01.01.2005 and his fortnightly reports are considered at every meeting of the Committee. No request for transfer is pending for more than one month.

(c) Compliance Officer:

In terms of clause 47 of the listing agreement, Ms.Deepa Chellam is the Company Secretary and the Compliance Officer during the period under review for the purpose of complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.

घ. शेयरधारकों की शिकायतें

वर्ष के दौरान प्राप्त व दूर की गई तथा विचाराधीन शिकायतों की संख्या

क्रम सं.	शिकायत की प्रकृति	31.03.2012 तक लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निपटाई गई	31.03.2013 तक लंबित
1	वापसी आदेश और शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त न होना	शून्य	2	2	शून्य
2	लाभांश प्राप्त न होना	शून्य	553	553	शून्य
3	सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों और ग्राहक शिकायत निवारण फोरम की शिकायतें	शून्य	35	35	1
4	विविध (पते में परिवर्तन , बैंक अधिदेश, डीमैट अनुरोध आदि से संबंधित शिकायतें)	शून्य	26	26	शून्य
	कुल	शून्य	616	616	शून्य

सूचीबद्ध करार के खण्ड 47(एफ) के अनुसार हमने शेयरधारकों को सूचित किया है कि अन्य ई मेल आइ डी **investorcomp@iobnet.co.in** दी गई है और सुश्री दीपा चेल्लम को निवेशकों द्वारा शिकायतों को दर्ज करने और निवारण करने के लिए विशेष रूप से अनुपालन अधिकारी के रूप मे भी नामित किया गया है । हमने यह ई मेल आई डी और अन्य संबंधित ब्यौरे प्रमुखता से अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए हैं। सहायक महा प्रबंधक जो निवेशक संपर्क कक्ष के प्रमुख हैं निवेशक संबंधी शिकायतों का निवारण करते हैं।

5. अन्य समितियां

विभिन्न अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रंबंधन समिति , निवेश पुनरीक्षण समिति , उच्च प्रबंधन समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कार्यपालक निदेशक महाप्रबंधकों के साथ विभाग कार्यपालक शामिल हैं , जिसे दैनिक कार्यों तथा कारोबार के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा निगरानी तथा प्रबोधन करने के लिए गठित किया गया हैं ।

6. सामान्य सभा की बैठकें

क. स्थान व समय जहाँ पिछली तीन बैठकें आयोजित की गई :

क्रम सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
1	10वीं एजीएम	20.07.2010 मंगलवार 11.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
2	11वीं एजीएम	12.07.2011मंगलवार 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
3	12वीं एजीएम	29.06.2012 शुक्रवार 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018

ख. 11वीं व 12 वीं वार्षिक सामान्य बैठकों में शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट(क्यू आइ पी), राईट्स ईश्यू , अधिमानी आधार पर आबंटन और अनुवर्तन पब्लिक ऑफर या अधिमानी शेयरों (संचयी / गैर संचयी) के ज़रिए ईक्विटी शेयरों को जारी कर पूँजी जुटाने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तुत किए गए।

ग. कोई डाक मतदान नहीं था ।

घ. स्थान व समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुईं :

क्रम सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
1	ईजीएम	07.12.2002 शनिवार11.00 बजे, सुबह	रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006
2	ईजीएम	30.11.2005 बुधवार 11.00 बजे, सुबह	रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006
3	ईजीएम	25.11.2008 मंगलवार 11.00 बजे, सुबह	नारद गान सभा, 314 टीटीके रोड,चेन्नै - 600 018
4	ईजीएम	22.03.2011 मंगलवार 11.00 बजे, सुबह	नारद गान सभा, 314 टीटीके रोड,चेन्नै - 600 018
5	ईजीएम	21.03.2012 बुधवार 10.30 बजे, सुबह	कामराज मेमोरियल हाल, न्यू नं 492 , अण्णा सालै, चेन्नै - 600006
6	ईजीएम	18.03.2013 सोमवार 10.00 बजे, सुबह	रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006

(d) Shareholders Complaints:

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

S.No.	Nature of Complaint	Pending as on 31.03.2012	Received during the year	Redressed during the year	Pending as on 31.03.2013
1	Non receipt of refund order and Share certificates	Nil	2	2	Nil
2	Non receipt of Dividend	Nil	553	553	Nil
3	Complaints to SEBI / Stock Exchanges and Consumer Redressal Forum /Court	Nil	35	35	1
4	Miscellaneous (complaints reg. change of address, bank mandate, demat requests etc.)	Nil	26	26	Nil
	Total	Nil	616	616	Nil

In terms of clause 47(f) of the listing agreement we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID - **investorcomp@iobnet.co.in** has been allotted and Ms. Deepa Chellam, Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website. The Investor Relations Cell headed by an Assistant General Manager handles the redressal of investor complaints.

5. Other Committees:

There are various other committees such as Asset Liability Management Committee, Investment Review Committee, and Top Management Committee comprising CMD, ED and GMs along with Department Executives, which have been constituted for the day to day functioning, review and monitoring of various aspects of business.

6. GENERAL BODY MEETING:

a. Location and time where last three Annual General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	10th AGM	20.07.2010 Tuesday 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018
2	11th AGM	12.07.2011, Tuesday, 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018
3	12th AGM	29.06.2012, Friday, 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018

b. In the 11th and 12th AGMs, special resolutions were put through to get the shareholders approval to raise capital by way of issue of equity shares through Qualified Institutional Placement (QIP), Rights Issue, Preferential allotment or Follow-on Public Offer or preference shares (cumulative / non cumulative).

c. There was no postal ballot exercise.

d. Location and time where Extra Ordinary General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	EGM	07.12.2002 Saturday 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
2	EGM	30.11.2005 Wednesday 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
3	EGM	25.11.2008 Tuesday 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018
4	EGM	22.03.2011 Tuesday 11.00 AM	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018
5	EGM	21.03.2012 Wednesday 10.30A.M	Kamaraj Memorial Hall, New No. 492, Anna Salai, Chennai – 600 006
6	EGM	18.03.2013 Monday 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006

शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए प्रथम तीन ई जी एम बैठकों का आयोजन किया गया। अगली तीन ई जी एम बैठकों का आयोजन अधिमानी आधार पर भारत सरकार और एल आइ सी व उसकी विभिन्न योजनाओं को ईक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया गया ।

7. प्रकटीकरण

क. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक व कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक केन्द्र सरकार द्वारा नियत किया जाता है। वर्ष 2012-13 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण निम्नवत हैं :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक का विवरण	रकम (रु.)
1	डॉ. एम .नरेन्द्र	अ व प्र नि	01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान वेतन व भत्ते पी एफ, पुरस्कार व प्रोत्साहन	26,35,027.00
2.	श्री ए. के. बंसल	का नि	01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान वेतन व भत्ते पी एफ , पुरस्कार व प्रोत्साहन	22,50,982.00
3.	श्री ए डी एम चावली	का नि	01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के दौरान वेतन व भत्ते पी एफ, पुरस्कार व प्रोत्साहन	16,67,488.00
4.	श्रीमती नूपुर मित्रा	का नि अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत	वित्तीय वर्ष 2012 -13 के दौरान 01.04.2011से 31.10.2011की अवधि के लिए प्रोत्साहन	3,20,833.00

बैंक स्वतंत्र निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं देता , भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल प्रतिभागिता शुल्क दिया जाता है यथा बोर्ड की बैंठकों के लिए प्रति बैठक रु. 10,000/- और समिति की बैठकों के लिए प्रति बैठक रु. 5000/- दिया जाता है ।

ख. प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों यानी पूर्णकालिक निदेशक से संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटन की अर्द्धवार्षिक आधार पर समीक्षा मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है ।

ग. बैंक के निदेशकों , प्रबंधन उनकी अनुषंगी इकाइयों या संबंधियों आदि के साथ बैंक के ऐसे कोई महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं हैं जिनसे बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

घ. स्टॉक एक्सचेंजों /सेबी / किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा 31.03.2013 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार संबंधी किसी भी विषय पर बैंक पर न तो दण्ड लगाया गया और न ही आलोचना की गई है ।

च. वर्तमान में बैंक की चेतावनी नीति है ।

छ. बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी सांविधिक / दिशानिर्देशों / निदेशों में दी गई सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है ।

ज. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को संबंधित मदों के सामने रिपोर्ट में दिए अनुसार अपनाया गया है।

झ. बैंक के निदेशक मंडल को सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के तहत सीइओ तथा सीएफओ का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और इस रिपोर्ट में एक प्रति संलग्न है।

ट. सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार वर्ष 2012-13 के लिए बैंक में कारपोरेट गवर्नेंस पर सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

8. संप्रेषण के माध्यम

क. बैंक के तिमाही अलेखा वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और इसे नियत समय के अन्दर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं । बैंक छमाही/ वार्षिक परिणाम हरित पहल के तहत ईमेल के द्वारा उन शेयरधारकों को भेजता रहा है जिनका ई मेल पता बैंक के पास उपलब्ध है तथा अन्य को हार्ड प्रति के जरिए भेजा जाता है ।

ख. सूचिबद्ध करार के खण्ड 41 के मुताबिक तिमाही वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए गये हैं तथा प्रकाशन करने की तारीख व विवरण निम्नानुसार हैं :

समाप्त तिमाही	अंग्रेजी दैनिक	क्षेत्रीय दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2012	द हिंदु - बिजनेस लाइन	दिनाकरन (तमिल)	06.05.2012
30.06.2012	द हिंदु - बिजनेस लाइन	दिनाकरन (तमिल)	31.07.2012
30.09.2012	द हिंदु - बिजनेस लाइन	दिनाकरन (तमिल)	27.10.2012
31.12. 2012	द हिंदु - बिजनेस लाइन	दिनाकरन (तमिल)	31.01.2013

First three EGM meetings were held for election of shareholder director. The next three EGM meetings were held for obtaining shareholders approval for issue of equity shares to Government of India and LIC and its various schemes on preferential basis.

7. DISCLOSURES:

a. The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. Details of remuneration paid to Whole Time Directors during the year 2012-13 are as follows :

Sl. No.	Name	Designation	Details of Remuneration	Amount (Rs.)
1	Dr. M. Narendra	CMD	Salary & Allowances ,PF, Perquisites and Incentives Paid during the Period 01.04.2012 to 31.03.2013	26,35,027.20
2.	Shri A. K. Bansal	ED	Salary & Allowances, PF, Perquisites and Incentives Paid during the Period 01.04.2012 to 31.03.2013	22,50,982.00
3.	Shri.A.D.M.Chavali	ED	Salary & Allowances, PF, Perquisites and Incentives Paid during the Period 01.04.2012 to 31.03.2013	16,67,488.00
4.	Smt. Nupur Mitra	ED (Promoted as CMD to Dena Bank	Incentive for the period 01.04.2011 to 31.10.2011 paid during FY 2012-13	3,20,833.00

The Bank does not pay any remuneration to the Independent Directors excepting sitting fees as per the Govt. of India guidelines, for Board Meetings – Rs. 10000/- per meeting and for Committee Meetings – Rs. 5000/- per meeting.

b. Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel i.e. Whole Time Directors are being reviewed on a half yearly basis by the Audit Committee of the Board.

c. There are no significant related party transactions of the Bank with its subsidiaries, directors, management or their relatives etc., that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

d. No penalties were imposed or strictures passed on us by Stock Exchanges/SEBI /any statutory authority on any matter related to capital markets during the last three years ended 31.03.2013.

e. Presently the Bank has a Whistle Blower Policy.

f. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/directives issued from time to time by the RBI/Government of India to the nationalized banks.

g. The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

h. The Certificate of CEO and CFO under clause 49 of the listing agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.

i. In terms of clause 49 of the listing agreement, a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on corporate governance in the Bank for the year 2012-13 and the same is annexed to this report.

8. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited financial results of the Bank are approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending half yearly / annual results, under Green Initiative, by email to those shareholders whose e-mail addresses are available with the bank and for others by hard copy.

b. The quarterly financial results are published in a national daily and a regional vernacular daily in terms of Clause 41 of the Listing Agreement. The details and dates of publication are as under:

Quarter ended	English Daily	Regional Daily	Date of publication
31.03.2012	The Hindu – Business Line	Dinakaran (Tamil)	06.05.2012
30.06.2012	The Hindu – Business Line	Dinamani (Tamil)	31.07.2012
30.09.2012	The Hindu – Business Line	Dinamani (Tamil)	27.10.2012
31.12. 2012	The Hindu – Business Line	Dinamani (Tamil)	31.01.2013

ग. तिमाही परिणाम बैंक के वेबसाइट **www.iob.co.in** में **शेयरधारकों को सूचना के तहत** भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

9. सामान्य शेयरधारक सूचना

क. एजीएमः तारीख, समय और स्थानः

दिनांक	28.06.2013
समय	10.00 A.M.
स्थान	रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006

ख. वित्तीय वर्षः

1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013

ग. बही बंद करने की तारीखः

लाभांश के प्रयोजन हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए

22.06. 2013 से 28.06.2013 (दोनों दिन शामिल हैं)

घ. लाभांश भुगतान तारीखः

16.07.2013 को या उसके बाद शेयरधारकों द्वारा लाभांश की घोषणा की शर्त पर

ङ अदत्त लाभांश :

16 10 2006 से प्रभावी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में 10 (बी) नामक एक नई धारा जोड़ दी गई है जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान है:

- घोषणा की तारीख से 30 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर, यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश का नकदीकरण / दावा नहीं किया हो, ऐसी रकम जो बैंक के चालू खाते में पड़ी है, उसे ...."वर्ष के लिए आइ ओ बी के अदत्त लाभांश खाते नामक अलग खाते में अंतरित किया जाना है।''
- अदत्त लाभांश खाते को अंतरित कोई भी रकम जो इस प्रकार के अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी पड़ी हैं, तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 के 205(1) (सी) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि को अंतरित कर देना है।

तद्नुसार पिछले वर्षों के अदत्त लाभांशों को आइओबी के अदत्त लाभांश खातों को अंतरित कर दिया गया हैं और अत: इस प्रकार की अंतरण राशि को जो अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक अदत्त या अदावी हैं, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा :

लाभांश वर्ष	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख
2000-01	08.12.2006
2001-02	05.12.2006
2002-03	05.12.2006
2003-04 (आइ)	04.12.2006
2003-04 (एफ)	04.12.2006
2004-05 (आइ)	09.12.2006
2004-05 (एफ)	05.12.2006

लाभांश वर्ष	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख
2005-06	04.12.2006
2006-07	13.07.2007
2007-08	19.07.2008
2008-09	11.08.2009
2009 10	26.10.2010
2010 11	02.09.2011
2011-12	16.10.2012

अत: 31.12.2006 तक अदत्त लाभांश खाते में अंतरित लाभांश को निवेशक शिक्षा व रक्षा निधि में 09.12.2013 तक अंतरित किए जाएंगे ।

च. बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूची बद्ध किए गए हैं:

स्टाक एक्सचेंज का नाम	**स्टॉक कोड**
बांबे स्टॉक एक्सचेंज लि.	532388
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.	आइओबी ईक्यू एई बीई बीटी

स्टाक एक्सचेंजों को वर्ष 2012-13 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित देय तारीखों के अंदर दिया गया है।

प्राधिकृत पूँजी वर्तमान में बैंक का प्राधिकृत पूँजी रु. 3000 करोड़ है ।

प्रदत्त पूँजी में बढ़ोतरी

बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत सरकार को रु.999,99,99,985.36 (रुपये नौ सौ निन्यानबे करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार नौ सौ पच्चासी और छत्तीस पैसे मात्र) के समेकित मूल्य के रु.78.68 प्रति ईक्विटी शेयर (रु.68.68 प्रति ईक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) की दर पर 12,70,97,102 ईक्विटी शेयर जारी किए है

c. The quarterly results and annual results are also being displayed on the Bank's web-site **www.iob.co.in.** under shareholder information.

9. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a) AGM: Date, Time and Venue:-

Date	28.06.2013
Time	10.00 A.M.
Venue	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006

b) Financial Year : 01st April 2012 to 31st March 2013.

c) Date of Book Closure : **22.06.2013 to 28.06.2013 (**Both days inclusive) for determining eligibility for the purpose of dividend.

d) Dividend Payment Date : On or after 16.07.2013 subject to declaration of dividend by shareholders.

e) Unpaid Dividend:-

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 which provides as under:

- Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed /claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of IOB for the year _____".
- Any money transferred to the Unpaid Dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund established under Sec 205(1)(C) of the Companies Act 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB as follows and hence such amount, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, and thereafter shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund:

Dividend for	**Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c**	**Dividend for**	**Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c**
2000-01	08.12.2006	2005-06	04.12.2006
2001-02	05.12.2006	2006-07	13.07.2007
2002-03	05.12.2006	2007-08	19.07.2008
2003-04 (I)	04.12.2006	2008-09	11.08.2009
2003-04 (F)	04.12.2006	2009 10	26.10.2010
2004-05 (I)	09.12.2006	2010 11	02.09.2011
2004-05 (F)	05.12.2006	2011-12	16.10.2012

Hence Dividend transferred up to 31.12.2006 to unpaid dividend account would be transferred to Investors Education and Protection Fund on or before 09.12.2013.

f. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Name of the Stock Exchange	**Stock Code**
Bombay Stock Exchange Ltd.	532388
National Stock Exchange of India Ltd.	IOB EQ AE BE BT

Annual listing fee for the year 2012-13 has been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

Authorised Capital: At present, the Authorised Capital of the Bank is Rs. 3000 crore.

Increase in Paid-up Capital:

The Bank has issued 12,70,97,102 Equity Shares, of face value Rs. 10/- each, at the rate of Rs. 78.68 per equity share (including premium of Rs. 68.68 per equity share) aggregating to Rs. 999,99,99,985.36 (Rupees Nine Hundred and ninety nine crore ninety

जिनका प्रत्यक्ष मूल्य प्रति शेयर रु.10 है। अत: बैंक की प्रदत्त पूँजी रु.797.00 करोड़ से बढ़कर रु.924.10 करोड़ हो गयी है और बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता रु.554.86 करोड़ (69.62%) से बढ़कर रु.681.96 करोड़ (73.80%) हो गयी है।

छ. बाजार मूल्य के आँकड़े

अवधि -माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		बांबे स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च(रु)	***निम्न (रु)***	***उच्च(रु)***	***निम्न (रु)***
अप्रैल 2012	**99.50**	84.15	**99.50**	84.55
मई 2012	89.95	77.10	89.90	77.25
जून 2012	90.95	79.10	90.50	79.25
जुलाई 2012	87.70	68.75	87.35	68.25
अगस्त 2012	78.00	66.00	74.40	66.65
सितंबर 2012	79.75	66.00	79.75	66.20
अक्तूबर 2012	83.70	69.60	83.70	70.60
नवंबर 2012	79.50	71.20	79.55	71.50
दिसंबर 2012	88.30	77.85	90.00	78.00
जनवरी 2013	94.85	78.10	94.85	79.30
फरवरी 2013	82.90	68.35	81.45	68.85
मार्च 2013	75.35	**63.65**	75.25	**64.00**

2012-13 के दौरान संबंधित स्टॉक एक्स्चेजों में बैंक के शेयरों का उच्च / निम्न कीमतों के आँकडे स्पष्ट अक्षरों में दिए गए हैं ।

ज. 01-04-2012 से 31-03-2013 के दौरान बीएसई सेंसेक्स की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

01-04-2012 से 31-03-2013 के दौरान एनएसई निफ्टी की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

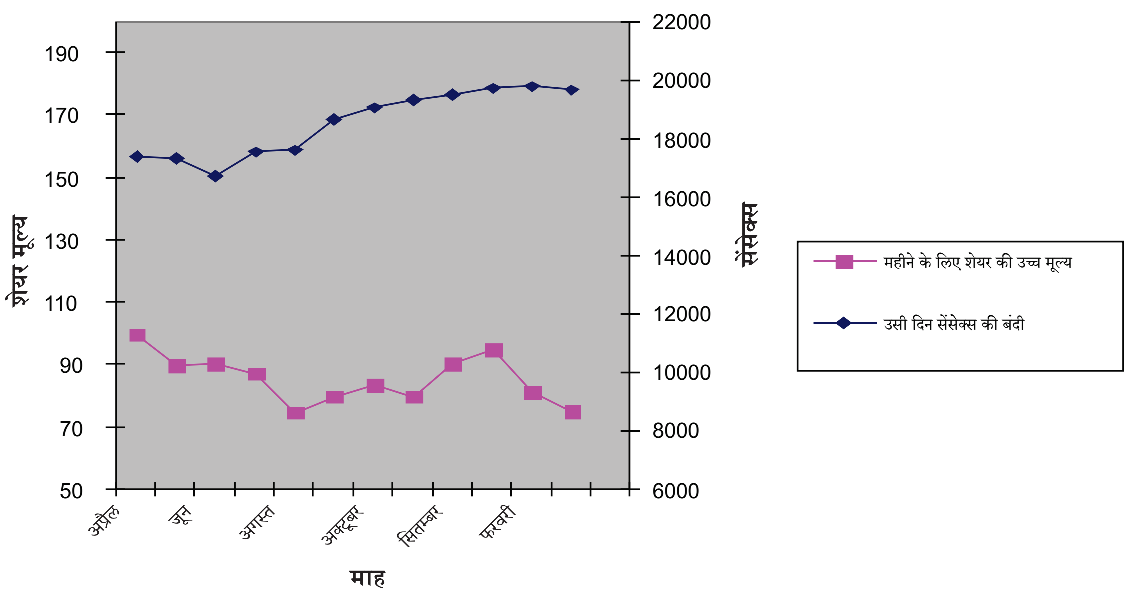

nine lac ninety nine thousand nine hundred and eighty five and paise thirty six only) to Government of India on Preferential Basis. Hence, the Paid-up Capital of the bank has increased from Rs. 797.00 crore to Rs. 924.10 crore and Government of India's shareholding has increased from Rs. 554.86 crore (69.62%) to Rs. 681.96 crore (73.80%).

g) Market Price Data:-

Period - Month	National Stock Exchange		Bombay Stock Exchange	
	High (Rs)	Low (Rs)	High (Rs)	Low (Rs)
Apr 2012	**99.50**	84.15	**99.50**	84.55
May 2012	89.95	77.10	89.90	77.25
Jun 2012	90.95	79.10	90.50	79.25
Jul 2012	87.70	68.75	87.35	68.25
Aug 2012	78.00	66.00	74.40	66.65
Sep 2012	79.75	66.00	79.75	66.20
Oct 2012	83.70	69.60	83.70	70.60
Nov 2012	79.50	71.20	79.55	71.50
Dec 2012	88.30	77.85	90.00	78.00
Jan 2013	94.85	78.10	94.85	79.30
Feb 2013	82.90	68.35	81.45	68.85
Mar 2013	75.35	**63.65**	75.25	**64.00**

Figures in bold represent the high / low price of the Bank's shares during the year 2012-13 on the respective Stock Exchanges.

h). Equity performance in comparison to BSE Sensex during 01.04.2012 to 31.03.2013

Equity Performance in comparison to BSE Sensex

01.04.2012 to 31.03.2013

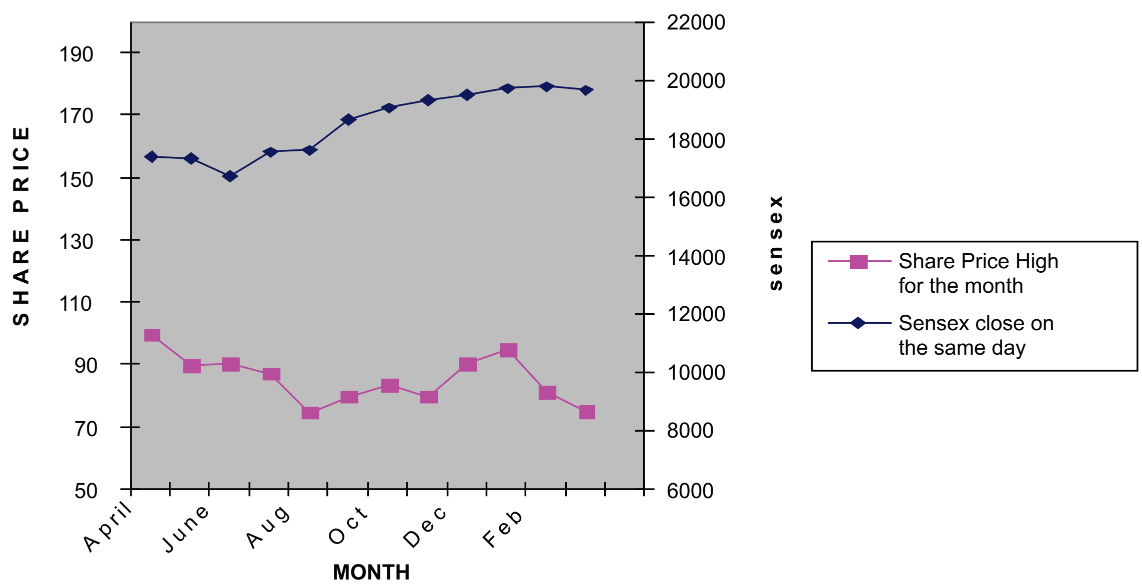

Equity performance in comparison to NSE Nifty during 01.04.2012 to 31.03.2013

01-04-2012 से 31-03-2013 के दौरान एनएसई निफ़्टी की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

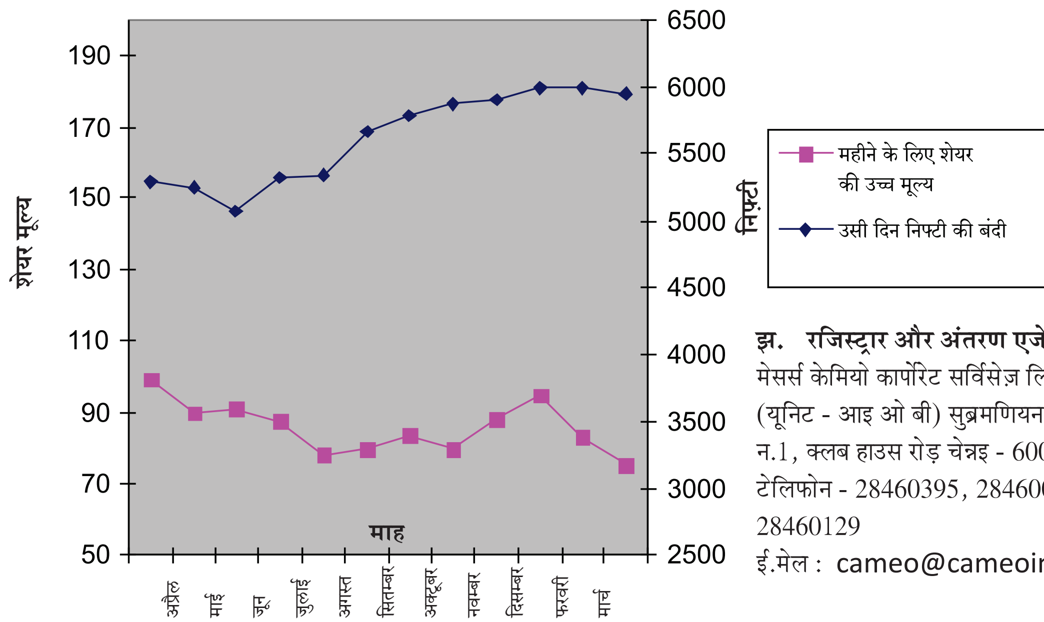

झ. रजिस्ट्रार और अंतरण एजेण्ट:

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.
(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पहली मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड़ चेन्नइ - 600 002
टेलिफोन - 28460395, 28460084, फैक्स-28460129
ई.मेल : cameo@cameoindia.com

ञ. शेयर अंतरण प्रणाली:

अंतरण, प्रेषण, स्थानांतरण, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना, विभाजन, समेकन, रीमेट, नाम परिवर्तन आदि के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के लिए हमारे बैंक में बोर्ड की एक उप समिति है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी गैर हाज़िरी में कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष होंगे। शेयरधारक निदेशक (श्री ए वी सरदेसाई) और बोर्ड द्वारा नामित निदेशक (श्री के आनंद कुमार) दिनांक 25.03.2013 तक समिति के सदस्य हैं। प्रो. एस सडगोपन को 26.03.2013 से बोर्ड द्वारा निदेशक के रूप में नामित किया गया है ।

सेबी के अद्यतन निर्देशों के अनुसार शेयर अंतरण के लिए समय सीमा को 30 दिन से घटाकर 15 दिन करने के लिए शेयर अंतरण समिति की बैठकें सप्ताह में एक बार आयोजित की जाती हैं ।

ट. 31.03.2013 तक शेयरधारण का वितरण

क्रम. संख्या	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
	प्रवर्तकों की धारिता		
1	भारत सरकार	681957833	73.80
	उप योग	**681957833**	**73.80**
	गैर-प्रवर्तक का धारण		
2	**संस्थागत निवेशक**		
क.	म्यूचुअल फण्डस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया	4495830	0.49
ख.	बैंक व वित्तीय संस्थाएँ	101132198	10.94
ग.	बीमा कंपनियाँ	4976203	0.53
घ.	विदेशी संस्थागत निवेशक	22991170	2.49
ड.	विदेशी कार्पोरेट निकाय	48000	0.01
	उप योग	**133643401**	**14.46**
3	**अन्य**		
क.	निजी निगम निकाय	14204852	1.54
ख.	वैयक्तिक	89441765	9.68
ग.	एन आर आइ	4242431	0.46
घ.	अन्य	605018	0.06
	उप योग	**108494066**	**11.74**
कुल योग		**924095300**	**100.00**

Equity Performance in comparison to NSE Nifty during 01.04.2012 to 31.03.2013

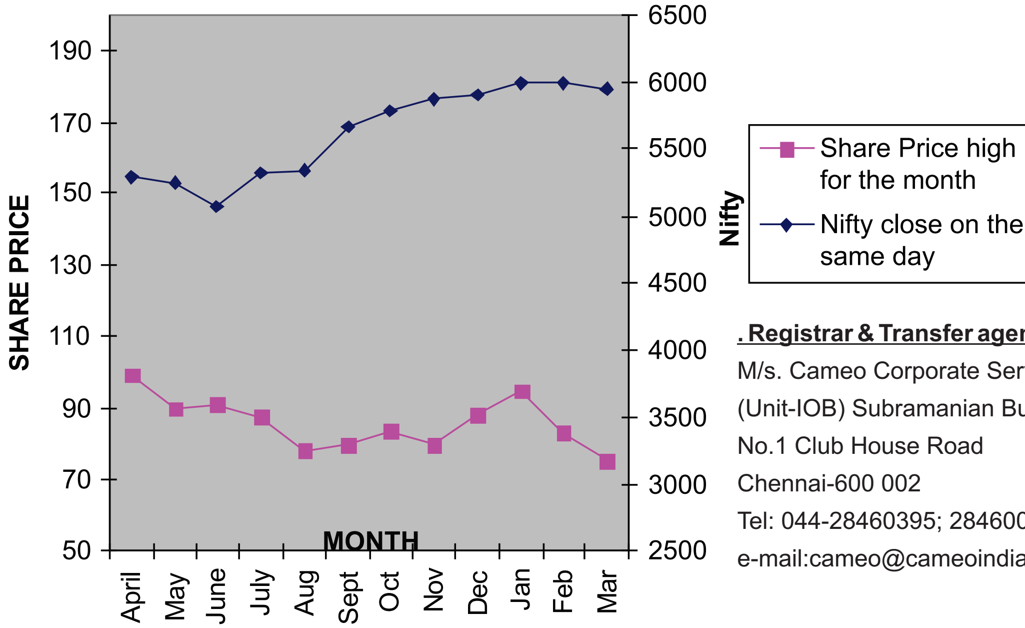

. Registrar & Transfer agent:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, I Floor
No.1 Club House Road
Chennai-600 002
Tel: 044-28460395; 28460084 Fax: 28460129
e-mail:cameo@cameoindia.com

j. Share Transfer System:

Our bank has a Sub-Committee of the Board for considering the requests received from shareholders for transfer, transmission, transposition, issuance of duplicate share certificates, splitting, consolidation, remat, name change etc. The Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director is Chairman of the Committee. The other members of the committee are: a Shareholder Director (Shri. A.V.Sardesai) and a Director nominated by the Board (Shri K Ananda Kumar) up to 25.03.2013. Prof. S. Sadagopan has been nominated as Director by the Board since 26.03.2013.

As per the latest SEBI directions of reduction in time line from 30 days to 15 days for share transfers, the share transfer committee meetings are conducted once in a week.

k. Distribution of shareholding as on 31.03.2013:

Sl.No	Category	No. of Shares	% of share holding
	PROMOTERS HOLDING		
1	Government of India	681957833	73.80
	Sub-Total	**681957833**	**73.80**
	NON-PROMOTERS HOLDING		
2	**Institutional Investors**		
A	Mutual funds and UTI	4495830	0.49
B	Banks, Financial Institutions	101132198	10.94
C	Insurance Companies	4976203	0.53
D	Foreign Institutional Investors	22991170	2.49
E	Overseas Corporate Body	48000	0.01
	Sub-Total	**133643401**	**14.46**
3	**OTHERS**		
A	Private Corporate Bodies	14204852	1.54
B	Individuals	89441765	9.68
C	NRI	4242431	0.46
D	Others	605018	0.06
	Sub-total	**108494066**	**11.74**
GRAND TOTAL		**924095300**	**100.00**

ठ. 31.03.2013 तक वितरण अनुसूची :

शेयर धारकों की संख्या	शेयरधारकों की कुल सं.का %	प्रत्येक रु.10 के अंकित मूल्य के शेयरों की कुल शेयरधारिता	शेयरों की कुल संख्या (अंकित मूल्य)	शेयरों की कुल सं का %
212991	86.65	Upto 5000	364247960	3.94
21841	8.88	5001 – 10000	182324420	1.97
6920	2.81	10001 – 20000	99408370	1.08
1482	0.60	20001 – 30000	37257160	0.40
729	0.30	30001 – 40000	26118320	0.28
461	0.19	40001 – 50000	21656800	0.23
694	0.28	50001 – 100000	50461430	0.55
722	0.29	100001 and above	8459478540	91.55
245840	**100.00**	**कुल**	**9240953000**	**100.00**

ड . 31.03.2013 तक विदेशी शेयरधारिता

क्रम सं.	संवर्ग	31 03 2012 तक		31 03 2013 तक	
		शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %	शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %
1	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आइ आइ)	29774484	3.74	22991170	2.49
2	ओ सी बी	48000	0.01	48000	0.01
3	एन आर आई	3633001	0.46	4242431	0.46
	कुल	**33455485**	**4.21**	**27281601**	**2.96**

उक्त सारणी मे वर्णितानुसार 31.03.2013 तक कुल विदेशी शेयरधारण (एन आर आइ, ओ सी बी, विदेशी संस्थागत निवेशक) 2.96% था जोकि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है।

ढ़. 31 03 2013 तक बैंक के पाँच सर्वोच्च शेयरधारक

क्रम सं	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की सं	कुल धारण का %
1	भारत के राष्ट्रपति - भारत सरकार	681957833	73.80
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	72903264	7.89
3	एल आइ सी ऑफ इण्डिया - मार्केट प्लस ग्रोथ फंड	9385910	1.02
4	आशीष कुमार गोयंका लवीना आशीष कुमार गोयंका	5875781	0.63
5	एल आइ सी ऑफ इण्डिया प्रॉफिट प्लस ग्रोथ फंड	5199587	0.56
	कुल	775322375	83.90

ड. शेयरों का अमूर्तिकरण :

बैंक के शेयर अनिवार्य अमूर्तिकरण के अधीन हैं । बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी. लि. (एन एस डी एल) और केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएँ (भारत) लि. (सी डी एस एल) में सदस्य के रूप में शामिल है। शेयर धारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तिकरण करा सकते है। डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को निम्नलिखित आइ एस आइ एन कोड आबंटित किया है-आइएनई 565ए01014

31.03.2013 तक 92.41 करोड़ ईक्विटी शेयरों में से, 76.48 करोड़ शेयर या 82.77% शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में है (जिसमें से भारत सरकार 55.49 करोड़ शेयर डीमैट रूप में धारित करता है जोकि समग्रत: 69.62% है -भारत सरकार की शेयरधारिता मार्च 2008, अप्रैल 2011 और अप्रैल 2012 में अमूर्तिकृत गई।) हमने 18 मार्च 2013 के दौरान 127097102 ईक्विटी शेयर भारत सरकार को जारी किए और शेयरों को अप्रैल 2013 के दौरान अमूर्तिकृत किया जाएगा ।

सूची करार के उपबंध 5 ए के अनुसार बैंक ने सभी शेयरधारकों को वर्ष 2011-12 के दौरान तीन स्मारक भेजे जिनके शेयर प्रमाणपत्र मिले बगैर रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट के पास लौट गए । अत: शेयरधारकों का पता नहीं लगाया जा सका । बैंक ने इन शेयरों को अदावी उचंत खाते में हस्तातारत कर दिए जो डीमेट रूप में हैं । हम इन शेयरधारकों का ब्यौरा हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था कर रहे हैं । अदावी उचंत खाते में किए गए लेन देन का ब्यौरा निम्नवत है :

l. Distribution schedule as on 31.03.2013

No. of share holders	% to total no. of shareholders	Shareholding in terms of nominal value of Rs.10/-	Share Amount (Face Value)	% to total
212991	86.65	Upto 5000	364247960	3.94
21841	8.88	5001 – 10000	182324420	1.97
6920	2.81	10001 – 20000	99408370	1.08
1482	0.60	20001 – 30000	37257160	0.40
729	0.30	30001 – 40000	26118320	0.28
461	0.19	40001 – 50000	21656800	0.23
694	0.28	50001 – 100000	50461430	0.55
722	0.29	100001 and above	8459478540	91.55
245840	**100.00**	**TOTAL**	**9240953000**	**100.00**

m. Foreign Shareholding as on 31.03.2013

Sl. No.	Category	As on 31.03.2012		As on 31.03.2013	
		No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
1	Foreign Institutional Investors (FIIs)	29774484	3.74	22991170	2.49
2	OCBs	48000	0.01	48000	0.01
3	NRIs	3633001	0.46	4242431	0.46
	Total	**33455485**	**4.21**	**27281601**	**2.96**

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs) as at 31.03.2013 was 2.96% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

n. Top five shareholders of the bank as on 31.03.2013:

Sl No	Name of the Shareholders	No of shares held	% of total holding
1	THE President of India - The Government of India	681957833	73.80
2	Life Insurance Corporation of India	72903264	7.89
3	LIC of India – Market Plus Growth Fund	9385910	1.02
4	Ashish Rameshkumar Goenka Lavina Ashishkumar Goenka	5875781	0.63
5	LIC of India Profit Plus Growth Fund	5199587	0.56
	Total	775322375	83.90

o. Dematerialization of shares:

The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank has joined as a member of the depository services with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

As on 31.3.2013, out of 92.41 crore equity shares, 76.48 crore shares or 82.77% are held by the shareholders in Demat form (of which Government of India holds 55.49 crore shares in Demat form, aggregating to 69.62% - GOI's shareholding was dematerialized in March 2008, April 2011 and April 2012). We have issued 12,70,97,102 equity shares to GoI on 18th March 2013 and the shares are dematerialized during April 2013.

In terms of Clause 5A of the Listing Agreement , the bank had sent three reminder letter during the period 2011- 12 and the covers were returned undelivered to the Registrar and Transfer Agent. Hence where about of the shareholders could not be ascertained. The bank has transferred these shares to unclaimed suspense account, which is in the demat form. We are arranging to publish the details of these shareholders in our Website. The details of transactions that took place in the unclaimed suspense account are mentioned below:

ब्यौरा	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
01.04.2012 के प्रारंभ में शेयरधारकों की समग्र संख्या और प्रारंभ में अदावी उचंत खाते में पड़े बकाया शेयर	228	60400
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने अदावी उचंत खाते से वर्ष के दौरान शेयरों के स्थानांतरण के लिए संपर्क किया	3	1300
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्हेंअदावी उचंत खाते से शेयरों का स्थानांतरण किया गया ।	3	1300
शेयरधारकों की समग्र संख्या और 31.03.2013 के अंत में अदावी उचंत खाते में पड़े बकाया शेयर	225	59100

ढ. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख व ईक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की है।

ण. बैंक ने समय समय पर वचन-पत्रों के रूप में अप्रत्यावर्तनीय बॉण्ड एकत्र किए गए है: 31-03-2013 तक बकाया बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम	आबंटन की तारीख	आकार (रु.करोडों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	मोचन की तारीख
टायर ।।					
v	01.03.2004	200.00	120	06.00	01 03.2014
vi	26.07.2004	200.00	120	06.40	26.07.2014
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	8.48	24.08.2019
Xiv	31.12.2010	1000.00	120	8.95	31.12.2020
उच्च टायर II					**माँग विकल्प तारीख**
i	05.09.2006	500.00	@180	9.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
iii	01.09.2009	510.00	@180	8.80	@01.09.2019
iv	10.01.2011	967.00	@180	9.00	@10.01.2026
टायर 1 (बेमियादी)					**माँग विकल्प तारीख**
i	31.03.2006	200.00	@ बेमियादी	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@ बेमियादी	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@ बेमियादी	09.20	@30.09.2016
iv	29.09.2009	300.00	@ बेमियादी	09.30	@29.09.2019
	कुल	**6802.30**			

@ 10 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)। यदि माँग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो कूपन दर को 50 बीपीएस तक बध़या जाएगा ।

त. पत्राचार करने का पता:

शेयरों के अन्तरण, लाभांश भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलाप रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेन्ट मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सेवाएं लि. के कार्यालय में किए जाते हैं । शेयरधारक अपने अन्तरण विलेख और अन्य कोई भी दस्तावेज, शिकायतें निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं ।

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.
(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, I मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड़ चेन्नै 600 002
टेलिफोन - 28460395, 28460084, फैक्स- 28460129
ई.मेल : : cameo@cameoindia.com

Details	No of shareholders	No of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning 01.04.2012	228	60400
Number of Shareholders who approached for Transfer of shares from unclaimed suspense Account during the year	3	1300
Number of Shareholders to whom shares were Transferred from the unclaimed suspense account	3	1300
Aggregate Number of Shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed suspense account at the end of 31.03.2013	225	59100

p. Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

q. The bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2013 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs in crores)	Tenor (In Months)	Coupon (%)	Redemption Date
Tier II					
v	01.03.2004	200.00	120	06.00	01 03.2014
vi	26.07.2004	200.00	120	06.40	26.07.2014
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	8.48	24.08.2019
Xiv	31.12.2010	1000.00	120	8.95	31.12.2020
Upper Tier II					**Call Option date**
i	05.09.2006	500.00	@180	9.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
iii	01.09.2009	510.00	@180	8.80	@01.09.2019
iv	10.01.2011	967.00	@180	9.00	@10.01.2026
Tier I (Perpetual)					**Call Option date**
i	31.03.2006	200.00	@Perpetual	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@Perpetual	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@Perpetual	09.20	@30.09.2016
iv	29.09.2009	300.00	@Perpetual	09.30	@29.09.2019
	TOTAL	**6802.30**			

@Call option available at the end of 10 years (with the prior approval of RBI). If the call option is not exercised, the coupon rate will be stepped up by 50 bps.

r. Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of M/s. Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer agents. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at their address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, I Floor
No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044-28460395; 28460084 Fax: 28460129
email:cameo@cameoindia.com

बैंक के निम्नलिखित पते पर शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए और उनकी सेवा के लिए बैंक में निवेशक संबंध कक्ष है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निवेशक संपर्क कक्ष
केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालइ, चेन्नै 600 002
टेलिफोन : 28519491, 28415702 फैक्स-044-28585675
ई.मेल : investor@iobnet.co.in/investorcomp@iobnet.co.in

बी. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ	बैंक द्वारा अपनाई गई
बोर्ड -कंपनी के खर्चे पर गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा एक कार्यालय का रखरखाव	चूँकि हमारे बैंक के अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक हमारे बैंक के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं, अत: यह खण्ड हमारे लिए लागू नहीं होगा।
पारिश्रमिक समिति	पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक का निर्णय केंद्र सरकार लेती है और बैंक गैर-निदेशकों को सिटिंग फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं देता है। बोर्ड की दिनांक 22-03-2007 को संपन्न हुई बैठक में यहां दिए गए विवरणों के अनुसार (पैरा 3.8 देखें) निदेशक मंडल की एक उप समिति
शेयरधारकों के अधिकार	सभी शेयरधारकों को छमाही परिणामों और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना उपलब्ध कराई जाती है ।
ऑडिट अर्हता	अप्रतिबंधित वित्तीय विवरणों की प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।
बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण	निदेशकों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित किया जाता है । प्रत्येक निदेशक को उनके / उनकी भूमिका तथा जिम्मेदारियाँ और महत्वपूर्ण मामलों पर संपूर्ण विवरण देते हुए संदर्भ मैनुअल दिया गया है ।
गैर-कार्यपालक बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन की कार्यविधि	हमारे बैंक में गैर-कार्यपालक बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन की कोई कार्यविधि उपलब्ध नहीं है चूँकि यह अब हम पर लागू नहीं है।
विसिल ब्लोअर पॉलिसी	वर्तमान में बैंक के पास चेतावनी नीति (विसिल ब्लोअर पॉलिसी) है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

चेन्नै
29 अप्रैल 2013

एम. नरेन्द्र
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office, to deal with the services and complaints of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank
Investor Relations Cell, Central Office,
763, Anna Salai,
Chennai-600 002
Tel: 044-28519491, 28415702, 28889392
Fax : 044-28585675
email: investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

B. NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	Our Adoption
The Board – Maintenance of an office by a non executive Chairman at the company's expense	Since the Chairman and Managing Director in our Bank is an Executive Chairman, this clause is not applicable to us
Remuneration Committee	Remuneration payable to the Whole Time Directors is decided by the Central Government and the Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per guidelines of Central Govt. The Board in its meeting held on 22.03.2007, has set up a "Remuneration Committee" as per details furnished herein before (refer para 3.8)
Shareholders Rights	All the shareholders are provided with the Half Yearly results and Annual Report.
Audit Qualification	Constant efforts are being made to move towards a regime of unqualified financial statements.
Training of Board Members	The Board members are imparted training by nominating them for training programmes at reputed training institutes. Each director is provided with a reference manual detailing his or her roles and responsibilities and matters of importance.
Mechanism for evaluating non executive Board Members	The Bank does not have such mechanism, as presently it is not applicable to us.
Whistle Blower Policy	Presently the Bank has a Whistle Blower policy.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai (M Narendra)

29th April 2013 Chairman and Managing Director

वर्ष 2012-2013 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट के लिए अनुबंध
निदेशकों का जीवन परिचय

1	**नाम**	**डॉ. एम.नरेंद्र** **अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	58 वर्ष – 12.07.1954
	योग्यता	बी.काम, बी.एल, सीएआइआइबी
	नियुक्ति की तारीख	01.11.2010
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.07.2014
	अनुभव	- 37 वर्षों का बैंकिंग अनुभव रखनेवाले श्री एम.नरेंद्र ने 1975 में अधिकारी प्रशिक्षार्थी के रूप में कार्पोरेशन बैंक जाइन किया था । उन्होंने 06 नवंबर 2008 को बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार संभाला और वे इस पद पर इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में अपने वर्तमान कार्यभार के ग्रहण करने तक रहे । - श्री नरेंद्र कार्पोरेशन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में अपने कार्यकाल के दौरान संगठनात्मक बदलाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबद्ध टीम के प्रमुख सदस्य रहे। - श्री नरेंद्र ने देश और विदेश का व्यापक दौरा किया है । उन्होंने बीटीसी, आइआइएम-अहमदाबाद और बैंगलूर, एनआइबीएम और आस्ट्रेलियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग ऐंड फिनान्स में कार्यशालाओं / संगोष्ठियों सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण पाया है। - श्री नरेंद्र ने 1984-85 से 1990-91 तक लगातार आठ वर्षों के लिए कार्पोरेशन बैंक द्वारा शुरू किये गये विभिन्न कार्पोरेट पुरस्कार जैसे चेयरमेन्स क्लब मेंबरशिप रेसिपियंट पुरस्कार और सोजियन पुरस्कार और क्षेत्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किये। - बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में, वे जांबिया के लुसाखा स्थित इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल में नामिती निदेशक रहे । यह बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के 3 भारतीय बैंकों और जाँबिया सरकार के संयुक्त उद्यमवाला एक वाणिज्यिक बैंक है। - श्री नरेंद्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित विदेशी विनिमय एवं सरकारी प्रतिभूति मार्केट तथा रुपया विषयक तकनीकी सलाहकारी समिति के सदस्य हैं। इसके अलावा वे भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित बेसल ।। कार्यान्वयन समिति तथा जोखिम प्रबंधन विषयक स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। वर्तमान में - · एसोचेम की बैंकिंग व वित्त हेतु राष्ट्रीय काउंसिल के अध्यक्ष । · इण्डियन बैंक एसोसिएशन (आइ बी ए) की वित्तीय समिति के अध्यक्ष · आइ बी ए की विधिक व बैंकिंग परिचालन समिति के अध्यक्ष · आइ बी ए की लेखा मानक व टैक्सेशन पर स्थायी समिति के अध्यक्ष · इंडिया इंटरनेशन बैंक (मलेशिया) बरहद के निदेशक मंडल में निदेशक · यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक · मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक मंडल में निदेशक · इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस का मानद फेलोशिप · इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य · वरिष्ठ व उच्च मैनेजमेंट स्तर पर नेतृत्व विकास की आवश्यकता की पहचान करने के लिए बहुमूल्य दृष्टि प्रदान करने के लिए नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एन आइ बी एम) के लीडरों के सलाहकार के समूह के सदस्य उनके द्वारा प्राप्त किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं : · भारतीय एस एम ई चैंबर द्वारा सर्वोत्कृष्ट बैंकर पुरस्कार · वर्ल्ड एजूकेशन कांग्रेस से जिम्मेदार कारोबार पुरस्कार के भाग के रूप में वर्ष 2012 का सर्वोत्कृष्ट बैंकिंग लीडर का पुरस्कार · न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा आयोजित द संडे स्टैण्डर्ड फिनविज़ 2012 पुरस्कारों के भाग के रूप में सर्वोत्कृष्ट इंडियन बैंकर व सर्वोत्कृष्ट पब्लिक सेक्टर बैंकर अवार्ड · विज़न फाउंडेशन द्वारा विज़नरी अवार्ड 2012 · आइ पी ई एण्ड एच आर कांग्रेस द्वारा एच आर ओरियंटेशन के साथ सी ई ओ अवार्ड

ANNEXURE TO REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE

FOR THE YEAR 2012-13

DIRECTORS PROFILE

1	Name	**Dr. M.Narendra** **Chairman and Managing Director**
	Age and Date of Birth	58 years – 12.07.1954
	Qualification	B.Com., B.L , CAIIB
	Date of Appointment	01.11.2010
	Date of expiry of the Current term	31.07.2014
	Experience	- Having 37 years of banking experience. Shri M Narendra joined Corporation Bank as an officer trainee in 1975. He took over as Executive Director, Bank of India, on 6th November 2008 and held this position, till his present assignment at Indian Overseas Bank. - Shri Narendra has been one of the key members of the Teams to implement Organisational Transformation Projects in both Corporation Bank and Bank of India. - Shri Narendra has travelled widely both within the country and outside. He has undergone various training programmes including workshops/seminars at BTC, IIM-Ahmedabad and Bangalore, NIBM and Australian Institute of Banking & Finance. - Shri Narendra secured various Corporate Awards instituted by Corporation Bank such as Chairman's Club Membership recipient for 8 consecutive years from 1984-85 to 1990-91, SoGian Award and Regional Leadership Award. - In his capacity as Executive Director of Bank of India, he was the nominee director on the Board of Indo Zambia Bank Limited, Lusaka, Zambia, a joint venture Commercial Bank between 3 Indian Public Sector Banks and Government of Zambia. - He was a member of Technical Advisory Committee on Money, Foreign Exchange & Government Securities Market constituted by Reserve Bank of India. He was a member of Standing Committee on Risk Management & Basel II Implementation constituted by the Indian Banks Association. - Presently he is: Chairman, ASSOCHAM's National Council for Banking & Finance Chairman, Finance Committee of Indian Banks' Association (IBA) Chairman, IBA's Legal & Banking Operations Committee Chairman, IBA Standing Committee on Accounting Standards and Taxation Director on the Board of India International Bank (Malaysia) Berhad Director on the Board of Universal Sompo General Insurance Co. Ltd. Director on the Board of Madras School of Economics Honorary Fellowship of the Indian Institute of Banking & Finance Member of Governing Council of Indian Institute of Banking & Finance Member of Consultative Group of Leaders in National Institute of Bank Management (NIBM) to provide valuable insight for identifying Leadership Development needs at Senior and Top Management. Some of the prominent awards won by him are : Best Banker Award by SME Chamber of India Outstanding Banking Leader of the Year Award, as a part of Responsible Business Awards 2012 from World Education Congress Best Indian Banker and Best Public Sector Banker Awards as part of The Sunday Standard FINWIZ 2012 Awards organized by The New Indian Express Group Visionary Award 2012 by Vision Foundation CEO with HR Orientation Award by IPE & HR Congress.

	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड में नामिती निदेशक इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद के निदेशक मंडल में निदेशक मद्रास स्कूल ऑफ इकनामिक्स के निदेशक मंडल में निदेशक
2	नाम	**श्री ए.के.बंसल** **कार्यपालक निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	59 वर्ष - 22.05.1953
	योग्यता	कृषि में पोस्ट ग्रैजुयेट, सीएआइआइबी-।
	नियुक्ति की तारीख	01.09.2010
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.05.2013
	अनुभव	- बैंकिंग क्षेत्र में 36 वर्षों का अनुभव है। - श्री ए.के.बंसल ने नैनिताल , पंतनगर के प्रसिद्ध जी.बी.पंत अग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी से अग्रिकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उन्होंने आइसीएआर जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 1976 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कृषिक्षेत्र अधिकारी के रूप में 23 वर्ष की आयु में जाइन किया । अहमदाबाद में स्थित बैंक की सर्वप्रथम विशिष्ट एसएसआइ शाखा में उनकी उत्कृष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए बैंक ने उनको सुपर अचीवर और स्टार परफार्मर दर्जा प्रदान किया । - श्री बंसल को योजना के कार्यान्वियन की दिशा में पहले वर्ष में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा चेयरमैन क्लब मेंबरशिप प्रदान किया गया। श्री बंसल आइआइटी-कानपुर के सिडबी इन्नोवेशन ऐण्ड इनकुबेशन सेंटर (एसआइआइसी) की शिखर सलाहकार समिति के सदस्य हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	**शून्य**
	अन्य निदेशकता	**शून्य**
3	नाम	**श्री ए.डी एम चावली** **कार्यपालक निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	58 वर्ष - 09.10.1954
	योग्यता	**एम एस सी**
	नियुक्ति की तारीख	28.12.2011
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.10.2014
	अनुभव	- आप शुद्ध गणित में स्नातकोत्तर हैं । उन्होंने अपना कैरियर चेन्नै में 1977 में बैंक ऑफ बड़ौदा में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया । उसके बाद उन्होंने चेन्नै , मुंबई , कोलकाता , आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों और औद्योगिकी फाइनेन्स सहित शाखाओं पर विभिन्न पदों पर सेवा की । वे फिक्स्ड इनकम , ईक्विटी और गैर एस एल आर प्रतिभूतियों में मुख्य डीलर रहे, और फ्रन्ट ऑफिस , ट्रेजरी का नेतृत्व किया है । वे बी ओ बी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक भी रहे । वे मुंबई व अहमदाबाद में कार्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज शाखाओं के प्रमुख भी रहे । - इण्डियन ओवरसीज बैंक में पद ग्रहण करने से पूर्व वे बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रेजरी व संसाधन प्रबंधन के महा प्रबंधक रहे । वे कोलकाता मेट्रो क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख भी रहे । - उन्होंने इण्डिया आइडियाज डॉट कॉम लिमिटेड, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सी एस डी एल) , क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सी सी आइ एल) व सेन्ट्रल इंश्योरेंश रिपॉजिटरी लिमिटेड (सी आइ आर एल) के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में सेवा की और वे बड़ौदा पॉयनियर एसेट प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के ट्रस्टी निदेशक रहे ।

	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	Nominee Director of IOB in Universal Sompo General Insurance Co. Ltd. Directo r on the Board of India International Bank (Malaysia) Berhad Director on the Board of Madras School of Economics
2	Name	**Shri A.K.Bansal** **Executive Director**
	Age and Date of Birth	59 Years - 22.05.1953
	Qualification	Post Graduate in Agriculture, CAIIB - Part I
	Date of Appointment	01.09.2010
	Date of expiry of the Current term	31.05.2013
	Experience	- Having 36 years of experience in banking field. - Shri A. K. Bansal is a Post Graduate in Agriculture from the renowned G B Pant Agriculture University, Pant Nagar, Nainital and recipient of ICAR Junior Research Scholarship. He joined Union Bank of India as Agricultural Field Officer at the age of 23 years in the year 1976. He was awarded Super Achiever and Star Performer status by the Bank in the year 1994 for his outstanding performance at the first Specialized SSI Branch of the bank at Ahmedabad. - Shri Bansal was also conferred with the Chairman Club Membership by the Chairman & Managing Director of the Bank as recognition of his outstanding performance in the very first year of implementation of the scheme. Shri Bansal is a Committee Member in the Apex Advisory Committee of SIDBI Innovation and Incubation Centre (SIIC) in IIT Kanpur.
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	NIL
3	Name	**Shri A.D.M.Chavali** **Executive Director**
	Age and Date of Birth	58 years - 09.10.1954
	Qualification	M.Sc.,
	Date of Appointment	28.12.2011
	Date of expiry of the Current term	31.10.2014
	Experience	He is a post graduate in pure mathematics. He started his career with Bank of Baroda in Chennai as a Direct Recruit Officer in the year 1977. From then on he has served the bank in various capacities at branches including Industrial Finance Branch and Regional Offices, located across Chennai, Mumbai, Kolkata, Andhra Pradesh and Gujarat. He was also the Chief Dealer in Fixed Income, Equity and Non-SLR Securities and has headed the Front Office, Treasury. He has also served as Managing Director of BOB Asset Management Co. He has headed the Corporate Financial Services branches at Ahmedabad and Mumbai, Prior to joining Indian Overseas Bank, he as General Manager had headed the Treasury & Resource Management of Bank of Baroda. He has also served as Regional Head of Kolkata Metro Region. He has served as Director on Boards of India Ideas.com.Ltd, Central Depository Services Limited (CDSL), Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL) and Central Insurance Repository Ltd. (CIRL) and as a Trustee Director of Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd. He was a member in RBI Committee for implementing Negotiated Dealings

		- वे आर बी आइ की निगोशियेटेड डीलिंग सिस्टम और एफ आइ एम एम डी ए वैल्यूएशन समिति के सदस्य रहे । साथ ही वे क्रेडिट व परिचालन रिस्क डाटा विनिमय (सी ओ आर डी ई एक्स) समिति के सदस्य भी रहे जिसका गठन आइ बी ए ने किया है । - कार्पोरेट फाइनेंस बैंकिंग में उनका तीन वर्षो का अनुभव है विशेष रूप से ट्रेजरी परिचालन , जोखिम प्रबंधन , आस्ति प्रबंधन , निवेश व औद्योगिक फाइनेंस आदि में ।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
4	**नाम**	**डॉ. आलोक पाण्डे** **भारत सरकार की नामिती**
	आयु और जन्म-तिथि	41वर्ष - 22.10.1971
	योग्यता	बी ई (मैकेनिकल), एन आइ टी इलाहाबाद , पीएच.डी (फाइनेंस) आइ आइ एम बैंगलोर,
	नियुक्ति की तारीख	22.07.2011
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	सरकार से आगे आदेश मिलने तक
	अनुभव	आप वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक हैं । वर्तमान में वे मंत्रालय में क्रेडिट नीति , माइक्रोफाइनेंस व कृषि ऋण की देख रेख कर रहे हैं । डॉ.पाण्डे को भारत सरकार में विभिन्न क्षेत्रों का 17 वर्षो से अधिक का अनुभव है । उनकी रुचि और अनुभव का क्षेत्र है वित्तीय समावेशन । उन्होंने नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी , इलाहाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1992 में ग्रैजूएशन किया । डॉ. पाण्डे ने 1994 में सिविल सेवाओं में कार्यभार ग्रहण किया । उन्होंने अपनी पीएच डी उपाधि आइ आइ एम बैंगलोर से कार्पोरेट फाइनेंस में 2009 में प्राप्त की । उन्होंने अनेक प्रकाशन किए हैं ।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
5	**नाम**	**श्री एस.वी.राघवन** **भारतीय रिज़र्व बैंक की नामिती**
	आयु और जन्म-तिथि	59 वर्ष - 19.11.1953
	योग्यता	बी.एस.सी., एम.बी.एम., सीएआइआइबी, एम.ए
	नियुक्ति की तारीख	30.07.2010
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	सरकार से आगे आदेश मिलने तक
	अनुभव	- आप वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस) में मुख्य महा प्रबंधक हैं। - श्री एस.वी.राघवन वर्ष 1982 में आरबीआइ में ज्वाइन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंकिंग पर्यवेक्षी विभाग, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, बैंकिंग विभाग और इश्यू विभाग और भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के मुद्रा प्रबंधन और बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में काम किया है। वे इस पद पर इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में अपने वर्तमान कार्यभार के ग्रहण करने तक भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के केंद्रीय कार्यालय के सरकारी और बैंक लेखा विभाग प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक रहे।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य

		System and FIMMDA Valuation Committee. Also, he was a member of the Committee on Credit and Operational Risks Data Exchange (CORDEX) set up by IBA. He has a rich experience in Corporate Finance Banking for over three decades particularly in the areas of Treasury operations, Risk Management, Asset Management, Investments and Industrial Finance.
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	NIL
4	Name	**Dr. Alok Pande** **GoI Nominee**
	Age and Date o f Birth	41 years - 22.10.1971
	Qualification	BE(Mech),NIT Allahabad, Ph. D(Finance). IIM Bangalore
	Date of Appointment	22.07.2011
	Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt. of India
	Experience	Dr. Alok Pande is working as a Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance. Presently he deals with the subjects of Credit Policy, Microfinance and Agricultural Credit in the Ministry. Dr. Pande has more than 17 years of experience in the Government of India where he has worked in different capacities. His area of interest as well as experience has been that of ensuring Financial Inclusion. He did his graduation in Mechanical Engineering from National Institute of Technology, Allahabad in 1992. Dr. Pande joined the Civil Services in 1994. He completed his Doctorate from IIM Bangalore in the area of Corporate Finance in the year 2009. Dr. Pande has several publications to his credit.
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	NIL
5	Name	**Shri.S.V. Raghavan** **RBI Nominee**
	Age and Date of Birth	59 years - 19.11.1953
	Qualification	B.Sc., M.B.M., CAIIB, M.A
	Date of Appointment	30.07.2010
	Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt. of India
	Experience	He is currently Chief General Manager, Central Accounts Section (CAS) at Reserve Bank of India, Nagpur. Shri.S.V.Raghavan joined RBI in 1982 and has worked in the Department of Banking Supervision, Department of Non-Banking Supervision, Banking Department and Issue Department at various Regional Offices of RBI and in the Department of Currency Management and Department of Banking Supervision at RBI's Central Office in Mumbai. Immediately prior to his present assignment, he was Chief General Manager – in-Charge of Department of Government and Bank Accounts at RBI's Central Office in Mumbai.
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	NIL

6	**नाम**	**श्री श्रीधर लाल लखोटिया** **कर्मकारी कर्मचारी निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	59 वर्ष - 11.10.1953
	योग्यता	बी.काम.,
	नियुक्ति की तारीख	09.08.2010
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	08.08.2013 तक या आइ.ओ.बी के कर्मकारी कर्मचारी के रूप में उनके कार्यकाल की समाप्ति तक या अगले आदेश तक ।
	अनुभव	22.07.1975 में भर्ती हुए हैं और आइओबी में 38 वर्षों से अधिक अनुभव है। आप आइओबी की कोलकाता - चौरंगी शाखा में फिलहाल विशेष सहायक प्रवर्ग में हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	400 शेयर
	अन्य निदेशकता	शून्य
7	**नाम**	**श्री निरंजन कुमार अग्रवाल** **सनदी लेखाकार निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	54 वर्ष - 22.10.1958
	योग्यता	एफ सी ए
	नियुक्ति की तारीख	01.11.2011
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.10.2014
	अनुभव	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल , एफ सी ए , 1983 से पेशे से सनदी लेखाकार हैं जिन्हें 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है । वे मेसर्स निरंजन कुमार एण्ड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंड , कोलकाता के मालिक हैं । उन्हें वृहद कार्पोरेट , कंपनी विधि मामले और इनकम टैक्स को संभालने का अनुभव है । आप कंपनी विधिक मामलों, वित्तीय पुनर्संरचना, संसाधन बढ़ाने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आदि पर अनेक कॉपोरेटों में परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
8	**नाम**	**श्री अजित वसंत सरदेसाई** **शेयरधारक निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	67 वर्ष - 04.09.1945
	योग्यता	एम एस सी (भौतिकी) डिप्लोमा , आइ आइ टी दिल्ली
	नियुक्ति की तारीख	08.12.2011
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	07.12.2014
	अनुभव	श्री अजित वसंत सरदेसाई ने भारतीय रिजर्व बैंक में तीन दशकों तक सेवा की । वे मुख्य महा प्रबंधक रहे और तदनंतर कार्यपालक निदेशक प्रभारी ग्रामीण उधार और प्रायोजना विभाग , भारतीय रिजर्व बैंक रहे । वे वृहद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मंडल में नामित निदेशक भी रहे । वे एन आइ बी एम , आइ बी पी एस, इंस्टीच्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी व बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज व कॉलेज ऑफ एग्री कल्चरल , भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिष्ठित कॉलजे में गवर्निंग काउंसिल में रहे । वे सितंबर 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक से सेवानिवृत्त हुए । सेवानिवृत्ति के पश्चात भी वे वैद्यनाथन समिति से जुडे हुए हैं और वे भारत सरकार / सी वी सी द्वारा गठित बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में फ्रॉड पर परामर्शी समिति के सदस्य रहे ।

6	Name	**Shri. Sridhar Lal Lakhotia** **Workmen Employee Director**
	Age and Date of Birth	59 years - 11.10.1953
	Qualification	B Com.,
	Date of Appointment	09.08.2010
	Date of expiry of the Current term	08.08.2013 or until he ceases to be a workmen employee of IOB or until further orders which ever is the earliest.
	Experience	He joined the Bank on 22.07.1975 and is having about 38 years of banking experience in IOB. He is presently a Special Cadre Assistant attached to Kolkata-Chowringhee branch
	Shareholding in IOB	400 shares
	Other Directorships	Nil
7	Name	**Shri Niranjan Kumar Agarwal** **Chartered Accountant Director**
	Age and Date of Bir th	54 Years - 22.10.1958
	Qualification	F.C. A.
	Date of Appointment	01.11.2011
	Date of expiry of the Current term	31.10.2014
	Experience	Shri.Niranjan Kumar Agarwal, FCA is a Practicing Chartered Accountant since 1983 having experience of more than 30 years. He is a Proprietor of M/s.Niranjan Kumar & Co., Chartered Accountants, Kolkata. He has experience in handling Audits of Large Corporates, Company Law Matters and Income Tax. He is acting as Advisor to many Corporates on company law matters, financial restructuring, resource raising, corporate governance etc.
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	NIL
8	Name	**Shri.Ajit Vasant Sardesai** **Shareholder Director**
	Age and Date of Birth	67 Years - 04.09.1945
	Qualification	M.Sc (Physi cs) Dip in IIT New Delhi
	Date of Appointment	08.12.2011
	Date of expiry of the Current term	07.12.2014
	Experience	Shri Ajit Vasant Sardesai has worked in the Reserve Bank of India for over 3 decades. He was the Chief General Manager and later Executive Director in charge of Rural Credit and Planning Department, RBI. He has also served as RBI Nominee Director on the Boards of large Public Sector Banks. He was also on the Governing Council of NIBM, Institute of Banking Personnel Selection, Institute for Development Research in Banking Technology and Bankers Training College and College of Agricultural Banking, a premier training college of RBI. He retired from RBI in September 2005. After retirement, he continued to be associated with the Vaidyanathan Committee and was a member of the Advisory Committee on Frauds in Banks and Financial Sector constituted by the GOI/CVC.

	आइओबी में शेयरधारिता	100 शेयर
	अन्य निदेशकता	शून्य
9	**नाम**	**प्रोफेसर एस. सडगोपन** **शेयरधारक निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	62 वर्ष - 02.04.1951
	योग्यता	बी ई (मैकेनिकल) , पी एच डी , सूचना प्रौद्योगिकी,परड्यू यूनिवर्सिटी से।
	नियुक्ति की तारीख	08.12.2011
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	07.12.2014
	अनुभव	प्रो. एस सडगोपन ने परड्यू यूनिवर्सिटी से सूचना प्रौद्योगिकी में पी एच डी की उपाधि प्राप्त की । उन्होने 20 वर्षों से अधिक समय तक आइ आइ टी कानपुर व आइ आइ एम बैंगलोर में अध्यापन किया ।उन्होंने आइआइटी, बेंगलोर में संस्थापक निदेशक के रूप में जून 1999 तक काम किया। आइआइटी बंगलोर पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप संस्था है जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। यह देश में बेहतरीन शैक्षणिक परिसरों में से एक है और इसे व्यक्तिगत रूप से प्रो एस सडगोपन द्वारा अवधारणात्मक स्वरूप प्रदान किया गया था। प्रो सडगोपन ने देश में प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में महत्व पूर्ण भूमिका निभाई जिसके अंतर्गत ओएनजीसी , आइओसी , एनटीपीसी और भेल में सैप को लागू करना शामिल है साथी ही वे सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक और इंडस इंड बैंक में सूचना प्रौद्योगिक सलाहकार रहे हैं। अनेक निजी क्षेत्र के निगमों के अलावा उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया कोर बैंकिंग सोल्यूश्न की स्थापना की ।
	आइओबी में शेयरधारिता	100 शेयर
	अन्य निदेशकता	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया क्योनिक्स पदेन निदेशक आइ आइ टी - बैंगलोर

	Shareholding in IOB	100 shares
	Other Directorships	NIL
9	Name	**Prof.S.Sadagopan** **Shareholder Director**
	Age and Date of Birth	62 years - 02.04.1951
	Qualification	B.E (Mechanical), Ph.D in IT from Purdue University
	Date of Appointment	08.12.2011
	Date of expiry of the Current term	07.12.2014
	Experience	Professor. S Sadagopan obtained his Ph.D in IT from Purdue University. He taught for more than 20 years at IIT Kanpur and IIM Bangalore. He is working as Founder Director since June 1999 in IIT, Bangalore. Within five years, IIT Bangalore was the first public-private partnership institute to get the deemed university status. It is one of the best academic campus in the country and was personally conceptualized by Prof. S.Sadagopan. Professor S Sadagopan has played a leading role in major IT deployment in the country and this includes SAP implementation at ONGC, IOC, NTPC and BHEL, IT advisor to Syndicate Bank, Canara Bank and Indus Ind Bank. In addition to several private sector corporations, he was very much involved with the Core Banking Solution that was rolled out in Bank of India.
	Shareholding in IOB	100 shares
	Other Directorships	Bharat Earth Movers Ltd National Payment Corporation of India KEONICS – Ex officio Director IIT -B

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

घोषणा

इस बात की पुष्टि की जाती है कि बैंक ने मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (यानि महा प्रबंधकों) के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और इसे बैंक के वेबसाइट पर डाल दिया गया है । मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है ।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

चेन्नै **(एम. नरेंद्र)**
29.04.2013 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

DECLARATION

This is to confirm that the bank has laid down a code of conduct for all the Board Members and Senior Management (i.e.,General Managers) of the Bank and the said code is posted on the website of the Bank .The Board Member and Senior Management have affirmed compliance with the code of conduct .

For Indian Overseas Bank

Chennai **(M. Narendra)**
29.04.2013 Chairman & Managing Director

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

INDIAN OVERSEAS BANK

केन्द्रीय कार्यालय, पो.बॉ. नं. 3765, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Central Office: P.B.No.: 3765, 763, Anna Salai, Chennai 600 002

दिनांक Date : 29 04 2013

सेवा में
निदेशक मंडल
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

31 03 2013 को समाप्त 12 महीनों के लिए बैंक के वित्तीय विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीबद्ध करार का खण्ड 49-V सीईओ / सीएफओ का प्रमाणीकरण

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि

क) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने उक्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है

1. इन विवरणों में कोई भी विवरण विषय की दृष्टि से गलत नहीं है या इनमें कोई भी तथ्य छोड़ा नहीं गया है या भ्रम पैदा करनेवाले ब्योरे शामिल नहीं हैं।

2. ये सभी विवरण बैंक के क्रियाकलापों पर सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखाकरण मानकों, प्रभावी कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं ।

ख) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो धोखापूर्ण, गैरकानूनी हों या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों ।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और इन आंतरिक नियंत्रणों की रचना या परिचालन में यदि कोई कमियां हो, जिसकी जानकारी हमें है और उन्हें सुधारने के संबंध में हमारे द्वारा किए गए उपायों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को दी है ।

घ) हमने अपनी जानकारी व विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है

1. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाना ;

2. वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों संबंधी उल्लेख वित्तीय विवरण की टिप्पणी में किए गए हैं और

3 महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों की ऐसी घटनाएं जिनकी हमें जानकारी है और जिनमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले कोई कर्मचारी या प्रबंधन शामिल हैं, यदि

To.
THE BOARD OF DIRECTORS
INDIAN OVERSEAS BANK

Financial Statements of the Bank for the 12 months ended 31.03.2013 Clause 49-V of the Listing Agreement with the Stock Exchanges - CEO/CFO Certification

In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, We certify that:

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statements for the year and that to the best of our knowledge and belief:

1. These statements do not contain any material untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.

2. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of Conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee the deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have, to the best of our knowledge and belief, indicated to the Auditors and the Audit Committee:

1. Significant changes in the internal control over financial reporting during the year;

2. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the Notes to the Financial Statements and

3. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the Management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(टी एस श्रीनिवासन)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(एम .नरेन्द्र)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

(T. S.SRINIVASAN)
General Manager & CFO

(M. NARENDRA)
Chairman & Managing Director

कार्पोरेट गवर्नेन्स पर
लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में,

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक चेन्नै के शेयरधारकों को

हमने 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै द्वारा कार्पोरेट गावर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज / एक्सचेंजों के साथ इण्डियन आवेरसीज़ बैंक के सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कार्पोरेट प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही यह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करता है।

बैंक द्वारा रखें गए रिकार्डों और दस्तावेजों एवं हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक द्वारा उक्त सूचीबद्ध करार में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेन्स संबंधी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

हम सूचित करते हैं कि रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेन्ट द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की कोई भी शिकायत एक महीने से ज्यादा अवधि के लिए लंबित नहीं है।

आगे हम सूचित करना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है न ही प्रबंधन की दक्षता या प्रभावात्मकता का, जिससे कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलाप संपन्न किए हैं।

कृते एस आर मोहन एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 002111एस

(जी जगदीश्वर राव)
साझेदार
स.सं.021361

कृते बदरी, मधुसूधन एवं श्रीनिवासन
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 05389एस

(एन के मधुसूधनन)
साझेदार
स.सं.020378

कृते बी त्यागराजन एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 004371एस

(बी.त्यागराजन)
साझेदार
स.सं.18270

कृते शंकर एण्ड मूर्ति
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 003575एस

(ए.मोनी)
साझेदार
स सं.028519

कृते पी.आर.मेहरा एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 000051एन

(अशोक मलहोत्रा)
साझेदार
स.सं.082648

कृते दास खन्ना एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 000402 एन

(राकेश सोनी)
साझेदार
स.सं.083142

AUDITORS' CERTIFICATE
ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Shareholders of
Indian Overseas Bank
Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank, Chennai for the year ended 31.03.2013, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of Indian Overseas Bank with Stock Exchange(s).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Indian Overseas Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Indian Overseas Bank.

On the basis of records and documents maintained by the Bank, the information provided to us and according to the explanation given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Registrar and Share Transfer Agent.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For S.R.Mohan & CO
Chartered Accountants
FRN 002111S

(G.JAGADESWARA RAO)
Partner
M.No. 021361

For Badari, Madhusudhan & Srinivasan
Chartered Accountants
FRN 005389S

(N.K.MADHUSUDHAN)
Partner
M.No. 020378

For B.Thiagarajan & CO
Chartered Accountants
FRN 004371S

(B. THIAGARAJAN)
Partner
M.No. 018270

For Sankar & Moorthy
Chartered Accountants
FRN 003575S

(A.MONY)
Partner
M.No. 028519

For P.R.Mehra & CO
Chartered Accountants
FRN 000051N

(ASHOK MALHOTRA)
Partner
M.No. 082648

For Dass Khanna & CO
Chartered Accountants
FRN 000402N

(RAKESH SONI)
Partner
M.No. 083142

Place: Chennai
Date: 29.04.2013

31.3.2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(₹. लाख में)

	31.03.2013 तक	31.03.2012 तक
पूँजी और देयताएँ		
पूँजी	924 10	797 00
	924 10	**797 00**
आरक्षितियाँ और अधिशेष		
सांविधिक आरक्षितियाँ	2911 62	2769 72
पूँजी आरक्षितियाँ	2210 42	2149 08
शेयर प्रीमियम	3558 34	2685 43
राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ	3852 89	3526 42
लाभ व हानि खाते में शेष		
	12533 26	**11130 65**
निक्षेप		
माँग निक्षेप	13207 55	12287 30
बचत बैंक निक्षेप	40378 95	34861 99
मियादी निक्षेप	148548 85	131284 89
	202135 35	**178434 18**
उधार		
भारत में उधार		
(अ) भारतीय रिज़र्व बैंक से	1400 00	6500 00
(आ) अन्य बैंकों से	2596 44	1285 44
(इ) अन्य संस्थानों एवं अभिकरणों से	6802 30	6802 30
भारत के बाहर उधार	12524 12	9026 11
	23322 86	**23613 85**
अन्य देयताएँ व प्रावधान		
	594 81	705 36
अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	528 44	
प्रोद्भूत ब्याज	543 43	459 05
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	92 86	675 89
आस्थगित कर देयता (निवल)	231 25	627 86
अन्य	3749 67	3193 29
	5740 47	**5661 45**
कुल पूँजी एवं देयताएँ	**244656 03**	**219637 13**
आकस्मिक देयताएँ		
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	41 96	43 10
बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	24178 58	21116 74
संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ	18391 10	14794 55
सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	18255 47	16590 60
अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से दायी है	10134 10	6647 55
	71001 21	**59192 54**
संग्रहण हेतु बिल	**12645 16**	**8336 52**

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के ज़रिए

एम.नरेंद्र
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

ए.के.बंसल
कार्यपालक निदेशक

ए.डी.एम.चावली
कार्यपालक निदेशक

निदेशकगण

एस.वी.राघवन
श्रीधर एल. लखोटिया
निरंजन कुमार अग्रवाल
अजित वसंत सरदेसाई

चेन्नै
29.04.2013

कृते एस आर मोहन एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 002111एस
(जी जगदीश्वर राव)
साझेदार
स.सं.021361

कृते बदरी, मधुसूधन एवं श्रीनिवासन
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 05389एस
(एन के मधुसूधनन)
साझेदार
स.सं.020378

कृते बी त्यागराजन एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 004371एस
(बी.त्यागराजन)
साझेदार
स.सं.18270

कृते शंकर एण्ड मूर्ति
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 003575एस
(ए.मोनी)
साझेदार
स सं.028519

कृते पी.आर.मेहरा एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 000051एन
(अशोक मलहोत्रा)
साझेदार
स.सं.082648

कृते दास खन्ना एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 000402 एन
(राकेश सोनी)
साझेदार
स.सं.083142

लेखापरीक्षक

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2013

(₹. in lacs)

	31.03.2013	31.03.2012
CAPITAL & LIABILITES		
Capital	924 10	797 00
	924 10	**797 00**
Reserves & Surplus		
Statutory Reserves	2911 62	2769 72
Capital Reserve	2210 42	2149 08
Share Premium	3558 34	2685 43
Revenue and Other Reserves	3852 89	3526 42
Balance in Profit & Loss A/c		
	12533 26	**11130 65**
Deposits		
Demand Deposits	13207 55	12287 30
Savings Bank Deposits	40378 95	34861 99
Term Deposits	148548 85	131284 89
	202135 35	**178434 18**
Borrowings		
Borrowings in India		
(a) from Reserve Bank of India	1400 00	6500 00
(b) from other Banks	2596 44	1285 44
(c) from other institutions and agencies	6802 30	6802 30
Borrowings outside India	12524 12	9026 11
	23322 86	**23613 85**
Other Liabilities & Provisions		
Bills Payable	594 81	705 36
Inter-Office adjustments (net)	528 44	
Interest accrued	543 43	459 05
Provisions towards Standard Assets	92 86	675 89
Deferred Tax Liability (net)	231 25	627 86
Others	3749 67	3193 29
	5740 47	**5661 45**
Total Capital and Liabilities	**244656 03**	**219637 13**
Contingent Liabilities		
Claims against the bank not acknowledged as debts	41 96	43 10
Liability on account of outstanding forward exchange contracts	24178 58	21116 74
Guarantees given on behalf of constitutents	18391 10	14794 55
Acceptances, endorsements and other obligations	18255 47	16590 60
Other items for which the bank is contingently liable	10134 10	6647 55
	71001 21	**59192 54**
Bills for Collection	**12645 16**	**8336 52**

VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

M. NARENDRA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

A.K. BANSAL
EXECUTIVE DIRECTOR

A.D.M. CHAVALI
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS
S.V. Raghavan
Sridhar L. Lakhotia
Niranjan Kumar Agarwal
Ajit Vasant Sardesai

S.R. MOHAN & CO,
FRN 002111S
G. JAGADESWARA RAO
Partner
M.No.021361

BADARI, MADHUSUDHAN & SRINIVASAN
FRN 005389S
N.K. MADHUSUDHAN
Partner
M.No.020378

B. THIAGARAJAN & CO
FRN 004371S
B.THIAGARAJAN
Partner
M.No.018270

SANKAR & MOORTHY
FRN 003575S
A. MONY
Partner
M.No.028519

P.R. MEHRA & CO,
FRN 000051N
ASHOK MALHOTRA
Partner
M.No.082648

DASS KHANNA & CO,
FRN 000402N
RAKESH SONI
Partner
M.No.083142

CHENNAI
29.04.2013

CHARTERED ACCOUNTANTS

संक्षिप्त वित्तीय विवरण

(₹. लाख में)

	31.03.2013 तक	31.03.2012 तक
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष	9837 82	10198 91
	9837 82	**10198 91**
बैंक में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन		
भारत में बैंकों के साथ अतिशेष	354 72	1406 06
माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	3709 40	3235 00
भारत के बाहर अतिशेष	1356 48	1421 12
	5420 59	**6062 19**
विनिधान		
भारत में		
अ)सरकारी प्रतिभूतियाँ	54261 39	49962 23
आ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	62 28	65 68
इ) शेयर	900 66	789 89
ई)डिबेंचर एवं बंध-पत्र	2441 50	2253 84
उ)अनुषंगी और/ या संयुक्त वेंचर		
ऊ)अन्य	1958 80	1301 72
	59624 64	**54373 36**
भारत के बाहर	1792 71	1192 52
	1792 71	**1192 52**
अग्रिम	**61417 35**	**55565 88**
भारत में		
(अ)क्रय किए गए व मितीकाटे पर भुगतान किए गए बिल	1751 93	1722 65
आ) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय उधार	68497 93	65856 83
इ) सावधि उधार	71052 20	57484 77
	141302 06	**125064 25**
भारत के बाहर	19062 06	15660 18
	160364 12	**140724 43**
स्थिर आस्तियाँ	1847 04	1744 05
	1847 04	**1744 05**
अन्य आस्तियाँ		
अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)		126 58
प्रोद्भूत ब्याज	2334 97	1994 47
अग्रिम रूप से संदत्त/ स्त्रोत पर काटा गया कर	1770 73	1771 03
आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)		
दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ	211 55	211 55
अन्य	1451 85	1238 04
	5769 11	**5341 67**
कुल आस्तियाँ	**244656 03**	**219637 13**

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के ज़रिए

एम.नरेंद्र
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

ए.के.बंसल
कार्यपालक निदेशक

ए.डी.एम.चावली
कार्यपालक निदेशक

निदेशकगण

एस.वी.राघवन
श्रीधर एल. लखोटिया
निरंजन कुमार अग्रवाल
अजित वसंत सरदेसाई

चेन्नै
29.04.2013

कृते एस आर मोहन एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 002111एस
(जी जगदीश्वर राव)
साझेदार
स.सं.021361

कृते बदरी, मधुसूधन एवं श्रीनिवासन
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 05389एस
(एन के मधुसूधनन)
साझेदार
स.सं.020378

कृते बी त्यागराजन एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 004371एस
(बी.त्यागराजन)
साझेदार
स.सं.18270

कृते शंकर एण्ड मूर्ति
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 003575एस
(ए.मोनी)
साझेदार
स सं.028519

कृते पी.आर.मेहरा एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 000051एन
(अशोक मलहोत्रा)
साझेदार
स.सं.082648

कृते दास खन्ना एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 000402 एन
(राकेश सोनी)
साझेदार
स.सं.083142

लेखापरीक्षक

ABRIDGED FINANCIAL STATEMENTS

(₹. in lacs)

	31.03.2013	31.03.2012
ASSETS		
Cash and balance with Reserve Bank of India	9837 82	10198 91
	9837 82	**10198 91**
Balances with banks and money at call and short notice		
Balances with banks in India	354 72	1406 06
Money at call and short notice in India	3709 40	3235 00
Balances outside India	1356 48	1421 12
	5420 59	**6062 19**
INVESTMENTS		
In India		
(a) Government Securities	54261 39	49962 23
(b) Other approved securities	62 28	65 68
(c) Shares	900 66	789 89
(d) Debentures and Bonds	2441 50	2253 84
(e) Subsidiaries and/ or Joint Ventures		
(f) Others	1958 80	1301 72
	59624 64	**54373 36**
Outside India	1792 71	1192 52
	1792 71	**1192 52**
ADVANCES	**61417 35**	**55565 88**
In India		
(a) Bills Purchased and discounted	1751 93	1722 65
(b) Cash Credits, Overdrafts and loans repayable on demand	68497 93	65856 83
(c) Term Loans	71052 20	57484 77
	141302 06	**125064 25**
Outside India	19062 06	15660 18
	160364 12	**140724 43**
FIXED ASSETS	1847 04	1744 05
	1847 04	**1744 05**
Other Assets		
Inter-Office adjustments (net)		126 58
Interest accrued	2334 97	1994 47
Tax paid in advance/ deducted at source	1770 73	1771 03
Deferred Tax Asset (net)		
Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	211 55	211 55
Others	1451 85	1238 04
	5769 11	**5341 67**
Total Assets	**244656 03**	**219637 13**

VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

M. NARENDRA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

A.K. BANSAL
EXECUTIVE DIRECTOR

A.D.M. CHAVALI
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS
S.V. Raghavan
Sridhar L. Lakhotia
Niranjan Kumar Agarwal
Ajit Vasant Sardesai

S.R. MOHAN & CO,
FRN 002111S
G. JAGADESWARA RAO
Partner
M.No.021361

BADARI, MADHUSUDHAN & SRINIVASAN
FRN 005389S
N.K. MADHUSUDHAN
Partner
M.No.020378

B. THIAGARAJAN & CO
FRN 004371S
B.THIAGARAJAN
Partner
M.No.018270

SANKAR & MOORTHY
FRN 003575S
A. MONY
Partner
M.No.028519

P.R. MEHRA & CO,
FRN 000051N
ASHOK MALHOTRA
Partner
M.No.082648

DASS KHANNA & CO,
FRN 000402N
RAKESH SONI
Partner
M.No.083142

CHENNAI
29.04.2013

CHARTERED ACCOUNTANTS

दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(₹. लाख में)

	31.03.2013	31.03.2012
आय		
अर्जित ब्याज		
अग्रिम/बिलों पर	15909 43	13581 89
विनिधान पर	4372 29	3941 36
भारतीय रिज़र्व बैंक और अंतर बैंक निधियों के शेष पर	286 94	322 54
अन्य	108 06	43 32
	20676 72	**17889 11**
अन्य आय		
कमीशन विनिमय एवं ब्रोकरेज़	895 33	899 88
विनिधानों की बिक्री पर निवल लाभ	243 07	136 40
भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	1 62	2 50
विनिमय लेनदेनों पर निवल लाभ	288 23	224 59
भारत / विदेश में अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त वेंचरों से लाभांश आदि द्वारा आय		
विविध आय	544 66	417 67
	1972 91	**1681 04**
कुल आय	**22649 63**	**19570 15**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज		
निक्षेपों पर	13872 98	11234 34
भा.रि.बै./ अंतर बैंक उधारों पर	1551 72	1638 50
अन्य	8	10
	15424 78	**12872 94**
परिचालनगत व्यय		
कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	2248 35	2082 98
किराया, कर एवं बिजली	307 84	301 05
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	23 62	19 45
विज्ञापन व प्रसारण	29 83	38 87
बैंक की संपत्ति पर मूल्य ह्रास	126 59	111 06
निदशकों के शुल्क, भत्ते एवं व्यय	1 46	1 40
शाखा लेखापरीक्षकों सहित लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	23 24	24 97
विधिक प्रभार	5 79	3 55
डाक, तार, टेलीफोन आदि	45 30	37 82
मरम्मत एवं रख-रखाव	11 34	10 41
बीमा	190 37	163 32
अन्य	394 11	368 19
	3407 84	**3163 07**

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के ज़रिए

एम.नरेंद्र
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

ए.के.बंसल
कार्यपालक निदेशक

ए.डी.एम.चावली
कार्यपालक निदेशक

निदेशकगण

एस.वी.राघवन
श्रीधर एल. लखोटिया
निरंजन कुमार अग्रवाल
अजित वसंत सरदेसाई

चेन्नै
29.04.2013

कृते एस आर मोहन एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 002111एस
(जी जगदीश्वर राव)
साझेदार
स.सं.021361

कृते बदरी, मधुसूधन एवं श्रीनिवासन
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 05389एस
(एन के मधुसूधनन)
साझेदार
स.सं.020378

कृते बी त्यागराजन एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 004371एस
(बी.त्यागराजन)
साझेदार
स.सं.18270

कृते शंकर एण्ड मूर्ति
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 003575एस
(ए.मोनी)
साझेदार
स सं.028519

कृते पी.आर.मेहरा एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 000051एन
(अशोक मलहोत्रा)
साझेदार
स.सं.082648

कृते दास खन्ना एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 000402 एन
(राकेश सोनी)
साझेदार
स.सं.083142

लेखापरीक्षक

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2013

(₹. in lacs)

	31.03.2013	31.03.2012
INCOME		
Interest Earned		
On advances/ bills	15909 43	13581 89
On Investments	4372 29	3941 36
On balances with RBI and inter bank funds	286 94	322 54
Others	108 06	43 32
	20676 72	**17889 11**
Other Income		
Commission exchange and brokerage	895 33	899 88
Net profit on sale of Investments	243 07	136 40
Net Profit on sale of land, buildings and other assets	1 62	2 50
Net Profit on exchange transactions	288 23	224 59
Income by way of dividends, etc from Subsidiaries / Companies and/ or joint ventures abroad / in India		
Miscellaneous Income	544 66	417 67
	1972 91	**1681 04**
Total Income	**22649 63**	**19570 15**
EXPENDITURE		
Interest Expended		
On deposits	13872 98	11234 34
On RBI/ inter-bank borrowings	1551 72	1638 50
Others	8	10
	15424 78	**12872 94**
Operating expenses		
Payments to and provisions for employees	2248 35	2082 98
Rent, taxes and lighting	307 84	301 05
Printing and Stationery	23 62	19 45
Advertisement and publicity	29 83	38 87
Depreciation on Bank's property	126 59	111 06
Director's fees, allowances and expenses	1 46	1 40
Auditor's fee and expenses including branch auditors	23 24	24 97
Law Charges	5 79	3 55
Postage, telegrams, telephones etc.,	45 30	37 82
Repairs and maintenance	11 34	10 41
Insurance	190 37	163 32
Others	394 11	368 19
	3407 84	**3163 07**

VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

M. NARENDRA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

A.K. BANSAL
EXECUTIVE DIRECTOR

A.D.M. CHAVALI
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS
S.V. Raghavan
Sridhar L. Lakhotia
Niranjan Kumar Agarwal
Ajit Vasant Sardesai

S.R. MOHAN & CO,
FRN 002111S
G. JAGADESWARA RAO
Partner
M.No.021361

BADARI, MADHUSUDHAN & SRINIVASAN
FRN 005389S
N.K. MADHUSUDHAN
Partner
M.No.020378

B. THIAGARAJAN & CO
FRN 004371S
B.THIAGARAJAN
Partner
M.No.018270

SANKAR & MOORTHY
FRN 003575S
A. MONY
Partner
M.No.028519

P.R. MEHRA & CO,
FRN 000051N
ASHOK MALHOTRA
Partner
M.No.082648

DASS KHANNA & CO,
FRN 000402N
RAKESH SONI
Partner
M.No.083142

CHENNAI
29.04.2013

CHARTERED ACCOUNTANTS

दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(₹. लाख में)

	31.03.2013	31.03.2012
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ		
विनिधान पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	175 10	171 62
गैर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	2198 82	1470 16
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	259 18	237 09
अन्य (आय कर को छोड़कर)	436 43	357 58
	3069 53	**2236 44**
कुल व्यय एवं प्रावधान	**21902 15**	**18272 45**
कर के पहले लाभ/ (हानि)	**747 48**	**1297 71**
वर्तमान कर	579 58	-82 58
आस्थगित कर	-399 33	330 16
कर के बाद लाभ/ (हानि)	**567 23**	**1050 13**
आगे ले जाया गया लाभ/ (हानि)		
कुल	**567 23**	**1050 13**
विनियोजन		
सांविधिक आरक्षित को अंतरण	141 90	316 00
अन्य आरक्षितों को अंतरण	210 53	317 30
प्रस्तावित लाभांश सरकार को अंतरण	214 80	416 83
अतिशेष तुलन पत्र में ले जाया गया		
	567 23	**1050 13**

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के ज़रिए

एम.नरेंद्र
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

ए.के.बंसल
कार्यपालक निदेशक

ए.डी.एम.चावली
कार्यपालक निदेशक

निदेशकगण
एस.वी.राघवन
श्रीधर एल. लखोटिया
निरंजन कुमार अग्रवाल
अजित वसंत सरदेसाई

चेन्नै
29.04.2013

कृते एस आर मोहन एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 002111एस
(जी जगदीश्वर राव)
साझेदार
स.सं.021361

कृते बदरी, मधुसूधन एवं श्रीनिवासन
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 05389एस
(एन के मधुसूधनन)
साझेदार
स.सं.020378

कृते बी त्यागराजन एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 004371एस
(बी.त्यागराजन)
साझेदार
स.सं.18270

कृते शंकर एण्ड मूर्ति
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 003575एस
(ए.मोनी)
साझेदार
स सं.028519

कृते पी.आर.मेहरा एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 000051एन
(अशोक मलहोत्रा)
साझेदार
स.सं.082648

कृते दास खन्ना एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 000402 एन
(राकेश सोनी)
साझेदार
स.सं.083142

लेखापरीक्षक

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2013

(₹. in lacs)

	31.03.2013	31.03.2012
Provisions and Contingencies		
Provisions for depreciation on investment	175 10	171 62
Provision towards non performing assets	2198 82	1470 16
Provision towards standard assets	259 18	237 09
Others (excluding income taxes)	436 43	357 58
	3069 53	**2236 44**
Total Expenses and Provisions	**21902 15**	**18272 45**
Profit/ (loss) before tax	**747 48**	**1297 71**
Current Tax	579 58	-82 58
Deferred Tax	-399 33	330 16
Profit/ (loss) after tax	**567 23**	**1050 13**
Profit/ (loss) brought forward		
Total	**567 23**	**1050 13**
Appropriations		
Transfer to Statutory Reserve	141 90	316 00
Transfer to Other Reserves	210 53	317 30
Transfer to Government proposed dividend	214 80	416 83
Balance Carried forward to Balance Sheet		
	567 23	**1050 13**

VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

M. NARENDRA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

A.K. BANSAL
EXECUTIVE DIRECTOR

A.D.M. CHAVALI
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS
S.V. Raghavan
Sridhar L. Lakhotia
Niranjan Kumar Agarwal
Ajit Vasant Sardesai

S.R. MOHAN & CO,
FRN 002111S
G. JAGADESWARA RAO
Partner
M.No.021361

BADARI, MADHUSUDHAN & SRINIVASAN
FRN 005389S
N.K. MADHUSUDHAN
Partner
M.No.020378

B. THIAGARAJAN & CO
FRN 004371S
B.THIAGARAJAN
Partner
M.No.018270

SANKAR & MOORTHY
FRN 003575S
A. MONY
Partner
M.No.028519

P.R. MEHRA & CO,
FRN 000051N
ASHOK MALHOTRA
Partner
M.No.082648

DASS KHANNA & CO,
FRN 000402N
RAKESH SONI
Partner
M.No.083142

CHENNAI
29.04.2013

CHARTERED ACCOUNTANTS

अनुसूची 18

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. समायोजन

अंतर-बैंक और अंतर-शाखा लेनदेनों का समायोजन 31.03.2013 तक पूरा कर लिया गया है । बकाया प्रविष्टियों के विलोपन का कार्य जारी है । बकाया प्रष्टियों के विलोपन / समाधान पर प्रबंधन किसी सामग्री परिणामात्मक की अपेक्षा नहीं करता ।

2. निवेश

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश पोर्टफोलियो (देशी)को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं :

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य (₹ करोड़ों में)		कुल निवेशों का प्रतिशत	
	31.3.2013	31.3.2012	31.3.2013	31.3.2012
परिपक्वता के लिए धारित	44504.46	38912.48	73.93	71.09
बिक्री के लिए उपलब्ध	15389.06	15817.70	25.57	28.90
ट्रेडिंग के लिए धारित	301.33	5.95	0.50	0.01

2.2 “परिपक्वता के लिए धारित” के तहत एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 25%की सीमा के अंदर हैं जो मार्च 2013 की समाप्ति तक बैंक की मांग व सावधि देयताओं का 22.92% (पिछले वर्ष ₹.22.54% करोड़)रहीं ।

2.3 ‘परिपक्वता के लिए धारित ’ प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में ₹.57.52 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष ₹.52.53 करोड़) का इस वर्ष के दौरान परिशोधन कर दिया गया है।

2.4 समझौता गारंटी निधि के प्रति ₹.450 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.300 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत उधार और ऋण बाध्यताओं के तहत उधार के लिए संपार्श्विक के प्रति ₹.8455 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.8455 करोड़) की प्रतिभूतियों क्लियरिंग कर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के यहाँ रखा गया है। ₹.3700 करोड की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को इंट्राडे उधार हेतु आरबीआई के पास रखा गया है । हम ने एलएफ विंडो के अंतर्गत हमारे उधार हेतु भा.रि.बैंक के साथ ₹.11050 करोड़ प्रतिभूति रखा है। इसके अलावा मुद्रा डेरिवेटिस प्रवर्ग के प्रति रु.15करोड़ (पिछले वर्ष ₹.10 करोड़) की राशि को एनएससीसीएल के यहाँ, फारेक्स परिचालनों के लिए डिफॉल्ट निधि के प्रति ₹.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.10 करोड़) की राशि को सीसीआइएल की राशि को इण्डियन किल्यरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के यहाँ रखा गया है।

2.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों के तहत शेयरों में ₹. 222.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹. 36.24 करोड़) के शेयर पूँजी जमाएँ शामिल हैं और शेयरों के आबंटन की लंबित धन आवेदन की ओर ₹.184.75 करोड़ है।

2.6 दोनों आउटराइट और भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार परिचालन योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान एचटीएम प्रवर्ग से बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ बेची। पुन:खरीद कुल अधिसूचित बाइ बैंक राशि 138000 करोड़ है। बैंक द्वारा विक्रय विस्तार ₹.4430 करोड़ है, बही मूल्य (बीवी) और अर्जित लाभ ₹.34.55 करोड़ है। बैंक ने ₹.1875 करोड़ (बीवी) (भा.रि.बैंक की सीमा 5% के अंदर निर्धारित किया।)की हद तक सरकारी प्रतिभूतियों (ओएमओ के अलावा)की भी बिक्री की और ₹.71.10 करोड़ का लाभ कमाया ।

3. अग्रिम

3.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावित हानि के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों के अनुसार किया गया ।

3.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं।

3.3 आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य, केंद्र सरकार की गारंटियों और बाद के आचरण/वसूलियों को ध्यान में रखा गया है ।

3.4 अलेखा-परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबंधकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है ।

3.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुपालन में ₹.811.06 करोड़ की वांछित प्रावधानों के बफर के प्रति दिनांक 31.3.2013 तक प्रति चक्रिया काउंटर बैंक रखरखाव किया।

3.6 आइआरएसी मानदंडों के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान शाखा स्तर पर ₹.227.47 करोड़ का पूर्ण प्रावधान किया गया, ₹.1938.76 करोड़ की राशि के संदिग्द्ध प्रवर्ग के तहत कुछ अग्रिमों के सुरक्षित भाग पर केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर इन अग्रिमों आंशिक बट्टे में डालना निर्धारित किया गया । इन अग्रिमों का कुल शेष ₹.2520.77 करोड़ है जिसमें से ₹.871.15 करोड़ को बट्टे खाते में डाला गया ।

4 अचल आस्तियाँ

4.1 वर्ष 2008-09 के दौरान भारत में कुछ भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन प्राधिकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया गया है और इसे पुनर्मूल्यांकन के कारण अस्तियों के रखाव मूल्य में ₹.1123.55 करोड़ जोड़ दिया है।

Schedule 18

NOTES ON ACCOUNTS

1. Reconciliation

Reconciliation of Inter Bank and Inter Branch transactions has been completed up to 31.3.2013 and steps for elimination of outstanding entries are in progress. The management does not anticipate any material consequential effect on reconciliation / elimination of outstanding entries.

2. Investments

2.1 In accordance with the Reserve Bank of India (RBI) guidelines, the Investments Portfolio of the Bank (domestic) has been classified into three categories, as given below: -

Category	Gross Book Value (₹ in Crore)		Percentage to Total Investments	
	31.3.2013	31.3.2012	31.3.2013	31.3.2012
Held to Maturity	44504.46	38912.48	73.93	71.09
Available for Sale	15389.06	15817.70	25.57	28.90
Held for Trading	301.33	5.95	0.50	0.01

2.2 SLR Securities under "Held to Maturity" accounted for 22.92% (previous year 22.54%) of Bank's Demand and Time liabilities as at the end of March 2013, as against the ceiling of 25% stipulated by RBI.

2.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of ₹.57.52 crore was amortised during the year (Previous year ₹.52.53 crore).

2.4 Securities of face value for ₹.450 crore (previous year Rs.300 crore) towards Settlement Guarantee Fund and securities for ₹.8455 crore (previous year ₹.8455 crore) towards collateral for borrowing under Collateralised Borrowing and Lending Obligations have been kept with Clearing Corporation of India Limited. We have placed securities of face value ₹.3700 crore with RBI for intraday borrowing. We have also placed securities to the extent of ₹.11050 crore with RBI for our borrowing under the LAF window. Besides, a sum of ₹.15 crore (previous year ₹.10 crore) have been lodged with NSCCL towards Currency Derivatives Segment and ₹.15 crore (previous year ₹.10 crore) with CCIL towards Default Fund for forex operations.

2.5 Shares under Investments in India in Regional Rural Banks is ₹.222.04 crore (Previous year ₹.36.24 crore) includes amount towards share capital Deposits and ₹.184.75 crore towards Application money pending allotment of shares.

2.6 The Bank sold Government Securities from HTM category during the year, both outright and under RBI's Open Market Operations(OMO). The total notified amount of buy back was ₹.138000 crore. The extent of sale by the Bank was ₹.4430 crore, book value (BV) and earned a profit of ₹.34.55 crore. The Bank has also sold Government Securities (other than OMO), to the extent of ₹.1875 crore (BV) (within 5%, prescribed limit of RBI) and booked a profit of ₹.71.10 crore.

3. Advances

3.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.

3.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.

3.3 In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government guarantees etc. have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

3.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.

3.5 In compliance with RBI guidelines, Bank maintained a Counter Cyclical Provisioning Buffer of ₹.811.06 crore as at 31.3.2013.

3.6 During the financial year full provision of ₹.227.47 crore computed at branch level as per IRAC norms, on secured portion of certain advances under doubtful category amounting to ₹.1938.76 crore has been set off for partial write-off of these advances at Central Office, The total outstanding of these advances is ₹.2520.77 crore out of which the amount written off is ₹.871.15 crore.

4. Fixed Assets

4.1 During the year 2008-09, certain land and buildings in India, were revalued through approved valuers and ₹.1123.55 crore added to the carrying value of assets on

4.2 वर्ष के दौरान आस्तियों की बिक्री पर लाभ ₹.0.82 करोड़ रहा (पिछले वर्ष ₹.1.18 करोड़) जिसे पूंजी आरक्षिती में विनियोजित किया गया है।

5. रुपया ब्याज दर स्वैप

प्रतिरक्षा हेतु लिए गए रुपया ब्याज स्वैप के निरसन पर रु.3.83 करोड़ (पिछले वर्ष 5.92 करोड़) की रकम को लाभों के कारण आस्थिगत आय में रखा गया है और इसे स्वैप की संविदागत शेष अवधि या आस्तियों / देयताओं की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए मान्यता दी जाएगी।

6. पूंजी एवं आरक्षितियाँ

6.1 वित्तीय वर्ष के दौरान , मार्च 2013 में बैंक ने भारत सरकार को रु.68.68 प्रति ईक्विटी शेयर प्रीमियम पर (पिछले वर्ष ₹.87.82 प्रति ईक्विटी शेयर) 12,70,97,102 ईक्विटी शेयर अधिमानी आबंटन के द्वारा (पिछले वर्ष भारत सरकार को 14,73,11,388 ईक्विटी शेयर और एल आइ सी और उसकी विभिन्न योजनाओं को 3,09,37,467 ईक्विटी शेयर समग्र 17,82,48,855 ईक्विटी शेयर) ₹. 872.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.1565.38 करोड़) के शेयर प्रीमियम सहित ₹.999.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.1743.63 करोड़) की ईक्विटी शेयर पूँजी बढ़ाई। उक्त परिणाम स्वरूप, भारत सरकार की शेयर धारिता 69.62% से बढ़कर 73.80% हो गई।

6.2 पिछले वर्ष में या वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक ने टीयर-II पूँजी नहीं बढ़ाई।

7. कर

7.1 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों, न्यायिक संघोषणाओं और कर-विशेषज्ञों की राय पर काफी विचार करने के बाद, आय कर से संबंधित ₹.1208.42करोड़ (पिछले वर्ष ₹.592.32 करोड़) की विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधानीकरण करना आवश्यक नहीं समझा गया।

7.2 वर्ष के लिए कर व्यय ₹.180.25 है (पिछले वर्ष ₹.247.58 करोड़)

8. पेंशन व ग्रेच्युटी देयताओं का अपरिशोधन

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी के लिए पेंशन के शुरू होने पर ओर ग्रैच्युटी सीमा की बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप बैंक ने वर्ष ने 2010-11 में ₹.1005.21 करोड़ की देयता प्रदान की। लेखांकन मानक की अपेक्षाओं के अनुसार (एएस-15) कर्मचारी लाभ, ₹.1005.21 करोड़ की संपूर्ण राशि लाभ व हानि खाते में प्रभारित की जानी है।

ग्रैच्युटी सीमाओं में वृद्धि व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी के लिए पेंशन के शुरू होने तक विवेकपूर्ण विनिमायक निदान विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी. बीपी.बीसी. 80/21.04.018 / 2010-11 दिनांकित 09.02.2011 के अनुसार बैंक ₹.1005.21 करोड़ की रकम का परिशोधन दिनांक 31.03.2011 से शुरु करके पाँच वर्ष की अवधि में करेगा। तदनुसार वर्ष 2011-12 के लिए ₹.201.04 (पिछले वर्ष ₹.201.04 करोड़) को वर्ष 2012-13 वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है और ₹.402.09 करोड़ की शेष रकम को आगे ले जाया गया। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस तरह का परिपत्र न जारी किया होता तो बैंक का तो एएस -15 की अपेक्षाओं के लागू करने के फलस्वरूप बैंक का लाभ ₹.402.09 करोड़ से घट गया होता।

09. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत वेंडरों के संबंध में जानकारी और जिनसे बैंक माल व सेवाएँ खरीद रहा है सुनिश्चित की जा रही है।

अतिरिक्त प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 02.07.2012 में दिए दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण किए जाते हैं

10. पूंजी

क्र सं.	विवरण	2012-13		2011-12	
		बेसल I	बेसल II	बेसल I	बेसल II
i)	सीआरएआर (%)	10.74%	11.85%	11.95%	13.32%
ii)	सीआरएआर टायर I पूंजी (%)	7.07%	7.80%	7.49%	8.35%
iii)	सीआरएआर टायर II पूंजी (%)	3.67%	4.05%	4.46%	4.97%
iv)	राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	73.80%*		69.62%*	
v)	टायर II पूंजी के रूप में गौण उधार की राशि	शून्य		शून्य	
vi)	आइपीडीआई जारी कर एकत्रित की गई रकम (रु. करोड़ों में)	शून्य		शून्य	
vii)	प्रवर टायर II लिखतों के निर्गमन से एकत्रित रकम	शून्य		शून्य	

* मार्च 2013 के दौरान (पिछले मार्च 2012 के दौरान) अधिमानीय आबंटन के आधार पर भारत सरकार को जारी किए गए 12,70,97,102 ईक्विटी शेयरों के कारण (विगत वर्ष 14,73,11,388 ईक्विटी शेयर)

account of such revaluation.

4.2 Profit on Sale of Assets for ₹.0.82 crore (previous year ₹.1.18 crore), has been appropriated to Capital Reserve.

5. Rupee Interest Rate Swap

An amount of ₹.3.83 crore (previous year ₹.5.92 crore) is held kept on deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps taken for hedging and would be recognized over the remaining contractual life of swap or life of the assets/liabilities, whichever is earlier.

6. Capital and Reserves:

6.1 During the financial year, in March 2013, Bank raised equity share capital of ₹.999.99 crore (previous year ₹.1743.63 crore) including share premium of ₹.872.90 crore (previous year ₹.1565.38 crore) by way of preferential allotment of 12,70,97,102 equity shares to Government of India (previous year 14,73,11,388 equity shares to Government of India and 3,09,37,467 equity shares to LIC and its various schemes aggregating to 17,82,48,855 equity shares) at a premium of ₹.68.68 per equity share (previous year ₹.87.82 per equity share). Pursuant to the above the shareholding of the Government of India has increased from 69.62% to 73.80%.

6.2 The Bank has not raised Tier II capital during the current year or in the previous year.

7. Taxes

7.1 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating ₹.1208.42 crore (previous year ₹.592.32 crore).

7.2 Tax expense for the year is ₹.180.25 crore (Previous year ₹.247.58 crore).

8. Unamortised Pension and Gratuity Liability

On the reopening of pension to employees of Public Sector Banks and enhancement of Gratuity limits, the Bank incurred a liability of ₹.1005.21 crore in 2010-11. In terms of requirement of Accounting Standard (AS 15) Employee Benefits, the entire amount of ₹.1005.21 crore is required to be charged to Profit and Loss Account.

In terms of Reserve Bank of India circular No.DBOD.BP.BC.80/ 21.04.018/2010-11, on Reopening of Pension Option to employees of Public Sector Banks and enhancement in Gratuity limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 09.02.2011, Bank would amortise the amount of ₹.1005.21 crore over a period of 5 years from 31.3.2011. Accordingly, ₹.201.04 crore (previous year ₹.201.04 crore) has been charged to Profit and Loss Account for the year 2012-13 and the balance amount of ₹.402.09 crore has been carried over. Had the RBI not issued such a circular, the Revenue Reserves of the Bank would have been lower by ₹.402.09 crore pursuant to application of the requirements of AS-15.

9. Information relating to vendors registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and from whom goods and services have been procured by the Bank, is being ascertained.

ADDITIONAL DISCLOSURES

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide Master Circular dated 2.7.2012, the following additional disclosures are made:-

10. Capital:

(₹. in Crore)

S.No.	Particulars	2012-13 Basel I	2012-13 Basel II	2011-12 Basel I	2011-12 Basel II
i)	CRAR (%)	10.74%	11.85%	11.95%	13.32%
ii)	CRAR - Tier I Capital (%)	7.07%	7.80%	7.49%	8.35%
iii)	CRAR - Tier II Capital (%)	3.67%	4.05%	4.46%	4.97%
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India in nationalized banks		73.80%*		69.62%*
v)	Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital		Nil		Nil
vi)	Amount raised by issue of IPDI		Nil		Nil
vii)	Amount raised by issue of Upper Tier II instruments		Nil		Nil

* Due to issuance of 12,70,97,102 equity shares (previous year 14,73,11,388 equity shares) during March 2013 (previous year during March 2012) to Government of India on preferential allotment.

11. निवेश

11.1 निवेशों का मूल्य

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.3.2013	31.3.2012
(i) निवेशों का सकल मूल्य		
[क] भारत में	60194.85	54736.13
[ख] भारत के बाहर	1795.14	1193.70
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
[क] भारत में	570.22	362.78
[ख] भारत के बाहर	58.69	1.18
(iii) निवेशों का निवल मूल्य		
[क] भारत में	59624.63	54373.35
[ख] भारत के बाहर	1736.45	1192.52

11.2 निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों का प्रचलन

(₹ करोड़ों में)

		2012-13	2011-12
(i)	आरंभिक शेष	363.96	225.15
(ii)	जोडें :वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	408.67	189.84
(iii)	घटाएँ :वर्ष के दौरान किए गए अधिक प्रावधानों को बट्टे खाते डालना / पुनरांकन करना	143.72	51.03
(iv)	समापन शेष	628.91	363.96

11.3 रिपो लेनदेन (अंकित मूल्य के अनुसार)

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष की समाप्ति के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष की समाप्ति के दौरान अधिकतम बकाया		दैनिक औसत बकाया वर्ष की समाप्ति के दौरान		मार्च 31 को बकाया	
	12-13	11-12	12-13	11-12	12-13	11-12	2013	2012
रिपो के तहत बेची गयी प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	4.85	19.86	4.85	773.89	0.01	8.36	शून्य	शून्य
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गईं प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	5.08	4.93	1698.78	537.16	179.26	15.60	शून्य	शून्य
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.4 गैर - एसएलआर निवेश पोर्टफ़ोलियो

गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना

(₹ करोड़ों में)

सं.	जारीकर्ता	रकम	निजी प्लेसमेंट का विस्तार	निवेश के कम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ	गैर निर्धारित प्रतिभूतियाँ	असूचित प्रतिभूतियों का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	724.64	598.53	0.00	0.00	5.82
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ	1030.43	1003.62	0.00	0.00	11.52
(iii)	बैंक	1480.54	1404.91	0.00	0.00	0.00
(iv)	निजी कार्पोरेट	1599.95	1334.80	0.00	227.96	226.88
(v)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	465.42	352.24	0.00	323.48	0.00
(vii)	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान	570.05	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
	कुल	**5871.03**	**4694.10**	**-**	**551.44**	**244.22**

11. Investments

11.1 Value of Investments

(₹. in Crore)

Particulars	31.3.2013	31.3.2012
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	60194.85	54736.13
(b) Outside India	1795.14	1193.70
(ii) Provisions for Depreciation		
(a) In India	570.22	362.78
(b) Outside India	58.69	1.18
(iii) Net value of Investments		
(a) In India	59624.63	54373.35
(b) Outside India	1736.45	1192.52

11.2 Movement of Provisions held towards depreciation on Investments

(₹. in Crore)

		2012-13	2011-12
(i)	Opening Balance	363.96	225.15
(ii)	Add: Provisions made during the year	408.67	189.84
(iii)	Less: Write -off/Write -back of excess provisions during the year	143.72	51.03
(iv)	Closing Balance	628.91	363.96

11.3 Repo transactions (in face value terms)

(₹. in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31	
	12-13	11-12	12-13	11-12	12-13	11-12	2013	2012
Securities sold under Repo								
i. Government securities	4.85	19.86	4.85	773.89	0.01	8.36	Nil	Nil
ii. Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities Purchased under reverse Repo								
i. Government securities	5.08	4.93	1698.78	537.16	179.26	15.60	Nil	Nil
ii. Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

11.4 Non-SLR Investment Portfolio

Issuer Composition of Non-SLR Investments

(₹. In Crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of below investment grade securities	Extent of 'Unrated' securities	Extent of 'Unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	724.64	598.53	0.00	0.00	5.82
(ii)	FIs	1030.43	1003.62	0.00	0.00	11.52
(iii)	Banks	1480.54	1404.91	0.00	0.00	0.00
(iv)	Private Corporates	1599.95	1334.80	0.00	227.96	226.88
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	Others	465.42	352.24	0.00	323.48	0.00
(vii)	Provision held towards depreciation	570.05	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
	Total	**5871.03**	**4694.10**	**-**	**551.44**	**244.22**

11.5 अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ों में)

विवरण	रकम
1 अप्रैल 2012 तक अथ शेष	109.03
1 अप्रैल 2012 वर्ष के दौरान जोड	25.84
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियाँ	77.27
31 मार्च 2013 तक इति शेष	57.60
कुल धारित प्रावधान	17.34

11.6 एचटीएम श्रेणी अन्तरण को बिक्री

(₹ करोड़ों में)

विवरण	रकम
एचआईएम श्रेणी में संपन्न विपणन मूल्य निवेश	शून्य
विपणन मूल्य से अधिक बही मूल्य के अतिरेक के जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया	लागू नहीं

12. डेरिवेटिव्स

12.1 वायदा दर करार / ब्याज दर अदला-बदली

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2012-13			2011-12		
	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल
i) अदला-बदली करारों के काल्पनिक मूल	998.00	5769.68	6767.68	1073.00	2902.44	3975.44
ii) करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यता को पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होने वाली हानि	0.59	246.17	246.76	2.31	160.64	162.95
iii) अदला-बदली करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv) अदला-बदली से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	-7.49	246.17	238.68	-16.62	-160.01	-176.63

12.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं	विवरण	रकम
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	शून्य
(ii)	31 मार्च 2013 तक विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	शून्य
(iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो “ज्यादा प्रभावी” नहीं	शून्य
(iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो “ज्यादा प्रभावी” नहीं	शून्य

12.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

12.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेज़री -(विदेशी)

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस) मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है। बैंक कार्पोरेट ग्राहकों को ये उत्पाद भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करन सके । इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंक के साथ ही किए जाते हैं जिनके करार विद्यमान हैं ।

अ) विदेशी उधार / एफ़ सी एन आर [बी] पोर्टफ़ोलियो / आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज/विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी खाताओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं और साथ ही ये उत्पाद बैंक टू बैंक दुतरफा आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती है ।

11.5 Non Performing Non SLR Investments

(₹. In Crore)

Particulars	Amount
Opening Balance as on 1st April 2012	109.03
Additions during the year since 1st April	25.84
Reductions during the above period	77.27
Closing Balance as on 31st March 2013	57.60
Total Provisions held	17.34

11.6 Sale and Transfers to/from HTM Category

(₹. in Crore)

Particulars	Amount
Market Value of the investments held in the HTM Category	NIL
Excess of book value over market value for which provision is not made.	Not Applicable

12. DERIVATIVES

12.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹. In Crore)

PARTICULARS	2012-13			2011-12		
	Rupee Exposure	FX Exposure	Total	Rupee Exposure	FX Exposure	Total
i) The national principal of swap agreements	998.00	5769.68	6767.68	1073.00	2902.44	3975.44
ii) Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfil their obligations under the agreements	0.59	246.17	246.76	2.31	160.64	162.95
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book	-7.49	246.17	238.68	-16.62	-160.01	-176.63

12.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹. in Crore)

S. No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2013	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil

12.3 DISCLOSURES ON RISK EXPOSURE IN DERIVATIVES

12.3.1 Qualitative Disclosure

Treasury (Foreign)

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. The Bank also offers these products to corporate clients to enable them to manage their own currency and interest rate risk. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/ Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/ FCNR(B) portfolio/ the asset liability mis-match, for funding overseas branches etc., and also to offer derivative products on back- to- back basis to customers.

आ) डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है ।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है डेरिवेटिव लनेदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं । प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन ही सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए ।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति व प्रभावकारिता का निरंतर प्रबोधन किया जाता है ।

उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है ।

ऊ) बैंक द्वारा तुलन पत्र की प्रतिरक्षा और कार्पोरेट ग्राहकों का पारस्परिक आधार पर चयन करने के लिए बैंक द्वारा व्युत्पन्न का प्रयोग किया जाता है । प्रतिरक्षा लेनदेनों के संबंध में प्रतिरक्षा के मूल्य व परिपाक ने मूलाधार को पार नहीं किया है । बैक टू बैक लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों के साथ के लेनदेन, बैंक के काउंटर पार्टी लेनदेनों से पूर्णत: मेल किए गए हैं और आरक्षित ऋण नहीं हैं ।

ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में लिया गया है । तुलन पत्र हेतु किए गए अदला-बदली के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय, अदला-बदली की शेष सांविदात्मक अवधि आयु या आस्तियों / देयताओं की अवधि , जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी । ग्राहकों के लिए बैक टू बैक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप्त होनेवाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी।

ए) सभी प्रतिरक्षा लेनदेन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं । बकाए संविदाओं का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया । बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेनदेन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है ।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेनदेन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

ट्रेज़री -(देशीय)

बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा हेतु और अधीनस्थ ऋणों व सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रूपया ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याजदर स्वैप को अपनाता है। स्वैप लेन-देन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके पास आइएसडीए करार विद्यमान है।

क. बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त ढ़ाँचा और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेज़री विभाग, बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति और जोखिम समिति शामिल हैं।

ख.व्युत्पन्न लेनदेन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेनदेन निष्पादित करने हेतु या निधियों की जरूरतों की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न) परिचालनगत जोखिम, विनियात्मक जोखिम और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापित कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है। आइआरएस लेनेदेन केवल बैंकों के साथ प्रतिपार्टी के रूप में किए जाते हैं और हर प्रति पार्टी के लिए बैंक के बार्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अंदर होते हैं।

ग. बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है। बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएँ नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है । केवल दुतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपाक ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नहीं किया है।

घ.व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (नीति संख्या -6) में प्रकट किए अनुसार की गई है।

12.3.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्रसं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव्स व विकल्प	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम)		
	क] प्रतिरक्षा के लिए	1726.99	6326.50
	ख] व्यापार के लिए	156.04	441.18
(ii)	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति		
	क) आस्तियाँ (+)	82.85	246.76
	ख)देयताएँ(-)	20.65	-13.38
(iii)	ऋण जोखिम [2]	233.29	73.63
(iv)	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन का प्रभाव (100*पीवी01)		
	क] प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर	34.97	25.58
	ख] व्यापार डेरिवेटिव्स पर	3.27	3.85
v)	वर्ष के दौरान देखे गए 100*पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम		
	क] प्रतिरक्षा पर	अधिकतम 47.60	अधिकतम 25.90
		न्यूनतम 34.97	न्यूनतम 18.30
	ख] व्यापार पर	अधिकतम 5.16	अधिकतम 3.89
		न्यूनतम 3.27	न्यूनतम 2.46

b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposures separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

e) The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet and offered to select corporate clients on back-to-back basis. In respect of hedge transactions the value and maturity of hedges has not exceeded that of the underlying exposure. In respect of back-to-back transactions the transactions with clients are fully matched with counter party Bank transactions and there is no uncovered exposure.

g) The income from such derivatives are amortized and taken to Profit and Loss Account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/liabilities whichever is lower. In case of early termination of derivatives undertaken for customers on a back- to- back basis, income on account of such things will be recognized on termination.

h) All the hedge transactions are accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

i) The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

Treasury (Domestic)

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Govt. Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt and term deposits. In addition, the Bank also enters into rupee interest rate swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

a) The Bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk, which includes treasury department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit risk (arising from probable counter party failure), Liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), Operational risk, Regulatory risk and Reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.

c) Derivatives are used by the Bank for trading and hedging. The Bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge Bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.

d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, as disclosed in Schedule 17–Significant Accounting Policies (Policy No.6)

12.3.2 Quantitative Disclosures

(₹.In Crore)

S. No.	PARTICULARS	CURRENCY DERIVATIVES	INTEREST RATE DERIVATIVES
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount) a) For Hedging b) For Trading	 1726.99 156.04	 6326.50 441.18
(ii)	Marked to Market Positions a) Asset (+) b) Liability (-)	 82.85 20.65	 246.76 -13.38
(iii)	Credit Exposure	233.29	73.63
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) a) on hedging derivatives b) on trading derivatives	 34.97 3.27	 25.58 3.85
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year a) on hedging b) on trading	 Maximum 47.60 Minimum 34.97 Maximum 5.16 Minimum 3.27	 Maximum 25.90 Minimum 18.30 Maximum 3.89 Minimum 2.46

13. आस्ति गुणवत्ता

13.1.1 अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2012-13	2011-12
I) सकल एनपीए से सकल अग्रिम (%)	2.50	1.35
ii) एनपीए की गतिशीलता (सकल)		
क) अथ शेष	3920.07	3089.59
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	5600.61	3184.76
ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	2912.72	2354.28
घ) इति शेष	6607.96	3920.07
iii) निवल एनपीए की गतिशीलता		
क) अथ शेष	1907.44	1328.42
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	3413.18	1714.60
ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1293.41	1135.58
घ) इति शेष	4027.21	1907.44
iv) एनपीए की गतिशीलता के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
क) अथ शेष	1923.40	1650.06
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2198.82	1470.16
ग) बट्टे खाते में डाले गए / पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	1657.71	1196.82
घ) इति शेष	2464.51	1923.40

13.1.2 उपबंध कवरेज अनुपात

भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार उपबंध कवरेज अनुपात की गणना की गई दिनांक 31.03.13 तक 58.89% है (दिनांक 31.03.2012 तक 67.68%)

13.2 पुनर्सरंचित खातों के विवरण

(₹ करोड़ों में)

		सीडीआर प्रणाली	एसएमइ ऋण संरचनात्मक	अन्य
पुनर्सरंचनात्मक मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	57	554	2861
	बकाया रकम	4631.26	988.58	11881.01
	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	501.71	9.63	290.35
पुर्नसंरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	0	52	265
	बकाया रकम	0	38.44	225.12
	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0	0.01	0.60
पुर्नसंरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	2	7	84
	बकाया रकम	91.80	4.71	188.48
	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	8.74	0	0
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	**59**	**613**	**3210**
	बकाया रकम	**4723.06**	**1031.73**	**12294.61**
	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	**510.45**	**9.64**	**290.95**

13. ASSET QUALITY:

13.1.1 Non-Performing Assets (NPAs)

(₹.In Crore)

	2012-13	2011-12
i) Net NPAs to Net Advances (%)	2.50	1.35
ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening Balance	3920.07	3089.59
b) Additions during the year	5600.61	3184.76
c) Reductions during the year	2912.72	2354.28
d) Closing Balance	6607.96	3920.07
iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening Balance	1907.44	1328.42
b) Additions during the year	3413.18	1714.60
c) Reductions during the year	1293.41	1135.58
d) Closing Balance	4027.21	1907.44
iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
a) Opening balance	1923.40	1650.06
b) Provisions made during the year	2198.82	1470.16
c) Write-off/Write-back of excess provisions	1657.71	1196.82
d) Closing balance	2464.51	1923.40

13.1.2 Provision Coverage Ratio

The Provision Coverage Ratio (PCR) computed as per the RBI guidelines stood at 58.89% as on 31.3.2013 (67.68% as on 31.3.2012).

13.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹. In Crore)

		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of Borrowers	57	554	2861
	Amount outstanding	4631.26	988.58	11881.01
	Sacrifice (diminution in the fair value)	501.71	9.63	290.35
Sub standard advances restructured	No. of Borrowers	0	52	265
	Amount outstanding	0	38.44	225.12
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0	0.01	0.60
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	2	7	84
	Amount outstanding	91.80	4.71	188.48
	Sacrifice (diminution in the fair value)	8.74	0	0
TOTAL	No. of Borrowers	**59**	**613**	**3210**
	Amount outstanding	**4723.06**	**1031.73**	**12294.61**
	Sacrifice (diminution in the fair value)	**510.45**	**9.64**	**290.95**

पुन:संरचित खातों का प्रकटीकरण

(₹. करोड़ों में)

क्रम सं.	पुन:संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुर्नसंरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण																					
	विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	1 अप्रैल 2012 तक पुर्नसंरचित किये गये खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	14	1	2	0	17	197	54	6	0	257	912	287	77	0	1276	1123	342	85	0	1550
		बकाया राशि	2000.84	26.15	91.80	0.00	2118.79	180.82	50.23	9.72	0.00	240.77	4999.00	158.63	55.22	0.00	5212.85	7180.66	235.01	156.74	0.00	7572.41
		उन पर प्रावधान	180.9	2.96	9.42	0.00	193.28	1.25	0.92	0.00	0.00	2.16	67.40	0.43	3.81	0.00	71.64	249.54	4.31	13.23	0.00	267.08
2	वर्ष के दौरान नए पुन:संरचित किए गए	उधारकर्ताओं की संख्या	28	0	0	0	28	14	1	0	0	15	123	0	0	0	123	165	1	0	0	166
		बकाया राशि	2994.00	0.00	0.00	0.00	2994.00	159.00	16.00	0.00	0.00	175.00	4749.00	0.00	0.00	0.00	4749.00	7902.00	16.00	0.00	0.00	7918.00
		उन पर प्रावधान	293.80	0.00	0.00	0.00	293.80	6.35	0.09	0.00	0.00	6.44	131.76	0.00	0.00	0.00	131.76	431.91	0.09	0.00	0.00	432.00

Disclosure of Restructured Accounts

(₹. In Crore)

SI No.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restru cturing Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification / Details		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 2012	No. of Borrowers	14	1	2	0	17	197	54	6	0	257	912	287	77	0	1276	1123	342	85	0	1550
		Amount Outstanding	2000.84	26.15	91.80	0.00	2118.79	180.82	50.23	9.72	0.00	240.77	4999.00	158.63	55.22	0.00	5212.85	7180.66	235.01	156.74	0.00	7572.41
		Provision Thereon	180.9	2.96	9.42	0.00	193.28	1.25	0.92	0.00	0.00	2.16	67.40	0.43	3.81	0.00	71.64	249.54	4.31	13.23	0.00	267.08
2	Fresh restructuring during the year	No. of Borrowers	28	0	0	0	28	14	1	0	0	15	123	0	0	0	123	165	1	0	0	166
		Amount Outstanding	2994.00	0.00	0.00	0.00	2994.00	159.00	16.00	0.00	0.00	175.00	4749.00	0.00	0.00	0.00	4749.00	7902.00	16.00	0.00	0.00	7918.00
		Provision Thereon	293.80	0.00	0.00	0.00	293.80	6.35	0.09	0.00	0.00	6.44	131.76	0.00	0.00	0.00	131.76	431.91	0.09	0.00	0.00	432.00

3	वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान पुन:संरचित मानक वर्ग की रूप में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	1	-1	0	0	0	1	-1	0	0	0	2	-2	0	0	0	4	-4	0	0	0
		बकाया राशि	26.15	-26.15	0.00	0.00	0.00	25.36	-25.36	0.00	0.00	0.00	10.20	-10.20	0.00	0.00	0.00	61.71	-61.71	0.00	0.00	0.00
		उन पर प्रावधान	2.96	-2.96	0.00	0.00	0.00	1.11	-1.11	0.00	0.00	0.00	0.43	-0.43	0.00	0.00	0.00	4.50	-4.50	0.00	0.00	0.00
4	उच्च प्रावधान आकर्षित करनेवाले पुन:संरचित मानक अग्रिम और /या वित्तीय वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुन:संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की संख्या	4	0	0	0	4	54	0	0	0	54	173	0	0	0	173	231	0	0	0	231
		बकाया राशि	274.12	0	0	0	274.12	162.31	0	0	0	162.31	940.57	0	0	0	940.57	1377.00	0	0	0	1377.00
		उन पर प्रावधान	43.59	0	0	0	43.59	1.20	0	0	0	1.20	0	0	0	0	0	44.79	0	0	0	44.79
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन:संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	-18	18	0	0	0	-26	26	0	0	0	-44	44	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	-691.05	691.05	0.00	0.00	0.00	-757.98	757.98	0.00	0.00	0.00
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3	Upgradations to restructured Standard category during the FY 2012 -13	No. of Borrowers	1	-1	0	0	0	1	-1	0	0	0	2	-2	0	0	0	4	-4	0	0	0
		Amount Outstanding	26.15	-26.15	0.00	0.00	0.00	25.36	-25.36	0.00	0.00	0.00	10.20	-10.20	0.00	0.00	0.00	61.71	-61.71	0.00	0.00	0.00
		Provision Thereon	2.96	-2.96	0.00	0.00	0.00	1.11	-1.11	0.00	0.00	0.00	0.43	-0.43	0.00	0.00	0.00	4.50	-4.50	0.00	0.00	0.00
4	Restructured Standard advances which cease to attract higher provisioning and/ or additi onal risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	4	0	0	0	4	54	0	0	0	54	173	0	0	0	173	231	0	0	0	231
		Amount Outstanding	274.12	0	0	0	274.12	162.31	0	0	0	162.31	940.57	0	0	0	940.57	1377.00	0	0	0	1377.00
		Provision Thereon	43.59	0	0	0	43.59	1.20	0	0	0	1.20	0	0	0	0	0	44.79	0	0	0	44.79
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	-18	18	0	0	0	-26	26	0	0	0	-44	44	0	0	0
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	-691.05	691.05	0.00	0.00	0.00	-757.98	757.98	0.00	0.00	0.00
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन: संरचित खातों को बट्टे खाते में डाला गया	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उन पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	वित्तीय वर्ष मार्च 2013 तक पुर्नसंरचित किये खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	42	0	1	0	43	194	52	7	0	253	799	265	84	0	1148	1035	317	92	0	1444
		बकाया राशि	3965.91	0.00	83.51	0.00	4049.42	458.58	38.44	4.71	0.00	501.73	10256.09	225.12	188.48	0.00	10669.69	14680.58	263.56	276.70	0.00	15220.84
		उन पर प्रावधान	456.09	0.00	8.74	0.00	464.83	4.59	0.01	0.00	0.00	4.60	309.32	0.60	0.00	0.00	309.92	770.00	0.61	8.74	0.00	779.35

6	Write-offs of restructured accounts du ring the FY	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Provision Thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Restructured Accounts as on March 31 2013 of the FY	No. of Borrowers	42	0	1	0	43	194	52	7	0	253	799	265	84	0	1148	1035	317	92	0	1444
		Amount Outstanding	3965.91	0.00	83.51	0.00	4049.42	458.58	38.44	4.71	0.00	501.73	10256.09	225.12	188.48	0.00	10669.69	14680.58	263.56	276.70	0.00	15220.84
		Provision Thereon	456.09	0.00	8.74	0.00	464.83	4.59	0.01	0.00	0.00	4.60	309.32	0.60	0.00	0.00	309.92	770.00	0.61	8.74	0.00	779.35

13.3 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनःसंरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ों में)

विवरण		2012-13	2011-12
(i)	खातों की संख्या	1	शून्य
(ii)	एस सी / आर सी को विक्रय किए गए खातों का कुल मूल्य [प्रावधानों का निवल]	शून्य	शून्य
(iii)	कुल प्रतिफल	11.00	शून्य
(iv)	गत वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v)	निवल बही-मूल्य पर कुल लाभ / हानि	3.01	शून्य

13.4 अन्य बैंकों से क्रय / विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

13.4.1 क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2012 -13	2011-12
1 [क] वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
[ख] कुल बकाया	शून्य	शून्य
2 [क] वर्ष के दौरान इनमें से पुन:संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
[ख] कुल बकाया	शून्य	शून्य

13.4.2 विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2012-13	2011-12
1. विक्रय किए गए खाते	शून्य	शून्य
2. कुल बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य

13.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2012-13	2011-12
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	941.52	675.89

14 कारोबार अनुपात

	विवरण	2012-13	2011-12
(i)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	9.57%	9.82%
(ii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.91%	0.92%
(iii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	1.77%	1.94%
(iv)	औसत आस्तियों से लाभ	0.24%	0.52%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) (₹ करोड़ों में)	12.88	11.76
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ों में)	0.0199	0.0384

13.3 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset reconstruction

(₹. In Crore)

Particulars		2012-13	2011-12
(i)	No. of accounts	1	Nil
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii)	Aggregate consideration	11.00	Nil
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	3.01	Nil

13.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold from other banks

13.4.1 Details of non-performing financial assets purchased:

(₹. In Crore)

Particulars	2012-13	2011-12
1 (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2 (a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

13.4.2 Details of non-performing financial assets sold:

(₹. In Crore)

Particulars	2012-13	2011-12
1. No. of accounts sold	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	Nil	Nil
3. Aggregate consideration received	Nil	Nil

13.5 Provisions on Standard Assets

(₹. In Crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Provisions towards Standard Assets	941.52	675.89

14 BUSINESS RATIOS

	Particulars	2012-13	2011-12
(i)	Interest Income as a percentage to Average Working Funds	9.57%	9.82%
(ii)	Non Interest Income as a percentage to Working Funds	0.91%	0.92%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.77%	1.94%
(iv)	Return on Avg. Assets	0.24%	0.52%
(v)	Business (Deposits plus advances) per Employee (₹. In crore)	12.88	11.76
(vi)	Profit per employee (₹. In crore)	0.0199	0.0384

15. आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च 2013 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान

(₹ करोड़ों में)

	जमाएँ	अग्रिम(सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1दिन	4162.83	4868.43	860.88	72.71	1207.88	1187.96
2 से 7 दिन	5129.27	2499.69	3664.16	1791.65	1286.50	707.08
8 से 14 दिन	7587.26	2664.60	1793.08	54.51	553.89	373.29
15 से 28 दिन	3501.04	4980.71	889.45	830.31	1901.22	1184.39
29 दिनों से 3 महीने	23336.52	18112.87	6170.71	1741.71	5355.82	3192.25
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	23502.39	14610.2	6005.30	1849.21	4359.23	4207.34
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	50107.73	19401.91	12262.33	3063.40	902.47	2479.64
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	26308.41	56516.69	11553.67	2543.26	4027.96	3533.04
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	9302.32	19320.42	5087.83	7329.26	2746.45	5835.25
5 वर्ष से अधिक	49197.58	21390.96	13700.45	4046.84	2296.28	--
कुल	**202135.35**	**164366.48**	**61987.86**	**23322.86**	**24637.70**	**22700.24**

16. संवेदनशील क्षेत्रों को उधार

16.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण

(₹ करोड़ों में)

प्रवर्ग		**2012-13**	**2011-12**
अ)	**प्रत्यक्ष ऋण**		
	i) रिहाइशी बंधक- उधारकर्ता की रिहाइशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जाएगा।	5699.92	4868.63
	जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	4296.35	3720.49
	ii) वाणिज्यिक स्थावर- संपदावाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार [कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस ज़मीन, होटल, भूमि अभिग्रहण, विस्तारण व निर्माण आदि] उधार में गैर-निधि आधारित सीमाएँ सम्मिलित हैं ।	7833.92	8176.43
	iii) स्थावर संपदा अन्य लिक्विरेंट ऋण जो सीआरई के तहत नहीं हैं -होटल और अस्पताल	3923.29	3145.02

15 ASSET LIABILITY MANAGEMENT:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on March 31, 2013

(₹. In Crore)

	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	4162.83	4868.43	860.88	72.71	1207.88	1187.96
2 to 7 days	5129.27	2499.69	3664.16	1791.65	1286.50	707.08
8 to 14 days	7587.26	2664.60	1793.08	54.51	553.89	373.29
15 to 28 days	3501.04	4980.71	889.45	830.31	1901.22	1184.39
29 days to 3 Month	23336.52	18112.87	6170.71	1741.71	5355.82	3192.25
Over 3 Month & up to 6 Month	23502.39	14610.20	6005.30	1849.21	4359.23	4207.34
Over 6 Month & up to 1 year	50107.73	1 9401.91	12262.33	3063.40	902.47	2479.64
Over 1 year & up to 3 years	26308.41	56516.69	11553.67	2543.26	4027.96	3533.04
Over 3 years & up to 5 years	9302.32	19320.42	5087.83	7329.26	2746.45	5835.25
Over 5 years	49197.58	21390.96	13700.45	4046.84	2296.28	--
Total	**202135.35**	**164366.48**	**61987.86**	**23322.86**	**24637.70**	**22700.24**

16. LENDING TO SENSITIVE SECTOR

16.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹. In Crore)

Category		**2012 -13**	**2011 -12**
(a)	**Direct Exposure**		
	i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	5699.92	4868.63
	Out of which, Individual housing loans eligible to be classified under Priority Sector	4296.35	3720.49
	ii) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	7833.92	8176.43
	iii) Real estate others: Hotels , Hospitals and Liquirent not under CRE	3923.29	3145.02

(₹ करोड़ों में)

प्रवर्ग		2012-13	2011-12
	iv) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य प्रत्याभूत उधार - रिहाइशी - वाणिज्यिक स्थावर संपदा - अन्य	 शून्य शून्य 15.00	 शून्य शून्य 15.00
आ)	अप्रत्यक्ष ऋण : एनएचबी आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार जाखिम	861.27	1280.15
	कुल संपदा प्रवर्ग को कुल ऋण (अ+आ)	**18333.40**	**17485.23**

16.2 पूँजी बाज़ार को ऋण

(₹ करोड़ों में)

विवरण		2012-13	2011-12
(i)	उन ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश , जिनकी निधि का निवेश विशिष्टत: कार्पोरेट ऋणों में नहीं किया गया है।	690.73	705.47
(ii)	शेयरों (आइपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बाँडों और परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की युनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या निर्बंध आधार पर अग्रिम	0.87	0.61
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम , जहाँ शेयरों, या परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के युनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है।	299.04	461.21
(iv)	जहाँ शेयरों/ परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के युनिटों से इतर प्रधान प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँड, परिवर्तनशील डिबेंचर और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के युनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए प्रदत्त अग्रिम।	705.74	561.32
(v)	स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ	129.02	175.91
(vi)	संसाधन जुटाने की अपेक्षा से नई कंपनियों की ईक्विटी के प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति करने हेतु शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या निबंर्ध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूरित ऋण	35.00	32.56
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
(viii)	शेयरों या परिवर्ततनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबंचरों या ईक्विटी म्यूच्युअल फंड के युनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ	शून्य	शून्य
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉकब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	0.20	शून्य
(x)	उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही)के प्रति सभी ऋण सभी ऋण जोखिम	239.36	229.25
	पूंजी बाजार को कुल उधार	**2099.96**	**2166.33**

(₹.In Crore)

Category		2012-13	2011-12
	iv) Investments in Mortgage Backed Securities and other securitised exposures - Residential - Commercial Real estate - Others	 Nil Nil 15.00	 Nil Nil 15.00
(b)	**Indirect Exposure** : Fund based and non -fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	861.27	1280.15
	Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)	**18333.40**	**17485.23**

16.2 Exposure to Capital Market:

(₹.In Crore)

Particulars		2012-13	2011-12
(i)	direct investment made in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	690.73	705.47
(ii)	advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	0.87	0.61
(iii)	advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	299.04	461.21
(iv)	advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	705.74	561.32
(v)	secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	129.02	175.91
(vi)	loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	35.00	32.56
(vii)	bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	Nil	Nil
(viii)	underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
(ix)	financing to stockbrokers for margin trading;	0.20	Nil
(x)	all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	239.36	229.25
	Total Exposure to Capital market	**2099.96**	**2166.33**

16.3 जोखिम वर्ग वार देश ऋण

(₹ करोड़ों में)

जोखिम वर्ग	31.3.2013 तक कुल अग्रिम	31.3.2013 तक धारित प्रावधान	31.3.2013 तक कुल अग्रिम	31.3.2012 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	12831.42	7.12	10725.41	6.55
कम	4574.71	शून्य	5615.89	2.69
सामान्य	2297.79	शून्य	1387.10	शून्य
उच्च	164.21	शून्य	35.46	शून्य
उच्चतर	127.78	शून्य	110.65	शून्य
प्रतिबंधित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उधार-इतर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	19995.91	7.12	17874.51	9.24

16.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण जहाँ बैंक ने अतिक्रमण किया है :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और वर्ष 2012-13 के लिए हमारे बैंक की ऋण नीति दस्तावेज़ के शर्तों के अनुसार एकल उधारकर्ता उधार सीमा का अनुमेय स्तर रु.2640.45 करोड़ (पूँजी निधि का 15%) के अनुसार एकल उधारकर्ता उधार सीमा का अनुमेय स्तर रु 7041.20 करोड़ (पूंजी निधि का 40 %) है । विदेशी शाखाओं के संबंध में एसबीएल और जीबीएल में यूएसडी 40 मियो और यूएसडी 60 मियो है ।

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूरी की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की मंजूरी के विवरण	31.03.2013 तक के लिए बकाये की स्थिति
1	ग्लोबल सप्लाईज़ यूएई, एफज़ेडई हाँगकाँग	217.14 [यूएसडी40 मियो]	542.85 [यूएसडी100 मियो]	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	08.12.2012	346.32 [यूएसडी 63.797 मियो]
2	वेदांत रिसोर्स पीएलसी हाँगकाँग	217.14 [यूएसडी40 मियो]	271.43 [यूएसडी50 मियो]	16.01.2013 से 31.03.2013 तक	08.12.2012	271.43 [यूएसडी50.00 मियो]
3	अरमदा डी 1 पीटीई लि. सिंगापुर	217.14 [यूएसडी40 मियो]	135.71 [यूएसडी25 मियो] 352.85 [यूएसडी65 मियो]	26.09.2012 से 31.03.2013 तक	01.09.2012 and 08.12.2012	352.85 [यूएसडी65.00 मियो]
4	एमवीपी ग्रुप इंटरनेशनल आएनसी, हाँकाँग	217.14 [यूएसडी40 मियो]	325.71 [यूएसडी60 मियो]	04.07.2012 से 31.03.2013 तक	30.06.2012	325.71 [यूएसडी60.00 मियो]

** कंपनी को यूएसडी40 मियो वर्तमान अल्पकालिक ऋण हैं।

16.5 असुरक्षित अग्रिम

(₹ करोड़ों में)

	2012-13	2011-12
राइट्स , लाइसेन्स प्राधिकार पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों के लिए कुल रकम ली गई है	5356.00	1401.50
ऐसी अमूर्त संपर्श्विक का अनुमानित मूल्य	5356.00	1627.72

17. विविध

17.1 वर्ष के दौरान कर के लिए गए प्रावधानों की रकम

(₹ करोड़ों में)

	2012-13	2011-12
आय कर के लिए प्रावधान (निवल)	579.08	(83.08)

17.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण :शून्य ।

16.3 Risk Category-wise Country Exposure: (₹. in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.3.2013	Provision held as at 31.3.2013	Exposure (net) as at 31.3.2012	Provision held as at 31.3.2012
Insignificant	12831.42	7.12	10725.41	6.55
Low	4574.71	Nil	5615.89	2.69
Moderate	2297.79	Nil	1387.10	Nil
High	164.21	Nil	35.46	Nil
Very High	127.78	Nil	110.65	Nil
Restricted	Nil	Nil	Nil	Nil
Off-credit	Nil	Nil	Nil	Nil
Total	19995.91	7.12	17874.51	9.24

16.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

As per RBI guidelines and terms of Loan Policy Document of our Bank for 2012-13, the permissible level of Single Borrower exposure limit is ₹.2640.45 crore (15% of Capital funds) and ₹.7041.20 crore for Group Borrower limit (40% of Capital funds). SBL and GBL in case of overseas branches is USD 40 Mio and USD 60 Mio respectively.

(₹. In Crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure limit	Limit Sanctioned	Period during which limit exceeded	Board sanction details	Position as on 31.3.2013 Outstanding
1	Global Supplies UAE, FZE Hong Kong	217.14 [USD40 mio]	542.85 [USD100 mio]	01.04.2012 to 31.03.2013	08.12.2012	346.32 [USD63.797 mio]
2	Vedanta Resource Plc. Hong Kong	217.14 [USD40 mio]	271.43 [USD50 mio]	16.01.2013 to 31.03.2013	08.12.2012	271.43 [USD50.00 mio]
3	Armada D1 Pte Ltd. Singapore**	217.14 [USD40 mio]	135.71 [USD25 mio] 352.85 [USD65 mio]	26.09.2012 to 31.03.2013	01.09.2012 and 08.12.2012	352.85 [USD65.00 mio]
4	MVP Group International Inc. Hong Kong	217.14 [USD40 mio]	325.71 [USD60 mio]	04.07.2012 to 31.03.2013	30.06.2012	325.71 [USD60.00 mio]

** The company had existing short term loan of USD40 mio

16.5 Unsecured Advances (₹. in Crore)

	2012-13	2011-12
Total amount for which intangible securities such as charge over the rights, licences authority, etc., has been taken	5356.00	1401.50
Estimated value of such intangible collateral	5356.00	1627.72

17. MISCELLANEOUS

17.1 Amount of provisions made for Income Tax during the year:

(₹. In Crore)

	2012-13	2011-12
Provision for Income Tax (net)	579.08	(83.08)

17.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI: NIL

17.3 प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ - ब्रेक अप

(₹ करोड़ों में)

लाभ व हानि खाता में व्यय शीर्ष के तहत "आकस्मिकताएँ व प्रावधान " का ब्रेकअप	2012-13	2011-12
निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	175.10	171.62
एनपीए के प्रति प्रावधान	2198.82	1470.16
मानक आस्ति के प्रति प्रावधान	259.18	237.09
आयकर (आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित) के प्रति किए गए प्रावधान	180.25	247.58
अन्य आकस्मिकताएँ व प्रावधान	436.43	357.57
कुल	**3249.78**	**2484.02**

17.4 अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	2012-13	2011-12
क)	अस्थायी प्रावधान खाते में आरंभिक शेष	171.36	171.36
ख)	लेखाकरण वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	शून्य	शून्य
ग)	लेखांकन वर्ष के दौरान ड्रा डाउन रकम	शून्य	शून्य
घ)	अस्थायी प्रावधान खाते में समापन शेष	171.36	171.36

17.5 शिकायतों का प्रकटीकरण

17.5.1 ग्राहकों की शिकायतें

(₹ करोड़ों में)

क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	150
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3528
ग)	वर्ष के दौरान जिन शिकायतों का निवारण किया गया उनकी संख्या	3475
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	203

17.5.2 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय

क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	Nil
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	3
ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	2
घ)	ग्राहक द्वार अस्वीकृति के कारण समाप्त निर्णयों की संख्या	1
(ङ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	Nil

17.6 चुकौती आश्वासन -पत्र (एलओसी)

वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन -पत्र	Nil
31.3.2012 तक बकाया आश्वासन पत्र	2(Two)
मूल्यंकित वित्तीय प्रभाव	Nil
संचयी मूल्यांकित वित्तीय बाध्यताएँ	Nil

वर्ष 2009-10, के दौरान बैंक ने एक चुकौती आश्वासन पत्र इस वचन के साथ जारी किया है कि वह अपनी बैंकांक शाखा के सबंध मे 12% के न्यूनतम सीआरएआर को बनाए रखना और रखी गई आय को पूँजी निधि में परिवर्तित करने / या आगे न्यूनतम 12% सीआरएआर को बनाए रखने के उद्देश्य से पूँजी में वृद्धि करना, बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त हो।

शाखा के संपूर्ण टैक्सटाइल के खराब प्रदर्शन होने से अनर्जक आस्ति हुई, हम मानक टैक्सटाइल के असुरक्षित भाग के लिए टीएचबी 235.186 तक अतिरिक्त प्रावधान कर सकते हैं। अतिरिक्त प्रावधान रखी गई अर्जित आय में से किया जाना है। दिनांक 31.03.2013 को शाखा की विद्यमान रखी गई अर्जित आय टीएचबी 315.287 मियो है। अत: यह आकस्मिकताएँ उत्पन्न होती हैं तो कोई भी अतिरिक्त पूँजी प्रेषित नहीं की जानी होगी क्योंकि विद्यमान आरक्षित असुरक्षित राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक ने बैक नेगरा मलेशिया के पक्ष में कम्फार्ट पत्र जारी किया है । बैंक अन्य संयुक्त उद्यम साझेदारों के साथ इंडिया इंटरनेशनल बैंक (

17.3 Provisions and Contingencies - Break up

(₹. In Crore)

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2012-13	2011-12
Provisions for depreciation on Investment	175.10	171.62
Provision towards NPA	2198.82	1470.16
Provision towards Standard Assets	259.18	237.09
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax & Wealth Tax)	180.25	247.58
Other Provision and Contingencies	436.43	357.57
Total	**3249.78**	**2484.02**

17.4 Floating Provisions

(₹. In Crore)

	Particulars	2012-13	2011-12
(a)	Opening balance in the floating provisions account	171.36	171.36
(b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year	Nil	Nil
(c)	Amount of draw down made during the accounting year	Nil	Nil
(d)	Closing balance in the floating provisions account	171.36	171.36

17.5 Disclosure of complaints

17.5.1 Customer Complaints

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	150
(b)	No. of complaints received during the year	3528
(c)	No. of complaints redressed during the year	3475
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	203

17.5.2 Awards passed by the Banking Ombudsman

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	Nil
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	3
(c)	No. of Awards implemented during the year	2
(d)	No. of Awards lapsed due to non acceptance by customer	1
(e)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	Nil

17.6 Letters of Comfort (LoC)

Letters of Comfort issued during the year	Nil
Letters of Comfort outstanding as on 31.3.2013	2(Two)
Assessed financial impact	Nil
Cumulative Assessed Financial Obligation	Nil

During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LOC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/ or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12% subject to approval from RBI.

In the worst case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA, we may have to make additional provision to the extent of THB235.186 mio being unsecured portion of standard textile advances. The additional provisions have to be made from retained earnings. The existing retained earnings of the branch as on 31.03.2013 are at THB315.287 mio. Hence if this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

During the year 2010-11, the Bank has issued a letter of comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other JV partners will provide support to India

मलेशिया) बीएचडी को निधि जुटाने, कारोबार और अन्य मामलों में जब भी आवश्यक हो समर्थन देगा और अपने कारोबार परिचालनों और प्रबंधन करने में मलेशियन कानूनों, विनियामकों की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

बैंक नेगरा मलेशिया को जारी किए गए वचन पत्र का वित्तीय प्रवाह प्रदत्त पूँजी एमवाई आर 310 मियो यानि एमवाईआर 108.500 मियो के 35% के अपने शेयर प्रेषित किया है। हमारे बैंक ने इसलिए एमवाईआर 108.500 मियो की पूँजी के वास्ते आइएनआर 186,30,62,371/= विप्रषित किए हैं।

17.7 बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

(₹ करोड़ों में)

क्रम स.	आय का स्वरूप*	2012-13	2011-12
1	जीवन बीमा पालसियों को बेचने के लिए	7.53	12.55
2	गैर जीवन बीमा पालसियों को बेचने के लिए	10.44	7.87
3	म्यूचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	0.14	0.29
5	अन्य स्पष्ट करें	--	--
	कुल	18.11	20.71

*बैंक द्वारा लिए गए बैंकएश्यूरेन्स कारोबार द्वारा प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक

लेखांकन मानकों के निबंधनों के अनुसार प्रकटीकरण

18.1 लेखांकन नीतियाँ मानक 9 - राजस्व मान्यता

महत्वपूर्ण लेखांकन अनुसूची - 17 में मद सं.2 में वर्णितानुसार राजस्व के मान्यता दी गई है

18.2 लेखांकन मान 15 - कर्मचारी लाभ

i) बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारियों के लाभ" संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है।

ii) लेखांकन -मानक -15 परिशोधित के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते खोते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन -उत्तर लाभों व दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है:

क) पारिभाषित लाभ योजनाएँ:

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन

(₹ करोड़ों में)

	पेंशन (निधिक)		**गैच्युटी** (निधिक)		**अवकाश नकदीकरण** (गैर निधिक)	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	4389.33	3863.32	941.01	869.45	289.02	285.40
ब्याज लागत	357.86	318.71	70.03	69.26	22.00	21.25
वर्तमान सेवा लागत	67.33	33.79	76.21	26.27	50.84	5.62
प्रदत्त लाभ	(358.48)	(227.47)	(131.15)	(109.26)	(60.37)	(39.31)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	409.07	400.97	142.68	85.28	25.76	16.05
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	4865.11	4389.33	1098.78	941.01	327.26	289.02

योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ों में)

	पेंशन (निधिक)		**गैच्युटी** (निधिक)		**अवकाश नकदीकरण** (गैर निधिक)	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	3935.08	3256.40	793.07	672.20	0.00	0.00
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	362.25	14.67	68.08	59.27	0.00	0.00
नियोक्ता का अंशदान	539.75	632.25	248.00	156.00	60.37	39.31
प्रदत्त लाभ	(358.48)	(227.47)	(131.15)	(109.25)	(60.37)	(39.31)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	100.20	259.23	32.40	14.85	0.00	0.00
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	4578.80	3935.08	1010.40	793.07	0.00	0.00
गैर निधि निधीय संक्रमणकालीन देयता	--	--	--	--	--	--

International Bank (Malaysia) Bhd in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian Laws, Regulations and Policies in the conduct of its business operations and management.

The financial impact for the letter of undertaking issued to Bank Negara Malaysia is remittance of our share of 35% of the paid up capital of MYR310 mio ie. MYR108.500 mio. Our Bank has so remitted INR186,30,62,371/- towards the capital of MYR108.500 mio.

17.7 Bancassurance Business

(₹. In Crore)

S No	Nature of income*	2012-13	2011-12
1	For selling Life Insurance Policies	7.53	12.55
2	For selling Non Life Insurance Policies	10.44	7.87
3	For Selling Mutual Fund products	0.14	0.29
5	Others (specify)	--	--
	Total	18.11	20.71

*Fees/Remuneration received in respect of the Bancassurance Business undertaken by the Bank.

18. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS

18.1 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

18.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

i) The Bank has adopted Accounting Standard 15 (Revised) “Employees Benefits” issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April 2007.

ii) The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard–15 (Revised) are as under:

a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations (₹. In Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Present Value of obligation as at the beginning of the year	4389.33	3863.32	941.01	869.45	289.02	285.40
Interest Cost	357.86	318.71	70.03	69.26	22.00	21.25
Current Service Cost	67.33	33.79	76.21	26.27	50.84	5.62
Benefits Paid	(358.48)	(227.47)	(131.15)	(109.26)	(60.37)	(39.31)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	409.07	400.97	142.68	85.28	25.76	16.05
Present Value of Obligation at year end	4865.11	4389.33	1098.78	941.01	327.26	289.02

Change in Fair Value of Plan Asset (₹. In Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Fair Value of Plan Ass ets at the beginning of the year	3935.08	3256.40	793.07	672.20	0.00	0.00
Expected return on Plan Assets	362.25	14.67	68.08	59.27	0.00	0.00
Employer’s contribution	539.75	632.25	248.00	156.00	60.37	39.31
Benefit Paid	(358.48)	(227.47)	(131.15)	(109.25)	(60.37)	(39.31)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	100.20	259.23	32.40	14.85	0.00	0.00
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	4578.80	3935.08	1010.40	793.07	0.00	0.00
Unfunded Transitional Liability	--	--	--	--	--	--

तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम

(₹ करोड़ों में)

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश **नकदीकरण** (गैर निधिक)	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
वर्ष के अंत में तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	4865.11	4389.32	1098.78	941.01	327.26	289.02
वर्ष के अंत में तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	4578.80	3935.08	1010.40	793.07	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी अनिधिक निवल देयता	286.31*	454.24*	88.38*	147.94*	327.26	289.02

*पेंशन और ग्रेच्युटी निधियों में निहित अ-निधीगत निवल देयता का बकाया को अगले 2 वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाएगा।

लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय

(₹ करोड़ों में)

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश **नकदीकरण** (गैर निधिक)	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
वर्तमान सेवा लागत	67.33	33.79	76.21	26.27	50.84	5.62
ब्याज लागत	357.86	318.71	70.03	69.25	22.00	21.25
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(362.25)	(14.66)	(68.08)	(59.27)	0.00	0.00
वर्ष में पहचाना गया निवल वास्तविक (लाभ) / हानि	308.87	141.74	110.28	40.23	25.76	16.05
लाभ व हानि खाते में पहचाने गए कुल व्यय	371.81	479.58	188.44	76.50	98.60	42.92
पेंशन विकल्प II / पीएफ के योगदान कर्मचारी से प्राप्त रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता :

(₹ करोड़ों में)

क) ऋण लिखत	पेंशन न्यास (%)		ग्रैच्युटी न्यास(%)	
	2013	2012	2013	2012
केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	9.68	8.00	7.40	8.65
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	42.08	21.25	47.85	43.63
पीएसयू /पीएफआइ कार्पोरेट बांडस में निवेश	43.39	39.37	39.61	40.07
अन्य निवेश	4.85	31.38	5.14	7.65
ख) ईक्विटी लिखत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलन पत्र तारीख पर मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

(₹ करोड़ों में)

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश **नकदीकरण** (गैर निधिक)	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
बट्टा दर	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ दर	9.00%	8.50%	8.00%	8.50%	0%	0%
वेतन वृद्धि की अनुमानित दर	4.00%	3.00%	5.00%	4.00%	4.50%	4.00%
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित युनिट क्रेडिट		अनुमानित युनिट क्रेडिट		अनुमानित युनिट क्रेडिट	

Amount recognized in Balance Sheet

(₹. In Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	4865.11	4389.32	1098.78	941.01	327.26	289.02
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	4578.80	3935.08	1010.40	793.07	0.00	0.00
Un-funded Net Liability recognized in Balance sheet	286.31*	454.24*	88.38*	147.94*	327.26	289.02

* The balance of Un-funded Net Liability in Pension and Gratuity Funds, are to be amortised over a period of next 2 years.

Expenses Recognized in Profit & Loss

(₹. In Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Current Service Cost	67.33	33.79	76.21	26.27	50.84	5.62
Interest Cost	357.86	318.71	70.03	69.25	22.00	21.25
Expected return on Plan Asset	(362.25)	(14.66)	(68.08)	(59.27)	0.00	0.00
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	308.87	141.74	110.28	40.23	25.76	16.05
Total expenses chargeable in Profit & Loss Account	371.81	479.58	188.44	76.50	98.60	42.92
Amount received from II Pension Optees / Employer's Contribution of PF	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-

Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

a) Debt Instruments	Pension Trust (%)		Gratuity Trust (%)	
	2013	2012	2013	2012
Central Government Securities	9.68	8.00	7.40	8.65
State Government Securities	42.08	21.25	47.85	43.63
Investment in PSU/PFI/ Corporate Bonds	43.39	39.37	39.61	40.07
Other Investments	4.85	31.38	5.14	7.65
b) Equity Instruments	Nil	Nil	Nil	Nil

Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Discount Rate	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
Expected rate of return on Plan Assets	9.00%	8.50%	8.00%	8.50%	0%	0%
Expected Rate of Salary increase	4.00%	3.00%	5.00%	4.00%	4.50%	4.00%
Method used	Projected unit credit		Projected unit credit		Projected unit credit	

अनुभवगत समंजन

(₹ करोड़ों में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश **नकदीकरण** (गैर निधिक)	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
योजनाओं आस्तियों पर अनुभवगत समंजन (हानि)लाभ	100.20	259.23	32.40	14.85	शून्य	शून्य
योजनाओं देयताओं पर अनुभवगत समंजन (हानि) लाभ	409.07	400.96	142.68	85.27	25.76	16.05

वास्तविक मूल्यांकन के विचारण में भविष्य में वेतन में वृद्धि का अनुमान, योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ , मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और कर्मचारी बाजार में आपूर्ति व माँग जैसे अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखा गया है ।

विदेशी शाखाओं के संबंध में कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के आभाव में यह नही है।

(ख)परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है

बट्टा दर - बट्टा दर को मूल्यांकन की तारीख (तुलन पत्र दिनांकित 31 03 2013)सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ में तय किया गया है ।

अनुमानित लाभ दर- पेंशन व छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में अनुमानित लाभ दर को सरकारी बाँड पर लाभ के आधार पर तय किया गया है । ग्रैच्युटी के संबंध में वास्तविक लाभ को लिया गया है ।

वेतन वृद्धि : गत डाटा के आधार पर।

ग) अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाले ग्रेच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु.160/- करोड है ।

18.3 लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को ट्रेज़री, कार्पोरेट /थोक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों में वर्गीकृत किया है।

भाग क : कारोबार खण्ड

(₹ करोड़ों में)

कारोबार खण्ड	**राजकोष**		**कार्पोरेट / थोक बैंकिंग**		**रिटेल बैंकिंग**		**अन्य बैंकिंग परिचालन**		**कुल**	
विवरण	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
राजस्व	5123.68	4520.06	11432.64	9565.12	5252.59	4824.00	731.05	623.12	22539.96	19532.30
परिणाम	868.51	423.66	2153.09	1867.83	478.00	1105.78	208.56	91.61	3708.16	3488.88
अनाबंटित आय								-	109.67	45.82
अनाबंटित व्यय									0.82	0.55
परिचालनगत लाभ/हानि									3817.01	3534.15
आय कर									180.25	247.58
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									3069.53	2154.26
असाधारण लाभ / हानि		-	-	-			-	-	0	-82.18
निवल लाभ									567.23	1050.13
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तियाँ	68019.27	62326.15	110964.95	101528.80	63752.33	53890.80	144.36	127.86	242880.91	217873.61
अनाबंटित आस्तियाँ									1775.12	1774.57
कुल आस्तियाँ									244656.03	219648.18
खण्डवार देयताएँ	63416.49	58324.52	104633.60	96123.20	62624.91	52136.78	51.79	68.81	230726.79	206653.31
अनाबंटित देयताएं									471.86	1067.21
कुल देयताएं									231198.65	207720.52

Experience Adjustments

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un funded)	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Experience adjustment on Plan assets (Loss)/Gain	100.20	259.23	32.40	14.85	Nil	Nil
Experience adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	409.07	400.96	142.68	85.27	25.76	16.05

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

In respect of overseas branches, disclosures if any, required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

(b) The financial assumptions considered for the calculations are as under:-

Discount Rate: - The discount rate has been chosen by reference to market yield on Government bonds as on the date of valuation. (Balance sheet dated 31.3.2013)

Expected Rate of Return: In case of Pension the expected rate of return is taken on the basis of yield on Government bonds. In case of gratuity, the actual return has been taken.

Salary Increase: On the basis of past data.

(c) Bank's best estimate expected to be paid in the next Financial Year for Gratuity is ₹.160 crore.

18.3 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

Part A: Business Segments

(₹. In Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
Revenue	5123.68	4520.06	11432.64	9565.12	5252.59	4824.00	731.05	623.12	22539.96	19532.30
Result	868.51	423.66	2153.09	1867.83	478.00	1105.78	208.56	91.61	3708.16	3488.88
Unallocated Income								-	109.67	45.82
Unallocated Expenses									0.82	0.55
Operating Profit/Loss									3817.01	3534.15
Income Taxes									180.25	247.58
Provisions & Contingencies									3069.53	2154.26
Extraordinary profit / loss		-	-	-			-	-	0	-82.18
Net Profit									567.23	1050.13
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	68019.27	62326.15	110964.95	101528.80	63752.33	53890.80	144.36	127.86	242880.91	217873.61
Unallocated Assets									1775.12	1774.57
Total assets									244656.03	219648.18
Segment Liabilities	63416.49	58324.52	104633.60	96123.20	62624.91	52136.78	51.79	68.81	230726.79	206653.31
Unallocated Liabilities									471.86	1067.21
Total Liabilities									231198.65	207720.52

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

(₹ करोड़ों में)

	देशी		विदेशी		कुल	
	2012 -13	**2011 -12**	**2012 -13**	**2011 -12**	**2012 -13**	**2011 -12**
राजस्व	21398.28	18801.39	1251.35	776.73	**22649.63**	**19578.12**
आस्तियाँ	222801.18	201521.80	21854.85	18126.38	**244656.03**	**219648.18**

18.4 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण
संबंधित पार्टियों के नाम व बैंक के साथ उनके संबंध

1	मूल संस्था	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
2	सहयोगी संस्थाएँ	पाण्डियन ग्राम्य बैंक नीलाचल ग्राम्य बैंक आडिशा ग्रामीण बैंक
3.	अनुषंगियाँ	कोई नहीं
4.	संयुक्तत: नियंत्रित इकाई (संयुक्त उद्यम)	इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.ईक्विटी शेयर में निवेश रु.186.31 करोड़ (अधिकतम निवेश रु.186.31 करोड़)
5.	**प्रमुख प्रबन्धन पदाधिकारी**	

क्रम सं.	**नाम**	**पदनाम**	**पारिश्रमिक*रकम** (₹.) (2012-13
1.	श्री एम.नरेन्द्र	अ.व प्र.नि.	26,35,027
2.	श्री ए.के.बंसल	कार्यपालक निदेशक	22,50,982
3.	श्री ए.डी.एम .चावली	कार्यपालक निदेशक	17,67,488
4.	श्रीमती नूपुर मित्रा	भूतपूर्व का.नि	3,20,833

* पारिश्रमिक वेतन व भत्ते , वेतन बकाया , निष्पादन लागत प्रोत्साहन राशि , छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी बकाया शामिल हैं।

18.5 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

विवरण	**2012-13**	**2011 -12**
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु.करोड़ में)	567.23	1050.13
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	80,18,73,155	62,02,30,552
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	Rs. 7.07	Rs.16.93
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	Rs.10.00	Rs.10.00

18.6 लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

चूँकि कोई अनुषंगी संस्था नहीं है, किसी समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी गई है ।

18.7 लेखांकन मानक 22 : आय पर करों के लिए लेखाकरण

वर्ष के दौरान, बैंक ने रु.399.33 करोड़ की आस्थगित कर देयता (पिछले वर्ष की आस्थगित कर आस्ति रही वर्ष रु.330.16 करोड़)को हिसाब में लिया है । बैंक के पास रु.230.49 करोड की बकाया निवल आस्थगित कर देयता है (पिछले वर्ष की आस्थगित कर आस्ति रही वर्ष रु.628.96 करोड़ रही)। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का प्रमुख मदों में ब्रेकअप निम्नवत दिया गया है:

Part B - Geographic segments

(₹. In Crore)

	Domestic		International		Total	
	2012 -13	2011 -12	2012 -13	2011 -12	2012 -13	2011 -12
Revenue	21398.28	18801.39	1251.35	776.73	**22649.63**	**19578.12**
Assets	222801.18	201521.80	21854.85	18126.38	**244656.03**	**219648.18**

18.4 Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures

Names of the related parties and their relationship with the Bank

1	Parent		Indian Overseas Bank	
2	Associates		Pandyan Grama Bank Odisha Gramya Bank	
3.	Subsidiaries		None	
4.	Jointly controlled entity (Joint Venture)		India International Bank (Malaysia) Bhd. Investment in equity shares ₹.186.31 crore (maximum investment ₹.186.31 crore)	
5.	**Key Management Personnel**			
	Sl. No.	Name	Designation	Remuneration * Amount (₹.) (2012-13)
	1.	Shri M. Narendra	Chairman & Managing Director	26,35,027
	2.	Shri A.K. Bansal	Executive Director	22,50,982
	3.	Shri A.D.M. Chavali	Executive Director	17,67,488
	4.	Smt. Nupur Mitra	Ex-Executive Director	3,20,833

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

18.5 Accounting Standard 20 – Earning Per Share

Particulars	**2012-13**	**2011 -12**
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. In Crore)	567.23	1050.13
Weighted Average Number of Equity Shares	80,18,73,155	62,02,30,552
Basic & Diluted Earnings Per Share	Rs. 7.07	Rs.16.93
Nominal value per Equity Share	Rs.10.00	Rs.10.00

18.6 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements (CFS)

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

18.7 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

The Bank has accounted for reversal of Deferred Tax Liability of ₹.399.33 crore during the year (Previous year accounting of DTL of ₹.330.16 crore). The Bank has outstanding net Deferred Tax Liability of ₹.230.49 crore (Previous year ₹.628.96 crore). The breakup of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.3.2013		31.3.2012	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
निवेशों पर मूल्यह्रास		334.78		762.78
स्थाई आस्तियों पर मूल्यहास		16.60	14.97	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	109.80		106.41	
धोखाधडियों के लिए प्रावधान	10.22		9.84	
अन्य	0.87		2.60	
कुल	**120.89**	**351.38**	**133.82**	**762.78**
निवल डीटीएल		**230.49**		**628.96**

18.8 लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियाँ

बैंक में प्रयुक्त अनुप्रयोग सॉफटवेयर को स्वयं ही तैयार किया गया है और यह एक सुदीर्घ अवधि में विकसित हुआ है। अत: सॉफटवेयर की लागत बैंक के परिचालनात्मक व्यय जैसे वेतन आदि का अनविार्य अंश है और इसे लाभ-हानि खाते के संबंधित व्यय शीर्षों में प्रभारित किया गया है।

18.9 लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

मलेशिया में हमारा बैंक (35% हिस्से के साथ) खोलने के वास्ते बैंक ऑफ बडौदा (40%) और आंध्र बैंक (25%) के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षरित किए हैं। बैंक निगारा, मलेशिया के केन्द्रीय बैंक ने 16.4.2010 को संयुक्त उद्यम के लिए लाइसेंस जारी किया। इस संयुक्त उद्यम को 13.08.2010 के दिन इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (बीएचडीआईआईबीएम) नाम से मलेशिया में स्थापित किया गया आइ आइ बी एम की प्राधिकृत पूँजी एमवाइआर 500 मियो है। संयुक्त उद्यम की पूँजी एमवाइआर 310 मियो है। इसमें हमारे बैंक का हिस्सा 35% यानि एमवाइआर 108.50 मियो है।

दिनांक 31.3.2013 तक हमारे बैंक ने एमवाइआर 10 प्रति शेयर एमवाइआर 108.50 मियो के 10850000 शेयरों के वास्ते रु. 186.31 करोड़ दिए हैं। संयुक्त उद्यम का परिचालन दिनांक 11.07.2012 से शुरु हो गया है।

18.10. लेखांकन मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को "कार्पोरेट आस्ति" माना गया है और ये आइसीएआइ द्वारा जारी एएस 28 के जरिए पारिभाषित अनुसार "नकद सृजन इकाइयाँ " नहीं हैं। प्रबंधन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति का कोई हानिकरण नहीं है।

18.11 लेखांकन मानक 29 - आकस्मिक देयताओं और आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

19 जमाओं, अग्रिमों, ऋण जोखिमों व अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

19.1 जमाओं का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ों में)

	2012-13	2011-12
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	28794	14628
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	14.24%	8.20%

19.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण (व्युत्पन्नों सहित उधार जोखिम)

(₹ करोड़ों में)

	2012-13	2011-12
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	27384	28396
बैंक की कुल जमाओं की तुलना मे बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	12.92%	15.55%

19.3 ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण (डेरिवेटिव्स सहित निवेश जोखिम)

(₹ करोड़ों में)

	2012-13	2011-12
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	27743	28401
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं /ग्राहाकों को प्रदत्त ऋणों के कुल जोखिमों की तुलना में बीस बडे उधारकर्ताओं / ग्राहकों को प्रदत्त ऋण संबंधी जोखमों का प्रतिशत	12.27%	14.99%

(₹. In Crore)

Particulars	31.3.2013		31.3.2012	
	DTA	**DTL**	**DTA**	**DTL**
Depreciation on Investments		334.78		762.78
Depreciation on Fixed Assets		16.60	14.97	
Provision for Employee Benefits	109.80		106.41	
Provision for Frauds	10.22		9.84	
Others	0.87		2.60	
Total	**120.89**	**351.38**	**133.82**	**762.78**
Net DTL		**230.49**		**628.96**

18.8 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in-house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

18.9 Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Our Bank (with 35% share) has floated a Joint Venture at Malaysia along with Bank of Baroda (40%) and Andhra Bank (25%). Bank Negara, the Central Bank of Malaysia, issued the license to the Joint Venture on 16.04.2010. The Joint Venture was incorporated at Malaysia on 13.08.2010 by name INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD (IIBM). IIBM has an Authorised Capital of MYR500 Mio. The Joint Venture's Assigned Capital is MYR310 Mio. Our Bank's share in the Assigned up Capital is 35% - MYR108.50 Mio.

As on 31.3.2013, Bank has paid Rs.186.31 crore towards 10850000 shares of MYR10 each aggregating to MYR108.50 Mio. The Joint Venture has commenced operations on 11.7.2012.

18.10 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

18.11 Accounting Standard 29 - Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

19 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

19.1 Concentration of Deposits

(₹. In Crore)

	2012-13	**2011-12**
Total Deposits of twenty largest depositors	28794	14628
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	14.24%	8.20%

19.2 Concentration of Advances (Credit Exposure including derivatives) (₹. In Crore)

	2012-13	**2011-12**
Total Advances to twenty largest borrowers	27384	28396
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	12.92%	15.55%

19.3 Concentration of Exposures (Credit and Investment exposure) (₹. In Crore)

	2012-13	**2011-12**
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	27743	28401
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	12.27%	14.99%

19.4 अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ों में)

	2012-13	2011-12
उच्च चार अनर्जक खातों से संबंधित कुल ऋण जोखिम	**749.56**	**476.50**

19.5 प्रवर्ग वार अनर्जक आस्तियाँ

क्रम सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों कीतुलना में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	
		2012-13	2011-12
1	कृषि व संबंधित गतिविधियाँ	3.34	2.94
2	उद्योग (सूक्षम, लघु, मध्यम व बड़े)	5.68	3.23
3	सेवाएँ	3.89	2.40
4	वैयक्तिक ऋण	1.67	1.38

19.6 अनर्जक आस्तियों का संचालन

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2012-13	2011-12
01 अप्रैल 2012 तक सकल अनर्जक आस्तियाँ (प्रारंभिक शेष)	3920.07	3089.59
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	5600.61	3184.76
उप -योग (अ)	9520.68	6274.35
घटाएँ:		
(i) उन्नयन	640.43	451.64
(ii) वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों में से की गई वसूलियों को छोड़कर)	630.04	736.25
(iii) बट्टे खाते में डाली गई रकम	1642.25	1166.39
उप-योग (आ)	2912.72	2354.28
31.03.2013 के लिए सकल अनर्जक आस्तियाँ (समापन शेष) (अ-आ)	6607.96	3920.07

19.7 विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(₹ करोड़ों में)

विवरण	2012-13	2011-12
कुल आस्तियाँ	21854.85	17999.80
कुल अनर्जक आस्तियाँ	987.25	366.41
कुल राजस्व	1002.37	776.74

19.8 तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी (जिनका लेखांकन मानदण्डों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)

प्रोयाजित एसपीवी का नाम	
देशीय	**विदेशी**
शून्य	शून्य

20 तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकडों को, जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुन: समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया।

19.4 **Concentration of NPAs**

(₹. In Crore)

	2012-13	2011-12
Total Exposure to top four NPA accounts	**749.56**	**476.50**

19.5 **Sector wise NPAs**

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector	
		2012-13	**2011-12**
1	Agriculture & allied activities	3.34	2.94
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	5.68	3.23
3	Services	3.89	2.40
4	Personal L oans	1.67	1.38

19.6 **MOVEMENT OF NPAs**

(₹. In Crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Gross NPAs as on 1st April 2012 (Opening Balance)	3920.07	3089.59
Additions (Fresh NPAs) during the year	5600.61	3184.76
Sub-total (A)	9520.68	6274.35
Less:-		
(i) Upgradations	640.43	451.64
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	630.04	736.25
(iii) Write-offs	1642.25	1166.39
Sub-total (B)	2912.72	2354.28
Gross NPAs as on 31.3.2013 (closing balance) (A -B)	6607.96	3920.07

19.7 **OVERSEAS ASSETS, NPAs AND REVENUE**

(₹. In Crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Total Assets	21854.85	17999.80
Total NPAs	987.25	366.41
Total Revenue	1002.37	776.74

19.8 **OFF-BALANCE SHEET SPVs SPONSORED (WHICH ARE REQUIRED TO BE CONSOLIDATED AS PER ACCOUNTING NORMS)**

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
NIL	NIL

20 **Comparative Figures**

Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक		
नकदी प्रवाह का विवरण		
31-03-2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण		
	(₹. In 000 में)	
	समाप्त वर्ष	
	31.03.2013	**31.03.2012**
परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
निवल लाभ	**5 67 22 77**	**10 50 12 63**
निम्नवत के लिए समायोजन		
एचटीएम निवेशों के लिए अमूर्तिकरण	57 51 62	52 53 13
निवेशों के पूनर्मूल्यांकन से हुई हानि	68 34 69	34 98 08
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	1 26 59 20	1 11 05 51
आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि	- 1 61 63	- 2 50 29
आरक्षितियों से अंतरण		- 1 16
करों के लिए प्रावधान	1 80 25 30	2 47 58 17
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	21 87 43 49	14 70 15 60
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2 59 17 61	2 37 08 72
निवेशों पर मूल्य ह्रास	1 75 09 80	1 71 61 58
अन्य मदों के लिए प्रावधान	4 47 82 05	3 57 57 86
टायर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	6 07 03 12	6 10 33 16
निक्षेपों में वृद्धि / (कमी)	237 01 17 16	332 05 42 53
उधारों में वृद्धि / (कमी)	-2 90 98 71	42 58 44 25
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	-1 80 15 66	5 65 28 66
निवेशों में कमी / (वृद्धि)	-59 79 08 55	-71 87 45 32
अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)	-222 74 92 82	-307 19 20 14
अन्य आस्तियों में कमी / (वृद्धि)	1 71 69 62	-6 11 13 38
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	-4 29 47 55	-1 59 01 02
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	**-6 06 88 49**	**36 92 88 57**
निवेश कार्यकलापों से नकदी उपलब्धता		
अचल आस्तियों की बिक्री / निपटान	5 23 82	20 86 50
अचल आस्तियों की खरीद	-2 33 20 23	-2 19 02 89
अनुषंगियों में निवेश	-1 73 34 25	- 27 10 18
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी उपलब्धता (बी)	**-4 01 30 66**	**-2 25 26 57**
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी उपलब्धता		
ईक्विटी शेयर निर्गम से प्राप्त राशि	10 00 00 00	17 43 63 03
टायर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	-5 77 65 62	-6 09 24 45
प्रदत्त लाभांश	-4 16 83 10	-3 59 56 30
वित्तीय कार्यकलापों से निवल नकदी उपलब्धता (सी)	**5 51 28**	**7 74 82 28**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (ए)+(बी) +(सी)	**-10 02 67 87**	**42 42 44 29**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य		
भा.रि.बैं के पास नकदी और शेषराशि	101 98 91 24	100 10 89 43
बैंकों के पास शेषराशि और माँग पर प्रतिदेय राशि	60 62 18 62	20 07 76 14
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य		
भा.रि.बैं के पास नकदी और शेषराशि	98 37 82 50	101 98 91 24
बैंकों के पास शेषराशि और माँग पर प्रतिदेय राशि	54 20 59 49	60 62 18 62
नकदी व नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि	**-10 02 67 87**	**42 42 44 29**

यह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

टी एस श्रीनिवासन — महा प्रबंधक

एम नरेंद्र — अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

लेखा-परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हम, इण्डियन ओवरसीज बैंक के अधोहस्तारकर्ता, सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों ने, बैंक के 31/03/2013 को समाप्त हुए वर्ष के उपयुक्त नकदी-उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंज के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 32 की अपेक्षानुसार तैयार किया गया है और बैंक के संबंधित तुलन-पत्र और लाभ व हानि लेखा जो कि भारत के राष्ट्र पति को तद्दिनांकित रिपोर्ट पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

एस आर मोहन ऐण्ड कंपनी | **बी त्यागराजन ऐण्ड कंपनी** | **शंकर व मूर्ति**

बदरी, मधुसूधन व श्रीनिवासन | **दास खन्ना ऐण्ड कंपनी** | **पी.आर मेहरा ऐण्ड कंपनी**

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 29- 04. 2013

INDIAN OVERSEAS BANK		
Cash Flow Statement		
Statement of Cash Flow for the year ended 31.03.2013		
		(₹. In 000s)
	Year ended	
	31.03.2013	31.03.2012
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit	**5 67 22 77**	**10 50 12 63**
Adjustments for :		
Amortisation of HTM Investments	57 51 62	52 53 13
Loss on Revaluation of Investments	68 34 69	34 98 08
Depreciation on Fixed Assets	1 26 59 20	1 11 05 51
Profit / Loss on Sale of Assets	- 1 61 63	- 2 50 29
Transfer from Reserves		- 1 16
Provision for taxes	1 80 25 30	2 47 58 17
Provision for NPAs	21 87 43 49	14 70 15 60
Provision for Standard Assets	2 59 17 61	2 37 08 72
Depreciation on Investments	1 75 09 80	1 71 61 58
Provision for Other Items	4 47 82 05	3 57 57 86
Interest on Tier II Capital	6 07 03 12	6 10 33 16
Increase / (Decrease) in Deposits	237 01 17 16	332 05 42 53
Increase / (Decrease) in Borrowings	-2 90 98 71	42 58 44 25
Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	-1 80 15 66	5 65 28 66
(Increase) / Decreasein Investments	-59 79 08 55	-71 87 45 32
(Increase) / Decrease in Advances	-222 74 92 82	-307 19 20 14
(Increase) / Decrease in Other Assets	1 71 69 62	-6 11 13 38
Direct Taxes Paid	-4 29 47 55	-1 59 01 02
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**-6 06 88 49**	**36 92 88 57**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / disposal of Fixed Assets	5 23 82	20 86 50
Purchase of Fixed Assets	-2 33 20 23	-2 19 02 89
Investment in Associates	-1 73 34 25	- 27 10 18
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**-4 01 30 66**	**-2 25 26 57**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds of Equity Share Issue	10 00 00 00	17 43 63 03
Interest Paid on Tier II Capital	-5 77 65 62	-6 09 24 45
Dividend Paid	-4 16 83 10	-3 59 56 30
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**5 51 28**	**7 74 82 28**
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)	**-10 02 67 87**	**42 42 44 29**
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	101 98 91 24	100 10 89 43
Balances withBanks & Money at Call	60 62 18 62	20 07 76 14
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	98 37 82 50	101 98 91 24
Balances with Banks & Money at Call	54 20 59 49	60 62 18 62
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	**-10 02 67 87**	**42 42 44 29**

This Statement has been made prepared in accordance with Indirect Method.

T S Srinivasan
General Manager

M Narendra
Chairman & Managing Director

AUDITORS' CERTIFICATE

We , the undersigned Statutory Central Auditors of Indian Overseas Bank have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2013 . The Statement has been prepared in accordance with the requirement of Clause 32 , of the Listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and the Balance Sheet of the Bank, covered by our report of even date to The President of India .

S R Mohan & Co
Badari , Madhusudhan & Srinivasan

B Thiagarajan & Co
Dass Khanna & Co

Sankar & Moorthy
P.R.Mehra & Co

Place : Chennai
Date : 29.04.2013

अतिरिक्त प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई समय-समय पर पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) पर दिशानिर्देश जारी करता है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार स्तम्भ III की अपेक्षाओं के तहत विशिष्ट प्रारूपों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते समय अपनी गतिविधियों में बैंक कई प्रकार के जोखिम लेते हैं। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम । ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए और अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबन्धन उपाय और पद्धतियाँ तैयार की हैं जिनमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रिया और प्रबन्धन सूचना प्रणालियाँ (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक निरंतर आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है जो सामान्य व्यापार में जोखिम लेने की बैंक की इच्छा पर निर्भर है। बैंक की जोखिम एपिटाइट जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए व्यापक रूप से प्रदर्शित होते हैं।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, व्यापार जोखिम, परिचालनगत जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबन्धन के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), बाजार जोखिम प्रबन्धन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और परिचालन जोखिम प्रबन्धन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) नाम से जोखिम प्रबंधन समितियाँ, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन हेतु परिचालन जोखिम प्रबंधन (सतर्कता) समिति और सूचना सुरक्षा प्रबंधन हेतु सूचना सुरक्षा समिति भी गठित की हैं।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वियन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। बैंक के महा प्रबंधक की श्रेणी में एक मुख्य जोखिम अधिकारी इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के संयोजक हैं। विशेष रूप से उधार समर्थन सेवा विभाग और जोखिम प्रबंधन विभाग में मिड ऑफीस तथा सामान्य रूप से अन्य कार्यात्मक विभाग / शाखाएँ भी जोखिम प्रबंधन करते हैं और नीतियों के पालन / अनुपालन, जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के प्रबोधन के लिए जिम्मेदार हैं। जोखिम को अधिक प्रभावी रूप से प्रबंधित करने का मूल दृष्टिकोण जोखिम को उसके आरंभ में नियंत्रित करने में ही निहित है।

बैंक ने 31.03.2008 से नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) को कार्यान्वित किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में तैयार रूपरेखा के अनुसार इसका अनुपालन किया गया है। बेसल II रूपरेखा तीन परस्पर पुनर्बलित स्तम्भों पर आधारित है। परिशोधित रूपरेखा का पहला स्तम्भ उधार, बाज़ार और परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का समाधान करता है तो पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया का दूसरा स्तम्भ सुनिश्चित करता है कि अपने जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण परिवेश के अनुरूप अपने कारोबार से जुडे सभी प्रकार के जोखिमों को संभालने के लिए बैंक के पास यथेष्ट पूंजी है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षानुसार बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता ऑकलन पक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को तैयार किया है ताकि दूसरे स्तंभ की जरूरतों को पूरा किया जा सके । इस नीति का उद्देश्य प्रथम स्तंभ के जोखिमों के तहत विनियामक निर्धारणों से अधिक व ऊपर के उन सभी भौतिक जोखिमों का मूल्यांकन करना है जो बैंक को उठाने पड़ सकते हैं और सतत आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथेष्ट पूंजी संरचना सुनिश्चित करना है।

बैंक ने भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तनाव जांच संबंधी रूपरेखा तैयार की है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषत: बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित सक्रिय उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं विनाश से उबरने की योजना बनी है । जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डी आर , सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर , मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डविथ कनेक्शन , वैकल्पिक सेवा प्रदाता से ड्वेल कनेक्टीविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है । फायरवॉल और इन्ट्रूजन डिटेक्शन प्रणाली का कार्यान्वियन किया गया है । सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए आइ एस सेक्यूरिटी और आइ एस ऑडिट विभाग की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके । भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने सूचना सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया है । प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है । नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग आयोजित किया जाता है ।

बैंक बेसल II रूपरेखा के तहत विचाराधीन उन्नत दृष्टिकोणों पर स्थानान्तरण हेतु अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं के उन्नयन तथा विपणन जोखिम पूँजी परिकलन हेतु स्वचालित समधान संस्थापित करने की प्रक्रिया में लगा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश विभिन्न आवृत्तियों पर घरेलू परिचालनों और विशेषत: विदेशी परिचालनों सहित समेकित बैंक परिचालनों का प्रस्तुतीकरण और आयोजन को कवर करते हैं। इस संबंध में भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में बैंक ने प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को शुरु किया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से बैंक द्वारा बेसल III पूंजी अनुपात के साथ 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए भारत में बेसल III पूंजी विनियामकों के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक इनका अनुपालन करेगा ।

बेसल II रूपरेखा का तीसरा स्तम्भ बाजार पर नियंत्रण से संबंधित है। बाजार पर नियंत्रण का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ1 से 10 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूंजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूंजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1)अनुप्रयोग की गंजाइश डीएफ-1, (2) पूंजी संरचना

ADDITIONAL DISCLOSURES

Reserve Bank of India, Mumbai issues guidelines on Basel II Capital Adequacy Framework from time to time. In terms of the guidelines, the following disclosures are made as per the specified Formats under Pillar III requirement:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which includes policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate trade off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) for managing market risk, Operational Risk Management Committee for managing operational risk, Operational Risk Management (Vigilance) Committee for managing fraud risk and Information Security Committee for managing Information security.

A full fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convenor for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept., in particular, and other functional departments / branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination.

The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a “Stress Testing framework” to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO / RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan is in place. The 3 way DR for Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centres and Central, Dual connectivity from alternate service providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. IS Security and IS audit departments have been established to monitor and analyse the information security incidents so as to take corrective steps. The bank has fine tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, Vulnerability Analysis and Penetration testing has been conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework and installing automated solutions for Market Risk Capital computation.

The Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in place in this regard in compliance with the RBI guidelines.

Further, the Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank shall comply with the same.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 10 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) Scope of Application (DF-1), (b) Capital

(डीएफ-2), (3) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-3), (4) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-5) (6) उधार जोखिम कम करना: मानकीकृत दृष्टिकोण के प्रकटीकरण (डीएफ-6) (7) प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-7), (8) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-8) (9) परिचालन जोखिम (डीएफ-9) (10) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (डीएफ-10) आदि। यह बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा।

तालिका डीएफ-1

लागू करने की गुंजाइश

गुणात्मक प्रकटीकरण	**हमारे बैंक पर प्रयोज्यता**
क) जिस समूह पर रूपरेखा लागू होती है उस वर्ग के सर्वोच्च बैंक का नाम	बैंक किसी भी वर्ग का सदस्य नहीं है।
ख) समूह के अन्दर इकाइयों के संक्षिप्त विवरण सहित, लेखाकरण और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में अन्तर की रूपरेखा (i) जो पूरी तरह समेकित हैं (ii) जो समानुपातिक रूप से समेकित हैं (iii) जिनमें कटौती की गई है (iv) जिन्हें न समेकित किया गया है न ही कटौती की गई है (उदा. जहाँ निवेश जोखिम भारित है)	लागू नहीं।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	
ग) सभी अनुषंगी इकाइयों में पूंजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम	लागू नहीं।
घ) बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित हैं और उनके नाम, उनके शामिल किए जाने का देश या निवास, स्वामित्व इन्टरेस्ट का अंश और यदि कोई भिन्न है तो इन इकाइयों में वोटिंग पॉवर का हिस्सा। इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया के प्रयोग बनाम कटौती का प्रयोग करने का विनियामक पूंजी परमात्रात्मक प्रभाव लागू नहीं	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कं.लि. जैसे बीमा जेवी में ईक्विटी अभिदान के ज़रिए रु. 66.50 करोड़, जो अपनी कुल जारी की गई पूंजी का 19% बताता है।

तालिका डीएफ-2
पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण	**हमारे बैंक पर प्रयोज्यता**
क) सभी पूंजी लिखतों की विशेषताओं की शर्तों और निबंधनों पर सार सूचना, विशेषत: टायर 1 या उच्चतर टायर 2 में समावेशन के लिए पात्र पूंजी लिखतों के मामले में	बैंक पर लागू है चूंकि हमने समय-समय पर पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाज़ार से टायर 1 और टायर 2 पूंजी उठाई है।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	(₹.In Crore)
ख. निम्नलिखित के अलग से प्रकटीकरण सहित टायर 1 पूंजी की रकम:	₹.12088.45
• प्रदत्त शेयर पूंजी	₹. 924.10
• आरक्षितियां	₹.10663.53
• नवोन्मेषी लिखत (टायर 1 पूंजी बेमियादी ऋण के रूप में)	₹. 780.00 (वर्ष के दौरान लिए गए - शून्य)
• अन्य पूंजी लिखतें	शून्य
• टायर 1 पूंजी से काटी गई रकम, साख और निवेश को मिला कर	₹. 279.18
ग. टायर 2 पूंजी की कुल रकम (टायर 2 पूंजी से कटौतियों का निवल)	₹. 6277.58
घ. उच्चतर टायर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें	
• कुल बकाया रकम	₹. 2632.30
• जिसमें से चालू वर्ष के दौरान उठाई गई रकम	शून्य
• पूंजी निधियों के रूप में माने जाने के लिए पात्र रकम	₹. 2632.30 crore
ड.. निम्नतर टायर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र गौण ऋण	
• कुल बकाया रकम	₹.3426.00
• इसमें से चालू वर्ष के दौरान उठाई गई रकम	शून्य
• पूंजी निधियों के रूप में ली जाने वाली पात्र रकम	₹.2340.00
च. पूंजी में से अन्य कटौतियाँ, यदि हो	₹. 259.17
छ. कुल पात्र पूंजी	₹.18366.03

Structure (DF-2), (c) Capital Adequacy (DF-3), (d) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-4), (e) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach (DF-5), (f) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-6), (g) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-7), (h) Market Risk in Trading Book (DF-8), (i) Operational Risk (DF-9), and (j) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-10). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

Table DF –1

SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures	**Applicability to our Bank**
a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies	The Bank does not belong to any group.
b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated (ii) that are pro-rata consolidated (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk – weighted).	Not Applicable
Quantitative Disclosures	
c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries	Not Applicable
d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Rs.66.50 crores by way of equity subscription in an insurance JV ie. Universal Sompo General Insurance Co. Ltd., representing 19% of its total issued capital.

Table DF – 2

CAPITAL STRUCTURE

Qualitative Disclosures	**Applicability to our Bank**
a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2	Applicable to the Bank as we raise both Tier I and Tier II capital from the market to meet increase in capital requirements from time to time
Quantitative Disclosures	
	(₹.In Crore)
b) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of:	12088.45
● paid up share capital	924.10
● reserves	10663.53
● innovative instruments (Perpetual Debt Instrument as Tier 1 capital)	780.00 (raised during the year – Nil)
● other capital instruments	Nil
● amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill and investments	279.18
c) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	6277.58
d) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital	
● Total amount outstanding	2632.30
● Of which amount raised during the current year	Nil
● Amount eligible to be reckoned as capital funds	2632.30
e) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
● Total amount outstanding	3426.00
● Of which amount raised duri ng the current year	Nil
● Amount eligible to be reckoned as capital funds	2340.00
f) Other deductions from capital, if any	259.17
g) Total eligible capital	18366.03

तालिका डीएफ-3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी किए गए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल I) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भारत के बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता उपाय कार्यान्वित किए। ये उपाय बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने और साथ ही पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के मामले में अन्तरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं। आरंभ में यह फ्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूंजी की समस्या दूर करने के लिए थी जिसमें बाद में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को पूंजी मानकों और पूंजी मापन के अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित फ्रेमवर्क (बेसल II दस्तावेज के रूप में जाना जाता है) जारी किया। व्यापारिक गतिविधियों और दुगुने चूक प्रभावों के उपचार को शामिल करने के लिए नवंबर 2005 में संशोधित फ्रेमवर्क को अद्यतन किया है और इस फ्रेमवर्क के व्यापक रूपांतर को जून 2006 में जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन्तरता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2007 को दिशानिर्देशों जारी किए और बाद में नई पूंजी पर्याप्तता (बेसल II) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31-03-2008 से परिशोधित (बेसल II) फ्रेमवर्क में आ चुका है और बेसल II फ्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग फार्मेट के जरिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बेसल I फ्रेमवर्क के समानांतर चालन जारी रखा है।

बेसल II फ्रेमवर्क उधार जोखिम बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान करती है। इस फ्रेमवर्क में बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वित्तीय बाजार के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक पूंजी का परिकलन करने के लिए उधार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) ,बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) और परिचालन जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक उधार, बाज़ार और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखे है।

बैंक ने संबंधित डाटा के आधार पर केन्द्रीय कार्यालय में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी का हिसाब किया गया है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करने के लिए बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय में धारित पोर्टफोलियो के अलावा हर शाखा से लिए गए उधारकर्तावार डाटा को लिया है। कृषि ऋण ,आभूषण ऋण , लघु ऋण , मियादी जमाओं के प्रति ऋण , स्टाफ ऋण आदि जैसे कुछ ऋणों के संबंध में ,जहाँ सभी खातों की प्रकृति एक सी होती है (या तो एक ही तरह से प्रतिभूत या एक ही अप्रतिभूत) वहाँ एक समेकित पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसके ज़रिए उधार जोखिम के लिए पूंजी की गणना हेतु प्रत्येक ऋण की समेकित स्थिति को आकलन में लिया जाता है और यह पूंजी के आकलन की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना किया जाता है । अन्य सभी ऋणों के लिए उधार जोखिम पूंजी संगणन को या तो उधारकर्ता आधार पर या सुविधा के प्रकार के आधार पर पूरा किया जाता है जैसा कि भा.रि.बैंक दिशानिर्देशों में वर्गीकरण सूचित किया गया है । इसके लिए बैंक ने स्वनिर्मित सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करता है और शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट का सृजन करता है। सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए पूंजी परिकलन के विभिन्न पक्षों के संबंध में स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है।

सामान्यत: बैंक उधार जोखिमों जहाँ बैंक ने को कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। बैंक ने पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम कमी का प्रयोग किया है । बैंक के द्वार विधिवत अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कमी पर स्पष्टत: निर्धारित नीति अमल में लाई गई है । उधार जोखिम कमी, जोखिम भारित आस्तियों, पात्र पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात के प्रति पूंजी (सीआरएआर) का हिसाब लगाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देश का अनुसरण किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेसल दस्तावेजों में निर्धारित 8% की तुलना में निरन्तर रूप से 9% के जोखिम भारित आस्ति अनुपात सीआरआर के प्रति न्यूनतम पूंजी अनुपात रखने के लिए नियत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक यह भी निर्धारित करता है कि गणना की तारीख तक उधार और बाज़ार जोखिमों के लिए बेसल I फ्रेमवर्क के मुताबिक परिकलित न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं का 80% पर विवेक फ्लोर हो। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया फ्रेमवर्क अतिरिक्त रूप से 6% का न्यूनतम टायर-I सीआरएआर बनाए रखने के लिए निर्धारण करता है। इन निर्धारणों के प्रति बैंक का कुल सीआरएआर और टायर-I सीआरएआर क्रमश: 11.85% और 7.80% पर है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर है।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के स्तम्भ 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर नीति और फ्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और बैंक के जोखिम ऐपेटाइट में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

जहाँ तक भविष्यगत गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पूँजी की पर्याप्तता की बात है, वहाँ बैंक कारोबार की भविष्यगत वृद्धि को ध्यान में लेते हुए पूँजीगत अपेक्षाओं का आवधिक मूल्यांकन करता है। बैंक द्वारा अनुरक्षित अतिरिक्त सीआरएआर भविष्यगत गतिविधियों को पूरा करने के लिए बफर का काम करता है। साथ ही टायर I और टायर II पूंजी संघटकों में बैंक के पास उपलब्ध हेडरूम भविष्यगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूँजी समर्थन प्रदान करता है। इस प्रकार बैंक के पूंजी जोखिम का यथेष्ट ध्यान रखा जाता है। बैंक का प्रमुख शेयरधारक, भारत सरकार, पूँजी पर्याप्तता संवर्द्धन हेतु नई पूँजी प्रायोजित करता रहा है। भविष्य में,उर्पाजन के प्रतिधारण तथा बेसल III की अपेक्षाओं को पूरा करने के क्रम में बाज़ार की स्थितियों पर निर्भर बाज़ार से नई पूँजी के निषेचन द्वारा बैंक पूँजी संवर्द्धन हेतु उचित कदम उठाएगा।

Table DF – 3

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel-I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. Such a measure was taken in order to strengthen the capital base of banks and at the same time to make it compliant with the international best practices in the matter of maintaining capital adequacy. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI the bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently, the BCBS released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" on June 26, 2004. The Revised Framework was updated in November 2005 to include trading activities and the treatment of double default effects and a comprehensive version of the framework was issued in June 2006. Based on these guidelines and to have consistency and to be in harmony with international standards, the RBI has issued guidelines on 27th April 2007 and subsequent amendments on implementation of the New Capital Adequacy (Basel-II) Framework from time to time.

In line with the RBI guidelines, the Bank had migrated to the revised (Basel-II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel-II framework. In addition to this, the bank continues the parallel run of Basel I framework in terms of the guidelines issued by the RBI through prescribed reporting formats.

Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The Framework allows banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and financial markets. In accordance with the RBI's requirements, the Bank has adopted Standardised Approach (SA) for credit risk, Standardised Measurement Method (SMM) for market risks and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital. The Bank is maintaining capital for Credit, Market and Operational Risk in line with the RBI guidelines in this regard.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardised Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch besides portfolios held at Regional Office and Central Office of the bank. For some of the loan types such as Agriculture Loans, Jewel Loans, Small loans, Loans against Term deposits, staff loans etc where all the accounts are of similar nature (either similarly secured or similarly unsecured) a consolidated approach is used whereby the aggregated position for each type of loan is taken for computation of capital for credit risk, without affecting the quality of the capital assessment. In all other loan types, the credit risk capital computation is done on borrower basis or facility type basis as per the segmentation advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the branches, Regional Offices and Central Office level. Necessary training has been imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation and close interactions held with the coordinators at Regional Offices, to ensure accuracy and adequacy of data in capital computation.

Banks generally use a number of techniques to mitigate the credit risk to which they are exposed. The Bank has also used the Credit Risk Mitigation in computation of capital for credit risk in order to get capital relief. A well articulated policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation duly approved by the bank's Board is put in place. The Bank has followed the RBI guidelines in force to arrive at the credit risk mitigation, risk weighted assets, eligible capital and capital to risk weighted assets ratio (CRAR).

Reserve Bank of India has prescribed that Banks are required to maintain a minimum capital to risk weighted assets ratio (CRAR) of 9% on an ongoing basis, as against 8% prescribed in the Basel document. RBI has also prescribed Prudential Floor at **80%** of minimum capital requirements computed as per Basel-I Framework for Credit and Market risks as on date of computation. The framework issued by RBI additionally prescribes maintenance of a minimum Tier-1 CRAR of 6%. The bank maintains total CRAR and Tier-1 CRAR **at 11.85% and 7.80%** respectively, which are well above the minimum level prescribed by RBI.

The Bank has put in place a policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines and bank's risk appetite.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the bank draws assessment of capital requirements periodically taking into account future growth of business. The surplus CRAR maintained by the bank acts as a buffer to support the future activities. Moreover, the headroom available to the bank in the Tier-1 and Tier-2 capital components provides additional capital support to meet the future needs. Thereby, the capital risk of the bank is adequately addressed. Government of India, which is the major share holder in the bank, has been subscribing fresh capital to augment capital adequacy. In future, the bank shall take suitable steps to augment the capital by retention of earnings and through infusion of fresh capital from the market depending upon the market conditions in order to meet the Basel III requirements.

टेबल डी एफ - 3

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ख. उधार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता:मानकीकृत दृष्टिकोण	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो	**12412.54**
प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	**0**
कुल	**12412.54**
ग.बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता:मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
ब्याज दर जोखिम	**493.39**
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण मिलाकर)	**4.75**
ईक्विटी जोखिम	**229.89**
कुल	**728.03**
घ. परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता: मूल संकेतक दृष्टिकोण	
परिचालनगत जोखिम	**810.88**
ड.. बैंक के लिए कुल पूंजी अनुपात	
कुल सीआरए आर	11.85%
कुल सीआरए आर (विवेकपूर्ण फ्लोर के अनुप्रयोग के अनुसार)	11.85%
टायर 1 सीआरए आर	7.80%

तालिका डीएफ-4

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास सहित शामिल हानियों की संभावना उधार जोखिम है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशत: बैंक के उधार क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उधारकर्ता ऋणदाता के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काऊंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक प्रत्येक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर प्रबोधन और उसके मापन से अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव में निहित गुणों और अवगुणों का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

इस प्रक्रिया को और भी अधिक कवरेज देने और व्यापक बनाने के उद्देश्य से बैंक ने अतिरिक्त रेटिंग सॉफ्टवेयर का उन्नयन किया है, जो भविष्य में बेसल II रूपरेखा के उन्नत दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित करने में बैंक की सहायता करेगा।

रेटिंग मॉडल फैक्टर गुणात्मक और मात्रात्मक, प्रबंधन जोखिम, व्यापार जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ कहीं लागू हो) और सुविधा जोखिम आदि से संबंधित आंतरिक रेटिंग कारक हैं। उद्योग जोखिम विषयक यह आँकडें बाजार की परिस्थितियों के आधार पर नियमति रूप से अद्यतन किये जाते हैं।

एक धारणा के रूप में उधार रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी तरह अन्तर्निहित हो गया है। मजबूत उधार जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के उपाय के रूप में बैंक ने ऋण रेटिंग प्रक्रिया की टायर प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें निर्धारित स्तरों पर उधार रेटिंग के वैधीकरण के लिए जो उच्चतर दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए आवश्यक उधारकर्ताओं के लिए बिना किसी पक्षपात के रेटिंग करने की दृष्टि से उधार विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अंतर्गत आनेवाले प्रस्तावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। उधार रेटिंग का लाभ यह है कि इससे जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों का प्रवर्गीकरणकिया जाता है और अर्थपूर्ण तुलना की जा सकती है।

बैंक ऋणों और अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। समुचित मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों को नए प्रस्ताव / वृद्धि के लिए संस्तुति करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन ग्रिड गठित किया गया है। शाखा प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधकों और अन्य प्रधान कार्यालयों के अधिकारियों को विशिष्ट मंजूरी अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं । बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) के अतिरिक्त, बैंक ने तीन समितियों का गठन किया है, जैसे -(क) चेयरमैन की अध्यक्षता में ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी) (ख) कार्यपालक निदेशकों की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसीईडी)और (ग) वरिष्ठतम महा प्रबंधक की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसीजीएम),विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के अन्तर्गत ऋण प्रस्तावों के स्वीकार पर विचार करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ । इसके अलावा, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्रीय स्तर उधार समिति (आरएलसीसी) का उधार प्रस्तावों की मंजूरी के लिए उपयुक्त प्रत्यायोजित शक्ति के साथ गठन किया गया है । परिणामत: शाखा प्रमुख के अलावा किसी भी कार्यपालक को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देने का विवेकाधिकार नहीं है ।

बैंक द्वारा शुरू किए गए नए उत्पादों का परीक्षण प्रधान कार्यालय स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति नए उत्पाद / प्रक्रिया में शामिल जोखिम प्रकार के आधार पर आर एम सी बी / बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व किया जाता है।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित **सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है**। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सीपीसी बैंक की जोखिम

Table DF – 3

Quantitative Disclosures (₹. in Crore)

b) Capital requirements for credit risk: **Standardised Approach** Portfolios subject to standardised approach Securitisation exposures **Total**	 **12412.54** **0** **12412.54**
c) Capital requirements for market risk: **Standardised Duration Approach** Interest rate risk Foreign Exchange risk (including gold) Equity risk **Total**	 **493.39** **4.75** **229.89** **728.03**
d) Capital requirements for operational risk **Basic indicator approach** Operational Risk	 **810.88**
e) Total Capital Ratio for the Bank Total CRAR Total CRAR (subject to application of Prudential Floor) Tier 1 CRAR	 11.85% 11.85% 7.80%

Table DF-4

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative Disclosures

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counterparty is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also includes counterparty risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

In order to widen the scope and coverage further, the bank upgraded the rating software, which would facilitate the bank to migrate towards advanced approaches of the Basel II framework in future.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project Risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated based on market conditions.

Credit rating as a concept has been well internalized within the bank. As a measure of robust credit risk management process, the bank has implemented a tiered system for validation of credit ratings at specified levels which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Dept. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals based on risk and do meaningful comparisons.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Grid has been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO / CO for recommending fresh/enhancement proposal to appropriate sanctioning authorities. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers. In addition to the Management Committee of the Board (MCB), the bank has constituted three committees such as (a) Credit Approval Committee (CAC) headed by Chairman, (b) Head Office Level Credit Approval Committee headed by Executive Director (HLCCED) and (c) Head Office Level Credit Approval Committee headed by senior most General Manager (HLCCGM) with delegated powers to consider sanction of credit proposals falling under Central Office powers at different levels. Further, Regional Level Credit Committees (RLCC) headed by the Regional Head have also been formed at all regional offices with suitable delegated power for sanction of credit proposals. Consequently, no Executives beyond Branch Heads exercise any discretionary powers for sanction of credit proposals at individual level.

The new products introduced by bank are examined by the head office level risk management committee depending upon the type of risks involved in the new product / process before being placed to RMCB/Board for approval.

Credit Risk Management Policies

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The CPC takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

वहन क्षमता को हिसाब में लेता है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोज़र सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है।

बैंक में उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं। उधार जोखिम प्रबंधन नीति ऋण के अतिरिक्त निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशीय जोखिम प्रबंधन नीति आदि तैयार की है जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबोधन का आंतरिक भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कम करने की नीति भी कार्यान्वित की गई है जो बैंक द्वारा सामान्यत: स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। वर्तमान में, कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियां उन उधार जोखिमों को कम करती हैं जो बैंक को वहन करना पड़ सकता है।

उधार निगरानी / ऋण पुनरीक्षण / ऋण लेखा परीक्षा

उधार प्रबोधन विभाग ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी करता है, समस्याओं की पहचान करता है और कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।विभाग का उद्देश्य है अर्जक खातों को एन पी ए में स्लिप होने को कम करना और साथ ही उपलब्ध मानदण्डों व दिशानिर्देशों का अनुपालन करना। विभाग खातों का दैनिक आधाार पर वर्गीकरण व अनुवर्तन करके फिसलन को न्यूनतक करने के लिए सूक्ष्म निगरानी भी करता है । इसके साथ ही खातों की निगरानी उनके ऋण के आकार के आधार पर विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों द्वारा की जाती है ।

रु. 1करोड़ और ऊपर के ऋण वाले सभी मानक उधार खातों की निगरानी ऋण पुनरीक्षा प्रणाली के तहत की जाती है जो अनिवार्यत: एक ऑफ साइट ऑडिट प्रणाली है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ऋण जोखिम पर निर्दश नोट और बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार ऋण लेखा परीक्षा की जाती है ।

ऋण ऑडिट के तहत किसी भी स्तर के प्राधिकृत द्वारा मंजूर रु. 5 करोड़ और ऊपर के उधार खाते आते हैं । यह लगातार चलने वाला कार्य है जिससे बैंक को कमियों की पहचान करने में मदद मिलती है साथ ही उधार खाते की रुग्णता / कमजोरी के प्रारंभिक संकेत भी प्राप्त होते हैं । यह अनिवार्यत: एक ऑफ साइट प्रणाली है जिससे अग्रिमों की गुणवत्ता में क्षरण को रोका जा सकता है और इस प्रकार बैंक के हित की रक्षा हो सकती है । बैंक रु. 1.00 करोड़ तथा उससे अधिक के कार्यशील पूँजी ऋणवाले खातों की विवरण आमंत्रित करके सतत निगरानी भी करना है ।

पुनर्संरचित खाते का वर्गीकरण

बैंक निम्नानुसार पुनर्संरचित खाते के वर्गीकरण व प्रावधानीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का समय समय पर पालन करता है ।

अनर्जक आस्तियों का वर्गीकरण :

अनर्जक खातों के वर्गीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत दिशानिर्देशों का बैंक पालन करता है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्यता	
क. कुल सकल उधार जोखिम एक्सपोज़र, निधि आधारित और गैर निधि आधारित पृथक-पृथक	निधि गैर निधि	164366.48 36646.64
ख. प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित और गैर निधि आधारित पृथक-पृथक	निधि	गैर निधि
● देशीय	144894.44	19472.04
● विदेशी	33371.64	3275.00
ग. प्रकटीकरण के औद्योगिक प्रकार का वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अलग-अलग	अनुबंधित	
घ. आस्तियों का अवशिष्ट संविदात परिपक्वता ब्रेकडाउन	अनुबंधित	
ङ. एनपीए (सकल) की राशि		
● अवमानक	3812.73	
● संदिग्ध (डी1,डी2,डी3)	2684.62	
● हानि	110.61	
च. निवल एनपीए	4027 21	
छ. एनपीए अनुपात		
● और सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	4.02%	
● निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	2.50%	
ज. एनपीए का प्रचलन (सकल)		
● प्रारंभिक शेष	3920.07	
● जोड़	5600.61	
● घटाव	2912.72	
● अन्तिम शेष	6607.96	
झ. एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन		
● प्रारंभिक शेष	1923.40	
● अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	2198.82	
● बट्टे खाते में डाला गया	1657.71	
● अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	-	
● अन्तिम शेष	2464.51	
ञ. अनर्जक निवेशों की राशि	57.72	

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, some select securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.

Credit Monitoring/Loan Review/Credit Audit

The Credit Monitoring Department monitors the quality of Credit portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. The objective of the department is to minimize slippage of performing accounts to NPA category and also to comply with the laid down norms and guidelines. The department is also micro monitoring the accounts by segmentation and follow up the accounts on a daily basis to minimize slippages. Furthermore, the accounts are also monitored at different levels of authority depending upon the size of the exposure.

All standard borrowal accounts with credit exposure of Rs. 1 crore and above are reviewed under Loan Review Mechanism, which is essentially an off-site audit mechanism. The credit audit is carried out in terms of Guidance Note on Credit Risk issued by Reserve Bank of India and the Credit Risk Management Policy of the Bank.

The credit audit covers all borrowal accounts with total exposure of Rs. 5 crore and above sanctioned by any authority. This is an ongoing exercise which helps the bank to identify deficiencies and early warning signals of sickness/weakness in borrowal accounts. Essentially this is an onsite audit mechanism to prevent deterioration in the quality of advances thereby protecting the interest of the bank. The bank also maintains surveillance on the accounts with working capital exposure of Rs.1.00 Cr and above by calling for Continuous Surveillance statements.

Classification of restructured accounts

The bank has followed the prudential guidelines issued by the RBI in respect of classification and provisioning for restructured accounts from time to time.

Classification of Non Performing Accounts

The bank follows the prudential guidelines of RBI for classification of NPA accounts.

(₹. In Crore)

Quantitative Disclosures	Applicability to our Bank	
a) Total gross credit risk exposures, Fund based and Non fund based separately	FB NFB	164366.48 36646.64
b) Geographic distribution of exposures, Fund based and Non fund based separately	FB	NFB
• Domestic	144894.44	19472.04
• Overseas	33371.64	3275.00
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately.	Annexed	
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed	
e) Amount of NPAs (Gross)		
• Substandard	3812.73	
• Doubtful (D1, D2, D3)	2684.62	
• Loss	110.61	
f) Net NPAs	4027.21	
g) NPA Ratios		
• Gross NPAs to gross advances	4.02%	
• Net NPAs to net advances	2.50%	
h) Movement of NPAs (Gross)		
• Opening balance	3920.07	
• Additions	5600.61	
• Reductions	2912.72	
• Closing balance	6607.96	
j) Movement of provisions for NPAs		
• Opening balance	1923.40	
• Provisions made during the period	2198.82	
• Write off	1657.71	
• Write back of excess provisions	-	
• Closing balance	2464.51	
k) Amount of Non-Performing Investments	57.72	

मात्रात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्यता	
त. अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	17.39	
थ. निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव		
● प्रारंभिक शेष	363.96	
● अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	408.67	
● बट्टे खाते में डाला गया	0	
● आंतरिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	143.72	
● अन्तिम शेष	628.91	

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन (₹. In Crore)

दिन 1	2-7 दि.	8-14दि.	15-28 दि.	29दि-3 म	3- 6 म	6म -1वर्ष	>1 से 3 वर्ष	>3 से 5 वर्ष	>5 वर्ष
6920.16	8005.28	4260.51	4942.22	20126.05	18275.95	32661.71	65501.05	22170.91	41804.49

देशी परिचालनों के लिए सकल आस्तियाँ कवर करता है।

उद्योगवार ऋण प्रकटीकरण (₹.In Crore)

उद्योग का नाम	बकाया
खान व क्वेरियिंग	2579.88
खाद्य प्रसंस्करण	1486.42
चीनी	962.22
वनस्पति तेल और वनस्पति	678.73
चाय	38.54
तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	318.25
सूती वस्त्र उद्योग	3453.59
जूट वस्त्र उद्योग	20.73
अन्य वस्त्र उद्योग	2986.20
चमड़ा और चमड़ा उद्योग	371.88
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	551.96
कागज और कागज उत्पाद	1770.44
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं नाभिकीय ईधन	1378.86
रसायन, डाइ, पेन्टस आदि	2267.62
उनमें से उर्वरक	300.92
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	808.26
उनमें से अन्य	1158.44
रबर प्लास्टिक और रबर उत्पाद	960.09
ग्लास और ग्लासवेयर	141.46
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	1407.64
लौह एवं स्टील	9936.59
अन्य धातु व धातु उत्पाद	2193.59
सभी इन्जीनियरिंग	4501.18
उसमें से इलेक्ट्रानिक्स	437.66
वाहन ,वाहन के भाग, परिवहन साधन	2832.63
बहुमूल्य रत्न व आभूषण	995.04
निर्माण	2050.75
इन्फ्रास्ट्रक्चर	22340.71
उनमें से शक्ति	14462.78
उनमें से तार संचार	1306.65
उनमें से रोड और पोत	5336.28
अन्य उद्योग	509.43
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	625.06
एन बी एफ सी	5961.03
व्यापार	8266.82
शेष सकल अग्रिमों के प्रति अवशिष्ट अग्रिमों	82779.14
कुल	**164366.48**

Quantitative Disclosures	Applicability to our Bank	
l) Amount of provisions held for non-performing investments	17.39	
m) Movement of provisions for depreciation on investments • Opening Balance • Provisions made during the period • Write-off • Write-back of excess provisions • Closing Balance	 363.96 408.67 0 143.72 628.91	

Residual contractual Maturity break down of Assets

(₹. In Crore)

Day 1	2-7 D	8-14D	15-28D	29D-3M	3-6M	6M-1Year	>1 to 3years	>3 to 5years	>5 years
6920.16	8005.28	4260.51	4942.22	20126.05	18275.95	32661.71	65501.05	22170.91	41804.49

Covers Gross Assets for domestic operations

INDUSTRY WISE EXPOSURES

(₹.In Crore)

Industry Name	Outstanding
Mining and Quarrying	2579.88
Food Processing	1486.42
Sugar	962.22
Edible Oils and Vanaspati	678.73
Tea	38.54
Beverage & Tobacco	318.25
Cotton Textiles	3453.59
Jute Textiles	20.73
Other Textiles	2986.20
Leather and Leather Products	371.88
Wood and Wood products	551.96
Paper and Paper Products	1770.44
Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	1378.86
Chemicals, Dyes, Paints, etc.	2267.62
Of which Fertilisers	300.92
Of which Drugs and Pharmaceuticals	808.26
Of which Others	1158.44
Rubber, Plastic and their Products	960.09
Glass and Glassware	141.46
Cement and Cement Products	1407.64
Iron and Steel	9936.59
Other Metal and Metal Products	2193.59
All Engineering	4501.18
Of which Electronics	437.66
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment	2832.63
Gems and Jewellery	995.04
Construction	2050.75
Infrastructure	22340.71
Of which Power	14462.78
Of which Telecommunications	1306.65
Of which Roads & Ports	5336.28
Other Industries	509.43
Computer Software	625.06
NBFCs	5961.03
Trade	8266.82
Residual Advances to Balance Gross Advances	82779.14
TOTAL	**164366.48**

तालिका डी एफ-5

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एन सी ए एफ) को अपना लिया है। पूँजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम के लिए पूँजी का परिकलन करने में छोटे मूल्य क ऋणों को समेकित आधार पर हिसाब में लिया जाता है । जहाँ ऋण पूर्णत: प्रतिभूत होते हैं जैसे आभूषण ऋण , मियादी जमा/ अनुमोदित बीमा पॉलिसी आदि के प्रति ऋण । ये ऋण उपलब्ध उधार जोखिम शमन उपायों (सी आर एम) के प्रति पूर्णत: नेटेड हैं क्योंकि उच्च मार्जिन प्रावधान के कारण लागू हेयर कट प्रयोग करने के पश्चात ऋण से अधिक शमन है । इसी प्रकार पूर्णत: अप्रतिभूत ऋणों के मामले में जैसे कृषि ऋण , लघु ऋण , उपभोक्ता ऋण , स्टॉफ ऋण आदि पूँजी की गणना पूरे ऋण पर की जाती है जैसा कि संबंधित वर्ग / वर्गीकरण में लागू है । इन ऋणों का पूरा ब्यौरा जहाँ समेकन दृष्टिकोण अपनाया जाता है, प्रत्येक खाते के लिए सी बी एस प्रणाली में उपलब्ध है और सिर्फ पूँजी की गणना के लिए ही समेकन दृष्टिकोण अपनाया जाता है क्योकिं इन खातों को व्यक्तिगत या साथ साथ लेने पर प्रभाव समान ही रहता है ।

बाहरी उधार रेटिंग

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीसीई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को छ: देशीय ईसीआरए जैसे क. उधार विश्लेषण और शोध लि. (सीएआरई),क्रिसिल लि, फिच इंडिया (इंडिया रेटिंग्स के रूप में पुनर्नामित) लि. और इकरा लि.,ब्रिकवर्क्स रेटिंग सर्विसेज़ लि. और छोटे एवं मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी लि. (एसएमईआरए) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

उपरोक्त के मद्देनजर बैंक ने पूँजी राहत के उद्देश्य से इन सभी ईसी आर ए द्वारा प्रदत्त रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्ति पर पब्लिक ईश्यू की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है । तथापि यह विशेष प्रावधान उधार जोखिम पूँजी की गणना में नहीं लिया जाता है ।

बैंक पूँजी परिकलन उद्देश्यों के लिए केवल सालिसिटेड बाहरी रेटिंग्स का उपयोग करता है ।उधारकर्ता अपनी रेटिंग के लिए स्वयं की इच्छा पर उक्त इसीआरए में से किसी एक या अधिक से संपर्क कर सकता हैं । 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं किसी उधारकर्ता को बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना है।किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है ।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग :

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बैंक ने नए खाते के मामले में , प्रवेश स्तर पर से कम रेटिंग वाले खातों पर निर्धारित प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार उच्च प्राधिकारी के द्वारा ही विचार किया जाएगा।

बहरहाल, पूंजी परिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के अनुप्रयोग के लिए ऐसी रेटिंग को काम में नहीं लाया जा सकता । तदनुसार बैंक ने, 31-03-2013 तक उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोज़र रेटिंग को कार्पोरेट और पीएसई के तहत लिया है।

कार्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश में दिए गए उधारों के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और एस एण्ड पी अन्तरराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों, जो भी उपलब्ध हो, द्वारा आबंटित रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भारत में एक्सपोज़र के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि अपने ग्राहकों की बेहतर रेटिंग के लिए उपलब्ध पूंजी राहत लाभ उठाया जा सके। इसमें कुछ समय लग सकता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन आवरित इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम / निवेश			
100% जोखिम भार से कम	105911.09	14506.07	91405.03
100% जोखिम भार	90538.57	14498.49	76040.08
100% जोखिम भार से अधिक	15682.94	4778.16	10904.78
घटाएँ	0	0	0
कुल	**212132.60**	**33782.72**	**178349.89**
अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	20533.95	338.17	20195.78
100% जोखिम भार	4276.48	0	4276.48
100% जोखिम भार से अधिक	0	0	0
घटाएँ	0	0	0
कुल	**24810.43**	**338.17**	**24472.26**

Table DF-5

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

General Principle

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Basel II Capital Adequacy Framework for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

In computation of capital for Credit risk under Standardised Approach, small value exposures are captured on a consolidated basis. Where the exposures are fully secured such as Jewel Loans, Loans against Term deposits/approved insurance policies etc, these loans are fully netted against available credit risk mitigants (CRM), as the mitigation higher than the exposure is available after applying the applicable hair cut due to higher margin prescription. Similarly, in case of fully unsecured loans such as Agriculture Loans, Small loans, consumer loans, staff loans etc the capital computation is done on the entire exposure as applicable to relevant segment /classification. Full details of these loans where consolidated approach is adopted are available in the CBS system for each account and only for capital computation the consolidated approach is adopted as the effect is same when these accounts are taken individually or together.

External Credit Ratings

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assume importance in the light of Guidelines for implementation of the Basel II Capital Adequacy Framework. Exposures on Corporates / Public Sector Enterprises/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of **six** domestic ECRAs viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, FITCH India (renamed as India Ratings) and ICRA Ltd, Brickworks Rating Services India Ltd and Small and Medium Enterprises Rating Agency Ltd (SMERA)

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The RBI has provided for mapping public issue ratings on to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.

The bank uses only solicited external ratings for capital computation purpose. Borrowers at their option can approach any one or more of the above ECRAs for their rating. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank. Wherever a borrower possesses more than one rating from ECRAs the guidelines prescribed by the RBI are followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital.

Internal Credit Rating

The bank has a well structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. The bank has prescribed entry level rating in case of new accounts. Accounts with ratings below the entry level can be considered only by higher authorities as per the delegated powers prescribed.

Presently, the internal ratings cannot be used for application of risk weight under Standardised Approach of capital computation. The bank takes into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRAs while computing the capital for credit risk as on 31.3.2013 under corporate and PSE segments.

In case of investment in particular issues of Corporates / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's are used as per RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardised Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. The borrowers need to consider the external rating as an opportunity for their business development, which would take some time.

Quantitative Disclosures

(₹. In Crore)

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	105911.09	14506.07	91405.03
100% risk weight	90538.57	14498.49	76040.08
More than 100% risk weight	15682.94	4778.16	10904.78
Deducted	0	0	0
TOTAL	**212132.60**	**33782.72**	**178349.89**
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	20533.95	338.17	20195.78
100% risk weight	4276.48	0	4276.48
More than 100% risk weight	0	0	0
Deducted	0	0	0
TOTAL	**24810.43**	**338.17**	**24472.26**

तालिका डीएफ - 6

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए दृष्टिकोण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) उधार जोखिम को कम करने पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यत: स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है

ताकि बैंक के हित की सुरक्षा / रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन / प्रबोधन भी हो । बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में स्वर्ण / आभूषण, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-प्रत्र, किसान विकास पत्र, 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र, शेयर व डिबेंचर, केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिटें, अचल संपत्तियाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल तथा वाणिज्य वस्तुएँ, माल के हक-विलेख, बहीगत ऋण, वाहन तथा अन्य चल संपत्तियाँ शामिल हैं जिसमें बैंक की अपनी जमाएँ भी हैं । बैंक ने अचल संपत्तियों और संयंत्र तथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीति बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है ।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढ़ंग से घटाया जा सकता है। अत: पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार जाखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते समय बैंक ने विशिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता दी है जैसे क) बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद), जो भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं ।

ख) ऑन बैलेंस शीट नेटिंग :

उधार जोखिम कम करने की तकनीकों तथा संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग पर बैक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋण/ अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओं की हद तक ऑन बैलेंस शीट नेटिंग की गणना की गई है (ऋण की अधिकतम हद तक), जहाँ बैंक ने भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल करते हुए विधिक लागू नेटिंग व्यवस्थाएँ कीं। ऐसे मामलों में पूंजी गणना निवल उधार एक्सपोज़र के आधार पर किया जाता है।

ग) पात्र गारंटियां

आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं - क) केंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएसआइ (0%) घ) इसीजीसी (20%) ङ) साख-पत्र के अधीन खरीदे / बट्टे खाते में डाले गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (20% या विदेशी बैंकों की रेटिंग के मुताबिक) च) कारपोरेट गारंटी (एए - या उससे बेहत्तर) (बाहरी रेटिंग के अनुसार) ।

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम

बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियां व प्रक्रिया उपलब्ध हैं । उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं । वर्तमान में बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में कोई संकेन्द्रण जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपर्श्विक की कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं किया गया है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ों में)

प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात् कवर किया गया है ।	265683.17
देशी संप्रभुता	59310.03
विदेशी संप्रभुता	1174.14
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	12995.86
बैंकों की अनुसूची(आइ एन आर)	14592.86
एफ सी वाइ में विदेशी बैंकों के दावे	5103.67
कार्पोरेट	95228.35
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	37748.32
आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे	4838.81
वाणिज्यिक भू संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	6056.26
उपभोक्ता ऋण	7646.11
पूँजी बाजार एक्सपोज़र	801.26
एन बी एफ सी	3037.42
जोखिम पूंजी	121.71
अनर्जक आस्तियाँ - अ) आवास ऋण	48.63
अनर्जक आस्तियाँ - ब) अन्य	5183.97
अन्य आस्तियाँ - स्टॉफ ऋण	929.00
अन्य आस्तियाँ	4382.13
पुनर्संरचित खाते	6484.66

Table DF – 6

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

Policy on Credit Risk Mitigation

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the Bank includes Bank's own deposits, Gold/Ornaments, Kisan Vikas Patras, 10 year Social Security Certificates, Shares and Debentures, Central and State Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of Title to Goods, Book debts, Vehicles and other moveable assets etc. The bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant and Machineries duly approved by Board.

Credit Risk Mitigation under Standardised Approach

(a) Eligible Financial Collaterals

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, in line with RBI guidelines, the bank has recognized specific securities viz (a) cash/bank deposits (b) gold/ornaments (c) life insurance policies (d) kisan vikas patras (after a lock in period of 2 ½ years).

(b) On Balance Sheet Nettings

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on–balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

(c) Eligible Guarantees

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees". In computation of credit risk capital, types of guarantees recognized as mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTSI (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discounted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation

Policies and process are in place indicating the type of mitigants the bank use for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank doesn't envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures

(₹. In Crore)

For each separately disclosed credit risk portfolio, the exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible Financial Collateral after application of haircuts	265683.17
Domestic Sovereign	59310.03
Foreign Sovereign	1174.14
Public Sector Entities	12995.86
Banks – Schedule (INR)	14592.86
Foreign Bank claims in FCY	5103.67
Corporates	95228.35
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	37748.32
Claims secured by Residential Property	4838.81
Claims secured by Commercial Real Estate	6056.26
Consumer Credit	7646.11
Capital Market Exposure	801.26
NBFC	3037.42
Venture Capital	121.71
Non Performing Assets – a) Housing Loan	48.63
Non Performing Assets – b) Others	5183.97
Other Assets – Staff Loans	929.00
Other Assets	4382.13
Restructured Accounts	6484.66

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ों में)

प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात कवर किया गया है ।	12414.01
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	4708.97
कार्पोरेट	6013.32
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	1676.07
पुनर्संरचित	10.65
पूँजी बाजार ऋण	4.99

तालिका डीएफ 7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण क) निम्नलिखित चर्चा को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा • प्रतिभूतिकरण कार्य के संबंध में बैंक का उद्देश्य, इन कार्यों से पूर्वताप्राप्त प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के उधार जोखिमों को बैंक से अन्य इकाइयों को अंतरित कर देता है। • प्रतिभूत आस्ति में निहित अन्य जोखिमों की प्रकृति (उदाहरणार्थ लिक्विडिटी जोखिम) • अपने प्रतिभूतिकरण के कार्य के लिए बैंक द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिका (उदाहरणार्थ ओरिजिनेटर , निवेशक , सेवा प्रदाता , ऋण बढ़तरी प्रदाता , लिक्विडिटी प्रदाता , स्वैप प्रदाता @ प्रतिरक्षा प्रदाता #) और इनमें से प्रत्येक में बैंक की सहभागिता की सीमा का सूचक • प्रतिभूतिकरण ऋण की ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन (उदाहरणाार्थ किस प्रकार अन्डरलाइंग आस्ति प्रतिभूतिकरण ऋण को प्रभावित करता है जैसा कि एन सी ए एफ के मास्टर परिपत्र दिनांकित 1 जुलाई 2009 के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है ।) • प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के माध्यम से बनाए रखे गए जोखिम के शमन करने के लिए ऋण जोखिम शमन के प्रयोग को शासित करने वाली बैंक की नीति का वर्णन ख) निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण कार्यो के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीतियों का सार • क्या लेन देन को बिक्री या वित्तपोषण के तौर पर माना जाता है • प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाएं (इनपुट सहित); रखे गए या खरीदी गई स्थिति का मूल्यांकन • पिछली अवधि से प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाओं में परिवर्तन और परिवर्तन का प्रभाव • बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था के लिए तुलन पत्र पर देयताओं की पहचान करने के लिए नीतियां	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है।
ग) प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त ई सी ए आइ के नाम, बैंकिंग बही में और प्रतिभूतिकरण ऋण के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी प्रयुक्त हुई हो।	

बैंकिंग बही में प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण घ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत कुल ऋण ङ) चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचानी गई हानि जिसे एक्सपोजर के प्रकार (अंडरलाइंग प्रतिभूति द्वारा वर्णित उदाहरणार्थ क्रेडिट कार्ड , हाउसिंग ऋण , ऑटो ऋण , आदि)द्वारा काट दिया गया हो च) एक वर्ष के अंदर प्रतिभूतिकरण हेतु आस्ति की रकम छ) च) प्रतिभूतिकरण से पूर्व एक वर्ष के अंदर उत्पन्न आस्ति की रकम ज) एक्सपोज़र प्रकार द्वारा काटे गए ऑफ बैंलेस शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र और एक्सपोज़र प्रकार द्वारा काटे गए खरीद या रखे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल रकम झ) रखे गए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल मात्रा व संबंधित पूँजी प्रभार , एक्सपोजर के बीच काटे गए और आगे प्रत्येक विनियामक पूँजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम वेट बैण्ड में काटे गए *टियर I से पूर्णत: काटे गए एक्सपोजर कुल पूँजी (एक्सपोजर प्रकार से) काटे गए उधार बढ़ोत्तरी आइ / ओ	लागू नहीं

Quantitative Disclosures (₹. In Crore)

For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / Credit Derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	12414.01
Public Sector Entities	4708.97
Corporates	6013.32
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	1676.07
Restructured	10.65
Capital Market Exposure	4.99

Table DF 7

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of: • The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities. • The nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitized assets • The various roles played by the bank in securitisation process (for example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider, protection provider) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; • A description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitization exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular of NCAF dated July 1, 2009); • A description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposure;	No securitisation for the year ended 31.03.2013
b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including : • Whether the transactions are treated as sales or financings; • Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased. • Change in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes; • Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets;	
c) In the banking book, the names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.	

Quantitative Disclosures in Banking Book d) Total amount of exposures securitised by the bank. e) For exposures securitised losses recognized by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, Housing loans, auto loans, etc. detailed by underlying security) f) Amount of assets intended to be securitized within a year. g) Of (f), amount of assets originated within a year before securitization. h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type. i) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type. j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach. * Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital (by exposure type).	Not applicable

प्रमात्रात्मक प्रकटन : ट्रेडिंग बही

ट) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की समग्र मात्रा, जिसके लिए बैंक ने एक्सपोज़र रखा था और जो एक्सपोज़र प्रकार द्वारा मार्केट रिस्क एप्रोच के अधीन है ।

ठ) **निम्नलिखित की समग्र मात्रा :**

- रखा गया या खरीदा गया ऑन बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोज़र प्रकार द्वारा काटा गया हो और
- ऑफ बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटा गया हो ।

ड) **निम्नलिखित के लिए अलग से खरीदे गए या रखे गए प्रतिभूतिकरण** एक्सपोज़र **की समग्र मात्रा :**

- रखा गया या खरीदा गया प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र जो विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम माप के अधीन हो और
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र जो विभिन्न रिस्क वेट बैण्ड में काटे गए विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हो ।

ढ) **निम्नलिखित की समग्र मात्रा :**

- प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के लिए पूँजी अपेक्षा , जो विभिन्न रिस्क वेट बैण्ड में काटे गए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हो ।
- टियर I पूँजी से पूरी तरह से काटे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर , कुल पूँजी से काटे गए आइ / ओ उधार बढ़ोतरी और अन्य कुल पूँजी (एक्सपोज़र प्रकार द्वारा)से काटे गए अन्य एक्सपोज़र

तालिका डीएफ - 8

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, ईक्विटी कीमतें तथा पण्य कीमतें जैसे बाजार वेरियबिल्स द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित डिरेवेटिब्स से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और ईक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है ।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ निवेश नीति, फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति और डिरैवेटिव नीति हैं । बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबोधित किए तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभवी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवक्र का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विश्लेषण के जरिए किया जाता है । विगत वर्षो में ,संरचनात्मक लिक्विडिटी विवरण के माध्यम से लिक्विडिटी जोखिम देशी परिचालन हेतु भा.रि बैंक को रिपोर्ट किया गया , जबकि प्रत्येक विदेशी केन्द्र पर इसे अलग से प्रबंधित किया गया तथा नियंत्रण हेतु ऑल्को को प्रस्तुत किया गया । हालांकि, मार्च 2013 से भा.रि.बैंक के हाल के परिपत्रों के अनुसार लिक्विडिटी जोखिम को परिकलित किया जाना है और रुपये में तथा भा.रि.बैंक को देशी परिचालनों,विदेशी केंद्रों के लिए विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत किया जाना है एवं विभिन्न आवृत्तियों पर बैंक परिचालन हेतु समेकित किया जाना है।

बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावकारी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किया जाता है । बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक देशी ट्रेशरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए रियल टाइम आधार पर पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं के जीएपी विशलेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए वैश्विक परिचालनों हेतु प्रबोधित किया जाता है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बैंक समय-समय पर देशी परिचालनों हेतु जोखिम पर अर्जन (ईएआर) तथा वैश्विक परिचालन हेतु ड्यूरेशन गैप (डीजीएपी) आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेज़री विभाग में कार्यरत मध्य कार्यालय समूह भी विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है । 31.03.2012 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

Quantitative Disclosure: Trading Book	
k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank had retained sum exposures and which is subject to market risk approach, by exposure type.	
l) Aggregate amount of: • On-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and • Off-balance sheet securitiesation exposures broken down by exposure type.	
m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for: • Securitisation exposures retained or purchased subject to comprehensive Risk Measure for specific risk; and • Securitisation exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands.	
n) Aggregate amount of: the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands. Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	

Table DF – 8

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosure

Market Risk

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) Policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which also deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations and Stress Testing Policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk through Structural Liquidity statement was hitherto reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per recent RBI circular from March 2013 onwards the liquidity risk is to be computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed for global operations. The bank estimates earnings at risk for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

Quantitative Disclosures

(b) In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.3.2013 in trading book of the bank is as under:

(₹ करोड़ों में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	5482.10	493.39
ईक्विटी स्थिति जोखिम	2554.32	229.89
विदेशी विनिमय जोखिम	52.81	4.75
कुल	**8089.23**	**728.03**

तालिका डीएफ - 9

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) परिचालनात्मक जोखिम : परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल है मगर रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं है।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर नीतियाँ

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं, इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानें पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (घ) अविराम आइटी कारोबार तथा विपदा पुन:प्राप्ति योजना (आइटी बीसी-डीआरपी) ङ) अनुपालन नीति और च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्त्रोतीकरण पर नीति।

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा विस्तृत प्रकियाओं की रूपरेखा बताता है। नीति का मूल उद्देश्य बैंक के दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढ़ंग से पहचानने, निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियंत्रित/ कम करने और भौतिक परिचालनात्मक हानियों सहित परिचालनात्मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिमों को व्यापक तथा सुदृध व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के द्वारा संभाला जाता है।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। बैंक ने कम्प्यूटरीकृत परिचालनों को संभालने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षा स्थापित है। बैंक के पास कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों की भूमिका के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। उधार, फारेक्स और अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है। सभी कर्मचारियों के लिए आचार नियम व सेवा विनियम हैं।

निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति रखी है। बैंकों में अनुपालन कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में कारोबार समूह से अलग "अनुपालन विभाग" स्थापित किया है। हर शाखा / विभाग / कार्यालय में अनुपालन के स्तर की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी पदनामित किए गए हैं। अनुपालन स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया व प्रणालियां तैयार की गई हैं। अनुपालन कार्यों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी तैयार की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारा बैंक आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसके अनुसार बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी धारित करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

मानदण्ड	पूँजी रकम	आनुमानिक जोखिम भारित आस्ति
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार पिछले 3 वर्ष के दौरान सकारात्मक औसत वार्षिक सकल आय का 15%	810.88	9009.78

तालिका डीएफ - 10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है। इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

बैंकिंग बुक में अल्पावधि (आर्थिक परिप्रेक्ष्य) तथा दीर्घावधि (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) परिप्रेक्ष्य से ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैंलेंस शीट जोखिमों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचानता है। देशी परिचालनों हेतु आय पर प्रभाव को बैंक की एएलएम नीति में निर्धारितानुसार 100 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात (शॉक) को लागू करके जीएपी विशलेषण के प्रयोग से मापा जाता है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के एनआइआइ के प्रतिशत के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उसका प्रबोधन पाक्षिक आधार पर आवधिक रूप में किया जाता है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, देशी परिचालनों हेतु पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को दर संवेदनशील विवरण से लिया जाता है और विशेष समयावधि के बीच के पाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 100 बीपीएस तक ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। इसी को ऑलको तथा बोर्ड को आवधिक तौर पर दर संवेदनशील विवरण सहित

(₹. In Crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement
Interest rate risk Equity position risk Foreign exchange risk	5482.10 2554.32 52.81	493.39 229.89 4.75
TOTAL	**8089.23**	**728.03**

Table DF – 9

Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

Policies on Management of Operational Risk

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems Security Policy (b) Forex Risk Management Policy (c) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) IT Business continuity and Disaster Recovery Plan (IT_BC-DRP) (e) Compliance Policy and (f) Policy on outsourcing of Financial Services.

The operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. The bank has issued detailed guidelines for handling computerized operations and a system of EDP audit is in place to ensure adherence to the laid down systems and procedures. The Bank has clear guidelines as to the role functions of various levels of employees. A training system with provision for giving specialized training in credit /forex and other functional areas is in place. Conduct rules and service regulations for all the employees are also in place.

Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

The Bank has put in place Compliance Policy duly approved by Board. In terms of the RBI guidelines on compliance functions in banks, the bank has established separate "Compliance Department" in C.O. independent of business group. Compliance officers are designated in each branch /department/office to monitor the level of compliance. The methodologies and system have been devised and put in place for assessment of level of compliance. Reporting systems on compliance function have been devised and put in place.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI

Quantitative Disclosures

(₹. In Crore)

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	810.88	9009.78

Table DF –10

Interest rate risk on the Banking Book

Qualitative Disclosures

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the banking book from a short term (Earnings perspective) and long term Economic Value Perspective. The impact on income (Earnings Perspective) for domestic operations is measured through use of GAP analysis by applying notional rate shock up to 100bps as prescribed in the bank's ALM Policy over one year horizon. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage of Net Interest Income of the bank and the same is monitored periodically. For the calculation of impacts on earnings, the Traditional Gap Analysis for domestic operation is taken from the Rate Sensitivity Statement and based on the remaining period from the mid point of a particular bucket the impact for change in interest rate up to 100 bps is arrived at. The same is reported to Board and ALCO periodically along with the Rate

रिपोर्ट किया जाता है। सीमाएँ पिछले वर्ष के एनआइआइ के आधार पर नियत की जाती हैं।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषण को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की 1 वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को मासिक आधार पर आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है।

बैंक मासिक आधार पर ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव और अवधि अन्तराल की गणना करता है । दर संवेदनशीलता विवरण और बकेटवार संशोधित अवधि के अनुसार आस्ति व देयता को समूहबद्ध किया जाता है और इन समूह आस्ति व देयता के लिए कॉमन मैच्यूरिटी , कूपन व यील्ड मानदण्ड का प्रयोग करके गणना की जाती है । जहाँ भी संभव होता है संशोधित अवधि की गणना एकल मदवार की जाती है । गैर परिपक्व जमाओं के मामले में ,ब्याज दर संवेदनशीलता के वास्तविक मूल्यांकन को प्राप्त करने के लिए भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारितानुसार बैंक ने तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यावहारिक अध्ययन संचालित किया है ।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अन्तराल विश्लेषण (डी जी ए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टी जी ए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्ति (आर एस ए)/ दर संवेदनशील देयता (आर एल एस)पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5 प्रतिशत आस्ति या वैश्विक देयता का 5 प्रतिशत या अधिक हो । सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर की गणना की जाती है ।

भा.रि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ,तिमाही विवरणियां तिमाही की समाप्ति से 21 दिनों के अंदर और मासिक विवरणियां माह के अंत से 15 दिनों कें अंदर प्रस्तुत की जाती है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

ख) निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2013 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

(₹ करोड़ों में)

ब्याज दर में परिवर्तन	**इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा**	**जोखिम पर अर्जन (इएआर) 31/03/2013**	
		1 वर्ष तक	**5 वर्ष तक**
0.25% परिवर्तन	150.48 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 3%)	115.94	77.93
0.50% परिवर्तन	300.96 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 6%)	231.88	155.87
0.75% परिवर्तन	451.44 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 9%)	347.82	233.80
1.00% परिवर्तन	601.92 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 12%)	463.76	311.74

इक्विटी का आर्थिक मूल्य	**31.03.2013**
आशोधित अवधि जीएपी (डीजीएपी)	0.0481%
एएलएम नीति के अनुसार सीमा	(+/-)1.00%
इक्विटी का बाजार मूल्य (एम वी ई)	
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्विटी में घटाव	1.8229%

Sensitivity Statement. The limits are fixed on the basis of previous year's Net Interest Income (NII)

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The bank calculates Duration Gap and the impact on Economic Value of Equity on a monthly basis. Assets and liabilities are grouped as per rate sensitivity statement and bucket-wise modified duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters. Wherever possible, the Modified Duraton is calculated on individual item wise. In case of non maturity deposits, the bank has conducted behavioural studies for a period of three years as prescribed by RBI to have a realistic assessment of the interest rate sensitivity.

The bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank's global assets or global liabilities. . The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

The quarterly returns are submitted within 21 days from the end of the quarter and monthly returns within 15 days from the end of the month to RBI as per guidelines.

Quantitative Disclosures

(b) The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2013 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(₹. In Crore)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2013	
		Up to 1 year	Up to 5 years
0.25% change	150.48 (3% of NII of previous year)	115.94	77.93
0.50% change	300.96 (6% of NII of previous year)	231.88	155.87
0.75% change	451.44 (9% of NII of previous year)	347.82	233.80
1.00% change	601.92 (12% of NII of previous year)	463.76	311.74

ECONOMIC VALUE OF EQUITY	31.03.2013
Modified Duration Gap (DGAP)	0.0481%
Limit as per ALM Policy	(+/-)1.00%
Market value of Equity (MVE)	
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value	1.8229%

स्वायत्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. सार्थक लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश युक्त 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के तुलन पत्र व लाभ व हानि लेखा तथा संबंधित वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण सहित संलग्न वित्तीय विवरणों की हमने लेखा परीक्षा की है । इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं तथा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 6 विदेशी शाखाओं सहित 1320 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं । हमारे द्वारा लेखा परीक्षित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है । इस तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में उन 1628 की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई । अ-लेखापरीक्षित इन शाखाओं का अग्रिमों के क्षेत्र में अंशदान है 12.71 प्रतिशत, जबकि जमाओं में 22.64 प्रतिशत, ब्याज आय में 12.63 प्रतिशत और ब्याज संबंधी खर्चों में 11.24 प्रतिशत का अंशदान है ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है । वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित डिजायन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण को बनाए रखना इस जिम्मेदारी में शामिल हैं व ये वित्तीय विवरण किसी धोखाधड़ी या गलती के कारण वस्तुनिष्ठ रूप से गलत नहीं होते ।जो कि दोष रहित विवरण हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हों ।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है । हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी किए गए लेखाकरण पर मानकों के अनुरूप अपनी लेखा परीक्षा की । इन मानकों से अपेक्षा की जाती है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं के अनुरूप लेखा परीक्षा करें । वित्तीय विवरण दोष रहित रहने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करें।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरणों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने संबंधी इस्तेमाल की गई प्रक्रियाएँ शामिल रहती हैं । चयनित की गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षकों के निर्णयों पर निर्भर हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वस्तुनिष्ठ गलत विवरण का मूल्यांकन का जोखिम शामिल रहता है, चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो । इन जोखिम मूल्यांकनों को आकलन करने में, उस समय की परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजायन करने हेतु वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति एवं बैंक की तैयारी से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण पर लेखा परीक्षक विचार करता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त की गई लेखाकरण नीतियों के समयुक्त मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा दिए गए लेखाकरण अनुमानों के तर्कसंगतों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है ।

5. हमें विश्वास है कि अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान हेतु हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं ।

राय

6. हमारी राय में बैंक की बहियों द्वारा दर्शाए गए अनुसार व हमारी उचित जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

   (i) तुलन पत्र को उसमें दी गई पूरी टिप्पणियों में पूर्ण और उचित तुलन पत्र के सभी आवश्यक ब्यौरे निहित हैं, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2013 को बैंक की वर्तमान स्थिति का उचित रूप से सही और उचित आंकलन किया गया है ।

   (ii) लाभ-हानि खाते के साथ टिप्पणियों में लेखा द्वारा वर्ष के लिए कवर की गई, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के साथ पुष्टि करते हुए लाभ के सही शेष दर्शाते हैं ।

   (iii) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है ।

मामलों पर बल

7. हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि

   क) नोट सं.8 दिनांक 31.03.2011 से 5 वर्षों से की अवधि से अधिक हेतु ₹.1005.21 करोड़ की पेंशन के अमूर्तिकरण एवं ग्रेजुटी देयता के चुकतान के संबंध में है ।

   ख) नोट सं.3.6, कुछ संदिग्द्ध अग्रिमों के प्रतिकूल भाग के आंशिक भाग को बट्टे खाते में डालने से संबंधित है ।

   उक्त के संबंध में हमारी राय नहीं ली गई है ।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Indian Overseas Bank as at 31st March, 2013, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2013, and Profit and Loss Account and the Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 1320 branches including 6 overseas branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 1628 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 12.71 per cent of advances, 22.64 per cent of deposits, 12.63 per cent of interest income and 11.24 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulations Act 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2013 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash Flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. We draw attention to :

   a) Note No.8 regarding amortization of pension and gratuity liability of Rs. 1005.21 crore over a period of 5 years from 31.3.2011.

   b) Note No. 3.6 regarding partial write off of secured portion of certain doubtful advances

   Our opinion is not qualified in respect of the above.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms “A” and “B” respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

8. तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते को बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी सूची के फार्म "ए" और "बी" क्रमश: में प्रकाशित किया गया है ।

9. पैराग्राफ 1 से 5 से अधिक में इंगित की गई लेखा परीक्षा की सीमाओं के तहत बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अनुसार भी हो, हम रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमने सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उत्कृष्ट हैं, हमारी लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषप्रद पाया गया है ।

ख) बैंक के लेनदेन, जो कि हमारी जानकारी में आए हैं वे बैंक की शक्तियों के अन्दर किए गए हैं ।

ग) ₹.8656.61 करोड़ के बकाया ऋण का प्रतिभूति वार आस्ति वर्गीकरण से संबंधित सिंगापुर शाखा की विवरण (अमूर्त आस्तियाँ ₹.3881.39 करोड़ द्वारा सुरक्षित बैंक गारंटी ₹.2346.20 करोड़ द्वारा रक्षित की गई और असुरक्षित ₹.2429.02 करोड़) जिनको सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया, को छोड़कर बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पायी गयी हैं । हमने इस विवरणी पर विश्वास किया है क्योंकि इसे शाखा प्रबंधन और आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया है ।

10. हमारी राय में, तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार हैं

कृते एस आर मोहन एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 002111एस

(जी जगदीश्वर राव)
साझेदार
स.सं.021361

कृते बदरी, मधुसूधन एवं श्रीनिवासन
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 05389एस

(एन के मधुसूधनन)
साझेदार
स.सं.020378

कृते बी त्यागराजन एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 004371एस

(बी.त्यागराजन)
साझेदार
स.सं.18270

कृते शंकर एण्ड मूर्ति
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 003575एस

(ए.मोनी)
साझेदार
स सं.028519

कृते पी.आर.मेहरा एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 000051एन

(अशोक मलहोत्रा)
साझेदार
स.सं.082648

कृते दास खन्ना एण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 000402 एन

(राकेश सोनी)
साझेदार
स.सं.083142

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 29.04.2013

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit except for return of Singapore branch relating to security wise assets classification of the loans outstanding of Rs.8656.61 crore (secured by tangible assets Rs.3881.39 crore, covered by Bank Guarantee Rs.2346.20 crore and unsecured Rs.2429.02 crore) which was not certified by the Statutory Branch Auditor. We have relied upon this return as certified by branch management and internal auditor.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For S R Mohan & Co
Chartered Accountants
FRN 002111S

(G.JAGADESWARA RAO)
Partner
M. No.021361

For Badari, Madusudhan & Srinivasan
Chartered Accountants
FRN 05389S

(N.K.MADHUSUDHAN)
Partner
M.No.020378

For B Thiagarajan & Co
Chartered Accountants
FRN 004371S

(B.THIAGARAJAN)
Partner
M.No.18270

For Sankar & Moorthy
Chartered Accountants
FRN 003575S

(A.MONY)
Partner
M. No. 028519

For P R Mehra & Co.
Chartered Accountants
FRN 000051N

(ASHOK MALHOTRA)
Partner
M No.082648

For Dass Khanna & Co
Chartered Accountants
FRN 000402N

(RAKESH SONI)
Partner
M.No.083142

Place: Chennai
Date: 29.04.2013

INSTRUCTIONS TO SHAREHOLDERS: MOST URGENT AND IMMEDIATE

1. The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act,2006, which has come into force on 16.10.2006 has inserted a new section 10 (B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 which provides as under:

- **Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed/claimed the dividend, such amounts lying in the bank Dividend Current Account, shall be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of IOB for the year ….".**
- **Any money transferred to the Unpaid Dividend Account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under Sec 205 (1) (C) of the Companies Act, 1956.**

Hence the Shareholders who have not received/encashed the Dividend for Financial Years 2000-01, 2001-02, 2002-03, interim/final dividend 2003-04, interim/final dividend 2004-05, 2005-06,2006-07,2007-08,2008-09,2009-10, 2010-11 and for the year 2011-12 are requested to send their claim along with details of Folio No (s) to our Registrar and Transfer Agent M/s Cameo Corporate Services (Unit IOB), Subramanian Building, 1st Floor, No. 1 , Club House Road, Chennai – 600 002, Phone: 044-28460395 or to Investor Relations Cell, Indian Overseas Bank, Balance Sheet Management Department, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002.

2. Shareholders are also requested to send their claims, if any, in case of non receipt of refund orders in respect of our Public Issue 2000 and Follow on Public Issue 2003 along with Application Number to Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002.

3. **The Shareholders who are holding shares in Electronic Form have to approach only the Depository Participant (DP) concerned and not the Registrar for any change in the mandated particulars like change of Address, Bank Account, etc...** Please note that the Registrar would send the dividend warrant (or credit to the mandated account in the case of shareholders who have opted for ECS credit) based on the particulars furnished by Depository Participant (DP) to the Registrar on 21.06.2013.

4. **Consolidation of Folios:** It has been found that many shareholders maintain more than one Folio i.e., Multiple Folios. In order to provide efficient service to Shareholders, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their Share Certificates to our Registrar and Share Transfer Agent for necessary corrections in their records.

शेयरधारकों को अनुदेश : अति आवश्यक व तत्काल

1. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 जो 16 10 2006 से प्रभावी है, ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 में निम्नलिखितानुसार एक नई धारा 10 (बी) जोड दी है :

- **यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से 7 दिनों के अंदर लाभांश का नकदीकरण / दावा नहीं किया है तो बैंक के लाभांश चालू खाते में जमा ऐसी रकम को अलग से "वर्ष ————के लिए आइओबी का अदत्त लाभांश खाता" शीर्षक रूपी एक अलग खाते में अंतरित कर दिया जाए।**
- **अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गयी कोई भी रकम अंतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 (1) (सी) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आइइपीएफ) को अंतरित किया जाना है ।**

अत: वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 के लिए लाभांश, वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए अंतरिम/अंतिम लाभांश और वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 ,2008-09 और 2009-10,2010-11 और 2011-12 के लिए अंतरिम अंतिम लाभांश नहीं मिला है / जिन्होंने लाभांश का नकदीकरण नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने दावे, फोलियों संख्या (एस) जैसे ब्योरों सहित रजिस्ट्रर और स्थानांतरण एजेंट मेसर्स केमियो कार्पोरेट सेवाएँ (यूनिट आइओबी), सुब्रमणियन भवन, प्रथम तल, नं.1क्लब हाउस रोड, चेन्नै-600 002, दूरभाष सं.044-28460395 या निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज बैंक, तुलन पत्र प्रबंधन विभाग,केंद्रीय कार्यालय,763,अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को भेज दें ।

2. पब्लिक इश्यू 2000 और अनुवर्ती एवं पब्लिक इश्यू 2003 के वापसी आदेश प्राप्त न होने संबंधी मामलों के बारे में भी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने दावे, यदि कोई हो, तो आवेदन संख्या सहित निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय,अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को भेज दें।

3. **इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों द्वारा पते, बैंक खाते में परिवर्तन इत्यादि जैसे अधिदेशित विवरणों में परिवर्तन के लिए संबंधित डी पी को संपर्क करना है, न कि रजिस्ट्रार से।** कृपया नोट कर लें कि रजिस्ट्रार, डी पी द्वारा 21.06.2013 तक उन्हें दिए हुए विवरण के आधार पर लाभांश अधिपत्र (या यदि शेयरधारक ने ईसीएस जमा का विकल्प दिया हो तो उस अधिदेशित खाते में जमा करेगा) भेजेगा ।

4. **फोलियो का समेकन** : यह पाया गया कि कई शेयरधारकों द्वारा एक से अधिक अर्थात बहुसंख्या में फोलियो रखे हैं । शेयरधारकों को उत्तम सेवा प्रदान करने हेतु हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे फोलियो के समेकन हेतु अपने शेयर प्रमाण-पत्रों को हमारे रजिस्ट्रार को एवं शेयर अंतरण एजेण्टस को उनके रिकार्ड में आवश्यक सुधार हेतु भेज दें ।

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

FORM 'B'

FORM OF PROXY

See Sub-Regulation (iii) of regulation 70)

(TO BE FILLED IN AND SIGNED BY THE SHAREHOLDER)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)
D P Id No.   **Cl. Id No.**

I/ We,..resident of..in the district of…………………………………………………………in the state.. being a shareholder/shareholders of Indian Overseas Bank, hereby appoint Shri/Smt ………………………… resident of ……………………………........……………in the district of ………………..........………..in the state of ………………………….. as my/our proxy to vote for me/us and on my/ our behalf at the 13h Annual General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank to be held on Friday, 28th June, 2013 at Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai – 600 006 and at any adjournment thereof.

Signed this...........................day of......................2013

....

(Signature of the Proxy)

Name ....

Address ....

....

....

Please affix Rs. 1/- Revenue Stamp

Signature of the first named/sole holder

ATTENDANCE SLIP

(Please fill this attendance slip and hand it over at the entrance of the meeting hall)

Name and address of the shareholder...

....

No of shares held: ....………............. Regd Folio No: ....

(If not dematerialised)

DP ID No: .... Client ID No: ………….........……..............

(If dematerialised)

I hereby record my presence at the 13h Annual General Meeting of the Bank held on Friday, 28th June, 2013 at 10:00 AM at Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai – 600 006.

....

(Signature of the shareholder / proxy holder / representative)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

फार्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

(विनियम 70 का उप-विनियमन (iii)) देखें)

(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)

पंजीकृत फोलियों सं............. (यदि बेकागज़ीकृत न हो)
डीपी आइडी सं .... ग्राहक आइडी सं :...............

मैं/हम, ...निवासी ....जिला ....राज्य ....इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती ....निवासी .... जिला .... राज्य .... को, शुक्रवार दिनांक 28 जून 2013 को राणी सीतै हाल , 603,अण्ण सालै, चेन्नै - 600 006 में होने वाली इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक और इससे संबंधित कोई अन्य स्थगन हो तो उसमें मुझे/हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं ।

वर्ष 2013 के .... माह के .... दिन हस्ताक्षरित

(प्रॉक्सी के हस्ताक्षर)

नाम ....

पता ....

....

....

रु.1/- का राजस्व टिकट चिपकाएँ

प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

उपस्थिति पर्ची

(कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरकर बैठक के प्रवेश द्वार पर सौंप दें)

शेयरधारक का नाम व पता...

....

धारित शेयरों की संख्या : .... पंजीकृत फोलियों सं: ....

(यदि बेकागज़ीकृत न हो)

डीपी आइडी सं .... ग्राहक आइडी सं :...

(यदि बेकागज़ीकृत है तो)

मैं 28 जून 2013 को सुबह 10.00 बजे, राणी सीतै हाल , 603,अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006 में आयोजित बैंक की 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक में

अपनी उपस्थिति दर्ज करता/ करती हूँ ।

(शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

निवेशक संबध कक्ष INVESTOR RELATIONS CELL

तुलन पत्र प्रबंधन विभाग Balance Sheet Management Department

फोन Telephone: 044-28889392; 28415702; फैक्स Fax: 28585675

ईमेल e-mail: investor@iobnet.co.in

<u>भौतिक शेयरों को डीमेट रूप में बदलने के लिए अनुरोध</u>

हम शेयरों को इलेक्ट्रानिक रूप में (डीमैट रूप) रखने के कारण और उसके लाभ निम्नवत् दे रहे हैं। **भौतिक रूप में शेयर रखना एक विकल्प है, परंतु ओइओबी के शेयरों में ट्रेड करने की अनुमति केवल इलेक्ट्रानिक रूप (डीमैट रूप)में है।**

अत: हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने **शेयरों को शीघ्र ही परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई करें। यदि कोई हों, भौतिक रूप में से डीमैट रूप में (इलेक्ट्रानिक रूप) करें** ताकि आप उसका लाभ उठा सके और **आसानी से ट्रेड** कर सकें।

अपने शेयरों को डीमैट क्यों करें?

- चूँकि शेयर इलेक्ट्रनिक फॉर्म में हैं, अत: कोई हानि, चोरी या नुकसान नहीं होना
- किसी प्रकार की देरी एवं स्टाम्प शुल्क के बिना शेयरों का अंतरण करना
- लाभांश/ब्याज बैंक खाते में सीधे जमा किया जा सके
- बोनस/राइट्स शेयर आपके डीमैट खाते में सीधे जमा हो जाएंगे
- यदि डीमेट खाते में परिवर्तन किया जाता है तो सभी कंपनियों को पते एवं बैंक विवरण में हुए परिवर्तन की सूचना स्वत: ही मिल जाएगी
- यदि नामांकन का विकल्प लिया गया हो तो खाता धारक की मृत्यु होने पर,बिना किसी प्रकार की अड़चन के नामिती के डीमैट खाते में शेयरों के अंतरण होना
- एनएसडीएल से आपके डीमैट खाते में नामे, जमा इत्यादि के लिए एसएमएस अलर्ट प्राप्त होना
- आइओबी से पोर्टफोलियो के मूल्य में अनुकूल परिवर्तन होने पर प्रतिदिन एसएमएस अलर्ट प्राप्त होना
- आप बिना प्रभार के इन्टरनेट (आइडियाज) के जरिए अपना खाता देख सकते हैं

<u>डीमैट खाते होने के फायदे:</u>

- आप पब्लिक इश्यू में प्रतिभागिता कर सकते हैं जिसके लिए डीमैट खाता अनिवार्य है।
- आप अपना म्यूचुअल फंड /बॉण्ड /गोल्ड विनिमय ट्रेड फंड को भी उसी डीमैट खाते में रख सकते हैं।
- अगर आपके पास डीमैट खाता है तो अब आप स्टॉक ब्रोकर के जरिए स्टॉक एकस्चेंज़ से अच्छी कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं।
- आप यदि शेयरों को भौतिक रूप की अपेक्षा डीमैट रूप में रखा जाता है तो शेयरों के रूप में धनराशि रखी जाती है, उस धनराशि को वितरित करना आसान है। इसके लिए, चाहे धन धारक पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त नामों से डीमैट खाता खोल सकते हैं या धन धारक विभिन्न पारिवारिक सदस्यों के नामांकनों के रूप में डीमैट खाता खोल सकते हैं।

यदि आप डीमैट खाता खोलने हेतु स्पष्टीकरण चाहते हैं तो कृपया निम्न पते पर संपर्क करें :

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
डिपॉसिटरी सेवाएँ
कैथड्रल शाखा (मेजनाइन तल)
762, अण्णा सालै, चेन्नई-600 002
फोन : 28513617/3618,फैक्स : 28513619
ईमेल - deposit@chemsco.iobnet.co.in

**डीमैट खाते खोलने हेतु अन्य नामित शाखाओं के लिए-कृपया हमारे वेबसाइट www.iob.in के तहत 'पर्सनल बैंकिंग'> डिपासिटरी सेवाएँ >डीपी केन्द्र से संपर्क करें।

Request to convert shares in physical Form into Demat Form

We give below the reasons and advantages in keeping the shares in electronic mode (Demat Form). **Holding the shares in physical form is optional, but trading in IOB shares is permitted in electronic Mode (Demat Form) only.** We therefore request you **to take early steps to convert your shares, if any, in the physical form, into Demat form** (electronic mode) so as to avail of the benefits involved and to **facilitate easy trading**.

WHY TO DEMAT YOUR SHARES?

- No loss, theft or damage to the shares as they are in electronic form.
- Transfer of Shares without any delay and stamp duty.
- Dividend/Interest can be credited to the bank account directly.
- Bonus/Rights shares get credited to your demat account directly.
- Change of Address/Bank particulars are communicated to all companies automatically if the change is effected in the demat account.
- Opting for Nomination ensures hassle-free transfer of shares to the demat account of Nominee in the event of death of account holder.
- Receive SMS alert for debit, credit, etc. in your demat account from NSDL.
- Receive daily SMS alert on favourable change in the value of portfolio from IOB.
- You can view your account through internet (IDeAS) free of charge.

ADVANTAGES IN HAVING A DEMAT ACCOUNT:

- You can participate in Public Issues for which a demat account is compulsory.
- You can keep your Mutual Funds/Bonds/Gold Exchange Traded Funds also in the same demat account.
- Now you can buy shares of good companies from Stock Exchange through Stock Brokers only if you have a demat account.
- If wealth is held in the form of shares, distribution of wealth is easier if held in demat form than in physical form. For this, either demat accounts can be opened by the wealth holder in the joint names of family members or more demat accounts may be opened by the wealth holder with different family members as nominees.

For opening demat account or for any clarification, please get in touch with

INDIAN OVERSEAS BANK
DEPOSITORY SERVICES
Cathedral Branch (Mezzanine Floor)
762, Anna Salai, Chennai 600 002
Phone 28513617/3618 Fax – 28513619
Email – deposit@chemsco.iobnet.co.in

** For other nominated branches for opening demat accounts - please visit our website <u>www.iob.in</u> under 'Personal Banking' -> Depository Services -> DP Centres.

प्रेषक

दिनांक : ....

सेवा में
मेसर्स कैमियो कार्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
यूनिट : इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
सुब्रह्मण्यिम बिल्डिंग
नं : 1 क्लब हाउस रोड
चेन्नै - 600002

प्रिय महोदय

संदर्भ : नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (एन ई सी एस) के ज़रिए लाभांश का भुगतान

प्रथम धारक का नाम (बड़े अक्षरों में)						
फोलियो नं.						
शेयरों की संख्या						
बैंक खाते का प्रकार (कृपया टिक करें)	बचत खाता		चालू खाता		नकद उधार खाता	
बैंक खाता संख्या						
बैंक का नाम						
शाखा का नाम						
आइ एफ एस सी कोड *						
बैंक का पूरा पता						
9- बैंक द्वारा जारी एम आइ सी आर चेक पर दिखने वाली शाखा व बैंक का डिज़िट कोड नं (कृपया उपरोक्त खाते से संबंधित अपने बैंक द्वारा जारी चेक की फोटोकॉपी या कोरा निरस्त चेक संलग्न करें ताकि कोड की सत्यता का सत्यापन किया जा सके ।)						

मैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ जब भी **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** द्वारा इसे मुझे लाभांश के भुगतान हेतु कार्यान्वित किया जाय।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि दिए गए उपरोक्त ब्यौरे सही और पूर्ण हैं । यदि अपूर्ण या असत्य जानकारी के कारण लेन -देन विलंबित होता है या शुरू ही नहीं होता, मैं **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक / रजिस्ट्रार** को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराउंगा ।

मैं पुनश्च **रजिस्ट्रार / इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** को अपने बैंक, शाखा और खाता संख्या में किसी भी परिवर्तन की सूचना देने का वचन देता हूँ ।

(प्रथम / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर)

From :

Date .______________________

To:

M/s.Cameo Corporate Services Limited

Unit : INDIAN OVERSEAS BANK

'Subramanian Building'

No.1 Club House Road

Chennai – 600002

Dear Sir(s),

Ref: **PAYMENT OF DIVIDEND THROUGH NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICES (NECS)**

Name of First Holder (In Block Letter)						
Folio No.						
No of shares						
Bank A/c Type [Please tick (✓)]	Savings A/c		Current A/c		Cash Credit A/c	
Bank Account Number						
Name of the Bank						
Branch Name						
IFSC Code *						
Full Address of the Bank						
9– Digit Code number of the Bank & Branch appearing on the MICR cheque issued by the Bank (Please attach Photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code.						

I agree to avail of the Electronic Clearing Service, as and when implemented by **Indian Overseas Bank** for payment of dividend to me.

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete . If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold **Indian Overseas Bank / Registrar responsible .**

I further undertake to inform the **registrar** / **Indian Overseas bank** any change in my Bank , Branch and Account no.

(Signature of the First / Sole shareholder)

हमारे खुदरा उत्पादों की एक झलक

1. ईसी ट्रेड फाइनेन्स

व्यापारियों के लिए सरल कार्यशील पूँजी वित्तपोषण और मीयादी ऋण

उद्देश्य: कार्यशील पूँजी और मियादी ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।

मात्रा: अधिकतम रुपए 3 करोड़(निधि आधारित) + रु.1.50 करोड़(गैर निधि आधारित)

प्रतिभूति: अचल संपत्ति / तरल प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत।

मार्जिन: 10 से 50%

चुकतान: मियादी ऋण -48 ईएमआइ/नकद ऋण -वार्षिक नवीकरण

2 शुभ गृह

पात्रता : स्वतंत्र व नियमित आय वाले व्यक्ति

उद्देश्य: फ्लैट अथवा मकान का निर्माण /अधिग्रहण।

मात्रा: मकान की लागत का 80 प्रतिशत

मार्जिन : मकान की लागत सहित 20%

प्रतिभूति : भू संपत्ति की बंधक जिसे वित्तीय सहायता देनी है।

संसाधन प्रभार : ऋण राशि पर 0.58% की दर पर बशर्ते अधिकतम रु.10190/- ।

चुकतान : अवकाश अवधि सहित अधिकतम 30 वर्ष (समाप्ति समय तक अधिकतम 70 वर्ष)

3. पुष्पक

उद्देश्य: नई / पुरानी कार /नये दुपहिया वाहन की खरीद हेतु।

मात्रा: नई कार / दुपहिया के मूल्य का 90% तथा पुरानी कार के मूल्य का 75%

मार्जिन: 10 से 25% तक

प्रतिभूति: वाहन का दृष्टि बंधन

चुकतान: 24 से 84 ईएमआई तक

4. संजीवीनी

डॉक्टरों के लिए ऋण

उद्देश्य: नया अस्पताल / नर्सिंग होम इत्यादि की स्थापना हेतु ।

मात्रा: अधिकतम रु.10 लाख से 2 करोड़ तक ।

मार्जिन: 15% से 30% तक

प्रतिभूति: उपकरण / अचल संपत्ति / एनएससी /एलआइसी

चुकतान: 5 से 10 वर्ष तक

5. आइओबी -अक्षय

एलआइसी पॉलसियों के प्रति ऋण

प्रमात्रा: लाइफ पॉलिसियों के लिए अभ्यर्पण मूल्य का 90%

प्रतिभूति: एलआइसी पॉलिसी का एसाइनमेंट

चुकतान: अधिकतम -48 ईएमआइ

6. आभूषण के प्रति वाणिज्यिक नकद ऋण

आभूषणों को मुख्य प्रतिभूति के प्रति व्यापारिक आवश्यकताओं / व्यापार से संबद्ध लोगों को व्यापारिक क्रिया कलाप के संचालन हेतु

7. बेजमानती ऋण

- वेतनभोगी कर्मचारियों को व्यक्तिगत एवं घरेलू खर्चों के लिए ऋण
- ऋण की मात्रा - ऐसे कर्मचारी जिन्हें हमारे द्वारा वेतन दिया जाता है उनके लिए मासिक वेतन का 10 गुना और अन्य के लिए मासिक वेतन का 5 गुना और रु.1 लाख जो भी कम है।
- ऋण की मात्रा-एलआइसी ऐजेन्टों के लिए 1 वर्ष के औसत मासिक कमीशन, अधिकतम 10 लाख रुपए तक।
- चुकतान: 60 ईएमआई जहाँ ऋण की रक़म 10 महीने के वेतन या कमीशन पर आधारित है और अन्य के लिए 36 ई एम आइ

8. सहायिका

- विवाहादी जैसे सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए ऋण। आवेदक व्यक्तिगत रूप से नियमित आय के साथ रोज़गार में अथवा व्यापार / व्यवसाय में अथवा स्वरोज़गारयुक्त होना चाहिए अथवा अचल संपत्ति के प्रति ऋण ।
- ऋण की मात्रा रु.10 लाख है।
- चुकतान: अवधि-60 इएमआइ

9. पेंशनर की ऋण योजना

- सभी पेंशनरों को निजी खर्चों की पूर्ति के लिए ।
- 65 वर्ष से कम आयु वालों के लिए पेंशन राशि का भुगतान 60 इएमआइ में 65 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए पेंशन राशि का भुगतान 30 इएमआइ में
- ऋण की मात्रा : 65 वर्ष की आयु वालों के लिए मासिक पेंशन का 10 गुना या रु 2 लाख जो भी कम हो । 65 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए मासिक पेंशन का 10 गुना या 1 लाख जो भी कम हो ।

10. आइओबी रॉयल:

- उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों / स्वरोजगारयुक्त के लिए उनकी वित्तीय अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु 15.00 लाख तक ऋण , चाहे वह उनके वैवाहिक खर्च अथवा / सामाजिक /वित्तीय प्रतिबद्धताओं अथवा ड्रीम हालिडे के लिए क्यों न हो।
- प्रमुख विशेषताएँ- प्रतिभूति , गारंटी और मार्जिन आदि रहित

11. प्रतिवर्ती बंधक

- वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय आवश्यकताओं हेतु प्रतिवर्ती बंधक ऋण योजना जिसमें उनके निवास गृह हो / फ्लैट के प्रति ऋण ताकि अपना बचा जीवन आराम से बिता सके।
- निवासीय संपत्तियों के बंधकों के प्रति ऋण प्रदान किया जाना है बशर्ते कि मासिक किश्त रुपये 50,000 से ज्यादा न हों ।

12. आइ ओ बी सूर्या- सौर ऊर्जा उपकरणों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना

- ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा उपकरणों की निम्नानुसार खरीद :
- सौर कूकर
- सौर हीटर
- गृह /भीतरी प्रकाश की व्यवस्थाएँ
- **योजना ''ए'' (व्यक्तियों के लिए)**: न्यूनतम रु 30,000 और अधिकतम रु 10.00 लाख (परियोजना लागत का 85% जिसमे व्यवस्था,अतिरिक्त वस्तुओं,परिवहन एवं प्रतिष्ठापन लागत शामिल है)
- **योजना ''बी'' (संस्थाओं के लिए)**; रु 1.00 लाख की न्यूनतम राशि और रु 10.00 लाख की अधिकतम राशि जो कि (परियोजना लागत का 80%, जिसमे व्यवस्था, अतिरिक्त वस्तुओं , परिवहन एवं प्रतिष्ठापन लागत शामिल है)।

13 आईओ बी फाइन गोल्ड

- पीएएमपी, स्विज़रलैण्ड से आइओबी फाइन गोल्ड-999.9 शुद्ध गोल्ड
- निवेश हेतु सुरक्षतम
- सभी अवसरों के लिए श्रेष्ठ उपहार
- मुद्रास्फीती के प्रति प्रभावी प्रतिरक्षा
- त्यौहारों के समय के दौरान बोनस के रूप में कर्मचारियों के लिए प्रत्येक आकर्षित कार्पोरेट उपहार
- पीएएमपी, स्विज़रलैण्ड से टॉमपर प्रूफ सर्टिकार्ड, आकर्षित पैकेज़
- 2,4,8,10,20 ग्राम सिक्कों में उपलब्ध और 50एवं 100 आयताकार बार में उपलब्ध है।
- उच्च प्रतिस्पर्धात्मक दरें-सामूहिक आदेशों पर दर-मामले -दर पर छूट पर विचार किया जाएगा।

आइओबी हेल्थ केयर प्लस:

- कम प्रीमीयम में हमारे व्यक्तिगत खाताधारकों के अभिभावन सहित पूरे परिवार के लिए हेल्थ बीमा कोई चिकित्सा परीक्षा की जरूरत नहीं है
- दुर्घटना, अचानक बीमारी, कोई बीमारी के संबंध में सर्जरी के मामले में अस्पताल की खर्चे हेतु कवर सुविधा।
- प्रवेश की उम्र की सीमा 3 महीने से 65 वर्ष तक, कवरेज की 80 वर्ष की आयु तक ही उपलब्ध है। आश्रित बच्चों के लिए आयु सीमा-पुरूषों के लिए 21 वर्ष तक, महिलाओ के लिए 25 वर्ष या उनके विवाह तक जो भी पहले हो
- तीन लगाातर वर्षों तक नि:शुल्क पॉलिसी दावे के बाद पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया जा सकता।
- पॉलिसी के अन्य पक्ष प्रशासक के माध्यम से नकद रहित लेन -देन
- कवरेज: रु.50,000 से रु.5 लाख
- दुर्घटना से मृत्यु के बीमा कवर के लिए अतिरिक्त प्रीमियम पर सुविधा उपलब्ध
- धारा 80 डी के तहत कर लाभ

आपकी ज़रूरतों के लिए हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें ।

OUR RETAIL PRODUCTS AT A GLANCE

1.EASY TRADE FINANCE -

Hassle free working capital finance and Term Loan to Traders.

Purpose: To meet the working capital and term loan needs

Quantum: Maximum of Rs. 3.00 Crs (Fund Based) + Rs.1.50 Crs (Non Fund).

Security: Secured by immovable property/liquid security.

Margin: 10 to 50%

Repayment: Term Loan-48 EMI/ cash credit-Annual renewal.

2. SUBHAGRUHA

Eligibility: Persons with Independent and regular income.

Purpose: Acquisition/ Construction of a flat or a house.

Quantum: Upto 80% of the cost of the House.

Margin: 20% inclusive of cost of land.

Security: Mortgage of property to be financed.

Processing Charge: @0.58% of the loan amount subject to a Maximum of Rs.10,190/-

Repayment: Maximum 30 years including Hoilday Period (Maximum 70 years at the time of exit)

3. PUSHPAKA

Purpose: To purchase new/old car/new Two wheelers

Quantum: New Car / Two Wheeler - 90% of cost and for Old car 75% of cost.

Margin: Varies from 10 to 25%.

Security: Hypothecation of vehicles.

Repayment: Varies from 24 to 84 EMI

4. SANJEEVINI

Loans for Doctors

Purpose: To set up New hospital/ Nursing home etc.

Quantum: Maximum loan varies from Rs.10lakhs to Rs.2crores.

Margin: Varies from 15 to 30%

Security: Equipments/ Immovable property/NSC/LIC.

Repayment: 5 to 10 years.

5. IOB- AKSHAY

Loans against LIC policies

Quantum: 90% of Surrender value of Life Policies.

Security: Assignment of LIC Policy.

Repayment: Maximum-48 EMI

6. COMMERCIAL CASH CREDIT AGAINST JEWELLERY

For business needs/running a commercial activity of people engaged in business, against prime security of Jewels.

7. CLEAN LOAN

- Loan for salaried employees to meet personal and domestic expenses.
- Quantum of loan-10 times the monthly salary or Rs.15 Lakhs whichever is lower for employees whose salary is routed through us and for others 5 times the monthly salary or Rs.1 Lac whichever is lower.
- Quantum of loan- for LIC agents, 10 times of average monthly commission in a year with a maximum of Rs.10 Lacs.
- Repayment-60 EMI where the loan amount is based on 10 months salary/ commission and 36 EMI for others.

8. SAHAYIKA

- Loan to meet Social commitments like marriage etc. Applicant should be an individual in employment or Business/professional or self employed with regular income against mortgage of immovable property.
- Quantum of loan amount Rs.10 Lacs
- Repayment period: 60 EMIs

9. PENSIONER'S LOAN SCHEME

- All pensioners to meet personal expenses.
- Repayment out of pension amount in 60 EMI for those below 65 years and 30 EMI for above 65 years.
- Quantum of Loan: Upto 65 years of age-10times the monthly pension of Rs. 2 Lac whichever is lower. Over 65 years of age-10times of monthly pension or Rs.1Lac whichever is lower.

10. IOB Royal:

- Loan up to **Rs. 15.00 lacs for High net worth individuals / self employed** for fulfilling all their financial aspirations, whether it is for a dream holiday or any marriage expenses or any of their social / financial commitments.
- Unique features like No security, guarantee, margin etc.

11. Reverse Mortgage:

- Reverse Mortgage Loan Scheme takes care of the financial needs of senior citizens owning self occupied residential house / flat for leading a decent life during their twilight days.
- Loan will be granted against the mortgage of residential property subject to monthly installment does not exceed Rs.50,000/-.

12. IOB Surya - Scheme for financing Solar Energy Equipments:

- To purchase offgrid renewable solar energy equipments in India as under:
- **Solar Cookers**
- **Solar Heaters**
- **Home/Indoor Lighting Systems**
- **Scheme A (For Individuals):** Minimum of Rs 30,000/- and Maximum of Rs 10.00 Lacs

  (**85% on the project cost** which includes cost of the system, accessories, transportation & installation.)
- **Scheme B (For Institutions):** Minimum amount of Rs 1.00 Lac and Maximum of Rs 10.00 Lacs i.e. (**80% on the project cost** which includes cost of the system, accessories, transportation & installation).

13. IOB FINE GOLD

- IOB Fine Gold-999.9 pure Gold from PAMP, Switzerland.
- Safest form of INVESTMENT.
- A perfect GIFT for all occassions.
- Effective hedge against inflation.
- A very attractive corporate gift for employees as bonus during festive season.
- Packed in attractive, tamper proof CERTICARDS from PAMP, Switzerland.
- Available in 2,4,8,10,20 gram coins and 50& 100 gram rectangular bars.
- Highly competitive rates-Discount can be considered on case to case basis for bulk orders.

14. IOB HEALTH CARE PLUS

- Health insurance for entire family including parents, of our individual account holders at a very low premium. No medical examination required.
- Provides hospitalization expense in case of accidents, sudden illness, surgery, in respect of any disease.
- Entry age limit is between 3 months and 65 years, coverage is available upto age of 80 years only. Age limit for dependent children- for male upto 21 years, for female upto 25 years or till their marriage whichever is earlier.
- Pre-existing diseases can also be covered after three consecutive claim free policy years.
- Cashless transaction through Third Party Administrator of the policy.
- Coverage: Rs.50,000 to Rs 5 lakhs.
- Accidental death can be covered on payment of additional premium.
- Tax benefit under section 80D.

FOR YOUR NEEDS PLEASE CONTACT OUR NEAREST BRANCH